खण्ड-442, अंक-8
सोमवार, 28 श्रावण, शक संवत् 1924
(19 अगस्त, 2002 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2002)

खण्ड 442 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)

2002

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य ..	ङ
जनपद बाराबंकी में ग्रामीणों पर पुलिस द्वारा लाठी-गोली चलाये जाने विषयक नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने एवं चर्चा कराये जाने की माँग ..	1--2
प्रश्नोत्तर ..	2--11
आरोपात्मक अंश कार्यवाही से निकाले जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न ..	11--12
प्रश्नोत्तर (जारी) ..	12--63
इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत क्षेत्रीय विधायकों को स्वचयनित करने का अधिकार दिये जाने की माँग ..	63
सदन में नये सदस्यों को बोलने का अवसर दिये जाने की माँग ..	63--64
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	64
आयुर्वेद एवं यूनानी विधा डिग्री धारकों की नियुक्ति न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	64--65
हरदोई से फर्रुखाबाद जाने वाली बसें वाया हरपालपुर चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	65
परियोजना प्रबन्धक सी0 एण्ड डी0 एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, मेरठ में विभागीय कार्यों में लापारवाही तथा सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	65
जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत बगदर फीडर पोलों को बदलने तथा नलकूपों से सटे हुये गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	66
जनपद कुशीनगर में छितानी बांध के टूट जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	66
महोबा में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा किये गये सरकारी धन के दुरुपयोग और घोटालों की जांच कराने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	66-67
जनपद फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम आमौली विद्युत उपकेन्द्र के फीडरों की मशीनें ठीक कराने तथा 10 एम0बी0ए0 का ट्रान्सफार्मर स्थापित कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	67
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें ..	67
प्रश्नों के स्वीकृत होने के बाद भी शासन द्वारा उन्हें निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	68--70

विषय	पृष्ठ-संख्या
मुख्य मंत्री द्वारा अपने मंत्रियों पर अधिकारियों के माध्यम से अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	70--71
मतदाता सूची तैयार करने में शिथिलता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	72--73
जनपद अम्बेडकर नगर के अलाउद्दीनपुर ग्राम को चौरमरा विद्युत् उपकेन्द्र से जोड़ने तथा अतारांकित प्रश्न सं0 12 के उत्तर के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	73--75
नियम 311 की नियम 56 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनायें (जारी) ..	75
मुख्य मंत्री को सदन में बुलवाये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न ..	75
नियम 311 की नियम 56 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनायें ..	75
जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत घाटमपुर क्षेत्र के भीतर गाँव तिवारीपुर इटहरा बिरहर-मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री विजय यादव आदि की हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी) ..	76
जनपद कानपुर नगर के घाटमपुर क्षेत्र के भीतरगांव-खदरी-धरमपुर बम्बा मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री आर0 डी0 कुरील आदि के द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी) ..	76
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	76--77
उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 के पुर:स्थापन पर आपत्ति	77--78
उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 (पुर:स्थापित) ..	78--82
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें ..	82--102
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान पर माँग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायतीराज) (स्वीकृत) ..	102--138
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-60 (वन विभाग) (स्वीकृत) ..	138--165
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) (स्वीकृत) ..	165--166
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2002 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002 (अनुमोदन का संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) ..	166--169
प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर दो घंटे की चर्चा का स्थगन ..	169
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें ..	169-170
उत्तर प्रदेश में विद्युत् विभाग द्वारा दोषपूर्ण इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये जाने से उपभोक्ताओं में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में श्री कौशल किशोर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य ..	170--171

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत वीरपुर कटरा व चरेरा में भू माफियाओं द्वारा राजस्व अभिलेखों को गायब किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य ..	171--172
जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के अन्तर्गत रामगंगा व बहगुल नदी पर कोलाघाट के नाम से पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ..	172
उत्तर प्रदेश में मुंहनोचवा से व्याप्त आतंक के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ..	173--174
इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगाये जाने पर 10 प्रतिशत धन जनता द्वारा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उदयराज आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ..	174-175
स्व0 रिजवानुल हक एवं स्व0 मजीमुल हक की हत्या के उपरान्त उनके परिवार को समुचित सुरक्षा प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शमीमुल हक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ..	175--177
जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली में ग्राम लोटना की 1998 से विद्युत् लाइन कटी होने के सम्बन्ध में श्री उदय राज यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य ..	177-178

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 19 अगस्त, 2002

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कुमार, श्री	बागपत
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अन्सार अहमद,	इलाहाबाद
अरुणा तोमर, सुश्री	कानपुर नगर
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
उदय भान सिंह, श्री	वाराणसी
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियाँ नवाब	रामपुर
चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
मदन भैया, श्री	बागपत
मान पाल सिंह, श्री	एटा
मायावती, सुश्री	सहारनपुर
मुस्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मोहम्मद आजम खाँ, श्री	रामपुर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर / पडरौना
रमेश कुमार शर्मा, श्री	झांसी
राज नाथ सिंह, श्री	बाराबंकी
राजबीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रेवती रमण सिंह, कुं0	इलाहाबाद
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद

उत्तर प्रदेश सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 19 अगस्त, 2002

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

(माननीय अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

जनपद बाराबंकी में ग्रामीणों पर पुलिस द्वारा लाठी-गोली चलाये जाने विषयक सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने एवं चर्चा कराये जाने की मांग

(श्री अवधेश प्रसाद, श्री राम लाल अकेला, श्री बलराम यादव, श्री शिव कुमार बेरिया, श्री अब्दुल कलाम, सिद्धार्थ नगर, श्री उदय राज, श्री राम विशुन आजाद, श्री शारदानन्द अंचल, श्री वसीम अहमद, श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल तथा श्री दिनेश सिंह आदि अधिकांश विपक्ष के सदस्य अपने-अपने आसन पर खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, बाराबंकी में एक दर्जन ग्रामीण घायल हुए हैं पहले उस पर सुना जाय।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जाइये।

थोड़ा सा सहयोग करें। यह जो कार्यसूची हैं इसमें थोड़े से प्रश्न हैं, हो जाने दें। नियम 56 में बाराबंकी वाली सूचना चयनित होकर आ गयी है उस पर विचार सुन लेंगे।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, एक दर्जन से अधिक लोग अस्पताल में मरणासन्न हैं और यह किसानों के ऊपर फायर किया गया है, गांव के लोगों पर हुआ है और जो मुँहनोचवा के बारे में डी0 आई0जी0 का बयान आया है, वह सनसनीखेज है, उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि विदेशी ताकतों का हाथ है। (व्यवधान) यह मामला बहुत ही गम्भीर है। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इसको ले लें। इससे ज्यादा और कुछ महत्वपूर्ण नहीं हो सकता।

(विरोध पक्ष के अनेक सदस्य एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे और सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

अपना आसन ग्रहण करें।

(किन्तु विपक्ष के अनेक सदस्य श्री अध्यक्ष के अनुरोध को अनसुनी करते हुये अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अगर 12.20 बजे तक सदन स्थगित हो जायेगा तो भी आपकी सूचना उसी समय आयेगी। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

बहुत थोड़े से प्रश्न हैं, आप अगर थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो बहुत जल्दी हो जायेंगे। अगर 12.20 बजे तक स्थगित भी कर दिया गया तो भी आयेंगे उतने ही समय। इसलिए शान्तिपूर्वक प्रश्न हो जाने दीजिए। आप सभी लोग बैठ जाइये। आप दल के उपनेता हैं बैठाइये सबको। आप लोग उसी समय अपनी बात कह लीजिएगा। गंभीर मामला है इसीलिए तो चयनित कर लिया गया है। आज तो बहुत कम काम है, चर्चा के लिए काफी समय मिल जायेगा।

(श्री अम्बिका चौधरी के कहने से सभी सदस्य बेल से अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह सूचना बहुत महत्वपूर्ण है इसे नियम 311 में ले लें। आज जनता अपनी सुरक्षा की मांग कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

जब नियम 56 आयेगा उसी समय अपनी बात कह लीजियेगा।

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में धान की खरीद की नीति एवं भुगतान कार्यक्रम की समीक्षा

**1.–श्री कमाल युसूफ मलिक, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री आदित्य विक्रम सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 में प्रदेश में धान की खरीद हेतु कोई नीति निर्धारित की गयी थी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या धान क्रय कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन स्तर पर किसानों के धान के मूल्य का भुगतान करने की समय-समय पर समीक्षा किये जाने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बाबू राम, एम0 काम0)–

जी हां, वित्तीय वर्ष नहीं, वरन् खरीफ विपणन वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 में क्रमशः शासनादेश संख्या 1602/29-4-2000-5(19)/2000, दिनांक 30-9-2000 एवं संख्या 3244/29-4-2001-5(32)/2001, दिनांक 29-9-2001 द्वारा धान क्रय नीति निर्धारित की गयी थी, जिसकी 5-5 प्रतियां मा0 सदस्यगण के अवलोकनार्थ मा0 अध्यक्ष जी के सदन पटल पर रख दी गयी हैं।*

*छापी नहीं गयी।

धान क्रय कार्यक्रम के अंतर्गत कृषकों के धान के मूल्य भुगतान हेतु समीक्षा किये जाने की व्यवस्था की गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर बैठकें आयोजित करके धान क्रय कार्यक्रम में भुगतान की समीक्षा की गयी। इस प्रकार खरीफ वर्ष 2000-2001 में कुल क्रय धान की मात्रा 5,67,994 मी0 टन का रुपया 510 प्रति कुंटल की दर से कुल रुपये 289.67694 करोड़ का शत-प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। खरीफ विपणन वर्ष 2001-2002 में क्रय धान की कुल मात्रा 9,00,612.012 मी0 टन का भुगतान रुपया 530 प्रति कुंटल की दर से कुल देय धनराशि रुपया 477.33 करोड़ के सापेक्ष 476.45 करोड़ का भुगतान किसानों को किया गया है। पी0 सी0 एफ0 द्वारा क्रय धान के सापेक्ष मात्र 88 लाख रुपये का भुगतान शेष है।

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, जैसा उन्होंने कहा है कि 88 लाख रुपये का भुगतान शेष है। मान्यवर, यह उत्तर बिल्कुल गुमराह करने वाला है। पूरे प्रदेश में किसानों का बकाया पिछले साल का भी बाकी है। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि 88 लाख रुपया का भुगतान शेष है, इसके शेष रहने का कारण क्या है ?

(इस समय 11 बजकर 07 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरिश चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' पीठासीन हुए।)

श्री बाबू राम, (एम0 काम0)–

मान्यवर, एक जो क्रय इकाई है पी0 सी0 एफ0, उसका 5 जनपदों चित्रकूट, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया और फतेहपुर में यह रुपया बाकी है। चित्रकूट, कुशीनगर और गोरखपुर के बकाये के भुगतान के लिए वहां के जिला प्रबन्धक, पी0 सी0 एफ0 को निर्देश एम0 डी0, पी0 सी0 एफ0 ने दे दिया है। जहां तक देवरिया और फतेहपुर का सवाल है। यहां पर धान की कुटाई हेतु सीधे मिलों को दिया गया है, चावल के परते में अन्तर के कारण यह भुगतान किया जाना शेष है। इस सम्बन्ध में जाँच की गयी है और इसमें पी0 सी0 एफ0 के जिला प्रबन्धक और आडिट लेखा एकाउन्टेंट को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है तथा दोषी व्यक्तियों को निलंबित किया है और अन्य सम्बन्धित दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध कार्यवाई किए जाने हेतु महाप्रबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0 से कहा गया है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ और मंत्री जी को बताना भी चाहता हूँ कि सर्वाधिक धान सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण अंचलों से खरीदा जाता है। और आपने पैसा पी0 सी0 एफ0 को दिया है। क्या आप इसकी समीक्षा कराकर समितियों के माध्यम से या पी0 सी0 एफ0 के माध्यम से यह रुपया दिलाने का प्रयास करेंगे।

मेरा दूसरा सवाल है कि जो आप धान क्रय करते हैं उसके निस्तारण की व्यवस्था है, चावल बनाकर उसे अपने पूल में रखने की या खाद्य निगम के पूल में रखने की। जितना धान आपने खरीदा है और जो आपने यह पुस्तिका दी है, नए खरीफ वितरण वर्ष 2001-2002 में क्रय नीति, उसके पेज-7 पर लिखा है कि जो धान का आप निस्तारण नहीं कर पायेंगे उसे खुली मिलों को बेंच

देंगे। इस सम्बन्ध में मंत्री जी बताने का कष्ट करें कि कितने धान का चावल बनाकर खाद्य निगम को सौंपा और कितना चावल आपने अपने पूल में रखा ओर कितना आपने खुले बाजार में बेचा, इससे आपको कितना घाटा या मुनाफा हुआ ?

श्री बाबूराम, (एम0 काम0)–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कृषि उत्पादन आयुक्त ने प्रति सप्ताह धान खरीद की समीक्षा, धान खरीद में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण और कृषकों को दिये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में समीक्षा की है, हमने समीक्षा की है तथा हमें पता लगा है कि किन-किन केन्द्रों पर कहाँ-कहाँ भुगतान नहीं किया गया है और कहाँ-कहाँ भुगतान नहीं किया गया है और कहाँ-कहाँ दिक्कत है। अगर माननीय विधायक जी चाहेंगे तो हम दोबारा समीक्षा कराने को तैयार हैं।

(व्यवधान)

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, अभी तक पैसा नहीं दिया गया, सारा माल का पैसा बकाया पड़ा है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने दो प्रश्न किए हैं, एक का उत्तर आ गया है। मंत्री जी को उत्तर देने का अवसर नहीं मिल रहा है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आप सुन लें।

श्री बाबू राम (एम0 काम0)–

मान्यवर, खरीफ वर्ष 2001-2002 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कुल क्रय धान से 5,65,525 मी0 टन चावल (सी0एम0आर0) प्राप्त होना था, जिसके सापेक्ष दिनांक 5-8-02 तक 5,28,398 मी0 टन (सी0 एम0 आर0) चावल प्राप्त हो चुका है, इसमें से 84565 मी0 टन चावल केन्द्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम को डिलवरी की गई है, शेष मात्रा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के अन्तर्गत उपयोग हेतु स्टेट पूल में डिलवरी की गई है तथा अभी 37,127 मी0 टन (सी0 एम0 आर0) की डिलवरी अवशेष है, जो शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त की जा रही है।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, वर्ष 2000-01 में क्रय केन्द्र जहांगीरगंज, अम्बेडकर नगर में आज भी लगभग पचास लाख से ऊपर बकाया है, तो क्या मंत्री जी उसे दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री बाबू राम (एम0 काम0)–

मान्यवर, जहांगीर गंज, अम्बेडकर नगर में खरीफ वर्ष 2000-01 में खाद्य विभाग के हाट शाखा द्वारा दिनांक 1-10-2000 को धान क्रय केन्द्र खोला गया था। इस केन्द्र पर 31-1-2000 तक 3016.2 मी0 टन धान की खरीद की गई, जिसका भुगतान कृषकों को किया जा चुका है, दिनांक 31-1-2000 के पश्चात् दिनांक 14-2-2001 तक 1068.3 मी0 टन खरीद की बात सूचित की गई, जिसका शासन द्वारा विनियमित किया जा चुका है, इसका भी भुगतान किया जा चुका है। संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा एक समिति का गठन शिकायतें प्राप्त होने पर किया गया। सत्यापन के

दौरान 742 मी0 टन धान पाया गया और इस सम्बन्ध में खाद्य आयुक्त के माध्यम से विपणन अधिकारी से जांच कराई गई और जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर के माध्यम से जिलाधिकारी, आलापुर से जांच कराई गई। इसके आधार पर कुल 65 कृषकों से 742 मी0 टन की कथित खरीद की गई थी, जिसमें 3 कृषक तहसील बूढनपुर, जिला आजमगढ़ के भी हैं। इस जांच में 742 मी0 टन मात्रा का धान या चावल के रूप में उपलब्ध नहीं है। इसमें एक बात और खास है कि कुछ कृषकों के पास ऐसी कोई भूमि नहीं है, जिनके द्वारा भुगतान का दावा पेश किया जा रहा है, क्योंकि जोत बही के आधार पर, खरीद की गई है। जोत बही के अनुसार किसानों की अपनी भूमि होना आवश्यक है। अत: इस विवाद के बारे में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि किसानों के 742 मीट्रिक टन के कथित भुगतान का कोई औचित्य नहीं है।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, सही उत्तर नहीं आया।

श्री अधिष्ठाता–

आपका पूरा उत्तर आ गया है।

श्री बलराम यादव–

कुछ चीजें और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो बातें कही जा रही हैं कि जनपद आजमगढ़ के 26 गांवों को अम्बेडकर नगर में शामिल किये हैं, उन किसानों के भुगतान हैं, जिनका धान क्रय केन्द्र पर तौला गया और उसकी रसीद दी गयी परन्तु भुगतान नहीं किया गया। किसानों की जोत बही नहीं थी। इसको दिखवा लें, माननीय मंत्री जी को गलत रिपोर्ट दी गयी है। यह किसानों की धान है चाहे पुराने आजमगढ़ या नये अम्बेडकर नगर की हो। 26 गांव अम्बेडकर नगर में स्थानान्तरित हो गये । इसलिये उन किसानों का भुगतान करा दिया जाये और इसको पुन: सत्यापित करा लिया जाये।

श्री बाबू राम (एम0 काम0)–

मान्यवर, जांच के बाद यह तथ्य प्रकाश में आये हैं कि जो कृषक भुगतान का दावा कर रहे हैं उनके पास एक बिस्वा भी जमीन नहीं है।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, धान खरीदा गया या नहीं ?

श्री बाबू राम (एम0 काम0)–

मान्यवर, हमने खरीद केन्द्र अधिकारी जो वरिष्ठ विपणन निरीक्षक थे उसको निलंबित भी किया है, इसीलिए कि जिस किसान के पास एक बिस्वा जमीन नहीं उसका धान किसान जोत बही के आधार पर कैसे खरीदा गया। यह तथ्य जांच के बाद ही सामने आये हैं। अगर किसी किसान के पास अपनी भूमि है तो सरकार जांच कराने को तैयार है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर इसकी जांच करवा लें।

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने कहा कि सारे उत्तर प्रदेश के अन्दर जहां पर धान खरीदा गया है, बकाये का भुगतान कर दिया गया है। मैं कानपुर जिले के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि कानपुर जिले के दर्जनों धान किसान अब तक हम लोगों से मिल चुके हैं जिनका आज तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। क्या मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जान सकता हूँ कि कानपुर जिले के जिन किसानों का बकाया होगा उसका भुगतान कब तक करा देंगे ?

श्री बाबू राम (एम0 काम0)–

मान्यवर, जिन किसानों के पास धान की बिक्री के वैध कागज हैं और उन किसानों का भुगतान लम्बित हैं तो मैं जांच कराने को तैयार हूँ और जिनके पास खरीद केन्द्र से प्राप्त वैध कागज है उसका भुगतान भी सरकार करेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यूँ तो मंत्री जी ने बताया कि 88 लाख रुपया पी0 सी0 एफ0 पर किसानों का बकाया है। यह सूचना जो मंत्री जी से मिली है सत्य से बहुत दूर है। अगर 88 लाख रुपया ही मान लें तो एक तरफ किसानों को बकाये के लिए उनकी कुर्की की जाती है, तहसील की काल कोठरियों में बन्द किया जा रहा है। तो जो देनदारियां इनके ऊपर है। तो सरकार ने इनके ऊपर कोई कठोर कार्यवाही, उत्पीड़क कार्यवाही या अनुशासनिक कार्यवाही की, अगर नहीं की तो इस आदरणीय सदन में मंत्री जी घोषित करें कि किसानों का भुगतान करने में लापरवाही करने वाले आधिकारियों को दण्डित करेंगे ?

श्री रामकरन आर्य–

मान्यवर, मेरा एक मूल प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री बाबू राम (एम0 काम0)–

मान्यवर, जहां पर अविवादित हैं उन कृषकों के भुगतान के निर्देश एम0डी0पी0सी0एफ0 को दे दिए गये हैं और वहां पर भुगतान होगा लेकिन जहां पर विवादित है उनकी जांच रिपोर्ट आने पर ही उस पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने की अनुमति प्रदान की है। मान्यवर, मैं यही जानना चाहता हूँ कि यह जो दे रहे हैं इन्होंने कहा कि इन्होंने सन् 2001-2002 में 9 लाख 612 मीट्रिक टन का भुगतान किया है। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन्होंने सन् 2001-2002 में उत्तर प्रदेश में कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था और जो लक्ष्य रखा था उसकी पूर्ति क्यों नहीं हुयी ? किसान अपने उत्पाद को बेचने के लिए तत्पर थे, लेकिन अपने लक्ष्य की पूर्ति का सही निर्वहन न करने के कारण बिचौलियों के

माध्यम से किसानों को धान बेचना पड़ा। सरकार ने यह 530 रुपये की सीमा रखी थी लेकिन बिचौलियों के माध्यम से उन्हें अपना धान बेचना पड़ा। उन्हें अपना धान 200-250 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचना पड़ा। इस लक्ष्य की प्राप्ति न होने के लिए कौन जिम्मेदार है ? मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि बस्ती जिले में 2000-2001, 2001-2002 का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 2001-2002 का भुगतान कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि इसकी जांच के लिए सदन की एक जांच समिति गठित कर दी जाए जो इस बात की जांच करेगी कि कितना मूल्य बाकी है, अगर भुगतान नहीं हुआ है तो कौन अधिकारी इसके लिए दोषी हैं ? इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री बाबू राम (एम0 काम0)–

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2001-2002 के लिए सरकार का धान खरीद का लक्ष्य 8 लाख मैट्रिक टन था। सरकार ने इससे ज्यादा की धान की खरीद की। सरकार ने 9 लाख 612 मीट्रिक टन के लगभग धान की खरीद की। हमारा टारगेट था 8 लाख मीट्रिक टन का और हमने खरीदा 9 लाख 612 मीट्रिक टन से ऊपर।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, लेकिन यह सरकार लगातार छाप रही थी कि 10 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है। यह सरकार लगातार घोषणा कर रही थी।

श्री बाबू राम (एम0 काम0)–

माननीय पाल साहब यह सब उत्तर में दिया है।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मेरा जिला बस्ती है, वहाँ पर धान का उत्पादन अधिक है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ क्रय केन्द्रों पर ज्यादा क्रय किया गया है और जहाँ पर किसान डायरेक्ट धान लेकर जाता है, वहां पर क्रय कम होता है। मान्यवर, इसके लिए जो दोषी पाया जाये, इसके लिए आपसे निवेदन है कि उनको दण्डित किया जाये। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी 20 दिन पहले 20 किसानों को लेकर कमिश्नर के यहां गया था। मान्यवर, केवल 88 लाख रुपया का भुगतान बाकी है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि चाहे आप जांच करवा लीजिए केवल मेरे यहां ही 50 लाख मेरे बस्ती जिले में बाकी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वह यह बकाया धनराशि किसानों को देंगे ?

श्री बाबूराम (एम0 काम0)–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि किसी खरीद केन्द्र, जहां पर कृषकों का बकाया है अगर किसानों के पास बिक्री के कागजात हैं तो सरकार उसकी जांच कराने के लिये तैयार है और उनका भुगतान कराने के लिये तैयार है।

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, अगर मेरे खाते में पैसा नहीं है और मैंने किसी को चेक दे दिया है तो मेरे ऊपर अपराधिक मुकदमा चल सकता है। किसानों को सोसायटियों ने चेक दे दिया है लेकिन खाते में

पैसा न होने के कारण चेक बाउंस हो रहे हैं और किसान चेक लिये घूम रहे हैं। मान्यवर, मैं वह चेक आपके पटल पर रखने के लिये तैयार हूँ। क्या ऐसे चेक जिन्होंने जारी किये हैं जैसे ए0 आर0 ओ0 वगैरह तो क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री बाबू राम (एम0 काम0)—

मान्यवर, जो चेक केन्द्र प्रभारियों ने काटे हैं अगर उसका सम्भार उस खरीद केन्द्र पर उपस्थित है तो सरकार उसका भुगतान करेगी। ऐसे बहुत से केन्द्र हैं जहां पर केन्द्र प्रभारियों ने गड़बड़ियां की हैं, जिसके लिये उनको निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 लिखाई गयी हैं। ऐसा कोई प्रकरण सामने आने पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हमने की है।

श्री मदन गोपाल वर्मा—

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में किसानों का धान.का मूल्य बकाया है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार उसका भुगतान कब तक करा देगी ?

श्री बाबू राम (एम0 काम0)—

मान्यवर, किसानों के मूल्य का भुगतान कराया गया है। जैसा मैंने अभी जिक्र किया है कि जहां खरीद ही विवादित है उन पर जांच करा रहे हैं जांच रिपोर्ट आने पर अगर उनकी खरीद का संभार प्राप्त हुआ और खरीद के वैध कागजात उपलब्ध होंगे तो उनका भुगतान किया जायगा।

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, मैं नियम 49 के अंतर्गत इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

*श्री प्रमोद कुमार—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जो से सीधा एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यह जो हमारे साथियों ने पूछा कि यह विवादित हुआ कैसे ? क्योंकि तत्कालीन मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि एक-एक दाना जो धान का आएगा उसे खरीदेंगे। इससे किसान अपना धान लेकर पहुँच गया उसने वहां उतार दिया और कह दिया कि आज पैसा नहीं है। बाद में आने पर पैसा मिलेगा। हर क्रय केन्द्र पर हजारों टन धान किसानों का पड़ा है। आप तो दूसरे का पाप ढो रहे हैं। आप उस समय संस्थागत वित्तमंत्री थे। जिसने गलती की है उसको जवाब देने दीजिए। मैं सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूँ । यह विवादित धान कैसे हुआ ? दूसरे चेक का प्रश्न सदस्य ने किया। आपने कहा कि पैसा दिलवा देंगे। फर्जी चेक देना अपराध है यह भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत अपराध है। जिसने फर्जी चेक दिया है उसके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज करवाइए क्या यह करेंगे ? आपने कह दिया कि फर्जी चेक होगा तो पैसा दिलवा देंगे। एक सरकार ने घोषणा की कि एक-एक दाना धान का खरीदेंगे जब पहुँच गया तो उससे रखवा लिया और कह दिया कि बाद में पैसा देंगे। तो जो किसान के घर से अनाज आपके यहाँ पहुँच गया है उसका पैसा उसको भुगतान करेंगे ? और फर्जी चेक देने वालों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यह आश्वासन देंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बाबू राम (एम0 काम0)–

अभी तक हमने जिसने खरीद में गड़बड़ी की है चाहे मिलों की सांठ-गांठ से हुई हो या कर्मचारियों की सांठ-गांठ से हुई हो इस सम्बन्ध में अनेक जगहों पर एफ0 आई0 आर0 लिखवाई है। अनेक कर्मचारी जो इसमें दोषी पाए गए हैं प्रारम्भिक जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की है। उनको निलम्बित किया है। तिवारी जी के प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। यह सरकार की मंशा नहीं है कि कृषकों का भुगतान विवादित हो। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ कि 1999-2000 में केवल 62 हजार मी0 टन खरीद हुई। 1997-98 में केवल 13 हजार मी0 टन की खरीद हुई। वर्ष 2001-2002 में पाँच लाख 70 हजार मी0 टन धान खरीदा गया। यह 1600 क्रय केन्द्रों में खरीदा गया। दो-चार-छह में गड़बड़ हो सकती है। विधायकों से निवेदन है कि किसी भी क्रय केन्द्र की जो भी शिकायत शासन के समक्ष आएगी।

श्री प्रमोद कुमार–

मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं उससे यह लगता है कि [X X X] यह दो-चार की नहीं हर क्रय केन्द्र की बात है। बिचौलियों के माध्यम से धान खरीदा जा रहा है। पैसा दे नहीं रहे हैं। [X X X] केन्द्र में पेट्रोल पम्प मामले में इतना बड़ा घोटाला किया।

श्री बाबू राम (एम0 काम0)–

कांग्रेस के शासन में एक लाख से ज्यादा पेट्रोल पम्प आवंटन में घोटाला हुआ है।

श्री प्रमोद कुमार–

मंत्री जी इस तरह से [X X X] ऐसा नहीं चलेगा।

(अनेक सदस्यों के द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

[X X X]

आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनकी सरकार में [X X X] बैठे हैं। पेट्रोल पम्प में कमीशन लिया। [X X X] जिस सरकार में ऐसे [X X X] हैं वे हमारे ऊपर उंगली उठाने का काम न करें। [X X X]

(संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री) श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, श्री तिवारी ने अपनी शंका जाहिर की, लेकिन यह कैसे कह सकते हैं कि वह [X X X] है। जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं होता, कैसे कह सकते हैं। [X X X] जो कहा गया है, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोगों से एक निवेदन है। सदन अच्छे से चल रहा था। प्रश्न पूछा गया था और उत्तर आ रहा था। आप अपनी पार्टी के बात करने.....

नोट: [X X X] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, [X X X]

(कई सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इतनी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तर 35-40 मिनट तक चला। प्रश्न किये गये और उसके उत्तर आये।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

आप प्रदेश में सूखे की स्थिति है और किसानों से वसूली जारी है। किसानों का जो बकाया है उसको यह नहीं देना चाहते हैं। वसूली के नाम पर उनको जेल भेजा जा रहा है। जेल भेजे जाने की कार्यवाही जारी है और इसके बावजूद माननीय मंत्री जी सदन में इस तरह की बात करेंगे ? प्रमोद तिवारी जी ने जो बात रखी है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूँ और सहमत हूँ। अगर यह अपना आचरण ठीक नहीं रख सकते हैं तो इस तरह की बात न करें। लूट का सिलसिला आज पूरे प्रदेश में जारी है और इस सदन में भी रहेगा तो हम कहाँ जायेंगे संरक्षण के लिये। विपक्ष का जो अधिकार है।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, ऐसे [X X X] को निकाले जाने के लिये मुख्यमंत्री जी से कहिये। ऐसे मंत्री की भर्त्सना करते हुए मुख्यमंत्री जी से कहिये कि ऐसे मंत्री को निकाल दिया जाय।

(खाद्य एवं रसद मंत्री के उत्तर से असन्तुष्ट होकर श्री वसीम अहमद,श्री राम विशुन आजाद, श्री राधेश्याम जायसवाल तथा श्री दिनेश सिंह आदि विपक्ष के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर जोर-जोर से बोलने लगे और नारे लगाने लगे)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(सदन के वेल पर सदस्यों द्वारा नारे लगाये जाते रहे)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूँ।

(सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न होने के कारण 11 बजकर 44 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 59 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी 11 बजकर 59 मिनट पर मार्शल ने सदन में सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 12 बजकर10 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।

12 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुन: आरम्भ हुई)

नोट: [X X X] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(विपक्ष के अनेक सदस्य खड़े होकर चर्चा की मांग करने लगे)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने लिखकर भी दिया है।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग मुझे बोलने का अवसर तो दें। कृपया शांत होकर पहले बैठ जायें। मेरी व्यवस्था तो सुन लें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ कि यह जो प्रश्न है यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और गम्भीर प्रश्न है। यह प्रश्न किसानों की समस्याओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह सदन की कार्यवाही में चाहे न लिया जाय लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज किसानों को तीस रुपये से पचास रुपया प्रति बोरा धान का बेचने के लिए देना पड़ा रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा करा लें और इसमें सभी सदस्यों का मत आ जाय। दूसरा जो प्रश्न था, माननीय मंत्री जी ने हटकर जवाब दिया है, वह खेदजनक है। इसपर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

यह जो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-। पर चर्चा हुई इसके बाद माननीय अवधेश प्रसाद जी एवं प्रमोद कुमार जी ने नियम-49 में चर्चा कराने की मांग की है, मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि इस पर नियम-49 में चर्चा स्वीकार कर ली जाय। एक और बात कहना चाहता हूँ कि यदि माननीय मंत्री के किसी शब्द से किसी माननीय विधायक को ठेस पहुंची हो तो कार्यवाही को देखकर निकाल दिया जायेगा।

आरोपात्मक अंश कार्यवाही से निकाले जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

सार्वजनिक उद्यान ब्यूरो मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी सदन चल रहा था तो माननीय प्रमोद कुमार जी ने माननीय मंत्री जी के ऊपर आरोप लगाया। मान्यवर, आरोप लगाने की एक प्रक्रिया है। अगर आरोप लगाना हो तो लिखित सूचना देंगे। इसपर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। माननीय तिवारी जी ने खाद्य तथा रसद मंत्री जी के ऊपर आरोप लगाया है उसे कार्यवाही से देखकर निकलवाने की कृपा करें। यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं अपने आरोप पर बल देता हूँ जो मैंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है मैं लिख कर दे दूंगा आप मान्यवर, भ्रष्टाचार की जांच करायें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, भ्रष्टाचार का आरोप लगाने से पहले उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। माननीय तिवारी जी ने अनर्गल जो बात कही है उनको निश्चित रूप से कार्यवाही दिखवा कर निकालवाने की कृपा करें।

श्री प्रमोद कुमार–

मंत्री जी के विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। माननीय मंत्री जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूँ । मैं मौखिक रूप से कह रहा हूँ और लिखित रूप से दे दूंगा। [X X X]

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, भ्रष्टाचार के बारे में आपने बात कही है। कार्यवाही में कोई असंसदीय शब्द है तो उसको निकाल दिया जाये यह मैं कहना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जो भी ऐसी बातें आपत्तिजनक होगी उनको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बाबूराम एम0 काम0)–

मान्यवर, सदन की कुछ मर्यादायें हैं। तिवारी जी वरिष्ठ सदस्य हैं। क्या इस तरीके से सदन की मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे। मैं तिवारी जी को चुनौती देता हूं कि एक भी भ्रष्टाचार साबित कर देंगे तो जो सजा सदन देगा उसको स्वीकार कर लूंगा।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री प्रमोद कुमार–

मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय एक चीज कहता हूं, [× × ×] भ्रष्टाचार साबित नहीं होगा तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा।

(प्रश्नोत्तर)

क्रमागत

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं नत्थी (ख) का तारांकित प्रश्न संख्या-1 लेता हूँ। श्री मूलचन्द्र जी नहीं हैं। तारांकित प्रश्न संख्या-2 लेता हूँ। श्री महेन्द्र कुमार सिंह नहीं हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को देय महगाई भत्ता के भुगतान सम्बन्धी जानकारी।

*1–श्री मूलचन्द्र–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2002 से देय महंगाई भत्ते का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त देय महंगाई भत्ता उन्हें कब तक दे दिया जायेगा ?

नोट: [X X X] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-1180 (1)/दस-2001-42 (एम)/97, दिनांक 6 दिसम्बर, 2001 द्वारा अनुमन्य 45 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 1 जनवरी, 2002 से कर दिया गया है। सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2002 से देय मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त स्वीकृत करने का भी निर्णय लिया गया है। उक्त अतिरिक्त किश्त के भुगतान हेतु वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की गयी है। आय-व्ययक पारित होने के पश्चात् उक्त अतिरिक्त महंगाई भत्ते के भुगतान सम्बन्धी शासनादेश निर्गत कर दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के उत्तरांचल स्थायी निवासी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उत्तरांचल राज्य भेजे जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

*2–श्री महेन्द्र कुमार सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि उ0 प्र0 सचिवालय के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिनका स्थायी पता उत्तरांचल राज्य के विभिन्न जनपदों का अंकित है, उन्हें उत्तरांचल राज्य की सेवा में भेजा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उन कर्मियों को जो उत्तरांचल राज्य में सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें उ0 प्र0 सचिवालय की सेवा में ही कार्यरत रहने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पत्र दि0-13-9-2000 द्वारा उत्तर प्रदेश एवं नवगठित उत्तरांचल राज्य के बीच कार्मिकों के बंटवारे के बारे में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार :--

(1) सर्वप्रथम संवर्गवार पदों की संख्या के विरुद्ध विकल्पधारियों को उत्तरांचल राज्य आवंटित किया जाय।

(2) यदि रिक्ति विद्यमान रहे तो उत्तरांचल मूल के निवासियों को उत्तरांचल राज्य आवंटित किया जाय।

(3) यदि फिर भी रिक्ति विद्यमान रहे तो कनिष्ठतम कार्मिकों को आवंटित किया जाय।

उक्त निर्देशों के क्रम में विकल्प के आधार पर सचिवालय सेवा के विभिन्न संवर्गों के 174 कार्मिकों की तैनाती उत्तरांचल राज्य में की गयी है। उत्तरांचल राज्य के मूल निवासियों तथा कनिष्ठतम कार्मिकों की तैनाती के संबंध में सेवा संघों के अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उ0 प्र0 सचिवालय के किसी कर्मी को जबरदस्ती नहीं भेजा जायेगा बल्कि जो कर्मी उत्तरांचल राज्य में कार्य करने हेतु स्वेच्छा से विकल्प देगें उन्हें हीं उत्तरांचल राज्य भेजा जायेगा। इस निर्णय पर राज्य परामर्शीय समिति का अनुमोदन अपेक्षित है।

प्रदेश के न्यायालयों में लम्बित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु सरकार की योजना.

*3–श्री धनन्जय सिंह–

क्या न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु सरकार किसी कार्य योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी

रूपरेखा क्या है ? क्या सरकार प्रदेश में न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पदों में वृद्धि कर उन पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

लम्बित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु नियमित न्यायालयों के अतिरिक्त सरकार ने प्रदेश स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समितियाँ गठित कर रखी हैं जो लोक अदालतों/शिविरों के माध्यम से सुलह और समझौते के आधार पर वादों को शीघ्रता से निस्तारित करती हैं। उक्त के अतिरिक्त 206 फास्ट ट्रैक कोर्ट लम्बित सत्रवादों के शीघ्र निस्तारण हेतु सृजित किये जा चुके हैं, साथ ही 70 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों/ विशेष मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गयी है ताकि लघु प्रकृति के दाण्डिक वादों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित हो सके। अपने वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये सरकार अतिरिक्त न्यायालयों का भी सृजन करती है। माननीय अतिरिक्त जिला जज स्तर के 40, सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के 3 और सिविल जज (जू0 डि0) स्तर के 4 अतिरिक्त न्यायालयों का सृजन वादों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मा0 उच्च न्यायालय के प्रस्ताव पर किया गया। अभी हाल में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 13 न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की गयी है।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 227 के उपबन्धों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त होने के कारण, मा0 उच्च न्यायालय के प्रस्ताव पर उनकी सहमति से अधीनस्थ न्यायालय और तत्सम्बन्धी पद सृजित किये जाते हैं। लेकी आयोग ने यह संस्तुति की है कि 10 लाख की जनसंख्या पर 50 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाय क्योंकि प्रदेश की जनसंख्या 15 करोड़ है, इसलिये 8500 न्यायालय होने चाहिए इनमें से 2136 न्यायालय पूर्व में सृजित हैं, अवशेष 6364 न्यायालयों के सृजन के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय से प्रस्ताव मांगा गया है क्योंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 227 की व्यवस्था के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति मा0 उच्च न्यायालय को प्राप्त होने के कारण वही यह बता सकते हैं कि कितने न्यायालय सृजित किये जायें, किस संवर्ग में सृजित किये जायें और कहाँ पर सृजित किये जायें।

श्री धनन्जय सिंह–

मान्यवर, मैं अपने मूल प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार न्यायालयों में मुकदमों की संख्या भार को कम करने के लिये सरकारी विभागों से संबंधित मामलों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना पर विचार करेगी, जैसे कि शिक्षा विभाग के लिये जहाँ लाखों की संख्या में मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं, के लिये शिक्षा सेवा न्यायाधिकरण इत्यादि का गठन करेगी ? इसी तरह से चकबन्दी के मामले भी लाखों की संख्या में लम्बित पड़े हैं उनके समयबद्ध निस्तारण हेतु वंचित गाँवों में चकबन्दी जोत अधिनियम की धारा 52 का प्रकाशन और चकबन्दी न्यायाधिकरण के गठन की व्यवस्था करेगी, जबकि राज्य विधि आयोग ने सलाह दी है सरकार को कि विभिन्न सरकारी विभागों में ट्रिब्युनल का गठन किया जाय तो क्या सरकार इस पर विचार कर रही है ?

श्री सुख देव राजभर (संसदीय कार्य , वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री)–

मान्यवर, मैंने बहुत स्पष्ट बताया न्यायालयों के संदर्भ में, मान्यवर, सरकार विधिक प्राधिकरण चलाती है चाहे सेवा से संबंधित प्रकरण हो या और चकबन्दी का एक तरह से प्राधिकरण है, न्यायालय नहीं है, वह एक स्कीम है और स्कीम चलाई जा रही है। इसलिये इस तरह के मुकदमों के निस्तारण के लिए विधिक प्राधिकरण है जहाँ अधिकारी कर्मचारियों के मुकदमों का निस्तारण होता है और इसी तरह के प्राधिकरण का हमने उल्लेख किया है। चाहे सेवाओं से संबंधित हो या उत्पीड़न से संबंधित हो ऐसे कोर्टों का गठन हुआ है।

3–श्री धनन्जय सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, मूल प्रश्न के द्वितीय खण्ड में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालय के सृजन के संदर्भ में कब प्रस्ताव माँगे थे, उस संदर्भ में की गयी कार्यवाहियों और पत्राचार का ब्यौरा क्या है ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट तौर पर बता दिया। वादों का त्वरित गति से निस्तारण हो, वादकारियों के हित में माननीय उच्च न्यायालय से सिफारिश करती है प्रदेश सरकार कि कुछ न्यायालय सृजित किये जाँय या पद सृजित किये जाँय। इस पर कमीशन बना, तमाम एडीशनल जजेज और कमीशन ने इस बात को कहा। हमारा दायित्व है और जैसा कि आपकी मंशा है कि त्वरित गति से लंबित वादों का निस्तारण हो, न्यायालयों के गठन का प्रस्ताव मांगा गया है और उस पर नार्म्स भी बता दिये गये। चूँकि नार्म्स प्रति 50 लाख की आबादी पर एक न्यायालय का है लेकिन इस आधार पर संदर्भित किया कि आबादी पर निर्णय करें या वादों की संख्या किधर कितनी है उस पर निर्णय करें। इस पर न्यायालयों के गठन के संदर्भ में शतप्रतिशत अधिकार माननीय उच्च न्यायालय का है, प्रदेश सरकार केवल निवेदन कर सकती है। इसका प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कहा कि प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है।

श्री धनन्जय सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव कब मांगा गया है ?

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कहा कि प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे कि आगे की कार्यवाही चलनी है, फिर प्रश्न करने का औचित्य ही नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

तारांकित प्रश्न

*1—श्री अम्बिका चौधरी—

[आश्वासन समिति के विचारधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश सरकार पर कुल कर्ज एवं ब्याज की अदायगी पर व्यय की गई धनराशि की जानकारी

*2—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार पर इस समय कुल कितना कर्जा है तथा इस कर्जे के ब्याज को चुकाने में कितना धन सरकारी कोष से खर्च करना पड़ता है ? क्या सरकार प्रदेश की वित्तीय हालत को सुधारने के लिये क्या कोई उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार दि0 31 मार्च , 2002 तक राज्य सरकार के ऊपर कुल रु0 83401.35 करोड़ का कर्ज अवशेष है।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर कर्जे के ब्याज के भुगतान पर रु0 8913.33 करोड़ व्यय अनुमानित है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

*3—श्री श्यामदेव राय चौधरी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*4—श्री संजय गर्ग—

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

*5—श्री जगदम्बिका पाल—

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

*6—श्री आनन्द सेन—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

माननीय विधायकों को वाहन अग्रिम ऋण की धनराशि बढ़ाये जाने की मांग।

*7—श्री राम करन आर्य , श्री आशीष यादव तथा श्री प्रेम पाल सिंह यादव—

क्या संसदीय कार्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधायकों को वाहन क्रय करने हेतु दी जाने वाली धनराशि कितनी है ? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि जीप, कार आदि कीमत से बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार वाहन अग्रिम ऋण की धनराशि बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :--नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री सुखदेव राजभर–

मा0 विधायकों को वाहन क्र य हेतु दो लाख रुपये की धनराशि ऋण के रूप में अनुमन्य है।

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसा धनों को दृष्टिगत रखते ुए वाहन अग्रिम हेतु अनुमन्य धनराशि को बढ़ाया जाना संभव नहीं है।

जनपद देवरिया के इन्दिरा आवासों में शौचालयों के निर्माण सम्बन्धी जानकारी

*8–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खाखा सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि जनपद देवरिया में बनाये गये इन्दिरा आवासों में शौचालयों का निर्माण कराया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद देवरिया में निर्मित इंदिरा आवासों में शौचालय का निर्माण कराया गया है। योजना के प्रारम्भ से मार्च , 2002 तक 42,432 इंदिरा आवास निर्मित हुए जिनमें से 21,527 आवासों में शौचालय पूर्ण हैं। शेष 20,905 बचे आवासों में शौचालय निर्माणधीन हैं।

शेष 20,905 इंदिरा आवासों में शौचालय का निर्माण कार्य कराया जा रहा है तथा निर्माण कार्य पूर्ण न किये जाने के लिए जाँच के आदेश दे दिये गये हैं। जांच के उपरांत दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध गुण-अवगुण के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

जिला कुशीनगर के थाना कप्तान गंज के अन्तर्गत गाँव मोहन मुड़ेरा में 19, जून 2002 को अल्पसंख्यकों के घर पर आगजनी व लूट सम्बन्धी प्रकरण पर सरकार द्वारा कृत कार्यवाही

*9–श्री दीनानाथ कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कुशीनगर जिले के कप्तानगंज थाना के अन्तर्गत मोहन मुंडेरागांव में 19 जून, 2002 को लगभग 72 अल्पसंख्यकों के घर लूटने और जलाये जाने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो कुल कितनी धन-जन की हानि हुई ? उक्त प्रकरण पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

कोई जन हानि नहीं हुई है। आगजनी व लूट से क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का कुल मूल्यांकन लगभग 12 लाख है। घटना के संबंध मु0अ0स0 264/2002 धारा 395/397/435/436/427 भा0द0वि0 व 7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट का अभियोग 33 नामजद, 1500 नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। नामजद अभियुक्तगणों में 27 अभियुक्तों की मौके पर गिरफ्तारी की गयी। विवेचना के उपरान्त सभी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 29-7-2002 को प्रेषित किया जा चुका है। अपने दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता प्रदर्शित करने के कारण तत्कालीन थानाध्यक्ष, एक उप निरीक्षक, दो मुख्य आरक्षीगण को निलम्बित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में थाना अध्यक्षों की नियुक्ति उपनिरीक्षक की वरिष्ठता के आधार पर किये जाने की मांग

*10—श्री राजेन्द्र सिंह राणा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार लाने हेतु क्या थानाध्यक्षों की नियुक्ति उपनिरीक्षक की वरिष्ठता के आधार पर किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी नहीं।

थानाध्यक्ष पद पर नियुक्ति ज्येष्ठता, श्रेष्ठता एवं सत्यनिष्ठा तथा गुणावगुण के आधार पर करने की पूर्व से ही व्यवस्था है।

थानाध्यक्ष के पद के दायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए केवल वरिष्ठता के आधार पर तैनाती का औचित्य नहीं है।

प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयासों की जानकारी

*11—श्री धनन्जय सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की वित्तीय हालत को सुधारने के लिए सरकार कौन से कदम उठाने पर विचार कर रही है ? क्या सरकार इस हेतु किसी विशेषज्ञ संस्था या संगठन से परामर्श प्राप्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो किससे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए आर्थिक स्थिति में सुधार लाने, कठोर वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने तथा अनुत्पादक व्यय में कमी लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं।

सरकार द्वारा संसाधनों में अभिवृद्धि एवं प्रशासनिक व्यय में कमी के संदर्भ में संसाधन व्यय आयोग का गठन किया गया है, जिसकी संस्तुतियां प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

इस संबंध में स्थिति उपर्युक्त प्रस्तर-(2) के उत्तर में स्पष्ट की गई है।

सरकारी विभागों में संविदा के आधार पर कराये गये कार्यों की नीति की जानकारी की मांग

*12—डा0 विनोद तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि सरकारी विभागों में विभिन्न कार्यों को संविदा के आधार पर कराये जाने की कोई नीति शासन द्वारा बनाई गई ? यदि हां, तो उक्त नीति क्या है ? क्या यह सही है कि संविदा के आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का व्यापक शोषण हो रहा है ? यदि हां, तो क्या कार्य की निरन्तरता को देखते हुये सरकार नये पद सृजित कर संविदा कर्मियों की नियमित नियुक्ति किये जाने हेतु निर्णय लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में पिछड़ी जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सरकारी सेवाओं में आरक्षण किये जाने की मांग

*13—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में पिछड़ी जातियों की जनसंख्या के आधार पर उन्हें सेवाओं में मिलने वाले कुल आरक्षण के स्थान पर प्रत्येक पिछड़ी जाति को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्येक पिछड़ी जाति को उसकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाना व्यावहारिक नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद देवरिया के रुद्रपुर में दलित पिछड़ी जाति व कमजोर लोगों को इन्दिरा आवास का आवंटन

1—श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद देवरिया के रुद्रपुर कछारान्चक में वर्ष 1998 तथा 2001 में आई बाढ़ से हजारों दलित, पिछड़ी जाति तथा कमजोर लोगों के मकान ध्वस्त हो गए थे ? क्या पीड़ितों को इन्दिरा आवास आवंटन में 3000 रु0 प्रति आवास सुविधा शुल्क न दे पाने के कारण आवास आवंटित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर दोषियों को दण्डित करते हुए उक्त को इन्दिरा आवास उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हाँ।

जी नहीं। वर्ष 98-99 में विकास खण्ड रुद्रपुर में 494, वर्ष 99-2000 में 1242, 2000-2001 में 618 तथा वर्ष 2001-02 में 845 दलित, पिछड़ी जाति व कमजोर लोगों को इंदिरा आवास आवंटित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के कस्बा सण्डीला में पुलिस विभाग द्वारा रात्रि गश्त विषयक जानकारी

2—श्री सुल्तान बेग—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस विभाग द्वारा रात्रि गश्त समाप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो जनपद हरदोई के कस्बा सण्डीला में रात्रि गश्त न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या विगत 6 माह से उक्त कस्बे में रात्रि गश्त न होने के कारण अपराधों में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पुलिस कर्मियों को दण्डित करते हुए उक्त कस्बे में रात्रि गश्त की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

कस्बा सण्डीला में नियमित रूप से रात्रि गश्त की जा रही है।

जी नहीं। अपराधों में वृद्धि नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मियों की स्थानान्तरण नीति तथा जनपद हरदोई के थाना सण्डीला में उक्त नीति का अनुपालन किये जाने विषयक जानकारी

3–श्री सुल्तान बेग–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मियों की स्थानान्तरण नीति क्या है ? क्या उक्त नीति का अनुपालन जनपद हरदोई के थाना सण्डीला में किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि थाना सण्डीला एवं पुलिस चौकी सण्डीला में अनेक पुलिस कर्मी ऐसे हैं जो एक ही स्थान एवं एक ही हल्का में 3 वर्षों से अधिक से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति के अनुसार उप निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों की एक जनपद में 6 वर्ष, मुख्य आरक्षी 10 वर्ष तथा आरक्षियों के लिये 15 वर्ष एवं उक्त कर्मियों के लिये एक थाने पर 3 वर्ष की अवधि निर्धारित हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

इंदिरा आवास योजना में क्षेत्रीय विधायकों की सहभागिता की मांग

4- श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव पर इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों का चयन किया जाता है ? यदि हां, तो क्या नियमों को शिथिल कर उक्त चयन में क्षेत्रीय विधायकों की सहभागिता पर भी सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां। इंदिरा आवास योजना में लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जाता है।

जी नहीं। इंदिरा आवास योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में क्षेत्रीय विधायकों की सहभागिता का प्राविधान नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री एस0 एन0 ढींगरा व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य में के दिये गये निर्णय के परिपेक्ष में निरन्तर तदर्थ नियुक्ति की ज्येष्ठता निर्धारण हेतु गृह पुलिस विभाग के कर्मियों द्वारा दिये गये आवेदनों की जानकारी

5—श्री कमाल यूसुफ मलिक—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री एस0 एन0 ढींगरा व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य (ए0आई0आर0एस0सी0डब्लू0-507/2001) में दिये गये निर्णय के अनुसार निरन्तर तदर्थ नियुक्ति को वरिष्ठता निर्धारण हेतु आगणित किये जाने के संबंध में, गृह पुलिस विभाग के कितने कर्मियों के अभ्यावेदन जनवरी, 2001 से 30 जून, 2002 के मध्य शासन को प्राप्त हुए हैं ? क्या सरकार द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुपालन में कोई शासनादेश निर्गत किया गया है? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस0एन0 ढींगरा व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य में दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निरन्तर तदर्थ नियुक्ति की वरिष्ठता निर्धारण हेतु आगणित किये जाने के सम्बन्ध में जनवरी, 2001 से जून, 2002 के मध्य किसी भी पुलिस कर्मी का कोई अभ्यावेदन पुलिस विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस विभाग में तदर्थ नियुक्तियां प्रतिबन्धित हैं और तदर्थ रूप में नियुक्त निरन्तर सेवारत किसी भी पुलिस कर्मी की ज्येष्ठता निर्धारण का प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय के दृष्टिगत शासन के संज्ञान में नहीं आया है, अतएव इस सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला की ग्राम पंचायत ककराली को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि तथा कराये गये कार्यों की जांच एवं कार्यवाही

6—श्री रियाज अहमद—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के अन्तर्गत ग्राम मुन्नू खेड़ा को वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि दी गई ? उक्त दो वर्षों में उक्त धनराशि से क्या-क्या कार्य कराये गये ? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि से कार्य न करके फर्जी कार्य दिखाकर धनराशि आहरित कर ली गई ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से कराकर दोषी ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत ककराली (जिसमें मुन्नूखेड़ा एक मजरा ग्राम है) को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 एवं वर्ष 2001-2002 में क्रमशः रु0 75665.00 तथा रु0 1,39,161.00 की धनराशि आवंटित की गयी।

उक्त दो वर्षों में खड़ंजा मरम्मत/निर्माण, सम्पर्क मार्ग मरम्मत, मिट्टी कार्य , पक्की नाली एवं पत्थर कार्य , कूप मरम्मत एवं हयूम पाइप आदि के कार्य कराये गये।

ग्राम पंचायत ककराली द्वारा कराये गये कार्यों की जांच विकास खण्ड-संडीला के अवर अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा) द्वारा कराई गयी। जांच में व्यय धनराशि के सापेक्ष रु0 92,898.00 का कार्य कम पाया गया। प्रकरण के दोषी के विरुद्ध धनराशि की वसूली एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया को दो जनपदों में विभाजित करने के परिणाम स्वरूप तहसील देवरिया के दो दर्जन ग्रामों को पुलिस क्षेत्र कुशीनगर में अंकित होने का प्रकरण

7–श्री शाकिर अली–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद-देवरिया को वर्ष 1994-95 में दो जनपदों में विभाजित कर जनपद कुशीनगर सृजित किया गया था ? क्या यह सही है कि परिसीमन के दौरान जनपद-देवरिया की तहसील-देवरिया के लगभग दो दर्जन गांव पुलिस क्षेत्र कुशीनगर के कार्य क्षेत्र में अंकित हैं ? क्या इस कारण पुलिस को अपराधों के नियंत्रण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर उक्त राजस्व ग्रामों को जनपद-देवरिया के पुलिस कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मलित करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जनपद कुशीनगर में प्रश्नगत ग्राम सम्मिलित नहीं है, अपितु पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर द्वारा इन ग्रामों की कानून व्यवस्था का कार्य देखा जा रहा है।

जी नहीं।

पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद की आख्या आने के पश्चात परीक्षण कर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद देवरिया में किसान सेवा सहकारी समिति नौतन हथियागढ़ में कैडर सचिव की नियुक्ति एवं गबन तथा अपहरण की जांच

8–श्री शाकिर अली–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निबन्धक सहकारी समितियां उ0 प्र0 का पत्र दिनांक 7-11-98, 22-03-99 एवं 18-12-99 जो किसान सेवा सहकारी समिति नौतन हथियागढ़, जनपद देवरिया पर कैडर सचिव नियुक्त कर चार्ज कराने एवं उसमें की गई अनियमितता/अपहरण/गबन के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना दर्ज कराने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री राम प्रकाश त्रिपाठी)–

जी हाँ।

प्रश्नगत समिति में कैडर सचिव की नियुक्ति कर दी गई है, जो कार्यरत है। समिति की जांच कराई गई। जांच में पूर्व प्रभारी सचिव श्री राम विधि सिंह के विरुद्ध कोई गबन/अपहरण का तथ्य प्रकाश में नही आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

तत्कालीन प्रमुख सचिव (गृह) उ0 प्र0 शासन के विरुद्ध अनुसचिव नियुक्ति अनुभाग-5 द्वारा जाँच के सम्बन्ध में निर्गत -पत्र

9—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री दिनेश सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन प्रमुख सचिव (गृह), उ0 प्र0 शासन के विरुद्ध जांच के संबंध में अनुसचिव, नियुक्ति अनुभाग-5, उ0 प्र0 शासन का पत्र संख्या-376 जी0 आई0 (1)/दो-5-2000-22(18)/70, दिनांक 16-10-2000 निर्गत किया गया था? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण हो गयी ? यदि हां, तो जांच परिणाम के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हां

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसो काशी विश्वनाथ मंदिर में अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस कर्मियों की तैनाती एवं आवश्यक दिशा निर्देश

10—श्री श्यामदेव राय चौधरी—

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अन्दर और बाहर जेबकतरों तथा उचक्कों द्वारा जेब काटने/चेन छीनने की कितनी घटनाएं वर्ष 2001-2002 में हुई ? क्या यह सत्य है कि असामाजिक तत्वों की सक्रियता के कारण दर्शनार्थियों के गले से सोने की जंजीरों तथा रुपयों से अक्सर हाथ धोना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार दर्शनार्थियों के साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा वाराणसी जैसी पवित्र नगरी को बदनामी से बचाने हेतु कोई प्रभावी योजना लागू करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

काशी विश्वनाथ परिसर में वर्ष 2001-2002 में 2+2 कुल चार अभियोग पंजीकृत हुए। वर्ष 2001 में पंजीकृत दो अभियोग विवेचना के उपरांत असत्य पाये गये तथा वर्ष 2002 में पंजीकृत दोनों अभियोगों में विवेचनोपरांत माल मुल्जिमान का पता न चल पाने के कारण विवेचना समाप्त कर दी गयी है।

काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है तथा विश्वनाथ मंदिर पर पूर्व से ही पुलिस चौकी स्थापित है जिस पर नियुक्त कर्मचारियों को आपराधिक घटनाओं

पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं। समय-समय पर आकस्मिक चेकिंग की व्यवस्था भी लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में महिला थाना खोलने की मांग

11—संजय गर्ग—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों में महिला थाने संचालित हैं ? क्या जनपद सहारनपुर में महिला थाना संचालित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनपद सहारनपुर में महिला थाना खोलने पर विचार करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

महिला थाने लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, फैजाबाद, झांसी में संचालित हैं।

जी नहीं।

वर्ष 2002-2003 के लिए निर्धारित प्राथमिकता सूची में इसका प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

जनपद बाराबंकी के ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में अवर अभियन्ताओं पर लगाये गये कथित आरोप

12—श्री संजय गर्ग—

क्या ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में जनवरी, 1998 से जून, 2002 तक कितने अवर अभियन्ताओं की माप पुस्तिकाएं गायब होने के मामले प्रकाश में आए हैं ? क्या इसके दोषी के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराकर विभागीय कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री (श्री कौकव हमीद)—

कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नही उठता।

चूँकि कोई माप-पुस्तिका गायब होने का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया।

प्रश्न नहीं उठता।

चूँकि कोई अवर अभियन्ता दोषी नहीं पाया गया।

13—श्री श्यामदेव राय चौधरी—

[तीसरे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-128 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई के तह0 सण्डीला के ग्राम अटुका में सांसद निधि से स्वीकृत धनराशि से मिट्टी/खड़न्जा सम्बन्धी निर्माण कार्य का विवरण

14—श्री शिवेन्द्र सिंह—

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को यह जानकारी है कि ग्राम-अटुका, विकास खण्ड-बेंहदर, तहसील-सण्डीला, जनपद-हरदोई में सांसद निधि से वित्तीय वर्ष 2001-2002 में मिट्टी से खड़न्जा स्तर तक का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, हरदोई द्वारा दिये गये आगणन राशि के अनुसार धनराशि स्वीकृत कर जारी कर दी गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? खड़न्जा निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री कौकब हमीद—

जी हां। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, हरदोई को वर्ष 2001-2002 में श्री जय प्रकाश, मा0 सांसद की सांसद निधि से ग्राम-अटुका में ननकऊ के घर से मनोहर के घर तक 0.450 किमी0 लम्बाई में मिट्टी/खड़ंजा कार्य हेतु कुल स्वीकृत धनराशि 2.437 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त में मु0-1.82775 लाख की धनराशि प्राप्त हुई।

मिट्टी का कार्य पूर्ण है, किन्तु खड़ंजा कार्य अपूर्ण।

जमीन का विवाद होने के कारण मा0 सांसद के निर्देश पर कार्य रोक दिया गया है।

यह जमीन के विवाद के निराकरण पर निर्भर है।

जनपद पीलीभीत में स्थित एल0 एच0 शुगर फैक्ट्री में वैगास उठाने का कार्य करते समय तीन श्रमिकों की हुयी मृत्यु का मुकदमा दर्ज एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन

15—श्री रियाज अहमद—

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि एल0 एच0 शुगर फैक्ट्री, पीलीभीत में दिनांक 17-5-2002 को वैगास को उठाने का कार्य कर रहे चार मजदूरों की मृत्यु वैगास के ढेर से दब कर हो गई थी जिसका मुकदमा थाना सुनगढ़ी जनपद पीलीभीत में दर्ज किया गया है? क्या यह सही है कि मिल अधिकारियों द्वारा शवों को घटना स्थल से हटा कर गृह जनपद भेज दिया गया ? क्या इसकी शिकायत श्री बीरेन्द्र सक्सेना द्वारा रजिस्टर्ड पत्र संख्या-69670-3035 (69670, 3035) आई0 एन0 दिनांक 20-5-2002 के द्वारा प्रमुख सचिव, गृह से की गई ? यदि हां, तो सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

वैगास में दबकर तीन मजदूरों की मृत्यु हुई थी जिसका मुकदमा थाना-सुनगढ़ी, जनपद-पीलीभीत में अ0 सं0 393/02 धारा 304/201/338 भ0 द0 वि0 दिनांक 18-5-2002 को दर्ज किया गया।

जी नहीं।

जी न

सम्बन्धित अभियोग विचाराधीन है। विवेचना के उपरान्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के थाना उभांव में दर्ज अ0 स0 85/02 दिनांक 29-5-2002 में विवेचना जाँच के उपरान्त न्यायालय को प्रेषित आरोप-पत्र

16—श्री छोटे लाल यादव—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मु0 अ0 सं0 85/02 दिनांक 29-5-2002 थाना उभांव, जिला बलिया के संबंध में एक प्रार्थना-पत्र कमलेश यादव पुत्र स्व0 राम नगीना यादव ग्राम कड़सर, थाना उभांव, बलिया द्वारा डी0 आई0 जी0, आजमगढ़ को दि0 5-6-2002 को दिया था ? क्या यह सही है कि उस पर डी0 आई0 जी0 ने सी0 ओ0 स्तर से जांच कराकर निष्पक्ष विवेचना करने का निर्देश दिया था ? यदि हां, तो उक्त निर्देश का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ। क्षेत्राधिकारी रसड़ा की जाँच से पाया गया कि श्रीमती चाँदमती देवी पत्नी मृतक हरीलाल यादव, निवासी ग्राम कड़सर थाना उभांव, बलिया की सूचना पर दिनांक 29-5-2002 को मु0 अ0 स0 85/2002 धारा 302 भा0 द0 वि0 विरुद्ध हरेन्द यादव, शमसेर यादव पुत्रगण रामनगीना, रामवृक्ष यादव पुत्र सदानन्द उर्फ छोटक एवं सुग्रीव यादव के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष उभांव द्वारा की गयी। जाँचोपरान्त आरोप पत्र सं0 72/2002 दिनांक 30-7-2002 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नही उठता।

17—श्री छोटे लाल यादव—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मु0 अ0 सं0-85/02 दिनांक 29-5-2002 थाना उभांव जिला बलिया में हरीन्द्र पुत्र रामनगीना, शमसेर पुत्र राम नगीना, रामवृक्ष पुत्र सदानन्द निवासी कड़सर को अपराध में फंसाये जाने की सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने हेतु स्थानीय विधायक, श्री शारदानन्द अंचल का पत्र संलग्नक सहित मुख्य मंत्री अ0 प्र0 एवं प्रमुख सचिव गृह को दिनांक 4-6-2002 एवं दिनांक 17-6-02 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हाँ।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बलिया से आख्या प्राप्त की गयी जिन्होंने अपनी आख्या द्वारा अवगत कराया है कि श्रीमती चाँदमती देवी पत्नी मृतक हरी लाल यादव, निवासी ग्राम कड़सर, थाना उभांव, बलिया की सूचना पर दिनांक 29-5-2002 को मु0 अ0 स0 85/2002 धारा 302 भा0द0 वि0 विरुद्ध हरेन्द्र यादव, शमसेर यादव पुत्रगण रामनगीना, रामवृक्ष यादव पुत्र सदानन्द उर्फ

छोटक एवं सुग्रीव यादव के विरुद्ध पंजीकृत हुआ अभियोग में आरोप पत्र सं0 72/2002 दिनांक 30-7-2002 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के तहसील बांदा के ग्राम पंचायत बड़ागाँव, ब्लाक जयपुरा द्वारा महादेवन डेरा सम्पर्क मार्ग में धन के दुरुपयोग की जांच

18—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के तहसील बांदा में तहसील दिवस दिनांक 8-5-2001 को ग्राम पंचायत बड़ागांव, ब्लाक जसपुरा द्वारा महादेवन डेरा सम्पर्क मार्ग में धन के दुरुपयोग की जांच कराये जाने संबंधी शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पर मुख्य विकास अधिकारी बांदा ने पत्र सं0-265/विधायक निधि/बजट/2001 दिनांक 21 मई, 2001 द्वारा जांच कमेटी बनाई थी ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती—

जी हां।

जी हां।

जॉच प्रचलित है। जाँच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बाँदा के ग्राम सिंहपुर में विधायक निधि द्वारा विद्यालय भवन निर्माण में की गयी अनियमितता की जाँच

19—श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 22-5-2001 जो जनपद बाँदा के ग्राम सिंहपुर में विधायक निधि द्वारा विद्यालय भवन निर्माण में अनियमितता की जांच कराने के सम्बन्ध में है, सचिव, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कोई कार्यवाही की गयी? यदि हाँ तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों?

सुश्री मायावती—

जी हॉ।.

विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि) से जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

20—श्री राम विशुन आजाद—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

जनपद आजमगढ़ के ग्राम खण्डौरा विकास खण्ड पवई, तहसील फूलपुर में अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत कृत विकास कार्यक्रम

21—श्री राम किशुन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम खन्डौरा विकास खण्ड पवई, तहसील फूलपुर, जनपद-आजमगढ़ अम्बेडकर गांव घोषित है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम का विकास कार्य करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हाँ।

अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत प्रमुख 11 विकास कार्यक्रमों में से सम्पर्क मार्ग को छोड़कर अन्य विकास कार्यक्रमों को करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार

जनपद आजमगढ़ के ग्राम खण्डौरा तह0 फूलपुर में रोजगार योजना के अर्न्तगत आवंटित की गयी धनराशि एवं कृत कार्यों की जानकारी

22—श्री राम किशुन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम-खन्डौरा, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ को सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि विगत 5 वर्षों में आवंटित हुई है ? आवंटित धनराशि से कौन-कौन से कार्य कराये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिलाधिकारी, बांदा व फतेहपुर के पास शस्त्र लाइसेन्स हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की शस्त्र एवं उनके निस्तारण नीति

23--श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी बांदा व फतेहपुर के पास जून, 2002 तक कुल कितने प्रार्थना-पत्र शस्त्र लाइसेन्स हेतु प्राप्त हुए, कितनों में शस्त्र लाइसेन्स जारी किये गये ? क्या शासन द्वारा लाइसेन्स निस्तारण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या है ?

सुश्री मायावती--

वर्ष 2002 में जून तक जिलाधिकारी, बांदा को 587 शस्त्र लाइसेन्स आवेदन-पत्र प्राप्त हुए एवं 42 शस्त्र लाइसेन्स जारी किये गये तथा जिलाधिकारी, फतेहपुर को 411 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये एवं 58 शस्त्र लाइसेन्स जारी किये गये।

शस्त्र लाइसेन्स आवेदन-पत्रों का निस्तारण केन्द्रीय विधानों, आयुध अधिनियम एवं आयुध नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लाइसेंसिंग प्राधिकारी की हैसियत से जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा किया जाता है जो एक अर्ध न्यायिक कृत्य है। तथापि समय-समय पर जारी

परिपत्रों द्वारा शस्त्र लाइसेन्स के आवेदन-पत्रों पर आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरान्त उनका निस्तारण यथासम्भव तीन माह में करने की अपेक्षा जिला मजिस्ट्रेटों से की गई है।

जनपद बांदा में खपटिहां अलोना से सांड़ी का अवशेष सम्पर्क मार्ग को पूर्ण कराये जाने विषयक जानकारी

24--श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में खपटिहां अलोना से सांड़ी का अवशेष सम्पर्क मार्ग जिला योजना 2000-2001 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है ? यदि हां, तो उसको कब तक पूरा करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती--

जी हां।

खपटिहां अलोना से सांड़ी का अवशेष सम्पर्क मार्ग जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में 0.90 कि0मी0 लागत 5.12 लाख का शून्य से लेपन स्तर तक स्वीकृत था जिस पर रु0 2.60 लाख का व्यय करके सोलिंग स्तर तक कार्य किया गया था। वर्ष 2000-2001 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (बी0 एम0 एस0 प्र0म0 ग्रा0 स0योजना) से वित्तीय सहायता रु0 2.52 लाख प्राप्त हुई थी जिसके द्वारा स्वीकृत लम्बाई 0.90 कि0 मी0 का कार्य लेपन स्तर तक पूर्ण कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा व कमासिन में अग्नि शमन केन्द्र स्थापित किये जाने की मांग

25--श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगजानी से बचाव हेतु बांदा के ब्लाक जसपुरा तथा कमासिन में अग्नि शमन केन्द्र स्थापित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती--

ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

ब्लाक स्तर पर अग्नि शमन केन्द्र खाले जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

वी0 आई0 पी0 व्यक्तियों के आगमन पर ध्वनि यंत्रों के उपयोग एवं व्यवस्था हेतु गौतम इलेक्ट्रिक वर्क्स, वाराणसी को मान्यता प्रदान किये जाने विषयक-पत्र

26--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गौतम इलेक्ट्रिक वर्क्स, वाराणसी को वी0 आई0 पी0 व्यक्तियों के आगमन पर ध्वनि यंत्रों के उपयोग एवं व्यवस्था हेतु मान्यता प्रदान करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कम्प्यूटर संख्या-सी-1035797, पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-2/35797/वाराणसी/2000, दिनांक 21-7-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ?

यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती--

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तरांचल में कार्यरत उत्तर प्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों को वापस बुलाये जाने का प्रकरण

27--डा0 सियाराम सागर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी/कर्मचारी उत्तरांचल में कार्यरत हैं, उनको प्रदेश में वापस बुलाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती--

उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल के मध्य पदों के विभाजन तथा कार्मिकों के आबंटन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-76 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति का गठन किया गया है। उत्तरांचल में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश बुलाये जाने का प्रकरण भारत सरकार के कार्य-क्षेत्र में है। अतएव इस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विचार किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों की सेवाओं में स्थानान्तरण व पदोन्नति पर मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच द्वारा रोक

28--श्री सुल्तान बेग--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में कार्यरत संख्या सहायकों की परियोजना अर्थ शास्त्री तथा सहायक परियोजना अधिकारी के पदों पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 सचिव, ने ग्राम्य विकास अनुभाग-02, उ0 प्र0शासन को पत्र संख्या-563/स्था-05/अभि0/दिनांक 31-3-2000 द्वारा लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती--

जी हां।

उक्त सन्दर्भित पत्र पर शासन स्तर पर कार्यवाही की जा रही थी लेकिन इस मध्य रिट याचिका संख्या--458 (एसवी)/2000, श्री अनूपराय जैन बनाम राज्य व अन्य में उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-7-2000 द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों की सेवाओं में स्थानान्तरण तथा पदोन्नति पर रोक लगा दी गयी है।

जनपद सिद्धार्थनगर के क्रय-विक्रय समिति शाहपुर (डुमरियागंज) द्वारा क्रय किये गये धान एवं गेहूं का विवरण एवं उनके भुगतान की धनराशि

29--श्री कमाल यूसुफ मलिक--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, क्रय-विक्रय समिति शाहपुर (डुमरियागंज) जनपद--सिद्धार्थनगर द्वारा वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 में कुल

कितना-कितना धान तथा गेहूं क्रय किया गया ? क्या क्रय किये गए धान व गेहूं का मूल्य किसानों को भुगतान कर दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि किसानों को भुगतान चेकों के माध्यम से किया गया है ? यदि हां, तो कितने चेक बाउन्स हो गये ? बाउन्स चेकों से सम्बन्धित किसानों को भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी--

प्रश्नगत समिति द्वारा 1999-2000 में क्रय केन्द्र न खोले जाने के कारण गेहूं व धान की खरीद नहीं की गयी। वर्ष 2000-2001 में गेहूं खरीद 2031.50 कुन्तल एवं धान खरीद 6590.00 कुन्तल हुई है। वर्ष 2001-2002 में गेहूं खरीद 7082.00 कुन्तल एवं धान खरीद 13522.85 कुन्तल हुई है।

वर्ष 2000-2001 में खरीदे गये समस्त धान एवं गेहूं के मूल्य का भुगतान कृषकों को कर दिया गया है। वर्ष 2001-2002 में खरीदे गये गेहूं का समस्त भुगतान कृषकों को कर दिया गया है तथा धान खरीद की अवशेष धनराशि मु0 13,17,370.80 रु0 समिति के मूल्य समर्थन योजना खाते में जमा करा दी गयी है।

जी हां।

कुल 119 चेक बाउन्स हुए थे।

बाउन्स चेकों से सम्बन्धित पूरी धनराशि किसानों के भुगतान हेतु समिति के मूल्य समर्थन योजना खाते में जमा करा दी गई है।

जनपद लखनऊ में 302 भा0 द0 वि0 के तहत वर्ष 1998 से 2002 तक सी0बी0 सी0आई0डी0में जांच हेतु लम्बित मामलों के आरोप-पत्रों के न्यायालय में दाखिल किये जाने का प्रकरण

30--श्री संजय गर्ग--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998 से 2002 तक लखनऊ सेक्टर में धारा--302 भा0 द0 वि0 के कितने मामले सी0बी0 सी0आई0डी0 में जांच हेतु कितने मामलों में जांच पूरी करके न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं ? शेष मामलों में आरोप पत्रों को कब तक न्यायालय में दाखिल किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती--

वर्ष 1998 से जुलाई, 2002 तक खण्ड लखनऊ में धारा 302 भा0 द0 वि0 के कुल 110 अभियोग सन्दर्भित किये गये हैं जिनमें से 32 अभियोगों की विवेचना इस समय लखनऊ सेक्टर के पास लम्बित हैं। उक्त अवधि में धारा 302 भा0 द0 वि0 के 37 अभियोगों में आरोप पत्र न्यायालय प्रोषित किया गया है।

शेष अभियोगों में विभिन्न स्तर पर प्रचलित कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर थाना चांदा के ग्राम सोनावां के विद्यासागर पाण्डेय का पुलिस द्वारा फर्जी प्रकरण में फँसाने विषयक शिकायती पत्र

31--श्री रामनाथ--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर, थाना-चांदा, ग्राम सोनावां के श्री विद्यासागर पाण्डेय का शिकायती पत्र दिनांक 11-7-2002, जो थाना -चांदा, जनपद सुल्तानपुर के पुलिस द्वारा अपराध संख्या-252/2002 व 256/2002 धारा-3/25 (ए0) एक्ट में फर्जी तौर पर पुलिस द्वारा असलहा बरामद दिखाकर चालान करने के सम्बन्ध में है, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य विधान सभा, सीतापुर के कवरिंग पत्र के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायती-पत्र की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराकर दोषी पाये गये पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती--

जी हां।

शिकायती पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी, लम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर द्वारा करायी गयी जिसमें जांच में कोई पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के कतिपय थानों में उत्पीड़न की कार्यवाही विषयक प्राप्त शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही का विवरण

32--श्री आनन्द सेन--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना-इनायतनगर, थाना-खण्डासा एवं थाना-रौनाही, जनपद-फैजाबाद के अन्तर्गत दलित एवं गरीब व्यक्तियों को अपराधी व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की धमकी, डकैती, लूटपाट, अत्याचार एवं उत्पीड़न किये जाने पर सम्बन्धित थानों की पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-6-2002, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती--

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में अंकित प्रेस कटिंग दिनांक 8-5-2002, 14-5-2002 एवं 19-5-2002 में उल्लिखित शिकायतों की जांच पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण क्षेत्र), फैजाबाद से कराई गई जिससे यह पाया गया कि थाना इनायतनगर, खण्डासा एवं रौनाही से सम्बन्धित मामलों में स्थानीय पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी जिसका विवरण निम्नवत् है :--

1--थाना इनायतनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0-37/02 की विवेचना से दोषी पाये गये अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर रवाना जेल किया गया। आरोप-पत्र दिनांक 20-5-02 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

2--थाना खण्डासा में पंजीकृत तीन अपराधों की विवेचना से मु0अ0सं0-54/02 में दोषी पाये गये अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 15-5-2002 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है तथा शेष दो मु0अ0सं0-56/02 तथा 57/02, विवेचनाधीन है।

3--थाना रौनाही में पंजीकृत चार अपराधों की विवेचना से मु0अ0सं0-103/02 में दोषी पाये गये अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया एवं आरोप-पत्र दिनांक 23-7-02 को न्यायालय प्रेषित कर दिया गया। मु0अ0सं0-108/02 में दोषी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तथा दिनांक 28-6-02 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित कर दिया गया। मु0अ0सं0-125/02 में अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय दिनांक 1-6-02 को प्रेषित किया जा चुका है तथा मु0अ0सं0-127/02 में दोषी अभियुक्त को गिरफ्तार कर रवाना जेल किया गया तथा इसके विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 15-6-02 को न्यायालय प्रेषित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ते अपराधों को देखते हुये पुलिस बल में बढ़ोत्तरी किये जाने सम्बन्धी जानकारी

33--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मानक के अनुसार एक हजार की जनसंख्या पर कितने पुलिस बल की आवश्यकता होती है ? क्या सरकार प्रदेश में बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस बल में बढ़ोत्तरी करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती--

पुलिस आयोग 1960-61 की संस्तुतियों के आधार पर एक हजार की जनसंख्या पर एक कान्सटेबिल की व्यवस्था की जाती है।

जी नहीं।

सीमित संसाधनों तथा नये पदों के सृजन पर लगी रोक के कारण पुलिस बल में बढ़ोत्तरी किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड तंहबरपुर के कतिपय गांवों को पक्की सड़कों को जोड़ने की योजना

34--श्री विश्म्भर प्रसाद निषाद--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गड़हन बुजुर्ग मझौवा विकास खण्ड तहबरपुर, तहसील--निजामाबाद--जनपद आजमगढ़ को प्रधानमंत्री स्वर्ण जयन्ती योजना के अन्तर्गत पक्की सड़क से जोड़ने की कोई योजना है ? हां तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती--

प्रधान मंत्री स्वर्ण जयन्ती योजना के नाम कोई योजना रहीं है। अपितु ग्रामीण सड़कों को जोड़े जाने हेतु प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य 1000 से अधिक आबादी के गांवों को वर्ष 2003 तक एवं 500 से अधिक आबादी के गांवों को वर्ष 2007 तक जोड़ा जाने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्तमान में भारत सरकार के निर्देश है कि स्तरोन्नयन की सड़कों को न लिया जाये। प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग स्तरोन्नयन (अपग्रेडेशन) की श्रेणी में ही आता है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद लखीमपुर में देवकली अलीगंज मार्ग से गनेशपुर (मार्ग) के निर्माण की मांग

35--डा0 कौशल किशोर--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखीमपुर के ब्लाक में देवकली अलीगंज मार्ग से ग्राम गनेशपुर मार्ग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त प्रश्नकर्ता के सरकारी धन के दुरुपयोग सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

36--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" –

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-11-2000, जो विधायक निधि से ग्राम नयागांव महसूलपुर से नौसारा (विकास खण्ड जलालाबाद) तक की सड़क पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा कराये गये मिट्टी का कार्य तथा पुलिया निर्माण में सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि जिलाधिकारी शाहजहांपुर ने अपने पत्रांक 598, दिनांक 20-12-2000 के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता ग्रमीण अभियंत्रण सेवा शाहजहांपुर को उपरोक्त पत्र पर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा था ? यदि हां, तो अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा शाहजहांपुर ने उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कौकब हमीद--

जी नहीं, किन्तु प्रश्नकर्ता का प्रकरण से सम्बन्धित पत्र दिनांक 18-9-2000 को प्राप्त हुआ जिस पर दिनांक 3-11-2000 को जांच सम्पन्न हुई।

जिलाधिकारी के प्रश्नांकित पत्र के साथ प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 18-9-2000 पर दिनांक 3-11-2000 को सम्पन्न जांच की आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गयी।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण आभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड--शाहजहांपुर द्वारा उक्त प्रकरण अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, परिमण्डल--बरेली को सन्दर्भित किया गया।

अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल--बरेली द्वारा उक्त प्रकरण का प्रतिपरीक्षण किये जाने के उपरान्त आख्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, मुख्यालय को भेजी गयी। निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ने प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी शाहजहांपुर को ग्राम नयागांव महसूलपुर से नौसारा तक ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कराये गये मिट्टी एवं पुलिया निर्माण में की गई धांधली की जांच सम्बन्धी पत्र एवं उस पर कृत कार्यवाही की जानकारी

37--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-9-2000 जो वर्ष 1999-2000में विधायक निधि से ग्राम नयागांव महसूलपुर से नौसारा तक ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कराये गये मिट्टी एवं पुलिया निर्माण में की गयी धांधली की जांच के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां , तो क्या यह भी सही है कि जिलाधिकारी शाहजहांपुर ने अपने पत्रांक 390, दिनांक 28-9-2000 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर को उपरोक्त पत्र पर आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा था ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती--

जी हां।

जी हां।

जांच की गयी जो पूर्ण हो चुकी है। कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर-बांदा के थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमें में पुलिस उप महानिरीक्षक, चित्रकूट धाम के आदेश के अनुपालन की जानकारी

38--श्री समरपाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना--कोतवाली नगर--बांदा में दिनांक 30-7-97 को धारा-323/504/ 506/427 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमा संख्या-318 सन् 97 में पुलिस उपमहानिरीक्षक, चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा के आदेश दिनांक 10-2-98 के अनुपालन में एस0आई0एस0 शाखा बांदा द्वारा सम्पन्न की गयी जांच एवं पुनर्विवेचना के परिणाम संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती--

जी हां। प्रश्नगत मुकदमा अपराध संख्या-318/97 धारा 323/504/506/427 भारतीय दण्ड विधान थाना कोतवाली नगर बांदा की पुनर्विवेचना एस0 आई0 एस0 द्वारा की गयी जिसके फलस्वरूप पूर्व प्रेषित आरोप पत्र की ताईद करते हुए अभियोग दैनिकिया व अन्य अभिलेख पुन: प्रेषित किये जा चुके है जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर बांदा के थाना--कोतवाली में श्रीमती सुशीला देवी के साथ हुये अपमान सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

39--श्री समरपाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना--कोतवाली, नगर बांदा में एफ0 आई0 आर0 लिखाने गयी अनुसूचित जाति महिला सुशीला देवी निवासी--मुहल्ला स्वराज कालोनी शहर

बांदा के साथ दिनांक 3-5-2000 को थाना--कोतवाली नगर बांदा में तैनात कांस्टेबिल मुहर्रिर श्रीरामसनेही के द्वारा अपमानित किये जाने विषयक श्री सत्तीदीन गुप्त, निवासी मुहल्ला--महेश्वरी देवी चौक, शहर बांदा जनपद बांदा का शिकायती-पत्र दिनांक 4-5-2000 पुलिस उप-महानिरीक्षक, उ0प्र0 पुलिस, चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती--

जी हां।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र की जांच तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर, बांदा श्री मनोज कुमार अवस्थी से करायी गयी। जांच से शिकायती-पत्र में अंकित आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी, तहसील मोहम्मदी की किसान सेवा सहकारी समिति ग्राम राजापुर बेनी व साधन सहकारी समिति किरियारा में वर्ष 2000 व 2001 में समितियों द्वारा खरीदे गये धान व गेहूं के मूल्य के भुगतान की मांग

40--श्री बंशीधर राज--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मोहम्मदी जनपद-लखीमपुर खीरी की किसान सेवा सहकारी समिति ग्राम राजापुर बेनी व साधन सहकारी समिति किरियारा में वर्ष 2000 व 2001 में किसानों का धान व गेहूं समितियों द्वारा क्रय किया गया था ? क्या यह सही है कि जिला सहकारी बैंक से चेक से प्राप्त धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या सरकार उक्त भुगतान सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी--

जी हां।

वर्ष 2000 में 13 कृषकों के धान का मूल्य मु0 305434.00 रु0 एवं वर्ष 2001 में 11 कृषकों का गेहूं का मूल्य मु0 420500.00 रु0 का भुगतान अवशेष है।

जी हां, नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

सम्बन्धित समितियों के दोषी कर्मचारियों से धन की वसूली होने अथवा जिला सहकारी बैंक द्वारा समितियों को अधिविकर्स की सुविधा अनुमन्य कराये जाने पर भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई ग्राम गोथा मजरा गजेरा, थाना सण्डीला में निवासी प्रीतम की पत्नी को मारपीट कर घायल करने विषयक घटना की रिपोर्ट पर कार्यवाही की मांग

41--श्री बंशीधर राज--

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम जैसू खेरा मजरा गदोरा, थाना सण्डीला जनपद हरदोई निवासी श्री छोटे लाल पुत्र श्री इन्दल तथा सुरेश पुत्र छोटे लाल (लोध) ने दिनांक 4-4-2002 को

ग्राम गोथा मजरा गदोरा, थाना सण्डीला, जनपद-हरदोई निवासी प्रीतम की पत्नी को मारपीट कर घायल कर दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसकी रिपोर्ट थाना सण्डीला में न लिखे जाने पर अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग जवाहर भवन के आदेश पर दिनांक 24-4-2002 को अपराध संख्या-168/02 धारा 506/323/504 आई0पी0सी0 तथा 3(1)X एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के अन्तर्गत दर्ज हुई थी। यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जी नहीं। प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में थाना सण्डीला में वादी श्री प्रीतम पुत्र हुलासी, निवासी गोथा मजरा गदोरा, थाना सण्डीला, जनपद हरदोई की लिखित सूचना पर दिनांक 24-4-2002 को थाना सण्डीला पर यह अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग की विवेचना के उपरान्त अभियुक्त छोटे लाल पुत्र इन्दल व सुरेश पुत्र छोटे लाल के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या 35 दिनांक 24-5-2002 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के धामपुर में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना का प्रकरण

42--श्री मूलचन्द्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धामपुर जनपद बिजनौर में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त न्यायालय की स्थापना कब तक सरकार करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलिया विधान सभा क्षेत्र सीयर के थाना उभांव में पंजीकृत अपराध संख्या-85/2002, दिनांक 29-5-02 पर अविलम्ब कार्यवाही किये जाने की मांग

43--श्री शारदानन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र सीयर जनपद बलिया के थाना उभांव में अपराध संख्या--85/2002,दिनांक 29-5-02 की सी0 ओ0 स्तर से जांच कराने विषयक श्री कमलेश पुत्र रामनगीना, निवासी कड़सर का पत्र जिसे डी0आई0जी0, आजमगढ़ ने दिनांक 5-6-2002 को पुलिस अधीक्षक, बलिया को भेजा था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

क्षेत्राधिकारी रसड़ा की जांच से पाया गया कि श्रीमती चाँदमती देवी पत्नी मृतक हरीलाल यादव, निवासी ग्राम बड़सर, थाना उभांव, बलिया की सूचना पर दिनांक 29-5-2002 को मु0अ0स0 85/2002 धारा 302 भ0द0वि0 विरुद्ध हरेन्द्र यादव, शमसेर यादव, पुत्रगण रामनगीना, रामवृक्ष यादव पुत्र सदानन्द उर्फ छोटक एवं सुग्रीव यादव के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष उभांव द्वारा की गयी। जांचोपरान्त आरोप-पत्र सं0--72/2002, दिनांक 30-7-2002 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया, थाना उभांव, ग्राम सभा कड़सर में हुई हत्या में निर्दोष लोगों को फंसाये जाने विषयक मा0 विधायक श्री शारदानन्द अंचल का प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री तथा प्रमुख सचिव, गृह को पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

44--श्री शारदानन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-6-2002 प्रमुख सचिव, गृह को तथा पत्र दिनांक 9-7-2002 व 17-6-2002 प्रमुख सचिव,मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव, गृह को जो ग्राम सभा कड़सर, थाना उभाव, जिला बलिया में हुई हत्या में निर्दोष लोगों को फसाये जाने विषयक थे, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

मा0 विधायक का पत्र दिनांक 4-6-2002 तथा पत्र दिनांक 17-6-2002 प्राप्त हुआ है।

मा0 विधायक श्री शारदानन्द अंचल द्वारा प्रेषित पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी रसड़ा से करायी गयी। जांच से पाया गया कि श्रीमती चाँदमती देवी पत्नी मृतक हरीलाल यादव, निवासी ग्राम कड़सर, थाना उभाँव, बलिया की सूचना पर दिनांक 29-5-2002 को मु0अ0स0-85/2002, धारा 302 भा0द0वि0 के विरुद्ध हरेन्द्र यादव, शमसेर यादव पुत्रगण रामनगीना, रामवृक्ष यादव पुत्र सदानन्द उर्फ छोटक एवं सुग्रीव यादव के विरुद्ध पंजीकृत हुआ अभियोग में निष्पक्ष विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र संख्या 72/2002, दिनांक 30-7-2002 मा0 न्यायालय प्रेषित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में चयनित अम्बेडकर गांवों के अवशेष कार्यों को पूरा कराने की मांग

45--श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में कितने गांवों को अम्बेडकर गांव घोषित किया गया है ? क्या उक्त गांवों को पूर्ण रूप से संतृप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो अधूरे कार्यों को पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1990-91 से 31-3-2002 तक 308 अम्बेडकर ग्राम तथा वर्ष 2002-2003 में 140 अम्बेडकर ग्राम , कुल 448 अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये हैं।

जी नहीं।

अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत 107 ग्रामों को संतृप्त कर दिया गया है।

जी हां।

अवशेष कार्य धनराशि की उपलब्धता के सापेक्ष प्रगति पर है तथा यथा वित्तीय उपलब्धतानुसार अधूरे कार्य पूर्ण कर लिए जायेंगे।

जनपद गोण्डा के तहसील मुख्यालय मनकापुर पर मुन्सिफ कोर्ट खोलने की योजना

46--श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील मुख्यालय मनकापुर पर मुन्सिफ कोर्ट खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय का अभिमत मांगा गया है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अभिमत प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रश्नगत न्यायालय की स्थापना किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद रायबरेली, थाना मोहनगंज में दर्ज मुकदमा संख्या-8/2001 की जांच पूर्ण कर चार्जशीट प्रस्तुत कर उचित कार्यवाही की मांग

47--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुकदमा नं0 8/2001 थाना मोहनगंज, जनपद-रायबरेली की जांच पूर्ण कर चार्ज शीट प्रस्तुत कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? उक्त जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मु0अ0सं0-8/2001 थाना मोहनगंज जनपद रायबरेली की विवेचना से प्रथम दृष्टया उपनिरीक्षक श्री अनिरुद्ध कुमार सिंह (तत्कालीन थानाध्यक्ष, मोहनगंज) तथा उपनिरीक्षक ना0 पु0 अशोक चन्द्र दूबे, थाना मोहनगंज एवं कान्स्टेबिल ना0पु0 बिमलेश कुमार पाण्डेय, थाना मोहनगंज दोषी पाये गये। श्री अनिरुद्ध कुमार सिंह, उप निरीक्षक का स्थानान्तरण जनपद कौशाम्बी एवं उप निरीक्षक ना0पु0 अशोक चन्द्र दूबे का स्थानान्तरण जनपद कन्नौज कर दिया गया है। उक्त तीनों पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही की जा रही है।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड गोण्डा के अधिशासी अभियन्ता एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा बनाई गयी सड़कों की जांच कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

48--श्री घनश्याम शुक्ला–

क्या ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे के प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11 जुलाई, 2002 जो ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड गोण्डा के अधिशासी अभियन्ता एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा बनवायी गयी सड़कों की जांच कराये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कौकब हमीद–

प्रश्नकर्ता प्रश्नांकित विषयक एक पत्र दिनांक 11-6-2002 पूर्व में प्राप्त हुआ था, तदोपरान्त तद्विषयक एक पत्र दिनांक रहित माह जुलाई, 2002 में प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत प्रकरण को प्राविधिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ से जांच करायी जा रही है, जो प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिशासी अभियन्ता प्रखण्ड गोण्डा द्वारा शासकीय भवन (गेस्ट हाउस) को अपना आवास बनाने की शिकायत

49--श्री घनश्याम शुक्ला–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, प्रखण्ड गोण्डा ने शासकीय भवन (गेस्ट हाउस) को विगत 4 वर्षों से अपना आवास बना रखा है ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा गेस्ट हाउस का किराया नियमानुसार जमा किया गया है ?यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त शासकीय भवन को खाली कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कौकब हमीद–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद संत कबीर नगर में न्यायालय का निर्माण एवं संचालन कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने विषयक कार्यवाही

50--श्री शंखलाल मांझी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद संत कबीर नगर के सृजन को लगभग पांच वर्ष हो चुका है परन्तु जनपद न्यायालय के संचालन का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, जिससे सुदूर ग्रामीणों को भारी दिक्कत उठानी पड़ रही है ? क्या सरकार जनपद न्यायालय का निर्माण एवं संचालन कार्य शीर्ष शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जी हां।

इस सम्बंध में जनपद संत कबीर नगर में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय से प्रस्ताव मांगा गया है एवं न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का भी अनुरोध मा0 उच्च न्यायालय से किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अधिसूचना का आलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रश्नगत न्यायालय के संचालन के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के ग्राम मबई बुजुर्ग, ब्लाक बड़ोखर खुर्द व ग्राम सादी मदनपुर, ब्लाक सिन्दवारी में वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 में सुनिश्चित रोजगार योजना, जे0आर0वाई0 विधायक निधि द्वारा प्राप्त धनराशि एवं कृतकार्यवाही की जानकारी

51--श्री सिद्ध गोपाल साहू–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के ग्राम मबई बुजुर्ग, ब्लाक बड़ोखर खुर्द व ग्राम सादी मदनपुर, ब्लाक सिन्दवारी में वर्ष 1999-2000, 2002-2001 व 2001-2002 में सुनिश्चित रोजगार योजना, जे0आर0वाई0 विधायक निधि से खड़न्जा निर्माण, वृक्षारोपण मिट्टी का कार्य तालाब खुदाई में मदवार कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ? क्या यह बात सत्य है कि उक्त ग्राम में एक ही कार्य को कई बार दिखाकर धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या गत तीन वर्षों में कराये गये कार्यों का विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के अन्तर्गत साढ़ में थाना एवं कुड़नी में रिपोर्टिंग चौकी खोले जाने की मांग

52--श्री राकेश सचान–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के अन्तर्गत साढ़ में थाना एवं कुड़नी में रिपोर्टिंग चौकी खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रस्ताव पूर्व में ही अस्वीकृत हो चुका है।

जनपद लखनऊ थाना इटौंजा में दर्ज अपराध संख्या-79/2001 की विवेचना तथा मुल्जिमों की गिरफ्तारी

53--श्री बादशाह सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि मुकदमा अपराध सं0 79/2001 धारा 307,504 आई0पी0सी0, थाना इटौंजा, जनपद लखनऊ में मुल्जिमों की गिरफ्तारी अथवा सी0आर0पी0सी0 की धारा 82-83 की कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां। जनपद लखनऊ के थाना इटौंजा पर पंजीकृत अभियोग संख्या-79/2001 धारा 307/504 भा0दं0वि0 में विवेचना से संज्ञान में आये तथ्यों के आधार पर अभियुक्त दिवाकर सिंह पुत्र रामबृक्ष सिंह, कस्बा इटौंजा को दिनांक 10-8-2002 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में वर्ष 2001-2002 में विधान सभा क्षेत्रवार चयनित अम्बेडकर ग्रामों को संतृप्त करने की मांग

54--श्री राम नरेश यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2001 व 2002 में आजमगढ़ जनपद में कुल कितने अम्बेडकर गांव विधान सभा क्षेत्रवार चयनित किये गये थे ? क्या समस्त चयनित अम्बेडकर ग्रामों को संतृप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अवशेष ग्रामों को कब तक संतृप्त कर दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद आजमगढ़ में वर्ष 2001-2002 में विधान सभा क्षेत्रवार निम्न प्रकार अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये हैं :--

क्र0 सं0	विधान सभा क्षेत्र का नाम	चयनित अम्बेडकर ग्रामों की संख्या
1	सदर	10
2	निजामाबाद	10
3	सरायमीर	10
4	गोपालपुर	10
5	सगड़ी	10
6	फूलपुर	10
7	अतरौलिया	09
8	मेंहनगर	10
9	लालगंज	10
10	मुबारकपुर	07
11	मुहम्मदाबाद	01
	योग	97

जी नहीं।

सीमित संसाधनों के कारण धनराशि की उपलब्धता के अनुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र, तहसील दुद्धी, ग्राम मझौली में स्व0 श्री राम प्रसाद पूर्व ग्राम विकास अधिकारी के देय भुगतान तथा मृतक आश्रित की सेवायोजित किये जाने का मामला

55--श्री विजय सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-4-2001 जो स्व0 श्री राम प्रसाद गौड़ पूर्व ग्राम विकास अधिकारी के आश्रितों को पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान करने एवं उनके पुत्र श्री महेन्द्र प्रताप निवासी ग्राम मझौली, तहसील-दुद्धी, जनपद सोनभद्र को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

स्व0 श्री राम प्रसाद गौड़, पूर्व ग्राम विकास अधिकारी की पेंशन, ग्रेच्युटी का भुगतान तत्काल करने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं जिला विकास अधिकारी, जौनपुर को निर्देशित कर दिया गया है।

स्व0 श्री राम प्रसाद गौड़, पूर्व ग्रामं विकास अधिकारी की मृत्यु दिनांक 21-3-71 को हो गयी थी। उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 की है। अत: इस नियमावली से स्व0 श्री राम प्रसाद गौड़ के आश्रित सेवायोजन हेतु आच्छादित नहीं होते हैं। अत: श्री महेन्द्र प्रताप सिंह को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर, तहसील पडरौना, थाना नेबुआ नौरंगियां में श्री राम नरेश डोम पुत्र श्री मोती चन्द्र डोम की बहन के अपहरण की दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही की मांग

56--श्रीमती माया प्रसाद तथा श्री बादशाह सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि श्री राम नरेश डोम पुत्र श्री मोतीचन्द्र डोम, ग्राम सौरहा बुजुर्ग (जौरही), थाना नेबुआ नौरंगियां, तह0 पडरौना, जिला कुशीनगर की बहन का अपहरण 20-10-2001 को ग्रामवासी महबूब पुत्र कादीर व अन्य व्यक्तियों द्वारा कर लिया गया था जिसकी प्राथमिकी थाना नेबुआ नौरंगियां में मु0अ0 सं0- 236/2001धारा 363/366 आई0पी0सी0 3(1) XI एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के तहत दिनांक 23-10-2001 को दर्ज हुई है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं , तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

यह सत्य नहीं है कि श्री राम नरेश डोम पुत्र श्री मोती चन्द्र डोम, ग्राम सौरहा बुजुर्ग (जौरही) थानां नेबुआ नौरंगियां, जिला कुशीनगर की बहन का अपहरण दि0 20-10-2001 को ग्रामवासी महबूब पुत्र कादीर व अन्य व्यक्तियों द्वारा कर लिया गया था, बल्कि सत्यता यह है कि राम नरेश डोम के पिता श्री मोती चन्द्र डोम पुत्र श्री मिश्री डोम, ग्राम सौरहा बुजुर्ग (जौरही), थाना नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर द्वारा दि0 23-10-2001 को इस आशय की तहरीरी सूचना दी गई कि उसकी लड़की आशा देवी को उसी गांव के महबूब पुत्र कादीर ग्राम सौरहा बुजुर्ग टोला जौरही बहला-फुसला कर भगा ले गया है।

जी हां।

पंजीकृत अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी खड्डा द्वारा प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान प्रकरण में एस0सी0/एस0टी0 का जुर्म न पाये जाने पर विवेचना थानाध्यक्ष नेबुआ नौरंगिया को स्थानान्तरित कर दी गई। दिनांक 27-10-01 को श्री राम नरेश डोम की बहन श्रीमती आशा देवी स्थानीय थाने पर उपस्थित हुई जिन्हें उनके माता-पिता को सौंप दिया गया। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

जनपद गोण्डा के विधान सभा मनकापुर में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्यों को पूर्ण करने की मांग

57--श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड वजीरगंज में वक्सर विलिया, परसापुर महड़वर होते हुए करदा अतिउल्ला गांव तक विकास खण्ड मनकापुर में जगननाथपुर से गोपालपुर सुमेरपुर होते हुये दुर्गापुर तक सम्पर्क मार्ग, विकास खण्ड छपिया में मदनपुरा से सिकरी होते हुए खुटिहन महराजगंज ग्रन्ह मार्ग, विकास खण्ड नवाबगंज में हरदवा से परसापुर धनवा होते हुए नरायनपुर ग्रन्ह तक मार्ग का वित्तीय वर्ष 2002-2003 में निर्माण कराया जायेगा ? यदि नही, क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

जनपद गोण्डा में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जिला पंचायत से अनुमोदन के उपरान्त भारत सरकार से चार पैकेज के अन्तर्गत 21सम्पर्क मार्ग स्वीकृत है, जिसमें उल्लिखित प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला गोण्डा, थाना नवाबगंज, ग्राम अकबरपुर में दिनांक 24-4-2002 को श्री रामसूरत उर्फ बुद्धधन द्वारा दर्ज उनके पुत्र की हत्या के प्रकरण पर कृत कार्यवाही की जानकारी

58–श्री आनन्द सेन–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 24-4-2002 को श्री राम सूरत उर्फ बुद्धन निवासी-ग्राम अकबरपुर, थाना नवाबगंज, जिला-गोण्डा द्वारा उनके पुत्र की हत्या कर दिये जाने के

संनंध में पुलिस उप महानिरीक्षक फैजाबाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोण्डा एवं क्षेत्राधिकारी, तरफगंज गोण्डा को कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

प्रार्थना-पत्र पर जांच से पाया गया कि श्री रामसूरत पुत्र मृतक राजकुमार का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम कराया गया, रिपोर्ट में मृत्यु का कारण निश्चित नहीं किया जा सका । जांच से पाया गया कि मृतक द्वारा स्वयं आत्महत्या किया गया है। किसी अपराधिक कृत्य का न होना पाया जाने के कारण कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

59--श्री राकेश सचान--[2 सरे गुरुवार को अता0प्र0सं0--164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

60--श्री सिद्ध गोपाल--[1ले गुरुवार को अता0 प्र0 सं0--115 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री राजीव अग्रवाल विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, मऊ को ग्राम पंचायतों द्वारा पौध आपूर्ति में की गयी अनियमितता की जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

61--समर पाल सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2001 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-178 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजीव अग्रवाल विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन ने अपने पत्र सं0-1862/38-4-2001-64 ए0क्यू0/2001 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी मऊ को ग्राम्य पंचायतों द्वारा पौध आपूर्ति करने वाले फर्मों को भुगतान वियरर चेक द्वारा करने पर बहुउद्देशीय कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो कुल कितने बहुउद्देशीय कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

सहकारिता विभाग में सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 /सहायक विकास अधिकारी के पदों को निर्धारित अनुपात में पदोन्नति करने की मांग

62--श्री मूलचन्द्र–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारिता विभाग में सहकारी निरीक्षक वर्ग -2/सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) में पदोन्नति हेतु सहकारी पर्यवेक्षक (पी0सी0यू0), सहकारी ग्राम सेवक (कृषि) एवं सहकारी कृषि पर्यवेक्षक के मध्य कोई अनुपात निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या निर्धारित अनुपात के अनुसार वर्ष 1994 में पदोन्नति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी–

सहकारिता विभाग में सहकारी निरीक्षक वर्ग - 2/सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) में पदोन्नति हेतु अनुपात सहकारी पर्यवेक्षक (पी0सी0यू0) तथा निरीक्षक समूह तीन, जिनमें अन्य पदों के साथ -साथ ग्राम सेवक (कृषि) व सहकारी कृषि पर्यवेक्षक के पद भी सम्मिलित हैं, के मध्य निर्धारित हैं।

उ0 प्र0 अधीनस्थ सहकारी सेवा नियमावली 1979 (यथा संशोधित) के नियम-6 के उपखण्ड-2 के अनुसार निरीक्षक समूह-2 (सहकारी निरीक्षक वर्ग-2) के पदों में से 34 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था है। जिसमें एक ओर ग्राम सेवकों (ग्राम्य विकास विभाग) और दूसरी ओर निरीक्षक समूह-3 के साथ-साथ सहकारी पर्यवेक्षकों के बीच पदोन्नति का कोटा उनकी आपेक्षिक संख्या अर्थात् सम्बन्धित वर्ष की पहली अप्रैल को एक ओर ग्राम सेवक को और दूसरी ओर निरीक्षक समूह-3 के साथ-साथ सहकारी पर्यवेक्षकों की संख्या के अनुसार प्राविधानित है।

वर्ष 1994 में सहकारी पर्यवेक्षक (पी0सी0यू0) संवर्ग के निर्धारित कोटे 193 के सापेक्ष 219, सहकारी कृषि पर्यवेक्षकसंवर्ग के निर्धारित कोटे 12 के सापेक्ष 11 तथा ग्राम सेवक (कृषि) संवर्ग के निर्धारित कोटे 3 के सापेक्ष 4 कर्मचारियों की तदर्थ पदोन्नतियां सहकारी निरीक्षक वर्ग -2/ सहायक विकास अधिकारी (सह0) के पद पर की गयी।

अभिलेखों में उपलब्ध सूचना के अनुसार सहकारी कृषि पर्यवेक्षक संवर्ग में अनुसूचित जाति का कोई पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण ग्राम सेवक (कृषि) संवर्ग के पात्र अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी से उक्त का कोटा पूरा किया गया, किन्तु सहकारी पर्यवेक्षकों की निर्धारित कोटे से अधिक पदोन्नति किये जाने का स्पष्ट कारण उल्लिखित नहीं है। यद्यपि इन 219 पदोन्नत कर्मचारियों में से 77 कर्मचारियों द्वारा ही योगदान किया गया , जो कि पदोन्नति के निर्धारित कोटे से कम है।

जनपद बांदा के ग्राम पपरेन्दा खपटिहाकला, झंझरीपुरवा कुरसेजा में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी खोलने की मांग

63–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार बतायेगी कि जनपद बांदा के ग्राम पपरेन्दा खपटिहाकला, झंझरीपुरवा कुरसेजा में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी खोलने की घोषणा 26 सितम्बर, 1995 को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या पुलिस चौकी स्थापित कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

जनपद बांदा के ग्राम खपटिहाकला में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 14-9-98 द्वारा दी गई।

ग्राम कुरसेजा, झंझरीपुरवा तथा पपरेन्दा में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना का पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद का प्रस्ताव मानक के अनुसार न होने तथा नए पदों के सृजन पर लगे प्रतिबन्ध के दृष्टिगत क्रमश: शासनादेश् दिनांक 10-6-98, 3-2-99 व 3-2-99 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

जनपद कुशीनगर में वित्तीय वर्ष 2001-2002 जारी शस्त्र लाइसेन्स तथा लम्बित शस्त्र लाइसेंस आवेदन पत्रों के निस्तारण की जानकारी

64—श्री राधेश्याम सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायें कि जनपद कुशीनगर में वित्तीय वर्ष 2001-2002 में कितने शस्त्र लाइसेन्स जारी किये गये हैं तथा माह जून, 2002 तक जिलाधिकारी कार्यालय में कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं, जिनकी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हो चुकी हैं ? उनका निस्तारण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जनपद कुशीनगर में वित्तीय वर्ष 2001-2002 में 289 शस्त्र लाइसेंस जारी किये गये हैं तथा माह जून, 2002 तक 61 शस्त्र लाइसेंस आवेदन-पत्र ऐसे विचाराधीन थे जिनमें आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण हो चुकी थी।

उक्त 61 मामलों में से अब तक 18 मामले निस्तारित हो चुके हैं तथा शेष परीक्षणाधीन हैं।

जनपद मैनपुरी के थाना बेबर में अंकित अपराध संख्या 120/02 दिनांक 15-8-2002 के नामजद अपराधियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी तथा गिरफ्तारी की मांग

65—श्री आलोक कुमार शाक्य—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के थाना बेबर में अंकित अपराध संख्या 120/02 दि0 15-3-2002 तथा धारा 302 में नामजद अपराधी कौन-कौन है ? क्या उक्त अपराधियों को गिरफ्तार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मुकदमें में नामजद अपराधियों का आपराधिक इतिहास क्या है ?

सुश्री मायावती—

दिनांक 15-3-2002 को थाना बेबर में धारा 302 के अन्तर्गत पंजीकृत मु0 अ0 सं0-120/2002 में (1) शिवराज सिंह उर्फ पी0 टी0 आई0 पुत्र बाबू सिंह, (2) सतेन्द्र सिंह उर्फ टीटू पुत्र शिवराज सिंह, (3) विजेन्द्र उर्फ भल्लू पुत्र सुरेन्द्र सिंह (4) देवेन्द्र उर्फ करु पुत्र सुरेन्द्र सिंह, नि0 ग्राम-किशनपुर गढ़िया, थाना बेबर, नामजद है।

जी नहीं।

अभियुक्तों के विरुद्ध सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 जांच प्रचलित होने के कारण उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया।

जनपद मैनपुरी के विभिन्न थानों में शिवराज सिंह उर्फ पी0टी0आई0 के विरुद्ध 52, सतेन्द्र सिंह उर्फ टीटू के विरुद्ध 12, विजेन्द्र सिंह उर्फ कल्लू के विरुद्ध 20 तथा देवेन्द्र उर्फ करू के विरुद्ध 17 आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं।

जनवरी 1998 से जून 2002 तक लखनऊ सेक्टर में धारा 302 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 में जांच हेतु लम्बित मामलों के आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल करने की जानकारी

66–श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1998 से जून, 2002 तक लखनऊ सेक्टर में धारा 302 भा0 द0 वि0 के कितने मामले सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 में जांच हेतु लम्बित हैं ? उनमें से कितने मामलों में जांच पूरी करके न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं ?

सुश्री मायावती–

जनवरी, 1998 से जून, 2002 तक खण्ड लखनऊ में धारा 302 भा0 द0 वि0 के कुल 109 अभियोग संदर्भित किये गये हैं, जिनमें से 31 अभियोगों की विवेचना इस समय लखनऊ सेक्टर के पास लम्बित हैं। उक्त अवधि में धारा 302 भा0 दं0 वि0 के 37 अभियोगों में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है।

67–श्री राकेश सचान–

[2सरे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 158 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद महाराजगंज के थाना श्याम देउरवा में दिनांक 18-6-2002 को दर्ज मुकदमें के सम्बन्ध में अभियुक्तों की गिरफ्तारी का मामला

68–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना श्यामदेउरवा, जनपद महराजगंज में दिनांक 18-6-2002 को मु0 अ0 सं0 421/02 धारा 498 वी, 326 आई0 पी0 सी0 डी0 पी0 ऐक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो क्या अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रकरण की विवेचना की जा रही है। अभियुक्तगण के विरुद्ध अभी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य संकलित किया जा रहा है।

श्री शेषनाथ गुप्ता पुत्र श्री भागी साहू द्वारा जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत थाना नेबुआ नौरंगिया में दर्ज अपने पुत्र की हत्या की रिपोर्ट के बावजूद किसी को गिरफ्तार न किया जाना

69–श्री बादशाह सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत थाना नेबुआ नौरंगिया के ग्राम गड़हिया-बसन्तपुर निवासी श्री शेषनाथ गुप्ता पुत्र श्री भागी साहू ने थाना नेबुआ-नौरंगिया में मु0 अ0 सं0 58/02 धारा 302 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत अपने पुत्र अजीत की हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी है ? यदि हां, तो उस मुकदमें में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

मुकदमें में किसी को नामजद नहीं किया गया है।

मुकदमें की विवेचना की जा रही है।

जनपद उन्नाव, ग्राम चिन्ताखेड़ा के निवासी श्री सीता राम पुत्र श्री देशपति को इन्दिरा आवास आवंटन के सम्बन्ध में पूर्व स दस्य श्री शिव सिंह चक का पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

70–श्री उदयराज–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व सदस्य श्री शिव सिंह चक का पत्र ख-2 नं0 777552 दि0 11 दिसम्बर, 2001 जो मा0 मंत्री के आदेश सहित पत्र सं0-1974/वी0 आई0 पी0/ सी0 डी0 ओ0, उन्नाव को दिनांक 14-12-01 को इन्दिरा आवास के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृत किये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां। श्री शिव सिंह चक पूर्व मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 11-12-2001 जो श्री सीताराम पुत्र श्री देशपति, निवासी चित्तखेड़ा, मौरावां, जनपद उन्नाव को इंदिरा आवास आवंटित किये जाने के संबंध में हैं, प्राप्त हुआ हैं। ग्राम चित्तखेड़ा, राजस्व ग्राम पारा, विकास खण्ड हिलौली, जनपद उननाव का मजरा है। ग्राम पारा वर्ष 96-97 में अम्बेडकर ग्राम चयनित किया गया है, जिसमें पात्र 45 लाभार्थियों को आवास आवंटित किये गये है। अत: उक्त ग्राम में इसके अतिरिक्त आवास किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं किया जा सकता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के थाना अदलहाट के अभियुक्त श्री भगवान दास के प्रकरण में सुलहनामा के आधार पर न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये जाने की जानकारी

71–श्री विजय सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के दूसरे सोमवार हेतु निर्धारित अता0 प्र0 सं0 165 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण में गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष अभियुक्त का पुन: एक्सरे एवं जांच किस तिथि को कराया गया ? मेडिकल बोर्ड द्वारा की गयी पुन: एक्स-रे रिपोर्ट एवं जांच रिपोर्ट की सी0 एम0 ओ0 द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि क्या है ? क्या गलत रिपोर्ट प्रेषित करने वाले दोषी थाना प्रभारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

मु0 अ0 सं0 339/99 थाना अदलहाट के अभियुक्त भगवानदास को पुन: मेडिकल बोर्ड के समक्ष एक्स-रे जांच हेतु थाना अदलहाट के माध्यम से उपस्थित किया गया था परन्तु मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा पुन: मेडिकल परीक्षण मेडिकल बोर्ड द्वारा नहीं कराया गया। उक्त वाद में सुलहनामा के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जा चुका है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

पडरौना (कुशीनगर) में अराजक तत्वों द्वारा तत्कालीन विधायक नेबुआ-नौरंगिया की कमान्डर जीप जलाकर नष्ट करने की शिकायत पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

72—श्री बादशाह सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 28 अगस्त, 2000 को पडरौना (कुशीनगर) में अराजकतत्वों द्वारा तत्कालीन विधायक नेबुआ-नौरंगिया की कमान्डर जीप जलाकर नष्ट कर दी गयी थी, जिसकी प्राथमिकी थाना-खड्डा तथा कोतवाली पड़रौना में मु0सं0 425/2000 धारा 435/427 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत दर्ज है ? क्या इस संबंध में जिलाधिकारी कुशीनगर का पत्रांक सं0 805/जे0ए0-2001 दिनांक 8-6-2001 मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हां।

घटना की सूचना पर मु0 अ0 स0 495/2000 धारा 435/427 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत थाना कोतवाली पड़रौना पर पंजीकृत किया गया।

जी हां।

विवेचना के दौरान उक्त मुकदमें का संबंध मु0 अ0 स0 492/2000 धारा 147/148/352/506/307/332/353/395/427 में पाये जाने पर उसे मु0 अ0 स0 492/2000 में सम्मिलित कर दिया गया विवेचना के उपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय में दिनांक 7-4-2001 को प्रेषित किया जा चुका है।

मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-एम-32/मु0 म0 का0 4/2001, दिनांक 27-6-2001 द्वारा मा0 सदस्य को जीप क्रय करने हेतु एक लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की जा चुकी है तथा रुपया 1,00,000/- का बैंक ड्राफ्ट संख्या 074585, दिनांक 6-7-2001 मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-4 के अर्ध शा0 पत्र संख्या एम-32-2-65/मु0 म0 का0-4/2001 दिनांक 20-7-2001 द्वारा मा0 सदस्य को उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी कुशीनगर को भेजा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

73—श्री मशहूद खां—

[दिनांक 16-8-2002 को अता0 प्र0 सं0 151 द्वारा उत्तरित]

74—श्री अनवर महमूद—

[दिनांक 16-8-2002 को अता0 प्र0 सं0 152 द्वारा उत्तरित]

75—श्री सुल्तान बेग—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद कन्नौज में वर्तमान समय में अपर जिला जज-II, प्रथम कोर्ट, ए0 सी0 एम0 कोर्ट, जूनियर डिवीजन कोर्ट, अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट तथा जूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

76—श्री कल्याण सिंह दोहरे—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद कन्नौज में वर्तमान समय में अपर जिला जज-II, प्रथम कोर्ट, ए0 सी0 एम0 कोर्ट, जूनियर डिवीजन कोर्ट, अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में न्यायाधीशों के कितने स्थान रिक्त हैं ? न्यायाधीशों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जनपद न्यायाधीश कन्नौज की सूचना के अनुसार वहाँ निम्नलिखित न्यायालय रिक्त है :—

1—अपर जिला जज न्यायालय संख्या-2

2—अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

3—न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्नौज

4—अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/जे0 एम0, न्यायालय संख्या-01

5—अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/जे0 एम0, न्यायालय संख्या-2

6—अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/जे0 एम0, न्यायालय संख्या-3

7—अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/जे0 एम0, छिबरामऊ

रिक्त पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्राधिकार मा0 उच्च न्यायालय को है। मा0 उच्च न्यायालय से सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद कन्नौज में "जिला विधिक सेवा प्राधिकरण" के गठन का मामला

77—श्री कल्याण सिंह दोहरे—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कन्नौज में "जिला विधिक सेवा प्राधिकरण" का गठन हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनपद कन्नौज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी नहीं।

जी हां।

जिलाधिकारी कन्नौज से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अर्ह व्यक्तियों के नामांकन का प्रस्ताव शासन द्वारा दि0 16-5-2002 को मांगा गया है लेकिन अभी तक सूची प्राप्त नहीं हुई है अर्ह व्यक्तियों के नामों की सूची प्राप्त होने पर शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के मा0 मुख्य न्यायाधीश की सहमति से जनपद कन्नौज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक नागर, ब्लाक मनियर, ब्लाक पन्द्रह एवं बेराआरवाटी-बांसडीह में वर्ष 2001 तथा 2002 में चयनित अम्बेडकर गांवों के विकास कार्य को पूर्ण किये जाने सम्बन्धी जानकारी

78–श्री जियाउद्दीन रिजवी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक नवानगर, ब्लाक मनियर, ब्लाक पन्द्रह एवं बेराआरवटी-बांसडीह में वर्ष 2001 एवं वर्ष 2002 में कितने अम्बेडकर ग्रामों का चयन हुआ था ? क्या चयनित ग्रामों में विकास कार्य पूर्ण करा दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जनपद बलिया में वर्ष 2001 में सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक नवानगर में 3, मनियार में 2, पन्द्रह में 3, बेरुआरवारी में 1, बांसडीह में 1, कुल 10 अम्बेडकर ग्राम एवं वर्ष 2002 में ब्लाक नवानगर में 17, मनियर में 6, पन्द्रह में 2, बांसडीह में 2 कुल 27 अम्बेडकर ग्राम चयनित हुए हैं।

वर्ष 2001 में चयनित 10 अम्बेडकर ग्रामों में पेयजल, वृद्धावस्था पेंशन, एस0 जी0 एस0 वाई0, नि:शुल्क बोरिंग, प्राथमिक-पाठशाला-भवन के विकास कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं। शेष नाली/खड़न्जा, सम्पर्क मार्ग, स्वच्छ शौचालय, विद्युतीकरण, इन्दिरा आवास, विधवा पेंशन के विकास कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं।

वर्ष 2002 में कुल 27 अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये हैं, जिनकी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। धनराशि की यथा उपलब्धतानुसार विकास कार्य कराये जायेंगे।

उपरोक्तानुसार।

चित्रकूट धाम में किये गये विकास कार्यों की टी0 ए0 सी0 जांच विषयक मुख्य विकास अधिकारी बांदा को भेजा गया पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

79–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकूट धाम मण्डल के प्राविधिक परीक्षक मण्डलीय तकनीकी प्रकोष्ठ के पत्रांक 108/टी0ए0सी0/जांच 14,21,32,34 बांदा/2002-03, दिनांक 10 जून, 2002 का अनुस्मारक-पत्र मुख्य विकास अधिकारी, बांदा को विकास कार्यों में की गई अनियमितताओं को टी0ए0सी0 जांच विषयक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जांच करायी जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

80–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[दिनांक 16-8-2002 को अता0 प्र0 सं0 153 द्वारा उत्तरित]

जनपद चन्दौली में जल निधि योजना, स्वच्छता अभियान हेतु लगाये गये होर्डिंग बोर्डों पर किये गये खर्च की जांच

81—श्री रामजीत राजभर—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जल निधि योजना, स्वच्छता अभियान हेतु जनपद चन्दौली में वर्ष 2000-2001, 2001-2002 में किसी एजेन्सी द्वारा कितने बोर्ड लगाये गये थे ? प्रति होर्डिंग बोर्ड पर कितना धन खर्च किया गया है ? क्या यह सही है कि प्रति होर्डिंग हेतु निर्धारित राशि से कई गुना अधिक धन भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

81 जलनिधि योजना के अंतर्गत जनपद चन्दौली में वर्ष 2000-2001 में कोई बोर्ड नहीं लगाये गये तथा वर्ष 2001-02 में योजना के प्रचार-प्रसार हेतु पंचायत उद्योग, खोराबार, जनपद गोरखपुर द्वारा 149 बोर्ड एवं 50 होर्डिंग लगाये गये हैं।

प्रति होर्डिंग पर रु0 18500/- तथा प्रति बोर्ड पर रु0 13700/- की दर से धनराशि व्यय की गयी है।

प्रकरण की जांच करायी जा रही है।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में तैनात विभागीय कर्मचारियों को सचिवालय से बाहर हटाने के सम्बन्ध में तत्कालीन विधायक श्री शिव सिंह चक के पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

82—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि तत्कालीन विधायक श्री शिव सिंह चक, सदस्य, विधान सभा का पत्र जो उत्तर प्रदेश सचिवालय में तैनात विभागीय कर्मचारियों को सचिवालय से बाहर हटाने हेतु गोपनीय पत्र संख्या-ख-2 न0 617, 634, दिनांक 17 अक्टूबर, 2001 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हाँ।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित तत्कालीन विधायक श्री शिव सिंह चक का पत्र दिनांक 17 अक्टूबर, 2001 शासन में प्राप्त हुआ था जिसमें मुख्य रूप से सचिवालय में तैनात होमगार्डों तथा निदेशालय के कर्मचारियों को सचिवालय के बाहर हटाने का उल्लेख था। पत्र में लिखित प्रकरण की मुख्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश सचिवालय से जांच करायी गयी जिसके संबंध में मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपनी जांच आख्या में यह सूचित किया गया कि सचिवालय में गेटों पर होमगार्ड्स की स्वतंत्र ड्यूटी पास की चेंकिंग में नहीं लगायी जाती है अपितु उन्हें विधान भवन रक्षकों की सहायता हेतु उनके साथ गेट पर तैनात किया जाता है। होमगार्ड्स की ड्यूटी मुख्यत: पार्किंग व्यवस्था तथा गेट खोलने, बंद करने आदि में लगायी जाती है। उत्तर प्रदेश सचिवालय में विधान भवन रक्षकों के कतिपय पद रिक्त हैं, जिनके सापेक्ष उन्हें तैनात किया गया,

है। सचिवालय में गेट समेत अंदर भी प्रवेश-पत्रों की सख्त छानबीन की जाती है और बिना प्रवेश-पत्र आगन्तुकों के प्रवेश पर रोक विषयक आदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है।

मा0 विधायक के उक्त संदर्भित पत्र के संदर्भ में स्थिति में उन्हें अर्द्ध शा0 पत्र संख्या-5474/बीस-ई-4-2001-204 (वि0)/2001, दिनांक 16 दिसम्बर, 2001 द्वारा अवगत कराया जा चुका है।

जहां तक उत्तर प्रदेश सचिवालय में तैनात निदेशालय के कर्मचारियों को हटाने का संबंध है, इस संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में तैनात निदेशालय के कर्मचारियों को वापस भेजने के संबंध में सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आदेश जारी किये जाते रहे हैं। प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग की ओर से समस्त प्रमुख सचिवों/सचिवों को अर्द्ध शा0 पत्र संख्या-3451/बीस-ई-1-2001-603(12)/90, दिनांक 13 नवम्बर, 2001 के माध्यम से यह आदेश प्रसारित किये गये हैं कि प्रत्येक विभाग से विभागाध्यक्ष/निगम कार्यालय के सम्बद्ध कार्मिकों को उनके पैतृक विभाग में वापस कर दिया जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 मंत्रियों/राज्य मंत्रियों द्वारा जलपान मद में 3 मई, 2002 से 15 जुलाई, 2002 तक हुये व्यय की जानकारी व व्यय में रोक लगाने की मांग

83—श्री संजय गर्ग—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 3 मई, 2002 से 15 जुलाई, 2002 तक मा0 मंत्रियों/राज्य मन्त्रियों द्वारा जलपान में माहवार कितना व्यय किया गया ? क्या सरकार प्रदेश की आर्थिक दयनीय स्थिति को देखते हुए उस पर रोक लगाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

मा0 मंत्रियों/राज्य मंत्रियों द्वारा जलपान मद में 03 मई, 2002 से 15 जुलाई, 2002 तक कुल रु0 4,73,927.00 का व्यय हुआ है।

नहीं।

मा0 मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के जलपान व्यय में रोक लगाये जाने का औचित्य नहीं है।

जनपद लखनऊ के मोहल्ला मुस्लिमनगर, आजाद नगर, आलमबाग निवासी श्री नाजिरउद्दीन द्वारा आत्महत्या के मामले प्रकरण में मृतक के भाई द्वारा पुनः मुकदमा कायम कराना तथा प्रकरण की सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच

84—श्री संजय गर्ग—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के मोहल्ला मुस्लिमनगर आजाद नगर आलमबाग के निवासी श्री नाजिरउद्दीन द्वारा आत्महत्या कर ली गयी थी, जिसकी सूचना मृतक की पत्नी श्रीमती गुड्डी द्वारा दिनांक 30-5-1998 को ही कोतवाली कृष्णानगर में दी गयी थी ? क्या यह सही है कि पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया था और डाक्टरों की आत्महत्या रिपोर्ट प्राप्त होने पर कोतवाली द्वारा पंचनामा कराया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मृतक के

भाई श्री नासिरउद्दीन ने मृतक की पत्नी से रंजिश मानते हुए पुन: मुकदमा कायम करा दिया था, जिसकी जांच सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 लखनऊ सेक्टर से करायी जा रही है ? यदि हां, तो पुन: जांच कराने का औचित्य क्या है ?

सुश्री मायावती–

जी हां, दिनांक 30-5-1998 को श्रीमती गुड्डी ने प्रार्थना-पत्र दिया था।

श्रीमती जुबेदाखातून उर्फ गुड्डी से मिली सूचना के आधार पर मृतक श्री नाजिरउद्दीन का पंचायतनामा भरकर नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया।

स्थानीय पुलिस की जांच से आत्महत्या का कारण एवं परिस्थितियाँ स्पष्ट न होने के कारण सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच करायी गयी थी जिसमें जुबेदा खातून उर्फ गुड्डी, मो0 इस्माईल तथा रईस को हत्या के सम्बन्ध में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया। सी0बी0सी0आई0डी0 की जांच आख्या शासन स्तर पर स्वीकार की जा चुकी है।

जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों में 31 मार्च, 2000 से 10 जुलाई, 2002 तक दर्ज लूट, हत्या, डकैती, चोरी आदि घटनाओं का विवरण एवं उनकी रोकथाम के लिये शासन द्वारा बनायी गई कार्य योजना की जानकारी

85–सुश्री अरुणा तोमर–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों में 31 मार्च, 2000 से 10 जुलाई, 2002 तक लूट,हत्या, डकैती,चोरी आदि की कुल कितनी घटनायें हुई हैं, बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिये शासन द्वारा क्या कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत अवधि मे जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों में 31 मार्च, 2000 से 10 जुलाई, 2002 तक लूट की 286, हत्या की 468, डकैती की 24 तथा चोरी की कुल 2579 घटनायें घटित हुई हैं।

अपराधों को रोकने के लिये समय-समय पर प्रदेश स्तर, मण्डल स्तर तथा जनपद स्तर से कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आवश्यक कदम उठाये गये हैं तथा अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर भी कार्यवाही की गई है।

विशेष अपराधों के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद में एस0ओ0जी0 लगाया जाता है इसके अतिरिक्त कुख्यात अपराधियों व इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी में सहयोग हेतु तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के अनावरण हेतु प्रदेश स्तर पर एस0टी0एफ0 को भी लगाया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फैजाबाद, थाना खण्डासा में 90 वर्षीय वृद्ध अनुसूचित जाति के पूर्व विधायक के विरुद्ध दर्ज नामजद अभियोग के दोषी लोगों पर की गयी कार्यवाही

86–श्री आनन्द सेन–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि मुकदमा अपराध सं0-176/2001 आई0पी0सी0 की धारा-374/504 में थाना खण्डासा, जनपद फैजाबाद में एक 90 वर्षीय वृद्ध अनुसूचित जाति के

पूर्व विधायक के विरुद्ध कोई नामजद अभियोग दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच कराई गई ? यदि हां, तो इसमें कौन दोषी व्यक्ति हैं और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत मुकदमा अपराध संख्या 176/2001 अन्तर्गत धारा 379/504 भा0दं0वि0 वादी श्री राम लल्लन की लिखित सूचना पर पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना से जुर्म में धारा 447 भा0दं0वि0 की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियोग में नामजद 3 अभियुक्तों श्री धूम प्रसाद (लगभग 80 वर्षीय पूर्व विधायक), रामबहादुर एवं विजय कुमार को विवेचना से प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया। श्री धूम प्रसाद को गिरफ्तार किया गया तथा शेष दोनों अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। विवेचना के उपरान्त अभियोग में आरोप पत्र दिनांक 15-11-2001 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, देवरिया के प्रत्येक विकास खण्ड में तैनात दो या तीन अतिरिक्त अवर अभियन्ताओं की तैनाती

87–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड देवरिया में प्रत्येक विकास खण्ड में दो या तीन अवर अभियन्ता अतिरिक्त तैनात हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कौकब हमीद–

जी नहीं। मात्र विकास खण्ड रामपुर कारखाना एवं विकास खण्ड गौरीबाजार में एक-एक अतिरिक्त अवर अभियन्ता आवश्यकता के अनुरूप तैनात हैं।

कार्य-भार के कारण।

प्रदेश में ब्लाक स्तर से ग्रामीण आवासीय योजना के अन्तर्गत निर्बल वर्ग के आवासों के आंवटन में मा0 विधायकों की राय के सम्बन्ध में शासन का मापदण्ड

88–श्री रामजीत राजभर–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में ब्लाक स्तर से आवंटित होने वाले निर्बल वर्ग आवासों के आवंटन में शासन के क्या मापदण्ड हैं ? क्या आवंटन में मा0 विधायकों की राय ली जाती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार निर्बल आवास आवंटन में विधायकों की सहमति लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना शासन द्वारा समाप्त की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड पवई , तहसील फूलपुर में वर्ष 1999 से 2002 तक सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुई धनराशि से कराये गये कार्यों के भौतिक सत्यापन की मांग

89—श्री राम करन आर्य—

क्या मुख्य मंत्री कृपेया बतायेंगे कि वि0 खं0 पवई, तह0 फूलपुर, जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1999 से 2002 तक कुल कितनी धनराशि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुयी है ? उससे क्या-क्या कार्य कराये गये ? क्या कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराकर दोषीजनों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गाजीपुर के सादात वि0 स0 अन्तर्गत चकेरीधाम तीर्थस्थल पर आने वाले दर्शनार्थियों की सुरक्षा हेतु पुलिस चौकी खोले जाने की मांग

90—श्री बीजू पटनायक—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजीपुर के सादात वि0स0 अन्तर्गत चकेरी धाम जो तीर्थ स्थल है, में आने वाले दर्शनार्थियों की सुरक्षा हेतु चकेरी में पुलिस थाना खोले जाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यकता नहीं है।

जनपद औरैय्या में श्री राम किशोर पाठक, नलकूप चालक, पंचायत सेक्रेट्री का अपहरण कर हत्या किये जाने के मामले की जांच हेतु मा0 शिवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा के पत्रकृत कार्यवाही की जानकारी

91—श्री महेन्द्र कुमार सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम किशोर पाठक, नलकूप चालक, पंचायत सेक्रेट्री , जनपद औरैय्या का दिनांक 5/6-3-2002 को अपहरण कर हत्या किये जाने सम्बन्धी श्रीमती प्रीती पाठक पत्नी स्व0 श्री राम किशोर पाठक का प्रार्थना पत्र दि0 16-7-2002 श्री शिवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा के उपरिपत्र सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हां। प्रश्नगत पत्र में एस0 आई0 एस0 जांच निरस्त करते हुए स्थानीय पुलिस औरैय्या से जांच कराये जाने की मांग की गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण की अग्रिम विवेचना जोनल एस0आई0एस0 से स्थानीय पुलिस जनपद औरैय्या को वापस कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2002 में आयोजित सबइन्सपेक्टरों (एस0 आई0) की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र "आउट" होने की दशा में रद्द की गयी परीक्षा को पुनः सम्पन्न कराने की मांग

92—श्री शाहिद मंजूर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सबइन्सपेक्टरों (एस0आई0) की भर्ती हेतु वर्ष 2002 में आयोजित की गयी लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र "आउट" हो जाने के कारण निरस्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त परीक्षा पुनः कब तक सम्पन्न कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हां । लिखित परीक्षा निरस्त कर दी गई थी।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के विकास खण्ड बेंहदर के अन्तर्गत ग्राम दीनाखेड़ा तथा ग्राम करामत खेड़ा को अम्बेडकर ग्राम घोषित करने की मांग

93—श्री नरेन्द्र सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के विकास खण्ड बेंहदर के अन्तर्गत ग्राम दीनाखेड़ा तथा ग्राम करामत खेड़ा ग्राम की 100 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति की है ? यदि हां, तो क्या उन्हें चालू वित्तीय वर्ष में अम्बेडकर ग्रामों की सूची में सम्मिलित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हाँ।

जी नहीं।

क्योंकि दीनाखेड़ा एवं करामतखेड़ा राजस्व ग्राम नहीं हैं। दीनाखेड़ा राजस्व ग्राम कुतुबपुर का मजरा है, जो वर्ष 1999-2000 में अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयनित हो चुका है तथा करामतखेड़ा राजस्व ग्राम घुघेरा का मजरा है। राजस्व ग्राम घुघेरा वर्ष 96-97 में अम्बेडकर ग्राम घोषित किया जा चुका है।

जनपद बरेली में थाना दियोरनियां में दर्ज अपराध संख्या 73/2000 तथा 113/2000 मुकदमों की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराने हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

94—डा0 सियाराम सागर—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि अ0सं0 73/2000 थाना दियोरनियां, जनपद बरेली तथा अ0मु0 संख्या 113/2000 थाना दियोरनियां जनपद—बरेली की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराने हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

मु0अ0सं0 73/2000 थाना देवरनियां तथा मु0अ0सं0 113/2000 थाना बहेड़ी, जनपद बरेली में दर्ज हैं।

प्रश्नगत अभियोगों की विवेचना भ्रष्टाचार निवारण संगठन की बरेली इकाई द्वारा की जा रही है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन की विवेचना के आधार पर अभियोजन की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

95–श्री राकेश सचान–

पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

खण्ड विकास अधिकारी बाँसी/मिठवल, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा की गई अनियमितिताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच तथा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आयुक्त, बस्ती म्ण्डल, बस्ती को दिये गये शिकायती-पत्र पर की गयी कार्यवाही

96–श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बतांने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी, सदस्य, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ग्राम पो0 बसन्तपुर (बांसी), जनपद सिद्धार्थनगर का शिकायती-पत्र दिनांक 1-4-02 जो खण्ड विकास अधिकारी बांसी/मिठवल, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा की गई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच तथा स्थानान्तरण के संबंध में था, आयुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच करायी जा रही है, एक परियोजना की जांच पूर्ण हो गई है, जिसके अनुसार खड़न्जा कार्य में प्रयुक्त ईंट प्रथम श्रेणी से 30 प्रतिशत निम्न स्तर की श्रेणी का होने के कारण तदनुसार कटौती करने का निर्देश खण्ड विकास अधिकारी, मिठवल को दिया गया है। शिकायती-पत्र के अन्य बिन्दुओं के संबंध में अभी तक जांच आख्या प्राप्त नहीं हुई है। जांच आख्या में अन्य शिकायतें सही पाये जाने पर प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। संबंधित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री बी0 के0 पाठक का स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा विकास खण्ड मिठवल का अतिरिक्त प्रभार भी वापस ले लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर, ग्राम सभा बनगवा जगयाबुजुर्ग, तहसील–थाना उतरौला में श्रीमती जुनेदा खातून एवं विपक्षीगण के मध्य भूमि संबंधी विवाद में जांच की कार्यवाही

97–श्री राजपाल सिंह बालियान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवेदिका श्रीमती जुनेदा खातून पुत्री स्व0 रियासत अली, निवासिनी बनगवा, ग्राम सभा जगयाबुजुर्ग, तहसील–उतरौला, थाना–उतरौला, जनपद

बलरामपुर के संदर्भ में पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 द्वारा पत्र सं0–डी0जी0-शि0प्र0-1786/2002, दिनांक 25 जून, 2002 द्वारा पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को प्रकरण की जांच का निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जांच में पाया गया कि श्रीमती जुनेदा खातून एवं विपक्षीगण के मध्य भूमि संबंधी विवाद न्यायालय में लंबित है जिस पर किसी पुलिस कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है । शान्ति व्यवस्था हेतु उभयपक्ष के विरुद्ध धारा 107/116 सी आर पी सी के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। शिकायती-पत्र निराधार पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जिला सहकारी बैंकों में सचिव/महाप्रबन्धकों के पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण कराने की मांग

98–डा0 सियाराम सागर–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जिला सहकारी बैंकों में सचिव/महाप्रबन्धकों के पदों पर अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो कोटा कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी–

प्राप्त सूचनानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं है।

वर्तमान में अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण कोटे के 10 पद रिक्त है, किन्तु वरिष्ठता सूची मा0 उच्च न्यायालय में विवादित होने तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश रिक्त हो जाने पर ही नियमानुसार कोटा पूर्ण हो सकेगा।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर के विकास खण्ड गौरीबाजार तथा भलुबनी में खण्ड विकास अधिकारी की नियुक्ति

99–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर, जनपद देवरिया के विकास खण्ड गौरी बाजार तथा भलुवनी, जनपद देवरिया में विगत वर्षों से कोई बी0डी0ओ0 की नियुक्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो बी0डी0ओ0 की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी। यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं। खण्ड विकास अधिकारियों की कमी के कारण विकास खण्ड गौरीबाजार तथा भलुबनी में विगत वर्षों में जनपद स्तरीय अधिकारियों को खण्ड विकास अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

वर्तमान समय में जनपद देवरिया के विकास खण्ड गौरीबाजार तथा भलुबनी में खण्ड विकास अधिकारी तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

100–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[दूसरे बुधवार के अता0 प्र0 सं0 48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला सहकारी बैंक लि0 लखनऊ की माल शाखा में गबन एवं अनियमितताओं के कारण बचत खातों से लेन-देन कार्य प्रभावित होने विषयक मामला

101—श्री आनन्द सेन—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जिला सहकारी बैंक लि0, लखनऊ की माल शाखा में गबन एवं अनियमितताओं के कारण बचत खातों के लेन-देन का कार्य बन्द कर दिया है, जिससे ग्रामवासियों को बचत खाते की लेन-देन में असुविधा हो रही है ? क्या सरकार उनके बचत खाते में जमा धनराशि के भुगतान की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी—

जी नहीं। लेन-देन का कार्य कभी नहीं बन्द हुआ है। लेन-देन जारी है और ग्रामवासियों को असुविधा नहीं हो रही है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सड़क/खड़न्जा निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं की जाँच विषयक पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

102—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-6-2002 जो जनपद बांदा में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सड़क/खड़न्जा निर्माण कार्य में की गई अनियमितताओं की जांच विषयक था, जिलाधिकारी बांदा को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हां।

प्रकरण की जांच जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा की जा रही है, जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में एस0आई0 श्रीमती ज्ञानेश वर्मा, उ0 प्र0 पुलिस द्वारा मुहल्ला अलीगंज, शहर बांदा, निवासी फरहत अली खान के लघु भ्राता से 6000/- रुपये छीन लिये जाने के प्रकरण की भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जांच

103—श्री समर पाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व ऊर्जा मंत्री नरेश अग्रवाल का पत्र दिनांक 17-5-2000 जो जनपद बांदा के शहर बांदा में एस0आई0 श्रीमती ज्ञानेश वर्मा, उ0 प्र0 पुलिस द्वारा मुहल्ला अलीगंज, शहर बांदा, निवासी फरहत अली खान के लघु भ्राता से 6000/- रुपये छीन लिये जाने के प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7 एवं 13 के अन्तर्गत अभियोग चलाने की स्वीकृति/पूर्वानुमति दिये जाने के संबंध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो नैतिक अक्षमता से जुड़े इस प्रकरण पर मा0 मंत्री महोदय द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं 7 एवं 13 के अन्तर्गत अभियोग चलाये जाने की अनुमति प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

प्रकरण की भ्रष्टाचार निवारण संगठन से जांच कराई गई। जाँचोपरान्त भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 एवं 13 के अन्तर्गत अभियोग चलाये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

फैजाबाद मुख्यालय में स्थित सहायक अभियोजन अधिकारियों के लिये आवंटित भवन क्षतिग्रस्त होने की दशा में मरम्मत कराये जाने की मांग

104–श्री राम करन आर्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद मुख्यालय में स्थित सहायक अभियोजन अधिकारियों के लिए आवंटित भवन क्षतिग्रस्त है, जिससे उसमें रहने वाले आवंटियों को जानमाल का खतरा है ? यदि हां, तो उक्त भवनों की मरम्मत कब तक करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित म0सं0सी0-48, कैबिनेटगंज, बन्दरियाबाग में दिनांक 6-7-2002 को हुयी चोरी की घटना की नामजद रिपोर्ट के खिलाफ की गयी कार्यवाही

105–श्री पूर्णमासी देहाती–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम अधारे पुत्र श्री अभिनन्न निवासी ग्राम बुढ़ाडीह, थाना निचलौल, जनपद महराजगंज, उ0 प्र0 ने लखनऊ स्थित अपने म0सं0सी-48 कैबिनेटगंज, बन्दरियाबाग में दिनांक 6-7-2002 को हुई चोरी की घटना की नामजद रिपोर्ट मु0अ0सं0 476/02 धारा 379, भा0दं0वि0 के अन्तर्गत थाना हजरतगंज, लखनऊ में दिनांक 9-7-2002 को श्री नरेश नोनिया पुत्र श्री मुन्ना रूप शिवनोनिया जिला महाराजगंज के खिलाफ करायी थी ? यदि हां, तो अभियुक्तों को गिरफ्तार करके अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां। विवेचना से अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित न करना तथा झूठा फंसाये जाने की बात पायी गयी। अत: अंतिम रिपोर्ट संख्या 330, दिनांक 11-8-2002 द्वारा विवेचना निस्तारित कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

रिमोट सेन्सिंग अप्लीकेशन्स सेन्टर के कार्यवाहक निदेशक द्वारा विभागीय वाहन संख्या यू0 जी0 ओ0 5898, दिनांक 11-8-91 को बदमाशों द्वारा छीने जाने की लखनऊ गाजीपुर थाने में दर्ज शिकायत पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

106–श्री कल्याण सिंह दोहरे–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि रिमोट सेन्सिंग अप्लीकेशन्स सेन्टर के कार्यवाहक निदेशक ने अपने पत्रांक आर0एस0ए0सी0 : 91:1416, दिनांक 5-10-91 द्वारा विभागीय वाहन

सं0 यू0जी0ओ0 5898 को दिनांक 11-8-91 को बदमाशों द्वारा छीन कर ले जाने की सूचना थाना इन्चार्ज गाजीपुर, लखनऊ को दी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां। विवेचना से घटना असत्य पायी गयी। विवेचना समाप्त कर अन्तिम रिपोर्ट संख्या 159, दिनांक 13-8-91 को न्यायालय में प्रेषित की गई ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महोबा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या के स्थायी निदान के लिये ग्रामीण पेयजल समूह योजनायें बनाने सम्बन्धी कार्यवाही

107–श्री सिद्ध गोपाल साहू –

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल समस्या के स्थायी निदान के लिए ग्रामीण पेयजल समूह योजनाएं बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

महोबा जनपद चट्टानी क्षेत्र होने के कारण नलकूपों में जलोत्सारण बहुत कम मात्रा में होता हैं। जहां कही जल स्तर सही है तथा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता है, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पेयजल के स्थायी निदान हेतु हैण्डपम्पों एवं ग्रामीण पेयजल समूह योजनाओं के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। चार ग्राम समूह पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

(घोर व्यवधान)

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत क्षेत्रीय विधायकों को स्वचयनित करने का अधिकार दिये जाने की मांग

श्री राम विशुन आजाद –

मान्यवर, इन्दिरा आवास योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। मान्यवर, ग्राम प्रधान जो होता है वह किसी न किसी पार्टी से सम्बन्धित होता है। वह मनमाने तरीके से बैठक बुलाकर 5 व्यक्तियों को चयनित करता है, इसलिए मान्यवर, इन्दिरा आवास योजना में पांचों व्यक्तियों को सही ढंग से लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार नियमों में शिथिलता ला करके क्षेत्रीय विधायकों को इन्दिरा आवास योजना में उन्हें चयनित करने का अधिकार दें।

सदन में नये सदस्यों को बोलने का अवसर दिये जाने की मांग

श्री राजेन्द्र सिंह राणा –

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। एक दिन भी हमें बोलने का मौका नहीं मिला । हम बाहर जाकर क्या बतायेंगे ? आप व्यवस्था दीजिये कि नये सदस्यों का भी प्रश्न लिया जाये, उन्हें भी बोलने का मौका दिया जाये। एक बात और, यह जो भाषण माफिया है इनसे हम लोगों का पिण्ड

छुड़वाइये। हम अगर यहां नहीं बोलेंगे तो हम कहां जायेंगे ? बाहर की जनता हमसे सवाल पूछती है कि आप अपनी बात क्यों नहीं उठाते हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय विधायक जी ने जो बात उठायी है यह नये विधायकों की समस्या स्वाभाविक है। मैं आशा करता हूँ कि उनकी भावनाओं का सदन पूरा ख्याल रखेगा और आगे से उनकी बात का ध्यान रखा जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

अधिष्ठाता जी, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने सदन के समक्ष उपस्थित किया है और कहा है कि हम लोग कहां जायेंगे। वस्तुस्थिति यह है कि सत्ता पक्ष के माननीय मंत्री जी की तरफ से सही-सही उत्तर नहीं आ रहे हैं, इसलिए सदन का समय जाया हो रहा है। हर सदस्य के सामने यही कठिनाई है कि आखिर हम प्रश्न कहां पूछें ? इसलिये मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप सत्ता पक्ष के मंत्री लोगों को निर्देशित करने की कृपा करें कि सही-सही उत्तर दें ताकि सदन का समय जाया न हो। एक बात और कि यहां अपनी बात कहने का एक तरीका है, बेल में आना, आप भी आइये, शायद बात आपकी इनकी समझ में आ जाये।

श्री हुकुम सिंह (कृषि मंत्री) –

सम्मानित सदस्य ने अपनी वेदना से अवगत कराया और उस पर आपने अपनी व्यवस्था दी। माननीय सदस्य की पीड़ा किसी मंत्री के बारे में नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक श्रेणी विशेष का जिक्र किया और उस श्रेणी में कौन-कौन हैं, यह आप देख लें।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 19 अगस्त, 2002 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुयीं। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गईं ।

नाम पुकारे जाने पर चयनित सूचनाओं के सूचनाकर्ता श्री राम नरेश यादव, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री रामजीत राजभर, श्री राम विशुन आजाद, श्री राधेश्याम सिंह तथा श्री सिद्ध गोपाल साहू उपस्थित थे, प्रतीक्षा सूची से श्री मदन गोपाल वर्मा की सूचना ली गई ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयीं)

आयुर्वेद एवं यूनानी विधा डिग्री धारकों की नियुक्ति न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश यादव–

[मान्यवर, आयुर्वेद एवं यूनानी विधा के छात्रों का धरना लगभग 17 दिन से अपनी मांग को लेकर चल रहा था। 15 अगस्त के बाद से उन्होंने अपने धरने को अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल

नोट : – [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में बदल दिया है, उनका कहना है कि 1980 के बाद से कोई नियुक्ति ऐसे डिग्री धारको की नहीं हो सकी है। प्रतिवर्ष लगभग 500 छात्र आयुर्वेद एवं यूनानी में उत्तीर्ण होते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेन्टर तथा अस्पतालों में, सरकार ने इनकी नियुक्ति की घोषणा की थी, किन्तु आज तक उस दिशा में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया है। इंससे इन छात्रों में जबरदस्त आक्रोश एवं अंसतोष है।

सरकार द्वारा न सुनवाई के पश्चात् इन लोगों ने यह कदम उठाया है। कई लोगों की हालत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती किया गया है। विधान भवन के सामने उनका यह कार्यक्रम चल रहा है। अत: मैं इस प्रश्न को आपकी अनुमति से उठाकर सरकार द्वारा इनकी समस्या को बात-चीत के द्वारा हल किये जाने के लिए मांग करता हूँ।]

हरदोई से फर्रुखाबाद जाने वाली बसें वाया हरपालपुर चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

2—श्री विश्राम सिंह यादव—

[मान्यवर, हरदोई जनपद के रोडवेज बस अड्डे से जो भी बसें फर्रुखाबाद, मथुरा, आगरा, दिल्ली जाती थीं, वह सभी हरपालपुर सांडी होकर जाती थीं केवल डी0 टी0 सी0 की बसें ही लोनार होकर जाती थीं। परन्तु इधर कई महीनों से हरदोई से मथुरा, आगरा, एटा, दिल्ली व फर्रुखाबाद वाली बसें भी हरदोई से लोनार होकर जाती हैं जिससे बिलग्राम, सांडी, हरपालपुर इलाके के हजारों यात्रियों को काफी असुविधा होती रहती है। अत: अविलम्बनीय महत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर सभी बसें पूर्ववत् वाया सांडी हरपालपुर चलाने की मांग करता हूँ।]

परियोजना प्रबन्धक सी0 एण्ड डी0 एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, मेरठ में विभागीय कार्यों में लापरवाही तथा सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

3—श्री रामजीत राजभर—

[मायन्वर, मैं सदन का ध्यान परियोजना प्रबन्धक यूनिट-7 सी0 एण्ड0 डी0 एस0, उ0 प्र0 जल निगम, मेरठ में तैनात श्री पी0 सी0 अग्रवाल की तरफ दिलाना चाहता हूँ। यह जब से तैनात हैं तब से यूनिट-7 के कार्यों/निर्माण में भारी घोटाला हुआ है। यहां तक की उनको बरेली का चार्ज भी दिया गया है। ये मेरठ में 150 ब्लाक रिर्सोसेस सेंटर, मेरठ, बागपत , मुरादाबाद, जे0पी0नगर, बुलन्दशहर में वर्ष 2001 में बनाये गये थे। जिसमें एक-एक चौकीदार को मिलने वाली धनराशि (वर्ल्ड बैंक से) को ये लोग खा जाते हैं। कहीं पर चौकीदार तैनात नहीं है। वर्ल्ड बैंक से विवाद चल रहा है। उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद की बिल्डिंग श्री अग्रवाल, उपरोक्त की देख-रेख में बनायी गयी। जिसका मानचित्र स्वीकृत नहीं था, स्वीकृत भूमि से अधिक भूमि पर भवन बनाये जिसका केस आवास विकास से चल रहा है । घोर अनुशासनहीनता है। बागपत में कलेक्ट्रेट के निर्माण के लिए शासन से स्वीकृत 4 करोड़ रुपये बिना टेण्डर के म्यूचूवल अण्डरस्टैंडिग आर्डर के तहत चहेते एक ही ठेकेदार को दे दिया गया है, जिसमें काफी कमीशनबाजी हुई है। ये अधिकार से बाहर कार्य हुआ है। ऐसे सारे कार्य श्री अग्रवाल की देखरेख में अनियमित हुये हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दण्डित किया जाना चाहिए। क्यों नियमों को ताक पर रखकर सारे कार्य हुयें हैं ? फर्जी भुगतान हुये हैं और हो रहें हैं। अत: इस औचित्य के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर चर्चा कराने की मांग करता हूँ एवं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।]

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत बगदर फीडर पोलों को बदलने तथा नलकूपों से सटे हुये गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

4–श्री राम विशुन आजाद –

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मनकापुर, जनपद गोण्डा में बहुत से ऐसे गांव हैं जो विद्युतीकरण से वंचित हैं। बहुत से ऐसे गांव हैं, जो राजकीय नलकूपों के करीब हैं, ऐसे गांवों को राजकीय नलकूपों से जोड़कर विद्युत् आपूर्ति किया जा सकता है। इससे सरकार का पैसा भी कम खर्च होगा और जनहित में गांवों को विद्युत् आपूर्ति भी हो जायेगी तथा यदि नलकूपों से जो गांव पांच सौ मीटर की दूरी पर हैं उनका विद्युतीकरण करवाया जाये। बगदर फीडर के अन्तर्गत जिन गांवों को विद्युत् आपूर्ति की जा रहीं है, उन गांवों में कई महीने से लाइन खराब होने के कारण विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बगदर फीडर से लाइनों पर जो लकड़ी के पोलों को बदलने हेतु सीमेन्ट के पोल स्वीकृत हुये थे, अभी तक पोलों को बदलने का कार्य नहीं शुरू किया गया है। कुछ पोलों को विद्युत् विभाग के अभियन्ताओं द्वारा अपने निजी स्वार्थों में बेच दिया गया है। जांच के दौरान स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जायेगी। जनहित में बगदर फीडर के पोलों का बदलना व नलकूप से सटे हूये गांवों का विद्युतीकरण किया जाना अतिआवश्यक है। अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान मे लाते हुए आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर में छितानी बांध के टूट जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

5–श्री राधेश्याम सिंह–

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि जनपद कुशीनगर में स्थित छितानी बांध का वीरभार स्पर कि0 मी0-2 पर वर्ष 2001 के वर्षाकाल में बिना बाढ़ आये ही टूट गया साथ ही इस स्थान पर स्थित रेगुलेटर भी बह गया । वर्षा काल के उपरान्त भी इस स्पर को बनाने व रेगुलेटर को लगाने का कोई प्रयास विभाग द्वारा नहीं किया गया । इस स्पर के टूटने एवं रेगुलेटर के बहने के कारणों की कोई भी जांच नहीं करायी गयी और उसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता गोरखनाथ सिंह, बाढ़ खण्ड, कुशीनगर के विरुद्ध कोई विभागीय जांच नहीं करायी गयी, न ही कोई कार्यवाही की गयी । विभाग की उदासीनता के कारण वर्ष 2002 में विरभार ठोकर कट गया, दर्जनों गांव जल मग्न हो गये हजारों एकड़ फसल बरबाद हो गयी । इसकी उच्चस्तरीय जांच कराकर तत्कालीन अवर अभियन्ता व विभागीय जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही जनहित में होना आवश्यक है। अत: इस विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित हुये सरकार से तत्काल कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूँ।]

महोबा में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग और घोटाले की जांच कराये जाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

6–श्री सिद्ध गोपाल साहू –

[महोदय, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, महोबा द्वारा करोड़ों रुपयों के सरकारी धन के दुरुपयोग और घोटाले पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यहां पर वर्ष 2001-2002 में करोड़ों रुपयों के फर्जी वर्क आर्डर देकर पूरी रकम को हजम कर लिया गया है। कहीं पर कोई भी काम नहीं कराया गया है। इसके साथ ही इनके द्वारा अधिकतर कार्यों की गुप्त निविदायें निकाल कर आगणन दर पर ठेकेदारों को कार्य दिया जाता है जबकि जो कुछ भी निविदायें सही ढंग से निकाली गयी हैं उनमें आगणन दर से 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत कम दर पर टेण्डर आये हैं और उनमें कार्य भी कराया गया है। इससे स्वत: ही स्पष्ट हो जाता है कि उनके द्वारा गुप्त निविदायें निकाल कर कार्य कराने से करोड़ों रुपयों के सरकारी धन का घोटाला किया गया है। मेरे द्वारा उनको कई पत्र भेजे गये हैं कि आप जो भी निविदायें प्रकाशित कराएं या जो भी निर्माण कार्य करायें उनकी सूचना मुझे उपलब्ध करायें लेकिन उनके द्वारा सूचना उपलब्ध न कराना यह स्वयं स्पष्ट करता है कि वे नहीं चाहते कि उनकी इस निविदा प्रक्रिया का प्रचार-प्रसार होकर कम दर पर कार्य हो क्योंकि यदि ऐसा होगा तो इससे उनको घोटाला करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। इसके साथ ही मैंने पूर्व में हुए कुछ कथित निर्माण कार्यों के बारे में सूचना मांगी थी जिसे वे उपलब्ध नहीं करा रहे हैं क्योंकि उनको भय है कि इससे उनके द्वारा किये काले कारनामों, फर्जी निर्माण कार्यों से सरकारी धन के दुरुपयोग का भण्डाफोड़ हो जायेगा। इस सम्बन्ध में मैने प्रमुख सचिव, लोक निर्माण से भी पत्रांक संख्या-44, दिनांक 24-6-02 द्वारा मांग की गयी लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। अत : अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम आमौली विद्युत् उपकेन्द्र के फीडरों की मशीनें ठीक कराने तथा 10 एम0 वी0 ए0 का ट्रान्सफार्मर स्थापित कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

7--श्री मदन गोपाल वर्मा –

[मान्यवर, मेरे क्षेत्र जहानाबाद जनपद फतेहपुर में ग्राम अमौली विद्युत् केन्द्र फीडरों की मशीनें व ट्रान्सफार्मर की बड़ी दयनीय स्थिति है । कई बार अधिशासी अभियन्ता को अवगत कराने के बावजूद आज तक पूरा आश्वासन मिलता रहा है। क्षेत्र सूखा और अकाल से प्रभावित है। किसान बिना बिजली से परेशान हैं और मशीनों की खराबी के कारण सरकार द्वारा 8 घण्टे की बिजली आपूर्ति घोषणा के बावजूद किसान को सुनिश्चित रूप से 2 घण्टे विद्युत् सप्लाई नहीं मिल पा रही है। इस पावर हाउस से किसानों का धैर्य टूटने वाला है। क्योंकि किसानों की खेती में बिना पानी दिये कुछ होने वाला नहीं है। अत: आपसे अनुरोध है कि इस पावर हाउस की चारों फीडरों की मशीनें व 10 एम0 बी0 ए0 का ट्रान्सफार्मर लगवाने की कृपा करें।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 19-8-2002 को नियम 300 के अन्तर्गत कुल 4 सूचनायें प्राप्त हुयीं। पहली सूचना डा0 विनोद तिवारी की जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम अलाउद्दीन को विद्युत् उपकेन्द्र बोड़रा से हटाकर चौरपरा उपकेन्द्र से जोड़ने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री संजय गर्ग की विधान सभा प्रश्नों के स्वीकृत होने के बाद भी शासन द्वारा उन्हें निरस्त कराये जाने के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल की माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपने मंत्रियों पर अधिकारियों के

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

माध्यम से अंकुश लगाये जाने के संबंध में है तथा चौथी सूचना श्री राम विशुन आजाद की मतदाता सूची तैयार करने के कार्य में शिथिलता के संबंध में है।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, आजकल मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन जानबूझकर उसमें शिथिलता बरती जा रही है।

श्री अधिष्ठाता –

अभी आपको पुकारा जायेगा, आपको अवसर मिलेगा, इस तरह अनुचित है अभी आप बैठें।

प्रश्नों के स्वीकृत होने के बाद भी शासन द्वारा उन्हें निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री संजय गर्ग –

माननीय अधिष्ठाता जी, यह सदन आपके संरक्षण में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत चलता है। पूरे प्रदेश की पीड़ित जनता की संवेदनाओं को माननीय सदस्य आपके संरक्षण में प्रश्नों के माध्यम से रखते हैं और कुछ प्रश्नों का उत्तर तो शासन द्वारा दिया जाता है लेकिन कुछ प्रश्नों का उत्तर शासन के द्वारा अनुत्तरित कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। मैं नहीं समझता कि संविधान के अन्दर इन तमाम प्रकरणों के लिये किस रूप में सर्वस्व कायम रहने की बात कार्यपालिका पर हो सकेगी और हम प्रशासन पर अंकुश कर सकने में कामयाबी हासिल कर सकेंगे ? मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-38 में प्रश्नों के उत्तर देने के संबंध में स्पष्ट व्याख्या की गयी है। इसमें लिखा है कि प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे और अध्यक्ष यह विनिश्चित करें तो वे सभा के पटल पर विवरण रखने के रूप में हो सकेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि मैंने दो प्रश्न एक द्वितीय सत्र के पहले सोमवार के लिये अतारांकित प्रश्न सं0 27 दिया था और जो तारीख 9-7-02 को स्वीकृत होकर मुझे मिल भी गया था। प्रश्न यह था कि क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि प्रदेश में 1 मार्च, 2002 से 30 जून, 2002 तक कितने आई0ए0एस0 अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं? क्या यह भी बताने का कष्ट करेगी कि किये गये स्थानान्तरणों पर सरकार की कितनी धनराशि व्यय हुयी है ? क्या प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुये सरकार स्थानान्तरणों पर रोक लगायेगी, यदि नहीं तो क्यों ? यह प्रश्न 12 अगस्त के लिये निर्धारित था और लगभग 1 माह 22 दिन के बाद इसे निरस्त कर दिया गया, जबकि नियुक्ति विभाग के पास इसका पूरा रिकार्ड है, लेकिन इसको विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त कर दिया गया, यह प्रशासन, शासन की पारदर्शिता पर जनता को साफगोई से जबाब देने में पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है और सरकार ने स्थानान्तरण उद्योग चला रखा है और उस पर इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न के विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त कर दिया जाय, इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ।

इसी के साथ एक अन्य प्रश्न जो आज के लिये तारांकित प्रश्न सं0-4 पर निर्धारित था और जिसे मैंने 12-7-02 को दिया था और 25-7-02 को वह स्वीकृत होकर मुझे मिल भी गया था, उसे भी गोपनीयता के आधार पर निरस्त कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से उस प्रश्न को सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। प्रश्न यह था कि क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990,

1999 एवं 2000-2001 में कितने आई0 ए0 एस0 अफसरों के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जाँच कराई गई थी ? उनमें से अब तक कितने प्रकरण निस्तारित हुये और किन-किन को दंडित किया गया ? लम्बित जांचों को कब तक पूरा किया जायेगा ? मैं नहीं जानता इसमें क्या गोपनीयता वाली बात है, मैंने तो सरकार के किसी गोपनीय विषय को छेड़ने की कोशिश नहीं की। इस तरह सरकार द्वारा तमाम अफसरों को संरक्षण दिया जा रहा है। मान्यवर, आप मुझे संरक्षण प्रदान करते हुये शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें, इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जबाब आना चाहिए और उन पर पर्दा डालने का काम न किया जाय। प्रदेश की 17 करोड़ जनता यहाँ निगाह लगाये बैठी है, यदि आपका संरक्षण नहीं मिलेगा तो इस नियमावली का कोई फायदा नहीं है। इसका फिर क्या औचित्य है?

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रासंफर पालिसी लागू की है। इस सबके बावजूद तमाम प्रश्नों के जवाब इस तरह आते हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है, गोपनीयता के आधार पर निरस्त, विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त इस तरह से हम सदस्यों की जो भावनायें हैं, जनता की भावनायें हैं उनका क्या होगा। इस तरह से सरकार इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब न देकर खुले तौर पर प्रशासनिक प्रणाली में ढोंग रचने का काम कर रही है। मेरे दोनों ही प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण थे और उनका उत्तर पटल पर आना चाहिये। हम निरीह सदस्य जनता जो हमसे सवालात पूछती है, उसका उत्तर उन्हें कैसे मिलेगा, हम कहाँ जाकर इन प्रश्नों का जवाब माँगे। इन तमाम चीजों का अहसास करते हुए आप मुझे संरक्षण दें और औचित्य के प्रश्न को ग्राह्य करते हुये सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता–

आपने अपने कथन में कहा है. .

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी का उत्तर आ जाये।

श्री अधिष्ठाता–

मैं समझता हूँ, आपने मेरा संरक्षण चाहा है, यदि संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

श्री सुखदेव राजभर (संसदीय कार्य वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री)–

मान्यवर, तमाम वरिष्ठ सदस्य हैं, नियम-300 की ग्राह्यता में कौन ऐसे प्रकरण ग्राह्य होंगे, वह सब लोग जानते हैं लेकिन फिर भी हमारे सम्मानित सदस्यों को आपने सुना। प्रश्नों के विनिश्चय का अधिकार माननीय अध्यक्ष जी को है, वह उसे स्वीकार करें या अस्वीकृत कर दें। माननीय अध्यक्ष जी के निर्णयों पर औचित्य का कोई सवाल ही नहीं बनता है। यह नोटिस ग्राह्य नहीं है। इसलिए मान्यवर, इसको अग्राह्य किया जाय।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, शासन ने अनुरोध करके इसको विस्तीर्णता के आधार पर या गोपनीयता के आधार पर कि विजलेंस की जांच किन अधिकारियों के खिलाफ चल रही है, यह शासन ने निरस्त कराया है। पीठ ने इन प्रश्नों को स्वीकार किया था लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने के लिए गोपनीयता की बात की जा रही है। मैं इसमें आपका संरक्षण चाहता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य गर्ग जी, जिनकी सूचना थी उन्होंने स्वयं कहा है और नियमावली को पढ़ा है कि प्रश्न को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय अध्यक्ष को है। शासन के द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत होते हैं, वह भी एक आधार होते हैं। लेकिन जो प्रश्न आपने उठाया है, इस सम्बन्ध में मैं माननीय अध्यक्ष से बात करूँगा।

मुख्यमंत्री द्वारा अपने मंत्रियों पर अधिकारियों के माध्यम से अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

दूसरी सूचना श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल जी की है।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सदन के सम्मुख यह प्रश्न रखना चाहता हूँ कि संविधान के अनुच्छेदों के अन्तर्गत क्या किसी अधिकारी के माध्यम से मंत्री के अधिकारों की कटौती की जा सकती है या विभाग का हेड या मुखिया कोई मंत्री होगा या अधिकारी होगा ? मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद-163 में यह दिया हुआ है कि महामहिम राज्यपाल अपने कृत्यों का पालन करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे और अनुच्छेद-164 में यह स्पष्ट दिया है कि मंत्रिपरिषद के गठन में मुख्यमंत्री का चयन तो महामहिम राज्यपाल करेंगे लेकिन मंत्रियों का चयन माननीय मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जायेगा और अनुच्छेद-164(2) में स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद इस सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। श्रीमन्, कार्य को **सही** तरीके से चलाने के लिए यदि आप अनुच्छेद-166 को देखें उसमें राज्य की सरकार के कार्य का संचालन कैसे होगा, स्पष्ट है। अनुच्छेद-166(3) में स्पष्ट है "द गवर्नर शैल मेक रूल्स फार द मोर कन्वीनीएन्ट ट्रान्जेक्शन आफ द बिजनेश आफ द गवर्नमेन्ट आफ द स्टेट एण्ड फार द एलोकेशन एमांग मिनिस्टर्स आफ द सैड बिजनेस इन सो फार एस इट इज़ नाटबिजनेस विद रिस्स्पेक्ट टू विच द गवर्नर इस बाई आर अण्डर दिस कान्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड टू नाट इन हिस डिस्क्रीशन" सही तरीके से मंत्रिपरिषद को चलाने के लिए विभागों का एलोकेशन करके कि मंत्री उस रूप से काम करना शुरू करेगा। मान्यवर, प्रदेश की मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों की एक बैठक में कहा, सुश्री मायावती जी ने अपने मंत्रियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे स्वयं को शक्तिशाली समझने की भूल न करें। मंत्री कोई भी हो परन्तु सारे अधिकार मेरे पास हैं और मैंने सबके पीछे डी0 आई0 जी0 लगा दिया है, जिससे वह अपनी मनमानी न कर सकें। मान्यवर, यह सब अखबारों में निकला था और सबने पढ़ा भी होगा। यह ठीक है कि सदन में अखबारों का संज्ञान नहीं लिया जाता लेकिन फिर भी प्रश्न यह उठता है कि, प्रदेश में अधिकारी बड़ा है कि मंत्री बड़ा है ? मान्यवर, अनुच्छेद-163 में महामहिम राज्यपाल जी [illegible] बिजनेस रूल बनाया है, उससे यह स्पष्ट है कि मंत्री के अधिकार की सीमा क्या है और आधिकारियों के अधिकार की सीमा क्या है ? मुख्यमंत्री जी विभाग वापस ले सकती है, मंत्री को हटा सकता है लेकिन जब तक वह अपने विभाग में मंत्री है तब तक क्या अधिकारी उनके ऊपर सुपरवीजन कर सकता है ? मंत्रियों की जवाब देही जनता के प्रति है, जनता का उससे लगाव है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसमें आस्था, वह उनके द्वारा चुनकर आता है। श्रीमन्, आप संविधान को देख लें, अनुच्छेद-74 में यह दिया है कि मंत्रिपरिषद जो भी पेश करेगी महामहिम राष्ट्रपति उसे पास करने के लिए बाध्य होंगे।

लेकिन राज्य में ऐसा नहीं है, मंत्रिपरिषद किसी तरह से राज्यपाल को ऐसा करने से बाध्य नहीं कर सकती है। मान्यवर, जो बिजनेस रूल बनाया है राज्यपाल जी ने उसमें मुख्यमंत्री के इस तरह के अधिकारों का कहीं जिक्र नहीं है कि वह मंत्रियों के अधिकारों का हनन करें और मुख्यमंत्री जी के ऐसा करने से मंत्रिपरिषद की गरिमा गिरी है, उसके अधिकारों का हनन हुआ है। श्रीमन्, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा देश भारत है और इस देश का उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रदेश है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारों के माध्यम से अपने मन्त्रियों के अधिकारों को काट सकती है, या उन पर रोक लगा सकती है ? और यदि रोक लगा सकती है, तो इसका मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद जो सदन में जवाब दे रही है वह सही जवाब नहीं दे रही है और अनुच्छेद-164 में जो दिया गया है उसका सही प्रयोग नहीं हो रहा है। मैं पूछता हूँ कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को डी0 आई0 जी0 के रूप में लगा दिया है ? यदि लगा दिया है तो उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और वह दोबारा जनता के बीच जाकर चुनाव करायें ताकि नियमों का उल्लंघन न हो सके और मंत्रिपरिषद की गरिमा भी बनी रहे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करें और इसका उत्तर दिलवायें।

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिन अनुच्छेदों का वर्णन किया उसके तहत सदन की कार्यवाही संचालित करने में कहीं कोई बाधा नहीं है और उनका जो आरोप है वह कल्पना के आधार पर है और मंत्रिपरिषद के संचालन में पीठ से कई निर्देश भी आ चुके हैं। मान्यवर, अपने आरोप के सापेक्ष में इन्होंने अखबारों का भी जिक्र किया तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि सदन अखबारों का संज्ञान नहीं लेता और मंत्रिपरिषद के सम्बन्ध में कोई औचित्य का सवाल नहीं उठ सकता है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे निरस्त किया जाय।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं कहा और अगर कहा है तो स्पष्ट करें।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी मुझे मिली और इससे ज्यादा प्रत्यक्ष अधिकारों का उदाहरण मैं और क्या दूँ, क्योंकि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली-भाँति कर रहा हूँ। अब अधिकार का और स्पष्ट क्या उदाहरण दें ? जो जिम्मेदारी है उसका सदन में निर्वहन कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, यह कह नहीं सकते। अगर यह कहेंगे तो नौकरी खतरे में पड़ जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना पहले भी दिनांक 16-8-2002 को आ चुकी है। सूचना का विषय नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है। अत: इसे अग्राह किया जाता है।

मतदाता सूची तैयार करने में शिथिलता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना श्री राम विशुन आजाद जी की है।

*श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी थी। इस सरकार ने पिछले चुनाव में जो हम लोगों के वोटर थे उनके नाम इन लोगों ने जानबूझकर कटवा दिये। चुनाव आयोग और भारत सरकार ने निर्णय लिया कि मतदाता सूचियों का पुनर्रीक्षण सही ढंग से कराया जायेगा और संशोधित सूची को 2003 तक प्रकाशित किया जायेगा। लेकिन इस सरकार द्वारा जानबूझकर के जो सूचियां बनायी जा रही हैं, इसके लिए जो काम करने वाले लोग हैं घर बैठे सूची बना रहे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है प्रदेश के सभी जनपदों में कोई भी कर्मचारी घर-घर नहीं जा रहा है विशेषकर ग्रामीण अंचलों में। जबकि घर-घर जाकर मतदाता सूचियों को संशोधित किया जाना था लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अभी चुनाव आयोग ने 13 सितम्बर तक इसकी तारीख बढ़ायी है कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कर लिया जाये। 18 नवम्बर तक आपत्ति ली जायेगी और जनवरी, 2003 तक संशोधित सूची प्रकाशित की जायेगी। यह सरकार जानबूझकर मतदाता सूचियां बनवाने पर ध्यान नहीं दे रही है और दलगत राजनीति से काम कर रही है। इसमें अपने लोगों, कार्यकर्ताओं का नाम रखवा रही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद-326 में प्राविधान है कि --"लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो ऐसी तारीख को, जो समुचित विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाय, 18 वर्ष की आयु से कम नहीं है और इस संविधान या समुचित विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्तविकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरर्हित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा"।

मान्यवर, संविधान में प्राविधान किया गया है कि जो 18 वर्ष की उम्र को पूरा कर रहा है उसको मतदाता सूची में रखा जायेगा लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से चाहूंगा कि जो मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है वह धरातल पर हो, वह कागजों पर ही न हो जाये। इसमें जो लोग लगाये गये हैं वह मौके पर, घर-घर जाकर के काम करें जिससे सही मतदाता सूची बने।

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य ने जिन संविधान के अनुच्छेदों का उल्लेख किया है और उसमें व्यवस्था दी है कि ऐसे लोगों को मतदाता सूची में लाया जाएगा। इसमें इसका प्राविधान है। जहाँ तक औचित्य का सवाल है इससे हमारे सदन के संचालन में कोई बाधा नहीं हो रही है। यह आयोग का फंक्शन है और इसे आयोग ही करता है। अत: यह औचित्य का प्रश्न नहीं है अत: आपसे निवेदन है कि इसे निरस्त किया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

इसे अग्राह्य किया जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम किशुन आजाद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि मतदाता सूची संशोधित नहीं हो रही है। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, 13 सितम्बर कोई ज्यादा दिन नहीं हुआ है और 18 नवम्बर में इन दिनों में मतदाता सूची का संशोधन नहीं हो पाएगा।

श्री अधिष्ठाता–

आपने अपनी सूचना के माध्यम से यह प्रश्न रखा लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि यह नियम 300 के अधीन नहीं आता है। लेकिन फिर भी आपने अपनी बात के माध्यम से शासन का ध्यान तो इस ओर आकृष्ट कर ही दिया है।

जनपद अम्बेडकरनगर के अलाउद्दीनपुर ग्राम को चौरमरा विद्युत् उपकेन्द्र से जोड़ने तथा अतारांकित प्रश्न-12 के उत्तर के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*डा0 विनोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान औचित्य के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि ग्राम सभा अलाउद्दीन पोस्ट अम्बेडकर नगर में जो वर्तमान में विद्युत् उपकेन्द्र है वह जनपद आजमगढ़ से 10 किमी0 की दूरी पर है। यदि उसमें कोई भी फाल्ट होता है तो उसको सही करने में कई दिन लग जाते हैं। पहली बात तो इसकी सूचना नहीं पहुंच पाती है और यदि पहुंचती है तो विद्युत् विभाग के अधिकारी देर से पहुंचते हैं। इसलिए मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि ग्राम सभा अलाउद्दीन की दूरी जनपद अम्बेडकर नगर के उपकेन्द्र चौराहा से मात्र 4 किमी0 है, को जोड़ दिया जाये तो लाभ हो सकता है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19 में ऐसी व्यवस्था है कि अगर जनता की सुविधा के लिए ऐसी कार्यवाही हो सकती है तो उसे किया जाना आवश्यक है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसको जनपद अम्बेडकर नगर से जोड़ने के लिए शासन का ध्यान आकृष्ट करें। मान्यवर, एक और बात, मैं आपका ध्यान आज के एजेण्डे की तरफ भी दिलाना चाहता हूँ। इसमें तारांकित प्रश्न के रूप में मेरा एक सवाल लगा है। मेरा सवाल यह है कि "क्या सरकार को जानकारी है कि सरकारी विभागों में विभिन्न कार्यों को संविदा के आधार पर कराये जाने की कोई नीति शासन द्वारा बनाई गई ? यदि हां, तो उक्त नीति क्या है ? क्या यह सही है कि संविदा के आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का व्यापक शोषण हो रहा है ? यदि हां, तो क्या कार्य की निरन्तरता को देखते हुए सरकार नये पद सृजित कर संविदा कर्मियों की नियमित नियुक्ति किये जाने हेतु निर्णय लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?"

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इसका शासन की तरफ से जवाब था कि सूचना एकत्र की जा रही है। मान्यवर, यह जवाब भ्रमित करने वाला है इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ।

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

मान्यवर, इसमें माननीय सदस्य ने इसे नियम 300 के अन्तर्गत लाने की जो कोशिश की है, यह सदन संचालन नियमों में नहीं है। मैं माननीय सदस्य का सम्मान करता हूँ यह नियम 300 में नहीं आता है।

डा0 विनोद तिवारी–

मान्यवर, तारांकित प्रश्न के बारे में कोई जवाब नहीं आया है।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत अभी औचित्य का प्रश्न लाया गया है जो तारांकित प्रश्न संख्या-12 में है। तो मैं इसमें यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि संविदा पर कार्य कर रहे लोगों का शोषण हो रहा है। मान्यवर, इसी पर माननीय सदस्य तिवारी जी ने आपके समक्ष औचित्य का प्रश्न उठाया है। मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है उस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि यह प्रश्न 25 जुलाई, 2002 को शासन को गया और आज उत्तर आ रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। शासन की नीति है कि नयी भर्तियां न की जाय और उनकी जगह पर संविदा पर रखकर काम चलाया जाय। यह कार्मिक विभाग का शासनादेश है। ऐसे प्रश्न का यह उत्तर आना कि सूचना एकत्रित की जा रही है यह उचित नहीं है, निश्चित तौर पर यह औचित्य का प्रश्न बनता है। यह इस सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित है और संविधान के जो उपबन्ध हैं उसके तहत आता है। इस पर आपकी कृपापूर्ण निर्देश होना चाहिये। जो जनहित के प्रश्न हैं, जो सदन के माध्यम से उठाकर जनहित की समस्याओं को हल करने के लिये उठाये जाते हैं उनका उत्तर सही ढंग से आना चाहिये। 25 दिन हो गये हैं और उत्तर आ रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। शासन का शासनादेश लागू है तो इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि संविदा के आधार पर काम करा रहे हैं। इसका जवाब सूचना एकत्रित की जा रही है ? यह नहीं होना चाहिये। इसलिये यह औचित्य का प्रश्न बनता है। इसलिये शासन को निर्देश दें कि प्रश्नों का गम्भीरता से उत्तर दिया जाय। सरकार को इसका स्पष्ट उत्तर देना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस ओर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

*श्री अंबिका चौधरी–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री का रुख हमेशा नकारात्मक होता है। इस सदन के सभी सदस्यों के अधिकार समान हैं प्रश्न पूछने के बारे में लेकिन सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन होता है। संसदीय कार्य मंत्री जी इसका संज्ञान लें। उधर के माननीय सदस्य ज्यादा जोर से अपनी बात नहीं कह सकते, उनकी सीमायें हैं इसलिये उनको संरक्षण दिया जाय और उन निरीह लोगों पर आप कृपा करें।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, हमारे गठबन्धन के सहयोगी सदस्यों के दुख के बारे में चौधरी साहब को आभास हो रहा है और इनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि इनके दुख को दूर करने के लिये वहां से हटकर यहां आकर बैठें निश्चित तौर पर मदद हो जायेगी।

श्री अम्बिका चौधरी–

हम स्वागत करते हैं। हम आपके यहां बैठने का इंतजाम करके उनकी इच्छा जल्दी पूरी करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी की सूचना पर जो माननीय बाजपेयी जी ने विचार रखे हैं मैंने उस सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है।

नियम 311 की नियम 56 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 311 के अन्तर्गत 9 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं।

मुख्यमंत्री को सदन में बुलवाये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

*श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, 311 की सूचनायें लेने के पहले मुझे सुन लें। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

आपने मेरी बात अभी सुनी नहीं और उसके पहले आप व्यवस्था का प्रश्न उठाने लगे।

श्री अवधेश प्रसाद–

मैं उस पर नहीं कह रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

दूसरे विधायक भी इसी में बोलना चाहते हैं। इसके पहले मैं व्यवस्था के प्रश्न पर अवधेश जी को अनुमति देता हूँ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आपने व्यवस्था पर बोलने का मौका दिया। नियम 311 पर जो सूचना आज लेने जा रहे हैं वह बहुत ही दुखद और महत्वपूर्ण है। किसानों पर गोली चली है। आपके माध्यम से मैं आदरणीय सदन में निवेदन करना चाहता हूँ इसमें दर्जनों लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री जी गृहमंत्री भी हैं उनको बुला लें, जिससे जो बातें कही जाएं उसको बड़ी मजबूती के साथ सही ढंग से उस पर बताने का वह काम करें। आप आदेश दें, निर्देश दें। मुख्यमंत्री जी वह गृहमंत्री भी हैं वह आ जाएं।

नियम 311 की नियम 56 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

यह नियम 311 के अन्तर्गत 9 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं यह नियम 56 में स्वीकृत हुई हैं। मैं नाम पढ़े देता हूँ। श्री छोटेलाल, श्री शिव पाल सिंह यादव, श्री अम्बिका चौधरी, श्री राम विशुन आजाद, श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री उदयराज, श्री राम लाल अकेला एवं श्री अवधेश प्रसाद।

श्री जगदम्बिका पाल–

इस पर अन्य माननीय सदस्य भी जो बोलना चाहें उनको अनुमति दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

राकेश सचान जी याचिका प्रस्तुत करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत घाटमपुर क्षेत्र के भीतर गाँव तिवारीपुर इटहरा बिरहर मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री विजय यादव आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

*श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत घाटमपुर क्षेत्र के भीतरगाँव से तिवारीपुर, उदईपुर, गुगुरा, बेरी खेड़ा, इटहरा-बिरहर मार्ग लगभग 6 कि0मी0 का निर्माण कराये जाने विषयक श्री विजय यादव तथा श्री आर0 डी0 कुरील, निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद कानपुर नगर के घाटमपुर क्षेत्र के भीतरगाँव-खदरी धरमपुर बम्बा मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री आर0 डी0 कुरील आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं आपके अनुमति से जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत घाटमपुर क्षेत्र के ग्राम भीतरगांव से खदरी सतरोहली पड़री से धरमपुर बम्बा मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री आर0 डी0 कुरील तथा श्री विजय यादव निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने दिनांक 17 अगस्त, 2002 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :--

1. दिनांक 19-8-2002 को वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान के उपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार एवं उसके पारण की मदें रखी जायें।

2. दिनांक 20-8-2002 को वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान के उपरान्त उत्तर प्रदेश ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 पर विचार एवं उसके पारण की मदें रखी जायें।

3. दिनांक 21-8-2002 को वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक के अनुदानों की माँगों पर चर्चा एवं मतदान के उपरान्त भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार एवं उसके पारण की मदें रखी जायें।

4. विधान सभा के वर्तमान सत्र का दिनांक 19 अगस्त से 7 सितम्बर, 2002 तक का शेष कार्यक्रम पूर्ववत् रखा जाय।

नोट :--†छापी नहीं गयी।

नोट :--*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 के पुर:स्थापन पर आपत्ति

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैं मान्यवर, इसमें कुछ कहना चाहता हूँ। आप सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

अभी मंत्री जी को रख लेने दीजिये। फिर बोलिये। मैं आपको अवसर दूँगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर,गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को यहाँ पुर:स्थापित करने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय खुल रहा है इसका मैं स्वागत करता हूँ और समझता हूँ कि प्रदेश के सभी वासी भी इसका स्वागत करेंगे लेकिन वह अपने प्रकार का एक अनुठा विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं। यह विश्वविद्यालय सरकार नहीं खोलेगी। यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के माध्यम से इस विश्वविद्यालय को खोला जायेगा। वह इसके लिये धन की व्यवस्था करेंगे और वह इसको चलवायेंगे। मान्यवर, अभी तक जितने विश्वविद्यालय खोले जाते थे सरकार खजानों से धन देकर स्वायत्तशासी संस्था बनाकर खोले जाते थे। यह तो उसी तरह से हो रहा है जैसे कोई प्राइवेट संस्था इन्टरमीडिएट खोलती है। यह किसका रहेगा ? सरकार का कि ग्रेटर नोएडा या विकास प्राधिकरण का, पहली आपत्ति तो मेरी यही है। दूसरी आपत्ति यह है कि आप विधेयक में देखिये, आपके पास होगा। इसमें देखें धारा-6 में लिखा है कि विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिये होगा भले ही वह किसी वर्ग, मत के हों। प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय में शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये 23 प्रतिशत सीट, अनुसूचित जनजाति के के छात्रों के लिये 2 प्रतिशत सीट और अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों के लिये 25 प्रतिशत सीट का आरक्षण रखा है। मेरी आपत्ति यह है कि जो आरक्षण की व्यवस्था है उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं विरोध यह कर रहा हूँ कि यह नियमों में काट-छाट करके जनतांत्रिक व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं। अभी तक पिछड़े वर्गों का 27 प्रतिशत आरक्षण है यह उसको घटाकर 25 प्रतिशत कर रहे हैं और अनुसूचित जाति का 22 प्रतिशत है उसको बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर रहे हैं। पिछड़े वर्गों का दो प्रतिशत घटाकर 27 से 25 प्रतिशत कर रहे हैं यह बड़ा अन्याय होने

नोट :--*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जा रहा है, इसलिए मैं इस पर आपत्ति करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप संसदीय कार्य मंत्री से कहें कि यह विधेयक को पुरस्थापित न करें।

*श्री शारदानन्द अंचल–

विधेयक का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि 27 प्रतिशत पिछड़े वर्ग का जो होना चाहिए उसकी जगह 25 प्रतिशत कर दिया गया है पूरे प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के अधीनस्थ विद्यालय हैं नई संस्था बनाकर अपनी जेब की व्यवस्था की जा रही है जिस तरह से अम्बेडकर उद्यान हैं और संस्थायें हैं उसी तर्ज पर नई संस्था बनाकर जेब की संस्था बनाने की साजिश की जा रही है इसमें सरकार का या विकास प्राधिकरण का धन व्यय होगा और यह एक प्राइवेट संस्था होगी, इसलिए विधेयक का विरोध किया जा रहा है।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, हम इस विधेयक का स्वागत करते लेकिन इस विधेयक से जो गंध आ रही है कि पिछड़े वर्ग को 27 फीसदी न करके 25 फीसदी समावेश किया जायेगा, जबकि पिछड़े वर्ग के लिए इनकी आबादी के अनुसार 54 फीसदी आरक्षण होना चाहिये मेरे इस सुझाव को सम्मिलित कर लें।

श्री सुखदेव राजभर–

मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित कर रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

अभी तो अनुज्ञा मांग रहे हैं।

श्री सुखदेव राजभर–

इस संदर्भ में इतना कहना था कि पारण विचार जब होगा उस समय संकल्प या संशोधन जो होगा आ जाएगा।

उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्व विद्यालय विधेयक, 2002†

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

जो आपत्ति आ गई है उस पर अपने विचार रखें फिर अनुज्ञा मांगे।

(व्यवधान)

श्री शारदा नन्द अंचल–

इस पर मतदान करा लें।

नोट :–*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–†दिनांक 9-9-2002 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अधिष्ठाता–

जो आपत्ति है इस पर कुछ कह दें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

अनुज्ञा मांगी गई अनुज्ञा दी नही गई।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कोई आपत्ति उठा दी तो उसका जवाब देंगे फिर अनुज्ञा मांगेंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

अनुज्ञा मांग ली गई उस पर आपत्ति आ गई अब आप प्रश्न उपस्थित करें, मतदान करा दें।

श्री अधिष्ठाता–

आपने आपत्ति उठाई, आपत्ति पर बोलने दीजिए।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

आपत्ति का उत्तर उन्होंने नहीं दिया वह बैठ गये, अनुज्ञा मांग ली गई आप अब प्रश्न उपस्थित करें सदन अनुज्ञा देता है या नहीं।

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर देने को मैंने कहा है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

आप जबरदस्ती बुलवाना चाहते हैं आप प्रश्न उपस्थित करें।

(व्यवधान)

श्री सुखदेव राजभर–

शुरू में माता प्रसाद पाण्डेय जी ने शारदानंद अंचल जी ने आपत्ति उठाई मैं कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

आपने अनुज्ञा मांगी फिर बैठ गए।

श्री अम्बिका चौधरी–

अनुज्ञा मांग ली गई है कार्यवाही देख लें।

(व्यवधान)

(इस समय 1 बजकर 20 मिनट)

श्री सुखदेव राजभर–

यह विधेयक लाया जा रहा है। इस विधेयक में केवल एक बिन्दु पर आपत्ति आयी कि जो आपने आरक्षण का नार्म बनाया है वह ठीक नहीं है। बाकी सभी मान रहे हैं कि यह विधेयक अच्छा है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, जब अनुज्ञा मांगी है तो प्रश्न उपस्थित करायें।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर [x x x]सदन में एक यह एक इतिहास बन जायेगा।

श्री सुखदेव राजभर–

इतिहास बन रहा है। इसमें यह कहा गया कि जो नार्म बना है वह ठीक नहीं है। किसी ने 54 फीसदी तो किसी ने 27 फीसदी की बात कही। मैंने शुरू में ही कह दिया था। यह विश्वविद्यालय में प्रवेश का नार्म है कोई नौकरी का मामला नहीं है। इसमें एक व्यवस्था की गयी है इसको स्वीकार कर लेना चाहिए था। इसका मैंने पहले भी उत्तर दे दिया था अब जब यह इन्ट्रोड्यूस हो गया है तो उसे आ जाने दीजिये। विचार और पारण में इसे आ जाने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं माता प्रसाद पाण्डेय जी से एक बात कहना चाहता हूँ। आप इस पीठ की मर्यादा को जानते हैं और मेरे व्यक्तिगत जीवन से आप परिचित हैं। यह सच्चाई है कि जब आपने आपत्ति उठायी थी तो मैंने यह उचित समझा कि आपत्ति का उत्तर आ जाने दूँ। अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, कभी-कभी [x x x] आश्चर्य होता है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी–

पीठ से मान्यवर, निर्देश आ गया कि नहीं की संख्या ज्यादा है।

श्री अधिष्ठाता–

हां की संख्या अधिक है इसलिये अनुज्ञा दी गयी।

श्री अम्बिका चौधरी–

आपने वास्तविक संख्या के आधार पर निर्णय लिया है। हम आपके आभारी हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है मान्यवर कि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अनुज्ञा लिये जाने का जो प्रस्ताव रखा गया है कम संख्या होने के नाते गिर गया है इसलिए सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिये। जो संसदीय परम्परायें हैं, सरकार द्वारा रखा गया अनुज्ञा मांगने का प्रस्ताव अगर वह गिर गया है इसलिए सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिये।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

यह हां की संख्या अधिक थी।

श्री अम्बिका चौधरी–

आप मान्यवर सरकार को निर्देशित करें चूंकि उनकी संख्या अल्पमत में है।

श्री अधिष्ठाता–

संख्या बहुत अधिक है।

श्री अम्बिका चौधरी–

इसलिये तत्काल इस्तीफा दे दें यह निर्देश आप देने का काम करें।

(व्यवधान)

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं अपनी बात कह रहा हूँ मेरी बात सुन लें। संख्या हां की अधिक है और यहां भी देख लें संख्या अधिक है इस नाते अनुज्ञा दी गयी।

श्री अम्बिका चौधरी–

प्रश्न उपस्थित किये जाने के समय संख्या कम थी ना की संख्या ज्यादा थी।

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप कृपया प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली का विनिश्चय का भाग देखने का कष्ट करें।

298-विनिश्चय (1) मत आवाजों द्वारा या विभाजन द्वारा लिए जा सकेंगे और यदि कोई सदस्य ऐसा चाहेंगे तो विभाजन द्वारा लिए जायेंगे। आपने बहुत कृपा पूर्वक विभाजन की आवाज के द्वारा लिया और हम लोगों की आवाज में कोई दम नहीं होता पर जब आप कुछ कह देते हैं तो निर्णय होता है आपने कह दिया कि नहीं की संख्या अधिक है। पांच मिनट के लिए आप सदन को स्थगित कर दें। तो यह विधेयक दुबारा पुर:स्थापित नहीं करा सकते हैं। पुन: कार्य मंत्रणा समिति में जाना पड़ेगा। जब जायेगा तो पुरानी सरकार में नहीं, नयी सरकार में जायेगा। मान्यवर, यह बहुत ही तकनीकी और गम्भीर प्रश्न है आप यहां पर खड़े होकर कह दें कि आपने यह नहीं कहा था कि नहीं की संख्या ज्यादा है। मान्यवर, सरकार आती हैं जाती हैं लेकिन हरीशजी का वचन कभी डिग नहीं सकता है जो आपने वचन दे दिया वह अपने स्थान पर रहेगा। हो सकता है कि आप कहीं किसी पीड़ा से कह गये हों मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। आप एक युधिष्ठिर हैं। जब आपने कह दिया है तो अब यह विधेयक पुर:स्थापित हो नहीं सकता है। अब यह कार्य मंत्रणा समिति में जाना चाहिये। पुन: मतदान हो अन्यथा इस नियमावली को मान्यवर आप निरस्त कर दें। अन्यथा अगर इसे पालन करना है तो जो आपने कहा है उस पर दृढ़ता दिखाइये, इतिहास में आपका नाम अजर अमर हो जायेगा। आप कार्यवाही निकलवाकर दिखवा लीजिए अगर उसमें नहीं है तो हम सब को कष्ट होगा। मान्यवर, सरकार तो सही जवाब देती नहीं अब आपकी तरफ से एक सही निर्णय आ

नोट :--*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है। मेरा अनुरोध है कि जो आपने कहा है उस पर आप कायम रहिये। सत्ता पक्ष पर्याप्त संख्या बल जुटाने में असफल रहा है इसलिए इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने प्रमोद कुमार जी को सुन लिया। मैंने यह कहा था कि 'हाँ'की संख्या अधिक है और उसके अनुसार अनुज्ञा मैंने दी।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, अनेक बार इस सदन में ऐसे अवसर आये हैं जब सरकार की ओर से जवाब देते समय गलत बयानी की गयी है। बात कुछ होती है और मंत्री लोगों का बयान कुछ होता है। लेकिन पीठ की ओर से जो कहा जाय उसकी बहुत गम्भीरता होती है। यहां सरकार अल्पमत में थी और 'नहीं'की संख्या अधिक थी, 'नहीं' की संख्या अधिक की बात आपने स्वीकार किया उसके बाद अगर उनकी संख्या ज्यादा हो गयी हो तो उसका संज्ञान न लें। आज यह विधेयक पुर:स्थापित नहीं हो सकता। इनको अल्पमत में होने के कारण इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने अनुज्ञा दे दिया है इसलिए पुर:स्थापित करेंगे।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कार्यवाही मंगवाकर देख लिया जाय। हम जानते हैं कि इधर से 'नहीं' इतनी जोर से बोला गया कि आप भी एक मिनट के लिए शान्त हो गये। आपको लगा कि इधर संख्या ज्यादा है मान्यवर, आपकी बात पत्थर की लकीर होती है। आप अपने निर्णय को पुन: नहीं बदल सकते हैं, चाहेंगे तो भी नहीं बदल सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने निर्णय दे दिया है।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को पुर:स्थापित करता हूँ।

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 19 अगस्त, 2002 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं को शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना ले रहा हूँ।

श्री जगदम्बिका पाल–

अधिष्ठाता महोदय, आज जो प्रश्न कार्य स्थगन का है जिसमें आपने अनुज्ञा दी है वह मैं समझता हूँ कि कल की बाराबंकी की दुखद घटना के लिए कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार नहीं है, कोई छात्रसंख्या, संगठन या संस्थाओं द्वारा कोई नेतृत्व नहीं किया जा रहा था। मान्यवर, पूरे प्रदेश में पिछले एक डेढ़ माह से असुरक्षा की भावना गांवों में पैदा हो गयी है जिसके समाधान हेतु शासन

या प्रशासन ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है और बेगुनाह किसान मारे गये हैं फायरिंग से। मान्यवर, 3-4 दिन पहले भी वह थाने गये थे। वह मुंहनोचवा, बाबरिया और कच्छा बनियान के आतंक से परेशान थे। तो जिस तरह की घटना बाराबंकी में हुई है। अपनी समस्याओं से त्रस्त किसान केवल अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे अगर कदाचित प्रशासन ने विवेक से कार्य किया होता, और उनकी बातों को गम्भीरता से लेकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया होता तो आज जो तमाम लोग घायल हैं, जो अस्पतालों में है, जिनकी मौतें हो चुकी हैं वह सब नहीं होता। अधिष्ठाता महोदय, आज उत्तर प्रदेश में जुनूनी हद तक अफवाह फैल चुकी है। आज चाहे लखनऊ हो, बाराबंकी हो, सीतापुर हो, हरदोई हो, मऊ हो, सभी जगह आज डेढ़ माह से इस तरह की अफवाहें हैं। बावरिया गिरोह के द्वारा, कच्छा बनियान गिरोह के द्वारा लोगों की हत्यायें हो रही हैं, उनके लिए सीधे-सीधे प्रशासन जिम्मेदार है। आज तक शासन की ओर से विरोधाभासी बयान ही आया है। लखनऊ के एस0एस0पी0 ने बयान दिया कि मुंहनोचवा कोई चीज नहीं है। पतंग दिखाकर कह देते हैं कि यही असली मुंहनोचवा है, जो पकड़ा गया। फैजाबाद के डी0आई0जी0 ने कहा कि यह राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा बनाया गया रासायनिक कीड़ा है, जिसे छोड़ा जा रहा है। यह कौन सी सरकार है। डी0आई0जी0 अलग बयान दे रहे हैं, लखनऊ के एस0एस0पी0 उसे गुब्बारा और पतंग बता रहे हैं। इस तरह के विरोधाभासी बयानों के चलते जनता के समक्ष इतना बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। आज कई लोगों की जानें चली गयी। इसके पूर्व भी अनेक घटनायें हुई। किसान बैठक करके शान्तिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर लाठी चार्ज की गयी, यह विवेक का निर्णय नहीं है। लखनऊ की राजधानी में बैठे सारे मंत्री सो रहे हैं, सारी जनता रातभर जागती रहती है कि कदाचित कहीं भी, कोई भी घटना हो सकती है।

शासन की तरफ से जवाब नहीं आयेगा, कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, पूरा प्रदेश असुरक्षा के वातावरण में जी रहा है। मैं बम्बई में था, वहां मुझसे पूंछा गया कि मुहनोचवा क्या है, लोग हंस रहे थे कि यह कौन सी सरकार है जो इसका उत्तर नहीं दे पा रही है। आज तक शासन प्रशासन कुछ खोज नहीं पाया है। अच्छा यह होता कि जो घटनायें हो रही हैं, सबसे प्राथमिकता के आधार पर उस पर कार्यवाही होती। जो किसान मरे हैं उनके परिवार को देखने शासन का एक भी मंत्री नहीं गया। उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी। आज भी उनके खिलाफ मुकदमा चलाये जा रहे हैं। जो अपनी न्यायोचित मांग कर रहे थे उनको मार कर प्रशासन ने आज हत्या की है, कानून और व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ नहीं की है। सूखे में राहत कार्य नहीं हो रहा है, अघोषित बिजली कटौती हो रही है, लोग सड़कों पर आने के लिये विवश हो रहे हैं। आज उन्हें शासन और प्रशासन द्वारा ढाढस देने के बजाय, अथवा प्रभावी कार्यवाही करने के बजाय, उनकी आवाज को लाठी से बंद करने, फायरिंग करके बंद करने की कोशिश की जा रही है। मान्यवर, केरल में किसानों के ऊपर पिल्लई थाने की पुलिस ने फायरिंग की थी, जिस पर वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, इसी केरल की घटना की तरह बाराबंकी की यह घटना हुयी है, वहां केवल ग्रामवासी थे, उनकी किसी राजनीतिक आन्दोलन की पृष्ठभूमि नहीं थी। मान्यवर, इस सरकार की मुख्यमंत्री को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिये। वह लोग केवल अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे, आज ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी हैं कि लोगों को सड़को पर आने के लिये विवश होना पड़े और प्रशासन संवेदना शून्य होकर अविवेकपूर्ण प्रशासनिक कार्यवाही करे, यह अत्यन्त निन्दनीय है। यह अत्यन्त लोक महत्व का मामला है।

(सदन की विद्युत् चली जाने के कारण एवं माननीय सदस्यों द्वारा बीच में शोरगुल के कारण व्यवधान)

आज उत्तर प्रदेश का सदन जनरेटर से चलाया जा रहा है। अगर हम विधान सभा में निर्बाध विद्युत् आपूर्ति नहीं दे सकते तो फिर पूरे प्रदेश की स्थिति को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। इस तरह की प्रदेश की ज्वलंत समस्यायें है, इस स्थिति में यह विषय अत्यन्त तात्कालिक, अविलम्बनीय है, इसे कृपया कार्यस्थगन के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें।

*श्री छोटे लाल यादव–

मान्यवर, पिछले हफ्ते सदन के अन्दर 17 अगस्त को श्रीराम गोविन्द चौधरी ने मुंहनोचवा की ज्वलंत समस्या पर प्रश्न उठाया था और सामने सरकार में बैठे लोग हंस रहे थे, चुटकी ले रहे थे। पूरा प्रदेश आज सूखे से ग्रस्त है। बाराबंकी जिले में महीनों से गरीब, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित लोग सो नहीं पा रहे हैं जबकि कल फैजाबाद के डी0आई0जी0 ने प्रेस के सामने यह कहा है कि विदेशों से मुंहनोचवा जैसे शरारती तत्व आये हैं और उनकी रोकथाम के लिये मैं प्रयास करूंगा। मान्यवर, सामने सरकार बैठी है और ऐसे महत्वपूर्ण समस्या पर उसने कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई। इसी के कारण कल बाराबंकी जनपद के असन्द्रा थाने के अन्तर्गत गांव के किसान मजदूर जो रातों-रात सो नहीं पा रहे थे, थाने पर गये थे, न उनके साथ कोई राजनैतिक दल का नेता था। वह लोग अपनी सुरक्षा के लिये मांग कर रहे थे लेकिन थाने के अधिकारियों ने उनकी बात सुनने के बजाय उन पर सीधे गोलियां चलाई, न उनको पहले से कोई चेतावनी दी गई, इस कारण 13 लोग घायल हो गये और राम सुमिरन रावत नाम के नौजवान की घटनास्थल पर मौत हो गई। उत्तर प्रदेश की नेता सदन मायावती जी दलितों के प्रति बहुत हमदर्द हैं और वहां धरना-प्रदर्शन करने वाले लोग भी इसी जाति-बिरादरी के थे। इस घटना में 7 लोग उनमें के घायल हुये हैं। मैं इनके नाम यहां रखना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं उन लोगों के नाम आपके सामने रखना चाहता हूं जो अनुसूचित जाति के हैं, जिनकी जान पर बन आयी है और जिनकी हत्या कर दी गयी है। मान्यवर, रमेश पुत्र फकीरे चमार, राजा राम रावत, मुन्ना व रावत, भगवन्त लाल शर्मा, पंडित महराज बख्श, अरविन्द रावत और राम सुमिरन। इसमें राम सुमिरन की मृत्यु हो गयी है। इसके अलावा दो अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति अतीक अहमद तथा मो0 रफीक एवं किरन बहादुर, संजय सोनी, ये सभी लोग घायल हुए हैं। मान्यवर, ये सभी व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस गस्त के लिए निवेदन करने गये थे लेकिन उन पर बिना किसी वजह के गोली चला दी गयी। इसमें से चार लोग ऐसे हैं जो जीवन-मौत के साथ लखनऊ मेडिकल कालेज में आ गये हैं। इसलिए मैं ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार जो आपके सामने, हमारे सामने बैठी है। यह गरीबों के प्रति उदासीन है, गरीबों के प्रति इनका यह ढकोसला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोकमहत्व के इस प्रश्न पर, ऐसी घटनाओं पर जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और यह सरकार बैठी है और इस सरकार में बैठे मिनिस्टर देख रहे हैं, मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ऐसे मौके पर भी नेता सदन मौजूद नहीं है जो दलितों का ढ़िंढोरा पीटती हैं और दलितों के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित रहती हैं। श्रीमन, अभी भी उस क्षेत्र के अन्दर पुलिस दहशत मचाये हुए हैं। पुलिस गश्त के नाम पर गरीबों पर लाठियाँ चलायी जा रही हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि नियमों को निलम्बित करके इस सरकार को इस्तीफा देने के लिए, स्वीकार करें और इस पर चर्चा करायें। इसके साथ ही एक निवेदन यह है कि राम सुमिरन के परिवार वालों को 5 लाख रुपये और अन्य घायलों को एक-एक लाख रुपये की सहायता दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद।

नोट :--*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, पूरे उत्तर प्रदेश में कच्छा-बनियान और मुंहनोचवा गिरोह सक्रिय हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेषकर बाराबंकी, गोण्डा, बहराइच, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर आदि जिलों में जिस तरीके से कच्छा-बनियान और मुंहनोचवा का आतंक व्याप्त है उसके कारण पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता भयमुक्त हो चुकी है। यह सरकार जो नारा दे रही है। अपराध मुक्त, भयमुक्त और न्यायमुक्त समाज का, इस सरकार का यह नारा पूरी तरह से खोखला साबित हुआ है। मान्यवर, बाराबंकी जनपद में थाना असन्द्रा के अन्तर्गत अवस्थी पुरवा, शेषपुर, असन्द्रा, भटिया एवं जरौली, भिरचिहा और जरगावा आदि गांवों में जिस तरह से मुंहनोचवा और कच्छा-बनियान के आतंक से व्याप्त है, महीनों से यह आतंक फैला है। वहां की जनता ने जब सम्बन्धित थाना असन्दरा को सूचना दी कि कच्छा-बनियान गिरोह के कुछ सदस्यों ने फायर किया है, इसकी सूचना टेलीफोन पर भी दी गयी लेकिन थाने की पुलिस मौके पर नहीं गयी। इसके बाद प्रात: काल 10 बजे 18 तारीख को मिरचिहा, बहादुर पुरवा, अवस्थी पुरवा, आदि के जो ग्रामीण थे, इकट्ठा होकर जाते हैं और थानाध्यक्ष से बात करते हैं, जवाब देना तो दूर, ग्रामीण जनता के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया गया, उनके साथ अभद्रता का सलूक किया गया। मान्यवर, ग्रामीणों के साथ किसी पार्टी का कोई नेता भी नहीं था, केवल ग्रामीण लोग थे। ग्रामीणों ने थाने के सामने धरना दिया और घेराव किया, उनकी मांग केवल यह थी कि जिलाधिकारी महोदय जब आयेंगे तभी वह आन्दोलन को समाप्त करेंगे, प्रदर्शन को समाप्त करेंगे, लेकिन वहां की पुलिस ने जिस तरह से भीड़ के ऊपर लाठी चार्ज किया जिसकी वजह से वहां के ग्रामीण उत्तेजित हो गये और थाने के अन्दर जाने का प्रयास करने लगे।

मान्यवर, वहां की पुलिस ने वहां के उप जिलाधिकारी को बुलवा करके लाठीचार्ज करवाई, जिससे मान्यवर, राम सुमिरन बाबा नाम के आदमी के सीने में गोली लगती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सरकार, तथा कथित दलितों की सरकार है, जो अपने को कहते हैं कि हम दलित हैं और दलितों को साथ लेकर चलेंगे। मान्यवर, एक दलित की हत्या हुई लेकिन अभी तक सरकार ने घोषणा नहीं की कि हम पांच लाख रुपये उसके परिवार को देंगे, दोषियों पर हरिजन ऐक्ट का मुकदमा चलायेंगे। मान्यवर, उस दलित की हत्या उप जिलाधिकारी द्वारा करवाई गई, इसलिए मान्यवर, उनके ऊपर हरिजन ऐक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिये। मृत्यु हुई है जिसकी उसके परिवारजनों को पांच लाख रुपया दिया जाय और उसी तरह से जो लोग करीब 8-9 लोग मेडिकल कालेज, बलरामपुर में भर्ती हैं, उनको भी हर्जाना दिया जाय। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर एक घण्टे की चर्चा कराई जाय जिससे यह सिद्ध हो जाए कि सरकार बेलगाम हो चुकी है और कानून व्यवस्था लुंज-पुंज हो चुकी है।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी एक दिन पहले ही बाराबंकी में गोली चली है, कल ही गोली चली है। मान्यवर, अभी 24 घण्टे नहीं हुए हैं, एक किसान मारा गया है और करीब 50 लोग घायल हो गये हैं। मान्यवर, नियम 56 और 311 की सूचना के लिए दो बातें आवश्यक हैं, एक तो वह अविलम्बनीय हो और दूसरे लोक महत्व का हो, तो मान्यवर, अभी इस घटना को 24 घण्टे नहीं हुए हैं इसलिए यह अविलम्बनीय है और दूसरे पुलिस द्वारा गोली और लाठीचार्ज की गई है जिससे एक

व्यक्ति की मृत्यु हुई और मारा गया व्यक्ति कोई अपराधी नहीं किसान है इसलिए यह लोक महत्व का भी है। अतः मान्यवर, सदन की कार्यवाही रोककर अविलम्बनीय और लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराई जाय, क्योंकि इससे ज्यादा उपयुक्त और कोई समय नहीं हो सकता जिस समय इस पर चर्चा कराई जा सके। मान्यवर, विषय सभी माननीय सदस्यों ने रख दिये हैं उसको दोहराकर आपका और सदन का समय नहीं लेना चाहता। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा कारण है कि आज गांव के रहने वाले किसानों को खेतों में काम नहीं करना पड़ रहा है थानों में फरियाद लेकर पहुंचना पड़ रहा है। यह बाराबंकी में ही नहीं हो रहा है और जिलों में भी हो रहा है। उनका डर और आतंक जायज है। बाराबंकी से सटे हुये फैजाबाद जिले में एक गैंग ने पूरे परिवार का सफाया कर दिया। होना तो यह चाहिए था कि वरिष्ठ पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी फैल रहे अफवाहों पर रोक लगाते लेकिन वरिष्ठ अधिकारी खुद वैज्ञानिक शोध करके उसके बारे में बता रहे हैं। कोई बताता है कि विदेश से आये हुये उपकरण हैं, कोई कहता है कि शरारती तत्व यह कर रहे हैं। जब डी0 एम0 और एस0 पी0 कहते हैं कि उन्होंने मिर्जापुर में अपनी आंखों से देखा है। जनता के मन में भय और असुरक्षा पहले से है। ऐसी ही परिस्थितियां बाराबंकी में पैदा हुई। वहां की जनता यह कहने नहीं गयी थी हमको सुरक्षा दो, वह यह कहने गयी थी कि पुलिस गश्त बढ़ाओ। यह मांग कहीं से अनुचित तो नहीं हो सकती। एक चीज कहना चाहता हूं कि एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसका नेतृत्व असामाजिक तत्व कर रहे थे तो मैं पूछना चाहूंगा कि जो दुःखद घटना हुई उनके ऊपर कौन-कौन से मुकदमें थे, दफायें थी, वह किस थाने के हिस्ट्रीशीटर थे।

मान्यवर, निरपराध किसान मरा है यह गम्भीर प्रकरण है। पुलिस को अपराधियों को मारना है लेकिन पुलिस अपराधियों से भय खा रही है और निर्दोष किसानों के सीने पर गोलियां उतार रही है। मान्यवर, इससे ज्यादा उपयुक्त प्रकरण नहीं हो सकता। इस पर चर्चा करा लेने से आसमान नहीं टूट पड़ेगा। सत्तापक्ष को पूरा अवसर मिलेगा, वह अपना पक्ष रख सकेंगे। मेरी मांग सिर्फ इतनी है कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर जहां मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पुलिस की गोली से एक किसान मारा गया है और 50 घायल हुये हैं, इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय। अभी अमेठी-गौरीगंज क्षेत्र में घटना हुई वहां पर जांच कौन कर रहा है, वही पुलिस जांच कर रही है जो गोली चला रही है, जो अभियुक्त है, जो वादी है। अगर सरकार सचमुच निर्दोष किसान के बहे लहू का हिसाब करना चाहती है और दोषियों को दण्डित करना चाहती है तो इसकी जांच हाईकोर्ट के रिटायर या सर्विंग जज से करायी जाये। काफी करीब से गोली चलायी गयी है जिस पुलिस ने गोली चलायी है अगर वह जांच करेगी तो वह अपने को दोषी नहीं मानेगी। इसलिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच करायी जाये। माननीय अध्यक्षता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराने में विलम्ब हो सकता है। बाराबंकी यहां से आधे घण्टे का रास्ता है। अपने नेतृत्व में विधान सभा सदस्यों की एक सर्वदलीय समिति बना दें और आपकी अध्यक्षता में बाराबंकी चली जाय और आज शाम तक, सदन उठने से पहले सदन को अवगत करा दें कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है। अगर इसमें न्याय करना है तो निश्चित रूप से माननीय सदस्यों की समिति बनायी जाये। इसमें या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच करायें या माननीय सदस्यों की समिति बना दें। जो निर्दोष किसान मरा है सरकार उसको रु0 5 लाख तत्काल दे जो घायल हुये हैं उनका उपचार कराया जाये। उनके ऊपर कौन सा मुकदमा था। मैं सदन को यह बात बता देना चाहता हूँ कि निरपराध किसानों को मारे जाने के प्रकरण को विपक्ष सहजता से नहीं लेगा जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता है।

श्री अवधेश प्रसाद--

मान्यवर, आज इस प्रदेश की कानून-व्यवस्था जर्जर है। मान्यवर,यह प्रकरण बहुत ही दुखद है, बहुत ही दर्दनाक है और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह आज इस देश के माथे पर कलंक है। मान्यवर, इससे ज्यादा तात्कालिक, इससे ज्यादा लोमहर्षक और इससे ज्यादा हृदयविदारक घटना इस प्रदेश में और क्या हो सकती है ? मान्यवर, कल यह घटना जनपद बाराबंकी के असंधरा थाने में घटी। मान्यवर, वहां के किसान अपनी जायज मांगों को लेकर अपनी जन समस्याओं को लेकर थाने पर गया था कि उन्हें बावरिया गिरोह के आतंक से बचाएं। बावरिया गिरोह के आतंक के भय से उन्हें रात-रात भर जागना पड़ता है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, मुंहनोचवा को लेकर और जब स्थानीय पुलिस ने उनकी इस बात की सुनवाई नहीं की तो हजारों की तादात में पहुंचे लोगों ने कहा कि जिलाधिकारी यहां पर आ जायें जिससे वे उनसे अपनी व्यथा बता सकें। लेकिन वह नहीं आये। मान्यवर, इसका नतीजा यह हुआ कि इससे ऐसे हालात पैदा हो गये एक दर्जन लोगों के सीने पर गोली लगी है। पुलिस की गोली लगने से राम सुमिरन पासवान नामक किसान की मौत हो गयी है। मैं फैजाबाद से आते हुए घटनास्थल पर भी गया था और अस्पताल भी गया था। मैंने वहाँ पर लोगों से बात की। लोगों ने तो यहां तक आशंका ज़ाहिर की कि कम से कम 5 लोगों की मौत हुयी है। सही बात की जानकारी नहीं दी जा रही है। मान्यवर, पुलिस की ज्यादती से आज दर्जनों लोग घायल हैं। कम से कम दो-ढाई सौ लोगों को चोटें आई हैं। मेरी जानकारी है कि किसी भी अस्पताल में इलाज की एक पर्ची तक नहीं बनाई गयी है। मान्यवर, यह सिर्फ बाराबंकी का मामला नहीं है बल्कि यह आज पूरे प्रदेश का सवाल है।

मान्यवर, मेरे जनपद फैजाबाद में 20 दिन पहले अभी ज्यादा दिन नहीं हुए इसी महीने में एक परिवार के 6 सदस्यों की हत्या कर दी गयी। यह मामला मेरे जिले के बजीरगंज का है। इसमें ढाई साल की एक बच्ची भी थी जिसको काटकर बाथरूम में डाल दिया। 11-12 मई को फैजाबाद में दुर्गापुरी में जो शहर में ही आता है में अपराधी आते हैं, और परिवार के 6 सदस्यों को मार जाते हैं। मरने वालों में 12 साल की एक लड़की भी थी। समूचे परिवार को काटकर कमरे में बंद कर दिया जाता है। इसी तरह की एक घटना में अवर अभियंता के घर जो कि जिलाधिकारी के घर के पास ही है के घर में घुसकर 4 सदस्यों को मार दिया गया। मरने वालों में एक लड़की थी को काटकर बाथरूम में डाल दिया। एक लड़का भी था उसका सिविल सर्विस में सेलेक्शन हो गया था को भी मार दिया। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते समय (पृष्ठ 6 पर) कहा था कि अपराधमुक्त समाज रहेगा, भयमुक्त समाज रहेगा लेकिन भयमुक्त और अपराध मुक्त समाज का दावा खोखला है। इससे ज्यादा थोथा नारा और इस सरकार की अक्षमता का क्या सबूत हो सकता है? जहां पर यह घटना घटी वहां पर बिजली की समस्या को लेकर व्यापारी और अन्य लोग जमा हुये थे उसमें एक राजेश गुप्त की पुलिस ने गोली मार कर हत्या कर दी। इसी तरह से सहादत गंज में बबलू यादव की हत्या कर दी गयी लेकिन अपराधी को पकड़ा नहीं गया। पुलिस कहती है कि यह कच्छा बनियान गिरोह का काम हो सकता है। मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार ने कच्छा बनियान गिरोह को इस तरह से हत्यायें करने का लाइसेंस दे दिया है। यह लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं। जो अच्छे पुलिस अधिकारी हैं उनको अच्छी जगह पर पोस्टिंग नहीं दी गयी है जिसका नतीजा यह है कि अव्यवस्था होने के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। अभी इसी सदन में 2 दिन पहले धर्मज्ञ मिश्र जिनका अभाव अभी तक खटकता है उनके बारे में चर्चा हो रही

थी। जब धर्मज्ञ मिश्र बोलते थे तो लगता था कि पूरा सदन बोल रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था, मुंहनोचवा, बिजली की समस्या को लेकर हरदोई में धरना दिया है। धरने में सैकड़ों लोगों को मारा गया। डा0 धर्मज्ञ मिश्र के 22 चोटे हैं और वह आज तक जेल में बंद हैं।

इसमें आपकी पीठ से निदश दिया गया कि डी0 आई0 जी0 और डी0 एम0 को तलब किया जाय। यह जो मुंहनोचवा की बात की जा रही है कल हमारे फैजाबाद के डी0 आई0 जी0 ने यह कहा कि मुंहनोचवा जो है वह विदेशी ताकतें लाकर रात में छोड़ जाती हैं। एक तरफ यह कहा जाता है कि ऐसा प्रचार किया जायेगा तो दंडित किया जायेगा दूसरी तरफ अभी तक इस संबंध में सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। आज कानून व्यवस्था का राज न होकर जंगल का राज हो गया है। हमारी मांग है कि राम सुमिरन पासवान जो हरदोई के हैं उनको 10 लाख रुपये का हर्जाना दिया जाय। जिन लोगों को चोटें आयीं हैं उनको 25 हजार और जिनको गंभीर चोटें आयी हैं उनको 50 हजार रुपये दिया जायं। मैं यह भी मांग करता हूँ कि मुख्य मंत्री जी सदन में आ जायं और इसकी जिम्मेदारी लेते हुये आज इस्तीफा दे दें कि हम यह सरकार नहीं चला पायेंगे। मैं सरकार से इस्तीफा की मांग करता हूँ।

(श्री शिवपाल सिंह का नाम पुकारा गया।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अंबिका चौधरी, श्री राम विशुन आजाद, श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री उदयराज, श्री राम लाल अकेला, श्री अवधेश प्रसाद आदि माननीय सदस्यों के नाम हैं। आप लोग संक्षेप में अपनी बात रखें।

*श्री शिवपाल सिंह यादव–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूँ कि आपने नियम 311 की नोटिस पर, जो महत्वपूर्ण घटना है उस पर बोलने का अवसर दिया। कल असंदरा थाना जनपद बाराबंकी में किसानों पर गोली चलायी गयी और एक किसान की मौत भी हो गई और एक दर्जन से ज्यादा घायल हैं। उसमें से 4 मरणासन्न है। कभी भी मर सकते हैं। मान्यवर, यह कई दिनों से बाराबंकी में कहीं मुंहनोचवा के नाम पर, कहीं कच्छा बनियान के नाम पर, कहीं बावरिया गिरोह के नाम पर हत्याएं हो रही हैं। पूरे प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं। यह सरकार मुंहनोचवा से बावरिया गिरोह के सामने, कच्छा बनियाइन के आगे हथियार डाल चुकी है। कहीं पर न तो मुंहनोचवा पकड़ा जा रहा है, न बावरिया और कच्छा बनियान गिरोह के किसी आदमी को पकड़ा जा रहा है। इस सरकार ने इन आतंकवादियों को खुली छूट दे रखी है। यह सरकार इन डकैतों के सामने बिल्कुल फेल हो चुकी है। आपको भी ज्ञात है कि क्या हो रहा है। अगर सरकार ने इन गिरोहों पर रोक नहीं लगाई तो लखनऊ में सचिवालय के अन्दर भी यह मुंह नोचवा, कच्छा बनियान, बावरिया गिरोह के सदस्य इस सचिवालय के अन्दर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए यह बहुत ही गम्भीर मामला है। मैं जानता हूँ कि अभी जब नोचवा मंत्रियों के घर में आने लगे हैं कोई आम आदमी वहां मंत्रियों के यहां तक नहीं पहुँच सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो मरे हैं, जो घायल हुए हैं उनकी आर्थिक मदद की जाए इसके साथ ही जो कल असन्द्रा थाने के जिन पुलिस कर्मचारियों ने जो किसानों पर गोली चलाई है और किसान

नोट :--*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मारे गए हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और उन अधिकारियों को जेल भेजा जाय। इस लोक महत्व के सवाल पर मैं चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए। यही हमारी मांग है।

श्री उदयराज–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूँ कि नियम 311 की सूचना .....

श्री अधिष्ठाता–

नियम 56 में परिवर्तित हो गई है।

श्री उदयराज–

जो बाराबंकी जनपद के असेन्द्रा थाने में जो घटा उस पर बोलने का अवसर दिया। कल 18 तारीख को बाराबंकी जनपद में असेन्द्रा थाने के अन्तर्गत आस-पास गांवों के लोग जो पिछले कई दिनों से सुरक्षा की गुहार को लेकर जिला प्रशासन से, सम्बन्धित थाने से मांग कर रहे थे कि उनके यहां अपराधी आते हैं, अपराधियों का आतंक है उसको लेकर जब नहीं सुना गया तो कल उस क्षेत्र के ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर वहां के किसान, मजदूर नौजवान वगैर किसी नेतृत्व के वहां धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे थे और जिस तरह से वहां पर पुलिसिया तांडव हुआ वह आपसे छिपा नहीं है। उस पुलिसिया तांडव में जिस तरह से वहां पर राम सुमिरन आदमी मौके पर मारा गया और कम से कम डेढ़ दर्जन लोग बुरी तरह घायल हुए। आज भी बाराबंकी जनपद से घायलों को लखनऊ मेडिकल कालेज भेजा गया है। मान्यवर, यह अत्यन्त निन्दनीय और शर्मनाक बात है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज इस सरकार में बैठे हुए लोगों को इस बात के लिये जरूर सोचना होगा। लगातार यह कहा जाता रहा है। कि पूरे प्रदेश में पुलिस अपराधों को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है।जब इस प्रदेश के लोग जन समस्याओं को लेकर सड़कों पर धरना देने का काम करते हैं, समस्याओं के निराकरण के लिये संघर्ष करने का काम करते हैं, तो उनके साथ जुल्म और ज्यादतियां होती हैं। आज बाराबंकी की घटना आपके सामने है। यह कोई पहली घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बराबर कहती हैं कि हम उत्तर प्रदेश को अपराधमुक्त बनायेंगे, अन्यायमुक्त बनायेंगे। आज सत्ता में बैठे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि 15 दिन के अन्दर 3-3 जगहों पर बड़े पैमाने पर पुलिस ज्यादतियां हुई हैं। हरदोई में धर्मज्ञ मिश्र, हमारे भूतपूर्व सदस्य के साथ किस तरह से व्यवहार किया गया और इसमें संसदीय कार्यमंत्री जी का जो बयान आया था। उन्होंने कहा था कि वहां पर आन्दोलनकारी रेल पटरी को उखाड़ रहे थे। मान्यवर, वहां के समाचार-पत्रों को मंगा कर देखने का काम करें। वहां के रेल कर्मियों ने कहा कि रेल सम्पत्ति को नुकसान करने का कोई काम नहीं हुआ है। 10 तारीख से पहले 8 तारीख को उन्नाव के मुहान थाना क्षेत्र में मुंहनोचवा और बिजली की समस्या को लेकर लोग आन्दोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पर आन्दोलनकारियों को पकड़कर 500 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाये जाने का काम किया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें। बात आ गई है।

श्री उदय राज–

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति के बारे में बहुत ही हमदर्दी की बातें करती हैं। जो व्यक्ति मारा गया है वह भी अनुसूचित जाति का है। कल से लेकर आज तक सरकार पक्ष की तरफ से वहां कोई नहीं गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने की मांग करता हूं और घायलों को इलाज के लिये 2-2 लाख रुपये मुआवजा दिया जाय। यहां के एस0 डी0 एम0 और पुलिस ने गोली चलवाने का काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर बल देते हुए चर्चा की मांग करता हूँ।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह मुंह नोचवा, मुंड़ कटवा और बावरिया यह तीन ऐसी चीजें हैं जिनके नाम से पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश का जन मानस भयक्रांत है। इससे अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न कोई दूसरा नहीं हो सकता है। आप भी पूर्वी जिले के रहने वाले हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी भी उधर के रहने वाले हैं। मान्यवर, बीते जून महीने से मिर्जापुर से यह मुंहनोचवा शुरू हुआ। उस समय जिलाधिकारी ने कहा कि हमने अपनी आंखों से इसको देखा है फिर बाद में उसी सूचना का खंडन किया गया शासन से मान्यवर, इसके बाद मुंड़कटवा अम्बेडकर नगर से पैदा हुआ उसने इतना भय पैदा किया कि भय के आधार पर पागल आदमी जहां घूमते पाए गए उनकी हत्या हो गई, कितनो को मारा गया जिसका मुकदमा अम्बेडकर थाने में दर्ज है जब मुंहनोचवा के भय को दूर करने के लिए बाराबंकी के किसान थाने गए तो पुलिस ने अनायास बिना किसी स्थिति के हत्या कर दी। इसके विवरण में एक बात कहना चाहता हूँ, हो क्या रहा है इस प्रदेश में, डी0 आई0 जी0 ने कहा कि इसमें विदेशी हाथ है, विदेशी ताकतें मुंहनोचवा जो चमगादड़ की तरह का जीव है उसको विकसित करके विदेशी ताकतें छोड़ रही हैं। विदेशी ताकतें लाल किले के प्रहरी की हत्या कराती हैं, पार्लियामेंट पर हमला कराती हैं, विदेशी ताकतें प्रदेश के जनजीवन को भयग्रस्त करती हैं, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस तरह की कोई चीज है अगर डी0 आई0 जी0 ने कहा है, तो उन्होंने बिना किसी आधार के तो कहा नहीं होगा, अपराधियों को पकड़ने के लिए एस0 टी0 एफ0 है, अगर डी0 आई0 जी0 ने चिन्हित किया है तो इनके नेतृत्व में कमेटी बना दें जो मुंहनोचवा और बावरिया का पर्दाफाश करें जो कहा गया है इसका संसदीय कार्यमंत्री जी खंडन करेंगे, लेकिन इसको पकड़ा जाना चाहिए। जब रात में आजमगढ़ की तरफ जाते हैं तो आदमी सोते नहीं मिलते हैं वह लाठी डंडे लिए हुए सड़क पर मिलते हैं सभी गाँव के लोग गाँव में पहरा दे रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिणति है किसान का बेटा मारा गया है संसदीय कार्यमंत्री जी जबान के बहुत संवेदनशील हैं मेरे जिला के रहने वाले हैं जो रामसूजन मारा गया है उसके परिवार को पांच लाख रुपये देने की कृपा करें जिसका समूचा सहारा खत्म हो गया है। तमाम कारण हैं जिसकी वजह से भय व्याप्त है इसमें त्वरित कार्यक्रम चलाकर प्रदेश की जनता के सामने रखें। पुलिस के लोगों ने अकारण गोली चलाई है इन पर 302 का मुकदमा चलाया जाए वरना हमारी मजबूरी है हम आन्दोलन चलाकर इस सरकार को अपदस्त करने का काम करेंगे। इसी तरह के प्रकरण पर माननीय लोहिया जी ने आजादी के बाद अपनी पार्टी की सरकार को इस्तीफा दिलाने की मांग की थी केरल की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था ।

श्रीमन् हमारी मांग है कि पांच लाख रुपया मारे गए किसान के परिवार को और घायलों को एक-एक लाख रुपया देने का कष्ट करें जिन्होंने गोली चलाई है उन पर मुकदमा दर्ज कराकर पुलिस कर्मियों को दंडित करने का काम करें। इससे ज्यादा अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न सदन में कोई प्रश्न नहीं आया इस पर आप चर्चा करायें।

*श्री रामलाल अकेला–

मान्यवर, आपने इस प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपयों की लागत से सड़कों के किनारे बड़े-बड़े बोर्ड लगाए गए कि सरकार भयमुक्त और अपराध मुक्त समाज बनाना चाहती है। बड़े-बड़े नारे बोर्डों पर लिखे गए लेकिन मान्यवर सरकार के काले कारनामें .....

(इस समय 2 बजकर 20 मिनट)

सदन में अनेकों बार उठाने का काम किया है। आज अपराधी तो भयमुक्त हो गये लेकिन समूचा समाज आज आतंक और भय के साये में जी रहा है। आज किसान के मन में भय व्याप्त है। इस सरकार ने पूरी तरह से अपराधियों को भयमुक्त कर दिया है और किसान डरा हुआ है। मान्यवर, जिस तरह से बाराबंकी जनपद के असन्दरा थाने में एक सप्ताह से जो मुंह नोचवा का आतंक था, जिला प्रशासन और थाने ने किसानों को निजात देने का काम नहीं किया तो मजबूर होकर किसानों ने बगैर किसी दल के नेता के, चूंकि किसानों को रात-रात भर जागना पड़ता है और उनके जीवन की सुरक्षा नहीं रह गयी है, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, इसलिए जो आतंक कर रहे हैं, उनको पकड़ा जाय, एकत्र हुए । लेकिन इस लोकतांत्रिक सरकार ने, उस सरकार ने जो जनता के द्वारा चुनी गयी है, उन भूखों और नंगों के ऊपर लाठी गोलियाँ भांजने का काम किया। इससे धिक्कार की बात और नहीं हो सकती है और इसलिए ऐसी सरकार को एक दिन भी बने रहने का अधिकार नहीं है इसको तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी आपने देखा कि हरदोई के अन्दर जिस तरह से किसान अपनी मांग के लिए उतरे थे तो उनके ऊपर भी लाठी बरसायी गयी थी। और बाराबंकी के अन्दर, मुख्य मंत्री अपने आप को दलित प्रेमी बताती हैं, जो मरा है वह भी दलित है, जो घायल हुए हैं वह भी दलित हैं, लेकिन इस सरकार ने वहां पर जाने का प्रयास नहीं किया गया। राम शरण जो मरा है, उसको उसके माँ-बाप ने कितने अरमानों से पालने का काम किया था, लेकिन, आज वह मौत के मुँह में सो रहा है। उसके माँ-बाप ने यह अपेक्षा की होगी कि वह उसकी सेवा करेगा। आज उसके दर्द को नेता सदन को नहीं मालूम होगा इस सरकार को उसका दर्द नहीं मालूम होगा।

मान्यवर, हमारी मांग है उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाय और उन्हें जेल भेजा जाय। हमारी मांग है कि जिस दलित परिवार के बेटे को गोली से मारकर उसे अँधेरे में छोड़ दिया है तो उस परिवार को सहारे के लिए सरकार दस लाख रुपये का मुआवजा देने का काम करे। जो गम्भीर रूप से घायल हैं उन्हें दो लाख रुपये का मुआवजा और जो घायल हैं उन्हें पचास-पचास हजार रुपये का मुआवजा देने का कार्य किया जाय। मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा कि

"पराई पीर का प्याला पीना इन्हें नहीं आया,
इंसानियत का फटा आँचल सीना नहीं आया।
करे बातें भले वह फरिश्तों की तरह,
लेकिन आदमी बनकर जीना नहीं आया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरा

"जुल्म क्यों करते हो, वक्त पलटने की देर है,
पैमाना भर चुका है, बस छलकने की देर है।"

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस महत्वपूर्ण कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर आपने मुझे विचार रखने की अनुमति दी इसके लिए आपका आभारी हूँ। मान्यवर, माननीय सदस्यों ने इस सूचना पर अपने विचार रखे हुये हैं मैं उन तथ्यों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं उसे दोहराकर सदन का मूल्यवान समय नष्ट नहीं करूँगा। मान्यवर, कार्य स्थगन का प्रस्ताव इस सदन में जिन उद्देश्यों के तहत लाया जाता है उनके औचित्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है, कार्य स्थगन इसलिए सिर्फ नहीं लाया जाता है कि उन पर लोगों की पीड़ा कहें, या लालित्य में अपना भाषण रखें और चलें जायें और उस पर सरकार ने कोई निर्णय न लिया हो और उन पीड़ित लोगों को राहत न मिल सके तो फिर इस पर इतना समय जाया हो रहा हो। मुंहनोचवा के प्रकरण पर जिसके कारण कल की घटना घटी है तात्कालिक है। मान्यवर, यह तीसरी बार यह प्रकरण सदन में उठ चुका है माननीय राम गोविन्द चौधरी ने कार्य स्थगन के द्वारा उठाया पूरी गंभीरता से अपनी पूरी बात रखी। दूसरी घटना धर्मज्ञ मिश्र की है। हरदोई में उन पर लाठीचार्ज हुआ 23 लोगों को जेल में भेजने का काम किया गया उसमें भी मुंहनोचवा मुख्य कारण था। उस पर भी सरकार का कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं आया। मैं तो कहता हूँ कि इस पर सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण बना ही नहीं है। एक ओर इस सरकार के अधिकारी मुंहनोचवा को भिन्न-भिन्न रूप में दर्शाने का काम कर रहे हैं। कोई इसका रूप इन्सेक्ट का बताता है कोई सियार का बताता है कोई मशीन के रूप में बताता है मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक मशीन गिरी हुई पायी गयी उसमें लिखा था सूचना विभाग उत्तर प्रदेश । लोग कहते हैं कि यही मुंहनोचवा है। अब तक यह अगर सब अफवाह है तो इसे कौन लोग फैला रहे हैं। या अस्थिर करने की कोई साजिश है। क्या इस बिन्दु पर सरकार कोई निश्चित मत तय नहीं कर पायी है अभी तक । आज इस कार्य स्थगन प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं साफ-साफ यह मांग करता हूँ कि सरकार तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम करे और अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करे कि मुंहनोचवा के बारे में सरकार की अपनी धारणा क्या है ? कोई अधिकारी उस धारणा से परे जाने का काम करता है तो उसको भी देखें। मेरी पहली मांग है कि इस प्रकरण पर अपना पहले स्पष्ट दृष्टिकोण रखें कि सरकार की दृष्टिकोण में मुंहनोचवा क्या है ? कोई इन्सेक्ट है कोई एनीमल है या मशीन है या इनमें से कुछ भी नहीं है एक अफवाह है। इसके बिना लड़ने का उपाय निश्चित नहीं हो सकता है। दूसरे, ग्रामीणों की बात समझने की आवश्यकता थी सुरक्षा दिये जाने की आवश्यकता थी उनके मन में उठी हुई आशंकाओं को दूर करने की आवश्यकता थी । गरीबों का खून गया है, एक दलित की हत्या हुई है इस बलि\की वेदी पर एक दलित शहीद हो गया है उस दलित परिवार को जो मुआवजा देने की मांग थी अन्य घायलों को मुआवजा देने की मांग रखी गयी है पुन: इन मांगों पर मैं बल देना चाहता हूं। आगे एक बात और आयी है नयी बात--एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी ने कही है कि इसमें विदेशी हाथ है। यह नारा कैसा है कहां से चला ? राजनीतिक तौर पर मैं इसको दूसरी भाषा नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन कुछ खास लोगों की ओर इशारा करते हुए, बार-बार किसी खास समुदाय की ओर इशारा करते हुए यह नारा खतरनाक ढंग से चला है। लाखों लोगों की जानें गयीं कई हजार करोड़ों की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है। इतिहास पर कलंक

हुआ है। छोटे-छोटे इशारे कर दिये जाते हैं कि इसमें विदेशी हाथ है। कई बार यह बहस का विषय बना केन्द्र सरकार का यह कहना था कि अमुक काम में विदेशी हाथ है इसमें विदेशी हाथ है, इसमें विदेशी हाथ है इतना गैर जिम्मेदराना बयान देने वाले अधिकारियों के लिये संसदीय कार्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि वे सभी अधिकारी जो अपने गैर जिम्मेदराना बयानों से स्थिति को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं उन पर तत्काल अंकुश लगाने का काम हो अपने अधिकारियों को नियंत्रित करने का काम करें।

मान्यवर, अगर वह बड़ा अधिकारी नियंत्रित होता तो एस.डी.एम. और सी. ओ. की औकात नहीं थी कि वह गोली चलवा दे। इस कार्यस्थगन के माध्यम से उन परिवारों को राहत देने की माँग करता हूँ और इसके पूर्व मैंने जो बात कही है उसी के साथ मैं फिर आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि आंशिक रूप से कभी-कभी हँसी की बात होती थी, हम भी दूसरी तरह से चर्चा कर लिया करते थे लेकिन जो मुँहनोचवा का प्रकरण चला आ रहा है वह कदाचित इस प्रदेश का सबसे गम्भीर प्रकरण हो गया है। ऐसी स्थिति रही तो पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न न हो जाय। इससे अविलम्बनीय लोकमहत्व का दूसरा विषय नहीं हो सकता। मेरा अनुरोध है कि संसदीय कार्य मंत्री औपचारिकता का उत्तर न लायें । यह बहुत ही गम्भीर घटना है इसको कार्यस्थगन के रूप में स्वीकार करें और सदन के सभी कार्यों को रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, दो बातों को लेकर बाराबंकी के इस थाने पर जनाक्रोश, एक प्रदर्शन और धरने के कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। प्रकरण था मुँहनोचवा का प्रकोप और बावरिया गिरोह का आतंक। इन दोनों बातों को लेकर वहाँ कुछ लोग आक्रोशित हुए। मुँहनोचवा के सन्दर्भ में मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस बात को लेकर पूरे प्रदेश में आशंका, भ्रम और आन्दोलन जारी है और तमाम तरह के विचार आ रहे हैं। हमारे पत्रकार भाइयों, अखबारों, समाचारों के माध्यम से या कहासुनी के माध्यम से भिन्न आकृति, भिन्न स्वरूप और भिन्न इन्जरी की सूचना मिल रही है लेकिन आज मान्यवर, इस प्रकरण के साथ में, इस मुँहनोचवा की आड़ में कुछ ऐसी घटेनाओं का भी उल्लेख हुआ है पिता ने बेटे को गड़ासे से मार दिया और थाने में जाकर कहा कि मुँहनोचवा ने मार डाला, अभी 2-3 सदस्यों ने कहा कि फलां को मार डाला और कहा कि मुँहनोचवा ने मार डाला, पत्नी ने पति को पीढ़ा से पीटा और कहा मुँहनोचवा ने मार डाला तो मसला गम्भीर और सही है। हत्या हो तो मुँहनोचवा ने मार डाला, किससे मारा गड़ासे से तो मुँहनोचवा ने मारा, बच्चे की हत्या हुई तो मुँहनोचवा ने मार डाला।

श्री अवधेश प्रसाद –

मान्यवर, एक दर्दनाक घटना हुई है आप मुख्यमंत्री को बुलवाइये।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, यह दलित विरोधी सरकार है।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं इसलिये थोड़ा 2--1 मिनट का समय ले रहा हूं क्योंकि हमारे सभी सम्मानित सदस्यों ने इस तरह भी इंगित किया है इसलिये दो मिनट का समय ले रहा हूँ। मान्यवर, इसका

कुप्रभाव क्या पड़ा मुँहनोचवा का कि तमाम जगहों पर कुछ घटनाओं का स्वरूप बदल दिया जा रहा है और मुँहनोचवा का दावा किया जा रहा है तो यह कुप्रभाव पड़ रहा है। इसकी आड़ लेकर कहीं न कहीं ऐसी गरीब बस्तियों में, अनपढ़ और अशिक्षित किसानों, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं ऐसे लोगों में जाकर उनको आन्दोलन करने के लिए उकसाया जा रहा है अवांछित तत्वों के द्वारा मुँहनोचवा के प्रकरण पर तमाम वैज्ञानिक भाइयों के द्वारा राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर पब्लिक को समझाने की कोशिश की गयी है। यह जो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है इसमें सहयोग करें। इसलिए इस प्रकरण को सरकार ने भी गंम्भीरता से लिया कि जितने भी आन्दोलन प्रदर्शन जहां भी हुए, ज्यादा से ज्यादा, हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों ने इसकी जिम्मेदारी ली है। जो भी भड़काऊ भाषण हुए, इसके लिए सरकार ने कदम उठाये हैं। मीडिया के माध्यम से, बुद्धिजीवी लोगों के समझावे के माध्यम से कि मर्डर को भी मुँहनोचवा बता दिया जाता है। इस पर सरकार पूरी तरह से सचेष्ट हैं और हर प्रकार के भ्रम की स्थिति को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, कि जनता में विश्वास पैदा किया जाये।

आज की घटना के क्रम में मान्यवर, 200-250 आदमी शुरू में पहुँचते हैं। उनकी मांग थी कि गांव-गांव में गश्त बढ़ा दीजिए, हम लोग परेशान हैं। मजिस्ट्रेट और सी0ओ0 ने कहा कि हम पुलिस की गश्त बढ़ा देंगे और जहां पर ज्यादा शंकाएं पैदा हो रही हैं, वहां पर कुछ पी0ए0सी0 को भी तैनात कर दिया जायेगा, और प्रशासन पूरी तरह से मदद करेगा। यह सभी लोग चले जाते हैं। फिर दोबारा मान्यवर, कुछ लोग आये और कहने लगे मान्यवर, कि इस बात को हम नहीं मानेंगे अभी आप व्यवस्था कीजिए थाने पर। उस दिन बाजार का दिन था भीड़ ज्यादा थी। प्रशासन ने कहा कि एक बात हो गयी है हम आपकी मदद करेंगे और समझाने की कोशिश की । तभी कुछ लोग आक्रोशित हो गये, आक्रोशित होने का नतीजा यह हुआ कि थाने के सामने 2 पब्लिक की मोटर साईकिलें खड़ी थीं, वह जनता की थीं। लोकतंत्र में आन्दोलन करने का पूरा हक है लेकिन हम अपनी जिन्दगी बचाने के लिए आन्दोलन करते हैं तो दूसरे की जिन्दगी का भी ख्याल रखना पड़ेगा, दूसरे की सम्पत्ति का ख्याल रखना पड़ेगा। तभी समाज बना रहेगा, समाज की सम्पत्ति बनी रहेगी। मोटर साईकिलें जनता की थीं, उनमें आग लगा दी गयीं। तो भीड़ भड़क गयी, आक्रोश बढ़ गया। यह मानकर चलें कि चाहे कोई भी धरना प्रदर्शन हो कहीं न कहीं कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो चाहते हैं कि इस लड़ाई का स्वरूप बदल जाये। जब मोटर साईकिलें फूँकी गयीं तो हवाई फायर किया गया, और कहा गया कि आगे बढ़ते रहो, जैसे कि मार्च-पास्ट कर रहे हों। ऐसे लोगों को रोकने के लिये लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग किये जाते हैं, पानी के फव्वारे छोड़े जाते हैं, रबड़ की गोलियाँ चलाई जाती हैं, इसका मतलब यह होता है कि पुलिस अब हरकत में आ गई और जब लोग वहां मोटरसाइकिल को फूँके तो उसके बाद ढेला-ईंटा चलाना शुरू किये, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हुये और उनको चोटें आईं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

क्या वहां पानी का फव्वारा चलाया गया अथवा रबड़ की गोलियाँ चलाई गईं , क्या लाठीचार्ज किया गया या आँसूगैस छोड़ी गई। वहां तो सीधे फायरिंग की गई और सीधे-सीधे हत्या की गई। अब आप यह बताइये कि मुआवजा देंगे कि नहीं ?

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा अपने-अपने स्थानों से अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर--व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संसदीय कार्य मंत्री को सुन लीजिये।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्य सदन के वेल में आकर जोर-जोर से अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

(सदस्यों द्वारा वापस न जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

सदन की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित की जाती है।

[व्यवधान के कारण 2 बजकर 47 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिये स्थगित कर दी। 3 बजे डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि माननीय अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 3 बजकर 15 मिनट तक बढ़ा दिया है। 3 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरिश जी' के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुन: आरम्भ हुयी।]

श्री अधिष्ठाता–

श्री संसदीय कार्य मंत्री अपनी बात पूरी करें।

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मंत्री जी से और सरकार से दो-तीन बातें स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ कि एक तो उन दोषी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की घोषणा करते हैं या नहीं और दूसरा सवाल यह कि जो व्यक्ति मरा और जो गम्भीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें 10-10 लाख रुपये हर्जाना देने की घोषणा करेंगे ?

*श्री नारद राय–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बहुत सुना गया, कोई नतीजा तो निकला नहीं। आप घोषणा करें कि दलित परिवार कि लिए आप क्या कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जो व्यक्ति मारा गया है क्या उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास है, अगर है तो बता दें, अगर नहीं है तो उसकी जाँच होनी चाहिए कि किस जगह से उसे गोली मारी गई और जो लोग गम्भीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें कितनी प्राण घातक चोटें आयी हैं, क्या उनका भी कोई आपराधिक इतिहास है ?

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, हो सकता है कि हमारी बातों से आप संतुष्ट न हों, स्वभाविक है। लेकिन मैं अपनी बात बता दे रहा हूँ । घटनाक्रम आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। पहले पब्लिक की दो मोटर साईकिलें फूँकी गयीं, 7 दुकानें थीं उसमें आग लगायी गयी। जहाँ तक आपराधिक इतिहास की बात है जिन लोगों को चोटें आयी हैं या मारे गये हैं। तिवारी जी आप भी सहमत होंगे कि जब कहीं धरना-प्रदर्शन होता है उसमें सभी तरह के लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनका आपराधिक इतिहास है वह नहीं आते हैं । हम राजनीतिक दल के लोग कोई ऐसे लोगों की लिस्ट नहीं बनाते हैं कि कौन से लोग धरना-प्रदर्शन में चलेंगे, कौन नहीं जायेंगे। एक मजमा चलता है। उसमें गरीब-अमीर, सीधे-साधे सभी चलते हैं और दुर्भाग्य से गोलियाँ चलती हैं तो कहीं नहीं देखा जाता है कि इसमें अपराधी कौन है और कौन निर्दोष है। हम लोग भी कोई चिन्हित करके नहीं ले जाते हैं। मान्यवर, आर्म से फायर हुये हैं, 4 लोगों को चोटें आयी हैं, इन्जरी हुई है। उसमें कुछ अवांछनीय तत्व भी हैं। दुकानें फूँकी गयी, मोटर साईकिलें फूँकी गयी, थाने की बाउण्डरी तोड़ी गयी, पुलिस रिकार्ड को तोड़-ताड़कर फेंक दिया गया। वहीं फेमिली क्वार्टर है भीड़ वहां घुसने लगी। मान्यवर, किसी का परिवार हो चाहे पुलिस वाला हो या नेता हो सब की बहु-बेटियाँ बराबर हैं। जब अवांछनीय तत्वों ने फेमिली क्वार्टर की तरफ ललकारा तो दो-एक हवाई फायर किये गये। एक-आध लोगों के पुट्ठे में गोलियाँ मारी गयी। मान्यवर, धरना-प्रदर्शन का यह मतलब नहीं कि पब्लिक की मोटर साईकिलें फूँकें, दूकानें फूँकें, बाजार की दुकानें बन्द करवा दें, जो दुकाने बन्द नहीं हुई उसमें आग लगवा दें।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह गलत बयानी कर रहे हैं। सदन की एक कमेटी बनाकर इसकी जाँच करा लें।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य अपने आसन पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान /शोर)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप लोग आसन ग्रहण करें। मंत्री जी को अपनी बात कहने दीजिए।

(इस समय 3 बजकर 20 मिनट)

(व्यवधान के मध्य)

(श्री राम लाल अकेला, श्री उदयराज, श्री राम विशुन आजाद तथा श्री वसीम अहमद आदि कई सदस्य सदन के वेल में आ गये और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे कि दलित विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया मंत्री जी को बोलने दीजिए।

(व्यवधान के मध्य फ्लोर पर आये हुये सदस्य यह मांग करने लगे कि जब तक यह सरकार मारे गये व्यक्ति को 10 लाख रुपये नहीं देती है तब हम लोग यहीं बैठे रहेंगे।)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ।

[व्यवधान के कारण 3 बजकर 25 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 35 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 3 बजकर 35 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि माननीय अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 3 बजकर 45 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है। 3 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुन: आरम्भ हुई।]

[समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य वेल में आकर बैठ गये और पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, "लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी", "दलित विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी" के नारे लगाने लगे।]

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपने-अपने आसन पर जाएं।

(वेल में उपस्थित सदस्य वे ल में ही रहे निरन्तर नारे लगाते रहे)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन का 15 मिनट के लिए स्थगित कर रहा हूँ।

[व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 3 बजकर 47 मिनट पर सदन की कार्यवाही 4 बजकर 2 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 4 बजकर 2 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुन: आरम्भ हुई।]

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग पहले कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, आज जिस दु:ख और दर्दनाक और शर्मनाक घटना की ओर इस आदरणीय सदन का ध्यान नियम-311 के अन्तर्गत.....

श्री अध्यक्ष–

311 नहीं 56 में।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, जिस घटना की ओर तमाम माननीय सदस्यों ने अपनी व्यथा को अक्षरश: बयान किया और माननीय छोटे लाल जी, उसी क्षेत्र के हैं, वे कल वहां गये थे, उन्होंने सारी बातें कह दी हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से जब संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे थे कोई भी ऐसी बात उनके बयान में, जवाब में नहीं आई। जो भी बातें उन्होंने कहीं सब बातें एकदम सत्यता से परे, झूठी और गलत बयान कीं। जिससे स्पष्ट है कि यह सरकार दलित विरोधी है, किसान विरोधी है और कानून का राज पूरी तरह से खत्म हो गया है।

श्री अध्यक्ष–

यह सब तो पहले बात आ चुकी है।

श्री अवधेश प्रसाद–

हमने निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहां आयें और घोषणा करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री तो कोई घोषणा भी नहीं कर सकते क्योंकि यह घोषणा करने के लिये अधिकृत भी नहीं हैं इनके सामने जायज समस्या है हमनें प्रार्थना की थी कि माननीया नेता सदन, जो दलित की बेटी हैं, दलित के सीने पर गोली लगी है मैं घटनास्थल भी गया था और अस्पताल भी गया था, सीने पर गोली लगी हैं, रबड़ की गोली नहीं चली थी, गरम-ठंडा पानी नहीं बरसाया, सारी गोलियां चली हैं और सारे सीने पर लगी है। मैं मांग करता हूँ कि इस घटना में एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई जाए और मम्बर बोर्ड आफ रेवेन्यू जो कमिश्नर स्तर से कम न हो उससे जांच कराई जाए। 10 लाख रुपया मरने वाले के परिवार को दिया जाए जिनको गम्भीर चोटें आई हैं उनको एक-एक लाख मुआवजा और जिनको हल्की चोटें आयी हैं उनको 50 हजार मुआवजा दिया जाए। मैं आपका आभारी होऊँगा पीठ से आदेशित किया जाए सरकार कड़ाई से इसका पालन करे। यह सरकार भी चलायेंगे और गोली भी चलायेंगे यह आज तय होना चाहिए। प्रदेश की जनता को जब 7-20 की न्यूज से पता चलेगा कि किसानों पर गोली चली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ...(व्यवधान) आप इसमें कड़ाई से निर्देश दीजिए।

*श्री छोटेलाल यादव–

श्रीमन् संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि थाने की बाउन्ड्री प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दी, वहां कोई प्रदर्शनकारी नहीं थे वहां गांव की जनता थी जो कानून से अनभिज्ञ थी उसके पास लाठी-डंडे नहीं थे गोली की बात कहीं गई, तो वहां डर के मारे कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो थाने पर हमला करेगा। बुलन्दशहर में नेता सदन के पिताजी के प्रति दुर्व्यवहार हुआ मैं कहना चाहता हूँ....

*श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री छोटे लाल यादव–

माननीय अध्यक्ष जी जब नेता सदन के वालिद साहब के साथ थोड़ी सी बात हो गयी, वह नेता सदन के वालिद हैं और हम लोग उनका सम्मान करते हैं, मैं उनको कोई नज़ीर नहीं बनाना चाहता हूँ.....

श्री अध्यक्ष–

आप विषय से बाहर मत बोलिये।

श्री छोटे लाल यादव–

मान्यवर, बाराबंकी जनपद में असन्दरा थाने में वह घटना हुई और चौबीस घंटे बीत गये हैं और जुर्म करने वाले मौजूद हैं। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बाराबंकी का कप्तान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रात भर गश्त करता है, यह समाचार हिन्दुस्तान में छपा है। इसमें लिखा है कि वह असन्दरा, लोनी कटरा और हैदरगढ़ में गश्त करते हैं।

(व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

श्री छोटे लाल यादव–

मान्यवर, असन्दरा के अंदर गोली चल जाती है और चौबीस घंटे बीत जाते हैं लेकिन अभी तक वहां पर कोई नहीं पहुँचा।

श्री अध्यक्ष–

आप दोहराइये मत यह सब बात आप कह चुके हैं।

श्री छोटे लाल यादव–

मान्यवर, ऐसे निर्दयी कर्मचारी को निलम्बित कर उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया जाय। जो व्यक्ति मरा है उसे पांच लाख रुपया का मुआवजा तथा जो घायल हुए हैं उन्हें दो लाख रुपया का मुआवजा दिलाया जाय।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कम से कम उस घटना की जांच के सम्बन्ध में कोई विवाद नही होगा। अगर प्रशासन को दोषी मान रहे हैं। किसानों के ऊपर गोली चलायी जाती है...

श्री अध्यक्ष–

श्री पाल जी आप थोड़ा मेरे ऊपर भी छोड़ दीजिये।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अगर डी0 एम0 और कमिश्नर से करायेंगे तो जांच निष्पक्ष नहीं हो पायेगी। कोई न्यायिक जांच हो जाये। अगर आप निर्देश करेंगे तभी करेंगे। मान्यवर, इसमें राजस्व परिषद् के चेयरमैन से जांच हो जाय। इस सदन में पहले भी कई बार ऐसे अवसर आये हैं जब पुलिस द्वारा फायरिंग हुई हैं तो उसमें जो मरे हैं और जो घायल हुए हैं उनको मुआवजा मिला है। आज एक-दो व्यक्ति की मौत हो गयी, कौन सा उसका गुनाह हो गया, केवल सुरक्षा ही तो मांग रहा था। लेकिन यह सरकार तो संवेदनहीन सरकार है । मान्यवर, हमारी मांग है कि मृतक को पांच लाख रुपया का मुआवजा दिया जाय, न्यायिक जांच की जाय ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

मान्यवर, जनपद बाराबंकी में कुछ दिनों .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप चर्चा करा लें हम पूरी तरह से सुनने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्राय: ऐसे अवसर आते हैं और इस सदन में आ भी चुके हैं जब विपक्ष अपनी बात अपनी जानकारी के आधार पर देता है। वह व्यक्तिगत जानकारी भी हो सकती है जैसे चिकित्सालय भी माननीय सदस्य गये और किसी दूसरे स्रोत से जानकारी होती है। अपनी जानकारी के आधार पर विपक्ष अपनी बात कहता है। सत्ता पक्ष अपनी जानकारी के आधार पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से या जो भी संबंधित मंत्री हो उनके माध्यम से सदन के अन्दर जानकारी रखता है। कभी-कभी विचार मिल जाते हैं। कभी एक सीमा तक सहमति होती है कभी किसी बिन्दु पर सहमति नहीं होती है ऐसी स्थिति में अध्यक्ष अथवा जो भी अधिष्ठाता होते हैं उन पर निर्णय छोड़ दिया जाता है। दो घण्टे से ज्यादा इस विषय पर चर्चा हो चुकी है, 311 में सूचना थी जिसको 56 में परिवर्तित कर दिया गया था। शेष कार्य आगे बढ़े, माननीय सदस्यों की रुचि है, मैं यह समझता हूँ कि चूंकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि अपर जिलाधिकारी के स्तर से जांच हो रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ा दें जहां से जांच है मैं समझता हूँ कि राजस्व परिषद के किसी सदस्य से आप इसकी जांच करा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुआवजे की भी मांग की गयी है। अक्सर ऐसा हुआ है कि कभी दोषी व्यक्ति भी पुलिस की गोली से मरा है और कभी निर्दोष की भी जान गयी है। इसमें एक दलित की जान गयी है उसके परिवार को समुचित मुआवजे पर विचार कर लीजिये। इसी के साथ मैं सूचना का निस्तारण करता हूँ। अब मैं दूसरी सूचना लेता हूँ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, जांच रिपोर्ट 15 दिन में आ जाये।

(कुछ आवाजें होने पर)

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष–

हम लोग सामान्यत: दर्शक दीर्घा में जो लोग बैठे रहते हैं उनका संज्ञान नहीं लेते हैं लेकिन हम अपनी आंखें बंद भी नहीं करते हैं। हम लोगों के व्यवहार से उनमें कौन सी धारणा बनेगी इसका ध्यान हमें रखना चाहिए।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, वर्ष 1994 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में गोरखपुर मण्डल का विभाजन कर आजमगढ़ मण्डल का निर्माण कराया गया था, जिसमें बलिया, मऊ और आजगढ़ जनपद शामिल हैं वह मण्डल बनने से वहां के किसानों को फायदा मिला है और जनता को राहत मिली है लेकिन पूर्व के मुकदमे जो गोरखपुर मण्डल के अन्तर्गत थे आजमगढ़ और मऊ के लोगों के, वे वहां पड़े हुये हैं और आज भी लम्बित हैं। मेरा कहना है कि उन मुकदमों को आजमगढ़ मण्डल में स्थानान्तरित कर दिया जाये क्योंकि उन वादकारियों को मुकदमे की पैरवी करने जाना पड़ता है, वे गरीब आदमी हैं जिसमें उनका खर्चा पड़ता है और समय भी लगता है।

मान्यवर, उस ओर सरकार कोई ध्यान दे नहीं रही है। मान्यवर, 1994 में जब यह मण्डल बना उस समय चार जिले आजमगढ़, जौनपुर, मऊ और बलिया इसमें थे जब मा0 मुलायम सिंह की सरकार चली गयी और माननीया मायावती जी का शासनकाल आया तो बदले की भावना से जौनपुर को हटाया गया। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का कार्य रोक कर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि बलिया के मुकदमें बनारस में पड़े हुए हैं और आजमगढ़ के मुकदमें गोरखपुर में पड़े हुए हैं वह निस्तारित नही किये जा रहे हैं। वैसे के वैसे ही तारीख पड़ती है जिनका मुकदमा है वह जाते हैं और लौट आते हैं। 3-4 वर्षों से कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूँगा कि जो पुराने मुकदमें जो आजमगढ़ मंडल के हैं उनको आजमगढ़ मंडल में स्थानान्तरित कर दिया जाय ताकि लोगों को सुविधा हो।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मंडल सृजित होने के बाद जनपद आजमगढ़ के कुछ ऐसे मुकदमें जो रेवन्यू बोर्ड से रिमान्ड होकर गये या आये, ऐसे मुकदमें जो पहले से लम्बित थे तो ऐसे मुकदमें वहां पर बोर्ड आफ रेवन्यू की व्यवस्थाओं के आधार पर गोरखपुर मंडल में लम्बित पड़े हैं और वह एक निर्देश के आधार पर है इसलिए इसमें कोई तत्कालिकता नहीं है इसे नियम 56 के अन्तर्गत अग्राह्य घोषित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

शासन का ध्यान,जो वादकारी हैं, उनकी ओर आकर्षित करते हुए मैं इस सूचना को निरस्त करता हूँ।

(शारदानन्द अंचल व अन्य मा0 सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

अंचल जी, इसे नियम 52 में दे दीजिए इस पर आधे घंटे की चर्चा करा लेंगे, सारी बाते आ जायेंगी तब तक सरकार भी जानकारी प्राप्त कर लेगी।

क्रम संख्या-3 पर डा0 सुशील चौधरी, श्री नूर मोहम्मद व श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल की सूचना है। इस पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित किये देता हूँ क्योंकि दो सूचनाओं को ग्राह्यता के लिए सुनते हैं और 3 पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हैं। इस पर आप न बोलें और मुक्त कर दें तो ठीक रहेगा।

डा0 सुशील चौधरी–

मान्यवर, सहारनपुर के नकुड़ विधान सभा के 8-10 गांव यमुना नदी के किनारे पड़ते हैं। अभी 14 तारीख को 3 लाख 60 हजार क्यूसेक पानी ताजेवाला बैराज से उसमें छोड़ा गया है जिसमें रानीपुर गांव की सुरक्षा हेतु बना बांध 200 मीटर टूट गया जिससे यमुना की धार सीधे गांव में बह रही है, गांव में 4-5 फिट पानी बह रहा है जिससे वहां का जीवन दूभर हो गया है। मैं मांग करता हूँ कि इस गांव की सुरक्षा के लिए इस टूटे हुए बांध को बनवाया जाय। मान्यवर, अभी तो बरसात शेष है और यमुना में 6 लाख क्यूसेक पानी आने का रिकार्ड है अभी तो 3 लाख 60 हजार क्यूसेक पानी ही आया है तो जब 6 लाख क्यूसेक पानी आ जायेगा तब तक वहां के लोगों का रहना

दूभर हो जायेगा। इसलिये मेरी मांग है कि तत्काल इस बांध को बनवाया जाय और ग्रामीणों के स्वास्थ्य संबंधी और राशन संबंधी जो भी इस सरकार से सुविधा दी जा सकती हो वह उपलब्ध कराई जाय।

(इस समय 4 बजकर 20 मिनट)

*श्री वसीम अहमद--

इसलिए मान्यवर, जो 14 तारीख को शासनादेश जारी हुआ है उसमें जो खिलाड़ी खेलने जाते थे उनके ऊपर पिछली सरकार ने 30 रुपये फीस लगा देने का काम किया था, लेकिन इस सरकार ने उसे दुगना कर दिया है। जो मैदान होते हैं उन मैदानों में या स्टेडियम में जो लड़के खेलने जातें हैं, जो विद्युत की व्यवस्था होती थी उसके लिए दुगना फीस बढ़ा दी गयी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह घोर अन्याय खिलाड़ियों के साथ नहीं होना चाहिए। जो छोटे शहरों में रहने वाले लोग है वह बच्चे कैसे अपनी फीस देने का काम करते हैं यह इस सरकार को नहीं पता है। यह सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के बजाय रोकने का काम कर रही हैं। जो बढ़ी हुई फीसें हैं जो चीज़ें बढ़ायी गयी हैं चाहे वह तरणताल हो चाहे वह कुछ और हो उनकी फीसें कम की जायें। आने वाले दिनों में उनको ज्यादा प्रोत्साहन देने का काम किया जाये। बच्चे पौष्टिक आहार नहीं पा रहे हैं यह सरकार उसे देने का काम नहीं कर रही है बल्कि उसे छीनने का काम कर रही है। इसी बात के साथ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष--

जब खेल विभाग का बजट आयेगा तो अपनी बात और विस्तार से कह लीजियेगा। मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये इस सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-14 –कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

*श्री हुकुम सिंह (कृषि पंचायती राज मंत्री) --

मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,30,45,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, पंचायती राज विभाग और पंचायतों पर सबसे पहले खास तौर से बल दिया गया कि कैसे हर काम में हम जनता की सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। कैसे प्रशासनिक दायित्व को, शासकीय दायित्व को या विकास के मद को उन मदों के साथ वहां की जनता को भी हम दे सकें। यह एक दर्शन है और उस दर्शन की प्राप्ति के लिए सबसे पहले 1947 में एक अधिनियम बना। अपेक्षा यह की गयी कि जैसे बिल्कुल आत्मनिर्भर एक स्थानीय सरकार होती है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस स्वरूप में पंचायतें आयेंगी। कुछ राज्यों में अच्छा काम हुआ। लेकिन अपेक्षा के अनुरूप उसमें काम नहीं हो पाया। अन्ततोगत्वा भारत की संसद ने इस पर विचार करने के बाद में संविधान में संशोधन किया और संशोधन के बाद में इसको लाजमी कर दिया कि हर राज्य संविधान के संशोधन के अनुरूप अपने यहां पंचायत राज को विकसित करे और संभवत: भारत के इतिहास में पहली बार यह काम हुआ कि जिला पंचायत से लेकर गांव तक कुछ विकास किया जाये। उससे पहले संवैधानिक दर्जा विधान मण्डलों को था या संसद को था लेकिन जो अन्य संस्थाएं थीं, अधिनियम के द्वारा गठित की गयी थीं, इस दिशा में कई बार साहसिक प्रयास करने का काम किया गया। 1994 में चुनाव आयोग का गठन हुआ, चुनाव आयोग के बाद आरक्षण की व्यवस्था भी की गयी और आरक्षण के बाद में चुनाव कराया गया। चुनाव कराते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि चक्रानुक्रम में आरक्षण की व्यवस्था चलती रहे। अभी हाल ही में 2000 में चुनाव हो चुका है। यहां 58,028 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें चुनाव हुए। 813 क्षेत्रीय पंचायतें हैं और 70 जिला पंचायतें हैं, इस प्रदेश में। अब देखना यह है कि निर्वाचन के बाद में जो प्रतिनिधि वहां पर आये हैं और जो जिम्मेदारी उन पर सौंपी गयी है, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है या नहीं। इस बारे में बहुत संक्षेप में मैं कुछ बिन्दु रखना चाहूँगा। क्योंकि जब पंचायतों के चुनाव हुये और यह अपेक्षा की गई कि हर गांव में एक पंचायतकर्मी उपस्थित रहे तो पंचायत विभाग के पास केवल 7158 कर्मी थे। स्वाभाविक है कि हमें 58 हजार कर्मचारियों की आवश्यकता थी, नई भर्तियां कर नहीं सकते थे, सीमित संसाधन थे और समिति संसाधनों को देखते हुए विभिन्न विभागों से उन कर्मचारियों को लिया गया, जिनका संबंध गांव से जुड़ा था जैसे ग्राम्य विकास विभाग, कृषि विभाग, चिकित्सा विभाग, सिंचाई, विभाग, समाज कल्याण विभाग, गन्ना विकास विभाग, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग। विचारोपरान्त, कुछ कर्मचारी जिनके आने की वजह से विभागों के काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, उनको वापस भी किया गया। अभी तक जो दायित्व उनको सौंपे गये, वह 12 विभाग हैं, जिसमें प्राथमिक विद्यालय, अपर प्राथमिक विद्यालय, सिंचाई विभाग, जल निगम, युवा कल्याण विभाग, खाद्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग, पशुधन विभाग, कृषि विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, समस्त प्रकार की पेंशन और छात्रवृत्तियां का वितरण, यह दायित्व सौपें हैं। इसमें जो सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं, इसमें राज्य प्रथम वित्त आयोग की सिफारिश के फलस्वरूप 96-97 में 20 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये। इसी प्रकार 97-98 में 253 करोड़, 98-99 में 302 करोड़, 99-2000 में 328 करोड़, 2000-2001 में 370 करोड़ और 2001-2002 में 393 करोड़ का प्राविधान किया गया। कहने का मेरा आशय यह है कि शनै:-शनै: हर वर्ष इस धनराशि में बढ़ोत्तरी हुयी है। क्योंकि जब दायित्व सौंपें गये तो धनराशि की बढ़ोत्तरी करना आवश्यक हो गया। इसके लिये ग्यारहवें वित्त आयोग के माध्यम से 2000-2001 में 233 करोड़ और 2001-2002 में 233.42 लाख का प्राविधान किया गया। देखना यह है कि इनको जनसहभागिता मिल पा रही है या नहीं। उसके लिये क्या उपाय किये गये, सबसे पहला काम तो यह किया गया, जिसके लिये मैं बधाई देना चाहता हूँ, उन सरकारों को भी और उन व्यक्तियों को भी, जिन्होंने पंचायत को केवल एक संस्था मात्र नहीं माना, बल्कि यह मानकर गठन करने का प्रयास किया, जिससे कैसे लाइवली (जीवित) इंस्ट्यूशन विकसित कर सके। इसके परिणामस्वरूप शिकायत यह आती थी कि प्रधान ने फलां को ज्यादा एलाटमेंट कर दिया, इसीलिये इसमें पारदर्शिता लाने के लिये 6 समितियों का गठन किया गया और यह समितियाँ उसी तरह काम करने का अभ्यास करें, जैसे विधान मंडल काम करते हैं या

संसद काम करती हैं मैं मानता हूँ कि इस बात में काफी कुछ गुंजाइश आगे बढ़ने की है इसलिए मान्यवर आज के इस बजट में चर्चा के माध्यम से, मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी कि माननीय विधायक अपने-अपने क्षेत्रों से आते हैं, उन्हें अनुभव है, मुझे अत्यन्त खुशी होगी कि आप इस पर सुझाव देंगे और सुझाव को आधार मानकर इसमें जो संशोधन करने की आवश्यकता होगी, मैं आश्वस्त करता हूँ कि आपके प्रस्ताव पर पूर्ण विचार करके उस पर कार्रवाई करने का प्रयास किया जायेगा।

मान्यवर, तीन स्तरीय पंचायत सिस्टम हमारा है। गांव में गांव पंचायत, क्षेत्र पंचायत और फिर जिले में जिला पंचायत। इन तीनों को हमने अलग-अलग दायित्व सौपें हैं। गांव पंचायत वे बारे में हमने बताया। क्षेत्र पंचायत को जो कार्य सौंपे गये हैं उनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पश चिकित्सालय, बीज केन्द्र, कृषि रक्षा केन्द्र का संचालन, क्षेत्र पंचायत से ग्राम्य विकास के कार्यक्रम का अनुश्रवण, मूल्यांकन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुचारू रूप से संचालन आदि कार्य हैं। जहाँ तक जिला पंचायत का प्रश्न है जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का अध्यक्ष घोषित किया गया है। 21 विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को जिला पंचायत के प्रशासनिक नियन्त्रण में रखा गया है। प्रयास यह किया गया है कि लोग आयें और विभागीय अधिकारियों की एक मानसिकता बनी है कि उन्हें इस स्थानीय इकाई के माध्यम से काम करना है। अब तक उन्हें विभाग से सीधे रूप से सम्बद्ध किया गया था। इसमें प्रशिक्षण की भी बहुत आवश्यकता है। जब ग्राम प्रधान या बहुउद्देशीय कर्मी चुनकर आते हैं उन्हें बताया जायेगा कि उनके क्या दायित्व और अधिकार हैं। एक कठिनाई और आती है, जब कोई प्रतिनिधि चुनकर आता है, वह अधिकारों की होड़ में ज्यादा रहता है, उसे दायित्वों का बोध नहीं हो पाता। इसलिए जितने पैसे का प्राविधान किया गया है, सीधे-सीधे उसका एक प्रतिशत हमने प्रशिक्षण के लिए आरक्षित कर दिया है कि यह एक प्रतिशत पैसा केवल उनके प्रशिक्षण पर खर्च किया जायेगा। उसका कार्यक्रम चल भी रहा है और उसमें सुधार की भी गुंजाइश है। इसमें जांच करने का भी प्राविधान है, यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके प्रशासनिक अधिकार, वित्तीय अधिकार वापस लिए जा सकते हैं और आगे इसमें सी0 ए0 जी0 का भी प्राविधान है, 11वें वित्त आयोग के प्रस्ताव के अनुरूप यह कितना व्यवहारिक होगा कितना नहीं होगा। इसके लिए मैं चाहूँगा कि इसमें माननीय सदस्यगण अपने सुझाव जरूर दें। जितने भी पंचायत के सदस्य हैं उन सब को भारतीय दण्ड संहिता की धारा के अन्तर्गत उन्हें लोक सेवक समझा गया है। मान्यवर, विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम पंचायत राज विभाग के माध्यम से चल रहे हैं। मेरा दायित्व है कि मैं संक्षेप में उन तमाम योजनाओं की जानकारी देना चाहूँगा। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत 2000-2001 मे मार्च, 2001 के अन्तिम सप्ताह में 512.55 लाख रुपया अवमुक्त किया गया और जिसका उपभोग वर्ष 2001-2002 में किया गया। इस धनराशि से 61254 व्यक्तिगत शौचालयों, 162 स्कूल शौचालयों एवं 24 महिला शौचालय काम्पलेक्सों का निर्माण कराया गया है।

वर्ष 2001-2002 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 2002 में 193.78 लाख रुपया अवमुक्त किया गया और जिसका उपभोग वर्ष 2002-03 में किया जा रहा है। इस धनराशि से 23221 व्यक्तिगत शौचालयों, 54 स्कूल शौचालय और 5 महिला काम्पलेक्सों का निर्माण कराय जायेगा। अब यह कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया है और सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया ज रहा है। सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम विगत वर्ष से जनपद लखनऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र, चन्दौली

आगरा, देवरिया, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ तथा बिजनौर इन 12 ज़नपदों में संचालित किया जा रहा है। इसमें मार्च, 2002 तक 1758.30 लाख रुपये का उपभोग कर 1,57,241 व्यक्तिगत शौचालयों, 299 महिला काम्पलेक्सों तथा 1703 स्कूल शौचालयों का निर्माण कराया गया है। वर्ष 2001-2 में 16 और जनपद-बाराबंकी, बुलन्दशहर, ललितपुर, बस्ती, चित्रकूट, सहारनपुर, इलाहाबाद, जालौन, बदायूँ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, बहराइच, प्रतापगढ़, गोरखपुर तथा सन्त रविदास नगर सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान में चयनित किए गये हैं। इन जनपदों को केन्द्रांश के रूप में 2348.845 लाख अवमुक्त किया गया है। जैसा मैंने बताया है पंचायत अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक करोड़, 16 लाख रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है। इसके अन्तर्गत जो गांव में हाटपैठ लगते हैं, अभी तक बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। सड़कें, विशेष रूप से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने ली हैं। जो यह विश्व बैंक द्वारा पोषित योजना है, यह 27 जनपदों में है। उसमें मार्च, 2002 तक 43 हाटपैठों को विकसित किया गया है और 32 में निर्माण कार्य प्रगति पर है ताकि वहां पर भी कुछ मौलिक सुविधाएं उपलब्ध करा दें जैसे दुकानों के लिए चबूतरे, कवर्ड शेड, जल निकासी नाली, पेय जल व्यवस्था, खडंजा, पशुओं के लिए पानी पीने की व्यवस्था, शौचालाय आदि की व्यवस्था हो सके जहां पर अभी तक ये सुविधाएं नहीं थीं। जहां पर मंडियों का अन्तर 25-30 किमी0 होता है ताकि छोटे कृषकों का शोषण न हो सके इसके लिए हमने एक दूसरी योजना तैयार की है। विश्व बैंक पोषित ऊसर सुधार परियोजना के अन्तर्गत ऊसर कार्य किया जा रहा है। पंचायत भवनों के निर्माण के लिए वर्तमान में 18 जनपदों को चयनित किया गया है ये हैं इलाहाबाद, अलीगढ़, हाथरस, एटा, इटावा, औरैया, फतेहपुर, मैनपुरी, रायबरेली, प्रतापगढ़, हरदोई, सुल्तानपुर, जौनपुर, उन्नाव, आजमगढ, कानपुर नगर, कानपुर देहात एवं बुलन्दशहर। वर्ष 99-2000 में 175 पंचायत भवनों का निर्माण कराया गया, 2000-01 में 172 पंचायत भवन, 2001-02 तक 170, 2002-03 में 500 पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथा मार्च, 2004 तक 1252 पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। मान्यवर, राज्य वित्त आयोग द्वारा दी जाने वाली जो धनराशि है, वर्ष 2001-02 में 381 करोड़, 99 लाख, 99 हजार रुपये अवमुक्त किए हैं जिसमें से 3377.64 लाख रुपये की धनराशि सिंचाई विभाग को नलकूपों के रख रखाव हेतु, रु0 6436.81 लाख जिला पंचायतों को, रु0 25747.24 लाख ग्राम पंचायतों को, रु0 382 लाख पंचायत पदाधिकारियों एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु, रु0 566.30 लाख प्रत्येक विकास खण्ड में स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली दो ग्राम पंचायतों को पुरस्कार हेतु तथा 600.00 लाख रुपये की धनराशि हैण्ड पम्पों के रखरखाव हेतु अवमुक्त की गई है। मार्च, 2002 तक चयनित 25517 अम्बेडकर ग्रामों में वर्ष 1997-98 तक चयनित सभी ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नाली खडंजा निर्माण कार्यक्रम से 24882 ग्रामों को तथा स्वच्छ शौचालय निर्माण कार्यक्रम से 23488 को ग्रामों को संतृप्त किया जा चुका है। सम्प्रति नाली खडंजा निर्माण के अन्तर्गत 635 तथा स्वच्छ शौचालय निर्माण के अन्तर्गत 2029 ग्राम संतृप्त किये जाने हेतु अवशेष हैं। मान्यवर, आंकड़े इसलिए पढ़े ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाय। जहां तक पंचायतों की है, मैं पुन: इस बात की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि प्रंचायत व्यवस्था को सफल बनाये बिना हम अपने ग्रामों का विकास नहीं कर पाएंगे और यह तब तक सम्भव नहीं है जब तक हम उनका विकेन्द्रीकरण नहीं करेंगे इसके लिए अधिकारियों को अपने दायित्व का बोध होने के साथ-साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें आपके भी सहयोग की अपेक्षा है। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष –

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें।

(श्री श्याम सूरत उपाध्याय कटौती प्रस्ताव के लिए खड़े हुये।)

जो माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहें वह कृपया अपना नाम मेरे पास भेज देंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन आपको विदित ही है कि यह हमारी पंचायती राज व्यवस्था बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है। पंचायत का उल्लेख हम अपने वेदों, शास्त्रों, पुराणों में पाते हैं। ऋग्वेद में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। कौटिल्य के अर्थ शास्त्र में भी पंचायत की व्यवस्था ग्रामीण अंचलों में पायी जाती थी। बिना किसी लिखे हुए कानून के ग्रामवासी स्वयं पंचायतें गठित करते थे, एक जगह इक्ट्ठे होते थे। समाज किस तरह से व्यवस्थित हो, किस तरह से सुचारू रूप से चले, इसकी व्यवस्था गांव के लोग बैठक करके करते थे। मान्यवर, अंग्रेजों के जमाने में जब हमारा देश गुलाम हुआ तो इन पंचायतों पर बहुत बुरा असर पड़ा क्यों कि अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा कायम की। जमींदार गांवों पर शासन करने लगे, मुखिया की नियुक्ति की जो पुलिस प्रशासन का होता था। मुखिया के जरिये गांव की व्यवस्था जो पंचायती राज के जरिये चलती थी उसको छिन्न-भिन्न कर दिया। लेकिन हमारे जो सूत्र थे, जो समाज में भावना थी वह पंचायत की ओर से कभी खत्म नहीं हुई। यहां तक कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय भी पंचायत प्रणाली को मजबूत करने की बात की गयी थी और आजादी हासिल करने के तत्काल बाद उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रान्त पंचायती राज अधिनियम, 1947 बनाया गया । लेकिन मान्यवर, आप सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि इस अधिनियम के जरिये जो गांव सभाओं का निर्माण हुआ वे गांव सभायें निर्जीव साबित हुई और राज्य सरकार के हाथ में सारी शक्तियां रहीं। राज्य सरकार जब चाहती थी इन पंचायतों को , गांव सभाओं को भंग कर देती थी, जब चाहती थी तब चुनाव होते थे। यहां तक कि 10-10 वर्ष ग्राम सभाओं के चुनाव नहीं हुए। इस ओर पंचायतों को मजबूत करने हेतु सरकार की ओर से प्रयास भी हुए हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बनी और पूरे देश का भ्रमण करके पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपनी रिपोर्ट भी पेश की लेकिन इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई किसी ने नहीं की। जनता पार्टी के शासनकाल में अशोक मेहता आयोग का गठन हुआ और अशोक मेहता आयोग ने बड़ी लगन और मेहनत के साथ पंचायती व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी रिपोर्ट 7 महीने के अन्दर ही प्रस्तुत कर दी लेकिन यह रिपोर्ट आने के बाद भी इस दिशा में न राज्य सरकार ने काम किया और न केन्द्रीय सरकार ने कोई कदम उठाया। मान्यवर, पहली बार पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए, वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए और इन पंचायतों की निरन्तरता को बनाये रखने के लिए, और चुनाव समय पर हों, सामाजिक न्याय के रास्ते पर सभी वर्गों को पंचायतों में भागीदारी मिले इसके लिए स्व0 श्री राजीव गांधी ने 1984 में जब भारत के प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए देश

व्यापी बहस करायी। कई सम्मेलन हुए। विभिन्न वर्गों की राय मांगी गयी और स्व0 राजीव गांधी ने गांधी जी की ग्राम स्वराज्य की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए प्रथम पंचायती राज विधेयक 74वें संविधान संशोधन 1989 के नाम से संसद में पेश किया इस संविधान संशोधन के जरिए राजीव गांधी चाहते थे कि इन संस्थाओं को हम कानूनी दर्जा दें जिससे कि ये संस्थाएं अच्छी तरह से मजबूती के साथ काम कर सकें लेकिन इस सदन के माननीय सदस्यों को मालूम है कि उस समय राज्यसभा में कांग्रेस का बहुमत नहीं था और यह बिल पास न हो सका। जब इस देश के प्रधानमंत्री 1991 में माननीय श्री नरसिंह राव जी हुए तो उसी अधिनियम को अपने प्रधानमंत्रित्व काल में श्री नरसिंह राव जी ने पेश किया जो मार्च 1992 में पास हुआ और इस संविधान संशोधन के जरिए संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो भाग 9 जोड़ा गया उसमें 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची जोड़ी गयी। इसके अनुसार पंचायतों के गठन में पहली बार दलित वर्ग के लोगों को अनुसूचित जाति के लोगों को 21 प्रतिशत, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों में और जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया गया । ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान पद, क्षेत्र पंचायत में प्रमुख के पद हुआ करते हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद हुआ करता है, अब इन पदों पर भी आरक्षण लागू हो गया । महिलाओं को पहली बार आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में मिला। 73वें संविधान संशोधन के जरिये महिलाओं की भी इसमें भागीदारी की गयी।

(इस समय 4 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा पीठासीन हुए)

श्रीमन 73वें संविधान संशोधन के जरिए दो प्रविधान किये गये जिसमें एक मैनडेटरी है और दूसरा राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया कि वे इन संस्थाओं को सशक्त करने के लिए उचित कानून बनाये । इसी तरह से 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायत राज्य ऐक्ट के संबंधित कानूनों में संशोधन किये गये और राज्य निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग का गठन हुआ। लेकिन 11वीं सूची के अनुसार राज्य सरकार को जो काम पंचायतों को देना चाहिए था उस संबंध मे राज्य सरकार दृढ़ता के साथ आगे नहीं बढ़ सकी। आज कल्याण सिंह जी मौजूद नहीं हैं उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। जब माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तो अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने सराहनीय काम किया था। बजाज कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक कमेटी का गठन किया गया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर कुछ काम इन पंचायतों को दिये गये। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि माननीय हुकुम सिंह जी ने बहुत लंबा चौड़ा वक्तव्य पंचायतों के बारे में दिया और कार्यों का विवरण दिया और संकल्प भी दोहराया कि उनकी भी सरकार इन संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण करने के लिये और आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी लेकिन माननीय पंचायत राज मंत्री जी देखेंगे कि जो बजट प्रस्ताव आपने पेश किया है उसमें आपने सदन को गुमराह करने का काम किया है। जिन विभागों को 11वीं सूची के अनुसार स्थानान्तरित करने की बात आपने कही है, जो भी विभाग स्थानान्तरित हुये थे उन्हें माननीय कल्याण सिंह के हटने के बाद मूल विभाग जी0 ओ0 जारी करके वापस लेने का काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिये प्राइमरी स्कूल और उसके इस्टेब्लिशमेंट को ग्राम पंचायतों के अधीन किया गया था और उसमें व्यवस्था था कि पे -रोल जो अध्यापकों के वेतन के लिये बनाया जाता है उसको ग्राम प्रधान को संस्तुति के बाद ही अध्यापकों को वेतन दिया जायेगा। लेकिन आपने इसको वापस ले लिया और प्रधान का इसमें रोल नहीं रह गया है। इसी तरह से ग्राम पंचायतों में शिक्षा मित्र की नियुक्ति का प्रश्न उठा था और यह ग्राम पंचायतों को शिक्षा मित्र की नियुक्ति व चयन करना था। पंचायत राज अधिनियम में

ग्राम पंचायतों में शिक्षा समिति के गठन की व्यवस्था है। शिक्षा समिति का चेयरमैन ग्राम पंचायत का उप प्रधान होता है। लेकिन श्रीमन शिक्षा मित्र का चयन इस समिति ने नही किया। शिक्षा विभाग का जी0 ओ0 जारी किया गया जिसमें ग्राम शिक्षा समिति का चेयरमैन वह प्रधान होगा। एक तरह से जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं अगर कोई हाई कोर्ट में चला जायेगा जो वह रद्द हो जायेगा। आपने इस पर ध्यान नहीं दिया कि सरकारी विभाग किस तरह से पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में धीरे-धीरे प्रवेश करके अपने अधिकार को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। श्री हुकुम सिंह जी हमारे पुराने मित्र हैं। अरसे से राजनैतिक जीवन में काम कर रहें हैं। पहले जब डिस्ट्रिक बोर्ड हुआ करता था तो प्राइमरी स्कूल व जूनियर हाई स्कूल में अध्यापकों की नियुक्ति डिस्ट्रिक बोर्ड करता था उसका चेयरमैन डिस्ट्रिक बोर्ड का अध्यक्ष होता था। वह एप्वाइंटिंग एथारटी हुआ करता था। लेकिन 73वें संविधान संशोधन के बाद अगर इन नियुक्तियों के चयन का एप्रूवल जिला पंचायत अध्यक्ष से लेते तो हम यह समझते कि आपकी निष्ठा और आस्था इन संस्थाओं को मजबूत करने की है। ग्राम पंचायतों के द्वारा चयनित शिक्षा मित्र के चयन का एप्रूवल जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। अब इसका एप्रूवल जिले में डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट करता है। आप कहां सशक्त कर रहें हैं, मजबूत कर रहे हैं ? पंचायतो को। क्या जिला पंचायत अध्यक्ष इस काबिल नहीं था कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति में फैसला करता । इसी के साथ ही साथ जो आपने सींच पाल कर्मचारियों को व स्वास्थ्य कर्मचारियों को पंचायतों को सौंपा था उन्हें पुन: वापस लाकर यह कर दिया कि अब पंचायतों का इन पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। श्रीमन इसी तरह से जिला नियोजन समितियां हैं। निर्देश है संविधान संशोधन के जरिए जिले की योजनाएं विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों की जिला योजनाएं जिला स्तर पर बनें और जिला योजना समिति गठित की जाएं। आपने जिला नियोजन समिति गठित तो कर दी लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कभी देखा कि इस जिला नियोजन समिति की अध्यक्ष राज्य सरकार का मंत्री होता है। जब सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर रहें हैं तब पावर ब्लाक कर रहे है। जब जिला नियोजन समितियां जिले की योजना तैयार करेंगी तो उसमें पंचायतों की भागीदारी होनी चाहिए । पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। जब जिला पंचायत की व्यवस्था में ऐसी कार्य व्यवस्था अपनाई जाए तब मैं समझूँगा कि आपने निष्ठा और ईमानदारी के साथ 73वें संविधान संशोधन की मूल भावना जो मूल आत्मा है उसके अनुरूप सरकार काम कर रही है।

श्रीमन् , जब 73वां पंचायत का यह संविधान संशोधन नहीं हुआ था उसके पूर्व डी0आर0डी0ए0 का सृजन केन्द्र सरकार ने ग्राम विकास की योजनाओं को लागू करने के लिये किया था। अब ग्राम विकास की जब सारी योजनाएं पंचायत को ट्रांसफर हो गई । जब क्षेत्रीय समितियाँ जिला परिषद, ग्राम सभा, ग्राम विकास की सारी योजनाओं को लागू कर रही हैं तो श्रीमन, यह बड़ी बेईमानी होगी कि उसके समानान्तर इकाइयाँ अभी भी जीवित रहें। डी0आर0डी0ए0 को तुरन्त जिला पंचायत में मर्ज कर देना चाहिए।

मैं जानता हूँ श्रीमन, कि राज्य सरकार डी0आर0डी0ए0 को जिला पंचायत में मर्ज नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ कि आपकी सरकार एक प्रस्ताव पास करे, एक कैबिनेट का डिसीजन ले कि डी0आर0डी0ए0 को उत्तर प्रदेश से समाप्त कर दिया जाय और इसके सारे कार्य, दायित्व, सारे अधिकार जिला पंचायत में निहित कर दिये जायं, तब मैं समझूंगा कि आप पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। पंचायती राज के समानान्तर जो राज्य सरकार की इकाइयां चल रही हैं उसे समाप्त की जाये इसकी मैं मांग करता हूँ और कृषि मंत्री जी से कहना

चाहता हूँ कि आप पंचायती राज मंत्री भी हैं। अगर आपकी कैबिनेट कोई पहल नहीं करती है कोई कदम नहीं उठाती है, तो आप कृषि मंत्री की हैसियत से आप अपने अधीनस्थ संस्थाओं के पावर डैलिगेट कर दीजिये पंचायती राज व्यवस्था को । अभी आपने ऊसर सुधार निगम स्थापित किया है। यह ऊसर सुधार निगम किस काम आता है ? क्या काम करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊसर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिये विभिन्न तकनीकी व्यवस्थाओं के जरिये ऊसर सुधार निगम काम करता है। इस निगम को अगर आप पंचायती राज के अन्दर स्थानान्तरित कर दें तो क्या ऊसर सुधार निगम कार्यक्रम नहीं चलायेगा ? क्या ऊसर सुधार निगम के कर्मचारियों को क्षेत्रीय समितियों के अन्तर्गत कर दें और योजनाएं क्षेत्रीय समितियों में बने तो ऊसर सुधार निगम अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकेगा ? क्यों कि ग्राम पंचायतों के लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से ऊसर सुधार के कार्यक्रम को किस इलाके में लागू किया जाय। मैं समझता हूँ कि ऐसा करने से यह बेहतर तरीके से काम कर सकेगा। श्रीमन आप संविधान की 11वीं सूची देखें, 29 विषय हैं। इनको स्थानान्तरित कर देना चाहिए था। सूची में दूसरे पर जो विषय है, भूमि विकास भूमि सुधार का कार्यक्रम क्रियान्वयन। यह काम पंचायतों को देने की बात आपने कही है, अपने भाषण में कि इनको स्थानान्तरित कर दिया गया है। आज ग्राम पंचायत का सुदृढ़ीकरण करने के बजाय श्रीमन् मायावती जी की सरकार ग्राम पंचायत को कमजोर करने की दिशा में दिन पर दिन काम कर रही है। गांव सभा की गांव समाज की जमीन कोई वृक्षारोपण के लिए लेना चाहे तो गांव समाज उसका पट्टा नहीं करेगा अगर गांव पंचायत किसी को आबादी स्थल आंवटन करना चाहती है तो वह नहीं कर सकती है। यह सारे अधिकार एस0 डी0एम0 को दे रखें हैं। जब गांव सभा की जमीन जिसका मालिकाना हक, जिसका स्वामित्व गांव पंचायत को है वह आज इसका आंवटन नहीं कर सकती है। यह सारा अधिकार आपने एस0 डी0 एम0 को दे दिया । अभी-अभी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश का भूमि संशोधन अध्यादेश 2002 सदन के पटल पर रखा गया अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति के लोगों को ग्राम पंचायतें जहां आवश्यक है वहां आबादी की भूमि का आंवटन नहीं करेंगी। इतना अविश्वास है ग्राम पंचायतों पर ? आप उन्हें इतना अक्षम समझ रहें हैं। क्या यह तालाब के पट्टे मछली पालन के लिए किसी सक्षम व्यक्ति को गांव में नहीं दे सकती हैं। इस अध्यादेश के जरिए ग्राम सभा की भूमि पर कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति 1मई 2002 से काबिज है तो उसको भूमिधर माना जायेगा इसका एस0 डी0एम0 प्रमाण-पत्र देगा । यह अधिकार ग्राम सभा से छीन लिया गया है। मुझे ताज्जुब हो रहा है, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह की तरह बैठकर आप सभी लोग देख रहे हैं कि द्रोपदी का चीरहरण हो रहा है उसको देख रहे हैं किसी भूमिधर की जमीन पर अगर 1मई 2002 के पहले या बाद में कोई छप्पर लगा लेगा तो मायावती की सरकार उसको मालिकाना हक दे देगी । उसका मालिकाना हक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को देने का अधिकार कर दिया गया है। श्रीमन जो अध्यादेश कानून के रूप में ला रहे हैं इसका बिल पेश करके (वापस हो गया है की आवाजें) माननीय मंत्री जी बतावें वापस हो गया है। मैं कह रहा था मछली पालन के लिए तालाबों के पट्टे का अधिकार, नीलामी का अधिकार गांव सभा को नहीं है सीधा यह अधिकार एस0 डी0 एम0 को दे रखा है। एस0 डी0 एम0 के यहां जो हिसाब किताब ठीक कर ले जो दबाव बना ले वह मछली पालन का पट्टा प्राप्त कर लेता है ग्राम पंचायत यह अच्छी तरह से जानती है कि हमारे यहां कौन दलित है कौन गरीब है कौन कमजोर है जिसको रोजी रोटी के लिए मछली पालन के पट्टे देने चाहिए।

एस0डी0एम0 के यहाँ तो पैसा वाले पट्टा पा रहे हैं, अपात्र व्यक्ति जा रहे हैं। मैं इलाहाबाद की हंडिया तहसील के फतुआ गाँव की बात बताना चाहूँगा। वहाँ पर दो पट्टे अपात्र व्यक्तियों को एस0डी0एम0 ने चोरी से कर दिये। अवैध पट्टा कर दिया । क्योंकि यदि गाँव सभाओं की खुली बैठक में नीलामी होती तो गाँव में लोग देखते हैं कि यह पात्र व्यक्ति है कि नहीं इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आबादी पर भूमि का आवंटन, वृक्षारोपण के लिए, तालाबों में मत्स्य पालन के लिए जो पट्टे का अधिकार एस0डी0एम0 को दिया गया है उसको वापस लेकर गांव पंचायतों को पुनः वापस करने की कृपा करें। श्रीमन्, एक और सुझाव देना चाहता हूँ, माननीय सदन में जो भी माननीय सदस्य है वह हमारी बात से सहमत भी होंगे। जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों में पदेन सदस्य के रूप में विधायक बैठते हैं। क्षेत्र समितियों में विधायक का कोई अधिकार नहीं है, न गठन में, न योजना देने में और न ही योजना पास कराने में। उसी तरह से जिला पंचायतों में केवल माननीय विधायकगण पदेन सदस्य की हैसियत से बैठ सकते हैं। जिला पंचायतों में कोई वोटिंग राइट का अधिकार उनको नहीं है। हम समझते हैं कि यह आपके वस की बात नहीं है क्योंकि इसमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा जो केन्द्र सरकार के अधिकार की बात है लेकिन हम यह अपेक्षा करते हैं कि आप सदन में एक संकल्प लायें, प्रस्ताव लायें और सारा सदन एक मत हो कर के इस बात का समर्थन करेगा और आपके प्रस्ताव को पास करेगा कि जिला पंचायतों में और क्षेत्र समितियों में भी माननीय विधायकों और माननीय सांसदों को वोटिंग राइट रहे।मान्यवर मैं यह कहूँगा कि इमानदारी के साथ पंचायतों को आप मजबूत करना चाहते हैं तो चाहे जिला पंचायत हो या क्षेत्र पंचायत या फिर गाँव पंचायत हो उन्हें पूरा काम हस्तान्तरित करायें। गाँव में हैण्ड पम्प लगते हैं जल निगम के द्वारा। जल निगम पर किसी भी संस्था किसी भी पंचायत का दबाव नहीं है। क्षेत्र पंचायतों में दो जूनियर इंजीनियर काम करते हैं, लघु सिंचाई के इंजीनियर विद्यमान हैं, आर0ई0एस0के विद्यमान हैं। वहाँ बोरिंग का सामान भी है। आप क्यों नहीं क्षेत्र समितियों को पैसा आवंटित करायें और उनके पास जो अपरेट्स हैं उससे हैण्ड पम्प लगवाते। जल निगम की जो हालत है सब जानते हैं। जल निगम को जो पैसा आवंटित होता है उसकी यह तनख्वाह देते हैं अब अगर 50 हैण्ड पम्प लगना है तो 40 हैण्ड पम्प जल निगम वाले लगाते हैं और 10 हैण्ड पम्प के लिए दस बार दरवाजा खटखटाना पड़ता है। जो हैण्ड पम्प लगाते हैं उनका प्लेटफार्म नहीं बनाते हैं। इलाहाबाद में 850 हैण्ड पम्प ऐसे हैं जिन पर प्लेटफार्म नहीं बना है और करीब 17 लाख रुपये का गबन इलाहाबाद के जल निगम वालों ने प्लेटफार्म न बनाने में कर दिया है। आप सीधा रुपया क्षेत्र समितियों को भेजें। क्षेत्र समितियां अपने स्तर से बोरिंग करायें। आप ने जितने विभाग पंचायतों को दिये हैं सब दिखावटी हैं। क्षेत्र समितियों का जो बी0डी0ओ0 होता है यह दो साल पहले जो भी विभाग क्षेत्र समितियों के अंतर्गत थे उनके वेतन के आहरण और वितरण का अधिकारी हुआ करता था लेकिन इस अधिकार को आपने वापस ले लिया जो भी विभाग हैं- सिंचाई विभाग हो, चाहे आर0ई0एस0 हो और चाहे आपका पब्लिक स्वास्थ्य केन्द्र उनके अधिकारी कर्मचारी जो हैं इन सभी के वेतन का आहरण और वितरण मूल विभाग द्वारा होता है क्या कंट्रोल है। कौन सा प्रशासनिक नियंत्रण बी0डी0ओ0 करेगा पंचायत के प्रधान, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायत अधिकारियों को इन पर कौन सा प्रशासनिक नियंत्रण दिया गया है। कुछ नहीं दिया गया है। केवल एक दिखावटी आपने कागज पर उन विभागों को, पंचायतों को सौंप रखा है और श्रीमन्, अब पंचायत राज विभाग जिले का हेड होता है जिला पंचायत राज अधिकारी ।

उसको आपने द्वितीय श्रेणी का अधिकारी तो बना दिया है लेकिन उसको वेतनमान बी0डी0ओ0 से भी कम मिलता है। जब जिला पंचायत राज अधिकारी को बी0डी0ओ0 से कम वेतन मिलेगा तो वह क्या कंट्रोल करेगा। कैसे रिपोर्ट करेगा ? उनका वेतन बहुत ज्यादा न बढ़ायें तो भी बी0डी0ओ0 के समान कर दीजिये। तब प्रशासनिक नियंत्रण विभिन्न विभागों पर ठीक ढंग से हो सकता है। मान्यवर, बड़ी विडम्बना है कि ग्राम पंचायत का सारा काम देखने वाला ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम प्रधानों के अंतर्गत होता है, क्षेत्र समिति के अण्डर होता है लेकिन मान्यवर, अगर प्रधान चाहे कि हमारे ग्राम पंचायत का यह सचिव स्थानान्तरित कर दिया जाये तो बी0डी0ओ0 उसे स्थानान्तरित नहीं कर सकता है। अपने ब्लाक के अन्दर एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का स्थानान्तरण एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत को करने का अधिकार क्षेत्र पंचायतों के बी0डी0ओ0 को नहीं है। और पंचायती राज अधिकारी भी इन ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का स्थानान्तरण नहीं कर सकता है यह अधिकार दे रखा है आपने जिलाधिकारी को कि एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत में अगर स्थानान्तरण करना है तो उसका स्थानान्तरण जिलाधिकारी करेगा। बी0डी0ओ0 पहले ग्राम पंचायत अधिकारियों को स्थानान्तरण अपने ब्लाक के अन्दर ही एक गांव से दूसरे गांव में करता था लेकिन आपने यह अधिकार क्षेत्र पंचायत से वापस ले लिया और वापस लेकर जिले के पंचायत अधिकारी को न देकर एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट जो होता है जिलाधिकारी, आपने उसके हाथों में दे रखा है। माननीय पंचायती राज मंत्री जी इमानदारी के साथ सत्ता का विकेन्द्रीकरण करिये। राजीव गांधी की भावना के अनुरूप मैं कहना चाहता हूं कि आप तो कम से कम करिये क्योंकि आप राजीव गांधी के नेतृत्व में काम कर चुके हैं। आप उनके नेतृत्व में हमारे साथ रहकर कैबिनेट को सुशोभित किये हैं। 173वाँ संविधान संशोधन राजीव गांधी ने लाकर पंचायतराज को सुधार करने का काम किया है उसमें आपका योगदान होना चाहिए।

श्रीमन्, एक घोषणा मुख्यमंत्री हुआ करते थे माननीय राजनाथ सिंह, तमाम घोषणाएं कर गये चुनाव के पूर्व। ज्यादातर का पालन हुआ लेकिन उसमें एक तो एनामली कर बैठे हैं उसको तो ठीक करिये। ग्राम पंचायत में प्रधान के अविश्वास का प्रस्ताव पहले ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा हो जाया करता था लेकिन माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने इसमें संशोधन करने की घोषणा की, कर भी दिया ऐक्ट में संशोधन कर दिया अधिनियम की धारा 14 में संशोधन कर दिया कि ग्राम पंचायत के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव नहीं लायेंगे लेकिन गांवसभा के बालिग मताधिकार जिनको प्राप्त है, उनके जरिये दो तिहाई मतों के जरिये अविश्वास प्रस्ताव होगा लेकिन 6 माह बीत गये नियमावली के नियम 33 ख में संशोधन नहीं किया गया। दो साल से ज्यादा समय हो रहा है। 6 माह पहले से कई गॉव में प्रधानों के खिलाफ जहां शिकायत है और अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं लेकिन किसी जिले में अवश्विास का प्रस्ताव इसलिये नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है क्योंकि 33 ख नियम की नियमावली बनकर जो जानी चाहिए थी जिलों को वह नहीं गई है। मैं निवेदन करूंगा कि इस नियमावली में संशोधन कराकर जल्द जिलों में भेज दें ताकि जिन प्रधानों को जनता हटाना चाहती है उस पर त्वरित गति से कार्यवाई हो। आप जब हमारे साथ मंत्रिमंडल में थे माननीय पंचायतीराज मंत्री जी, आपको मालूम है कि हमारे कैबिनेट ने पास किया था कि ब्लाक प्रमुखों को मानदेय भत्ता मिलेगा, उनको 250 रुपया मानदेय मिला करता था लेकिन आपकी सरकार ने प्रमुखों के मानदेय भत्ते को बन्द कर दिया है। आप सोचें कि ब्लाक प्रमुख अगर किसी कार्यालय में जाता है, जिले की बैठकों में जाता है अगर उसको कुछ रुपया मानदेय भत्ते के रूप में

नहीं मिलेगा तो कैसे काम कर सकता है। माननीय राजनाथ सिंह ने प्रधानों की जेब गर्म कर दी वह 5,000 रुपया जेब खर्च के रूप में खर्च कर सकते हैं लेकिन उसके अनुरूप ब्लाक प्रमुखों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त और विकास निगम लखनऊ में था जो पंचायतों को पैसा उपलब्ध कराता था और कुछ उद्योग भी इस निगम के जरिये चला करते थे। इसको आपने तोड़ दिया है। कैसे तोड़ा, क्यों तोड़ा इस पर मैं नहीं जाना चाहता लेकिन आप कृपा करके जो इनके 37 कर्मचारी हैं छटनीशुदा, उनके लिए 70 लाख रुपये की व्यवस्था तो कर दीजिए, जिससे कि इनको वेतन मिल सके और अन्य किसी विभाग में समायोजित करने का आदेश पारित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

धर्मपाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने माननीय पंचायती राज मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण के पक्ष में अपना मत व्यक्त करने का मुझे अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ है गांव के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति, जो शोषित है, जो पीड़ित है, दलित है, उपेक्षित है, वंचित है, जिसे न्याय नहीं मिल रहा है उसे न्याय मिल जाये, यह है पंचायती राज व्यवस्था। मान्यवर, संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार एक व्यवस्था हुई इसमें सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास पर बल दिया गया। इसी के तहत उत्तर प्रदेश में पंचायतों का सशक्तीकरण किया गया। मान्यवर, इस समय प्रदेश में 58,028 ग्राम पंचायतें, 813 क्षेत्रीय पंचायतें और 70 जिला पंचायतें अस्तित्व में हैं। मान्यवर, पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और तीसरे नम्बर पर जिला पंचायत है। मान्यवर, ग्राम पंचायत महत्वपूर्ण कड़ी है पंचायतों की। सत्ता के विकेन्द्रीकरण में ग्राम पंचायतों को 12 विभागों की परिसम्पत्तियां सौंप दी गयीं और इसी के साथ 6 विभागों में काम करने वाले जो कर्मचारी थे उनको ग्राम पंचायतों में लिप्त कर दिया गया। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम से पहले व्यवस्था थी। न्याय पंचायत पर एक पंचायत अधिकारी हुआ करते थे। यह मिलते नहीं थे इसलिए सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की नियुक्ति कर दी और मान्यवर, क्षेत्र पंचायत में भी एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। पहले क्षेत्र निधि का संचालन खण्ड विकास अधिकारी किया करते थे अब हमारी सरकार ने इसे परिवर्तित करके क्षेत्र निधि में खण्ड विकास अधिकारी के साथ क्षेत्र पंचायत प्रमुख का नाम भी शामिल कराया है, ताकि उसका ठीक से संचालन हो सके। मान्यवर, सरकार द्वारा अब क्षेत्र निधि भी दी जा रही है ताकि क्षेत्र पंचायत के द्वारा, बी0डी0सी0 के सदस्यों द्वारा अपने वार्ड का विकास किया जा सके। एक और बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। जिला पंचायत स्तर पर पहली बार जिला ग्राम विकास अभिकरण का अध्यक्ष जो पहले जिलाधिकारी हुआ करते थे, अब हमारी सरकार ने उसको परिवर्तित करके जिलाधिकारी के स्थान पर जिला पंचायत अध्यक्ष को अधिकार दिया है। मान्यवर, इन सभी त्रिस्तरीय पंचायतों पर हमारी सरकार ने समितियाँ गठित कर दी, अब हर स्तर पर 6 समितियाँ बनायी गयी हैं ताकि किसी की मनमानी न चल सके, न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं। वैसे पंचायती राज मंत्री जी ने इनके बारे में काफी विवरण दिया है, अब इन समितियों के माध्यम से विकास किया जायेगा, अपने विकास की योजनायें बनायी जायेंगी। मान्यवर, आज मैं विशेष तौर से यह भी बताना चाहता हूँ कि गाँव पंचायत स्तर पर सरकार ने एक ऐसी अच्छी

व्यवस्था की है, जिसके द्वारा एक हजार तक की धनराशि गांव पंचायत के प्रधान रख सकते हैं। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। अब गॉव पंचायत स्तर पर 50 हजार रुपये का आगणन गांव पंचायत बना सकती हैं और इसमें कहीं परमीशन लेने की जरूरत भी नहीं है। मान्यवर, इन 3 स्तरों पर अविश्वास प्रस्ताव की बात आई थी, पहले व्यवस्था थी कि अविश्वास प्रस्ताव पंचायत प्रतिनिधि बनने के एक वर्ष के उपरान्त आ जाता था, हमारी सरकार ने इसमें परिवर्तन किया है, अब अविश्वास प्रस्ताव एक वर्ष के उपरान्त नहीं, 2 वर्ष के बाद आयेगा। पहले अविश्वास प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत पर 50 प्रतिशत पर आता था, अब हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि यह अविश्वास प्रस्ताव 2 तिहाई पर आयेगा। यह भी किया गया है कि यदि एक बार अविश्वास प्रस्ताव गिर गया तो फिर 2 वर्ष के बाद आयेगा। सरकार ने यह निर्णय इसलिये लिया ताकि जो चुने हुये प्रतिनिधि हैं, वह विकास का काम ठीक से कर सकें, उन पर अविश्वास प्रस्ताव की तलवार हर समय न लटकी रहे।

मान्यवर, मैं माननीय पंचायती राज मंत्री जी को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूँ। गांव में नालियाँ, खड़न्जे बनाये जाते हैं। कभी-कभी बहुत सारी गंदगियां व्याप्त हो जाती हैं। गॉव पंचायत की नालियों का ढलान तालाब की ओर किया जाय ताकि गांव की गन्दगी उसमें समाहित हो जाय। और गांव स्वच्छ रहें, साथ ही तालाबों को संरक्षित किया जाय। तालाब पट रहे हैं, तालाबों को पाटकर मकान बनाने की भी इजाजत दी जा रही है। मेरा सुझाव है कि तालाबों को संरक्षण किया जाय। तालाबों को अच्छी तरह से रखरखाव किया जाय। इन 3 व्यवस्थाओं के अलावा गॉव पंचायत स्तर पर छोटे-छोटे विवाद होते रहते हैं। गॉव का व्यक्ति कोर्ट-कचहरी के चक्कर में फँस जाता है, उसकी गाढ़ी कमाई झगड़ों में बरबाद हो जाती है। पहले न्याय पंचायतों में सरपंच की व्यवस्था थी और अब यह व्यवस्था पुन: लागू कर दी जाय तो ठीक रहेगी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पंचायती राज मंत्री जी को यह भी सुझाव देना चाहता हूँ कि बेसिक शिक्षा में अध्यापकों का अभाव है। अधिकांश प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों के अभाव में बंद रहते हैं। शिक्षा मित्रों का चयन किया गया है, अधिकांश विद्यालय एकल हैं इनमें शिक्षा मित्रों की तैनाती कर दी जाय ताकि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो जाय। मान्यवर, चूँकि आपने इशारा कर दिया है, इसलिये मैं अंत में माननीय पंचायती राज मंत्री जी के बजट भाषण पर बल देते हुये अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ।

श्री बलराम यादव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय उपाध्याय जी द्वारा पंचायती राज विभाग पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, पंचायती राज विभाग इस प्रदेश की 17 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। महात्मा गांधी ने सुराज की कल्पना पंचायतों के माध्यम से की थी। मान्यवर, आज उस विभाग का बजट ऐसे अनुभवी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूँ बहुत कम समय से यह विभाग उनके पास है। अभी उन्होंने इस विभाग के कार्य कलापों को पढ़ा भी नहीं होगा जिसके कारण अधिकारियों द्वारा जो बजट बनाकर दे दिया गया, यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इस पंचायती राज को मजबूत करने के लिए आजादी के बाद से ही सतत् प्रयास किए गये थे कि इस संस्था को सुदृढ़ किया जाए, शक्तिशाली बनाया जाए, प्रभावशाली बनाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस से पूर्व में भी जगन प्रसाद रावत की अध्यक्षता में इसको प्रभावी बनाने के लिए एक कमेटी बनायी थी लेकिन

उसकी संस्तुतियों को भी लागू नहीं किया गया। मान्यवर, 73वें संविधान संशोधन में जैसी परिकल्पना की गयी थी, वह भी पूरी नहीं हो सकी। मान्यवर, चाहे जिला पंचायत से सम्बन्धित जिला पंचायत के सदस्यों का संगठन हो, या प्रधानों के संगठन की बैठक हो, उसमें यह कहा जाता है कि विधायक लोग जहां कानून बनता है, विधान सभा में किसी न किसी रूप में अपने रास्ते में बाधक मानते हैं। जब भी इसे सुदृढ़ बनाने की बात आयी इसे कभी भी ईमानदारी से लागू नहीं किया गया। 73वें संविधान संशोधन की जो उप समिति बनी थी, मैं भी उसका सदस्य था यदि वास्तव में इन्हें अधिकार दे दिए जाते तो ऐसी स्थिति नहीं होती। आज भी पंचायतों के जनप्रतिनिधि असहाय हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष को जैसा अभी पूर्व पंचायती राज मंत्री कह रहे थे कि उन्हें डी0आर0डी0ए0 का अध्यक्ष बना दिया गया है लेकिन उनकी बेवसी को मैंने देखा है। जिस दिन डी0आर0डी0ए0 का अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष को घोषित किया गया, उससे पहले जिलाधिकारी डी0आर0डी0ए0 का अध्यक्ष होता था। लेकिन मान्यवर, चाहे इधर के सदस्य हों या उधर के हों, उनकी अध्यक्षता में होने वाली बैठक में हम सब भाग लेते थे, उनके पास प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार हुआ करते थे। मान्यवर, जब धर्मपाल सिंह जी पंचायती राज मंत्री थे, एक आदेश जारी हुआ था कि जिला पंचायत के अध्यक्षों को प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिए जायेंगे लेकिन वह आदेश एक हफ्ते भी नहीं रह पाया। नौकरशाहों और अफसरशाहों के चक्कर वह जी0 ओ0 वापस कर लिया गया। स्थिति यह है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष के डी0आर0डी0ए0 का अध्यक्ष होने के बाद भी उसे एक पैसे की चेक पर दस्तखत करने का अधिकार नहीं है। डी0आर0डी0ए0 का अध्यक्ष जब जिलाधिकारी होता था, वह सम्पूर्ण कार्य करता था। मान्यवर, जिले में विकास भवन बने हुए हैं। विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी के साथ-साथ विकास भवन में जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्यालय हुआ करते थे और हम लोग उनमें बैठा करते थे, जिलाधिकारी से मिला करते थे। आदेश जारी कर दिया कि डी0आर0डी0ए0 अध्यक्ष जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा और जिला पंचायत अध्यक्ष डी0आर0डी0ए0 का कार्य संचालन अपने कार्यालय से किया करेगा, मान्यवर जिलाधिकारी हो तो जिला विकास कार्यालय से किया करेगा, लेकिन जन-प्रतिनिधि नहीं कर सकता। डी0आर0डी0ए0 अब क्या अनुश्रवण करेगा, किन फाइलों को देख सकेगा, असहाय की स्थिति है। यहां के अधिकारियों की टीम केरल गई थी वहां प्रशासनिक ज्ञान अर्जित करने के लिए मान्यवर, दक्षिण भारत के राज्यों से जो ज्ञान अर्जित करके आये थे, शायद इसीलिए असहाय हो गए जिला पंचायत के अध्यक्ष। इसीलिए आज पंचायती राज की जिस भावना को सुदृढ़ करने की बात कही जाती है वह नहीं हो पा रही है, उसी तरह से क्षेत्र पंचायत प्रमुख की है। मान्यवर, कहते थे कि हमने जिला अध्यक्ष निधि में उनका सह खातेदार बना दिया है दोनों की सहभागिता से पैसा निकला करेगा, ब्लाक प्रमुख का और खण्ड विकास अधिकारी का। क्षेत्र पंचायत निधि जिसमें ज्यादा पैसा जाता है लेकिन वह सुनिश्चित रोजगार याजना का जो पैसा पाएगा उस खाते में क्षेत्र पंचायत प्रमुख के नाम खाता में नहीं होगा। तो मान्यवर, क्षेत्र पंचायत के कार्यों को सही ढंग से निस्पादित करने के लिए प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब-जब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन होता है तब-तब प्रदेश में जन प्रतिनिधियों की सरकार नहीं होती चाहे इधर के सदस्य हों चाहे उधर के सदस्य हो, किसी की सरकार हो, यह अफसरशाह उन जन प्रतिनिधियों के अधिकारों को खत्म करने को तैयार रहते हैं। मान्यवर, मैं समझता हूं कि जब इस विधान सभा का गठन हुआ था तो 15 रुपये हम विधायकों के आने-जाने का भत्ता था, बढ़ते -बढ़ते ढाई सौ हो गए और क्षेत्र पंचायत का डेढ़ सौ रुपये ही है और अपना

रुपया लेने की क्षमता भी पंचायत क्षेत्रों के अध्यक्ष के पास नहीं रह गई है। यह दुर्भाग्य और विडम्बना भी है कि वाह्य सहायतित योजनाओं पर न इन मंत्रियों का नियंत्रण होता है, चाहे कोई भी योजना हो, चाहे विश्व बैंक की योजना हो या भारत सरकार की योजना हो। कुछ मंत्री प्रभावशाली होते हैं, उनका नियंत्रण हो सकता है जैसे हुकुम सिंह जी हैं। लेकिन वाह्य सहायतित योजनायें सरकारी अधिकारियों की हैं, न उन पर वित्त नियंत्रक का न अंकुश है, न महालेखापरीक्षक का अंकुश है। यह तो अधिकारियों का वजीफा है। बेसिक शिक्षा की डी0पी0ई0पी0 योजना है बहुत बड़ी योजना है, 45 करोड़ रुपये की है लेकिन अब वह प्रधान और प्रधानाध्यापक के ज्वाइंट खाते में नहीं बनेंगे। अब उनके लिए समन्वयक गठित किया गया है। प्रधान के सम्मान के लिए बहुत सी बातें कही गयी हैं कि प्रधान का यह सम्मान है, वह सम्मान है। ग्राम सभा के किसी चकरोड पर अतिक्रमण हटाने के लिए उप जिलाधिकारी के पास जाता है और अगर थाने पर जाता है तो किन शब्दों से थानेदार उसकी इज्जत करता है, वह इधर व उधर दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से छिपा नहीं है। वह शब्द मैं नहीं कहना चाहता, असंसदीय हो सकती है कि . . .. आ गये प्रधान। यह है पंचायत की व्यवस्था। अब जनप्रतिनिधि जागरूक हैं, वह हम लोगों को लांछित करते हैं कि हम लोग उनके अधिकारों पर बाधक हैं। पंचायती राज मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया है, बहुत अनुभवी और योग्य मंत्री के पास यह विभाग है। अगर ईमानदारी से और सही मायने में पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा गांवों की सत्ता का विकेन्द्रीकरण के द्वारा ग्राम पंचायतों को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो ईमानदारी से उनके अधिकारों का संरक्षक केवल सरकार को नहीं इस पूरी विधान सभा को बनना होगा। नहीं तो मान्यवर, आजादी के बाद से आज तक पंचायतों को शक्तिशाली नहीं बनाया गया, पंचायतें विधवा आश्रम हो गयीं, इससे अधिक नहीं हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पंचायतों के द्वारा बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। भारत सरकार की सहायता से सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम। माननीय मंत्री जी ने बताया कि 18 करोड़ रुपया हमारे 10-12 जिलों के लिए रखा गया है। श्रीमन्, इसमें यह कहा गया कि 40 प्रतिशत पैसा इसके प्रचार-प्रसार पर व्यय होगा। एक नौटंकी हमारे जिले में इसके उद्घाटन के अवसर पर हुई थी, इस अभियान के शुभारम्भ पर जो खर्च आया वह 20 लाख रुपये का आया था। एक व्यक्ति जो गाने के लिए आया था उसको 80 हज़ार रुपये का पेमेण्ट किया गया था, मंत्री जी इसको भी दिखवा लेंगे। मान्यवर, आपसे कहना चाहता हूं कि 500 रुपये में कौन सा शौचालय बन सकता है जब आप कटौती प्रस्ताव का उत्तर देंगे तब बताने का कष्ट करेंगे। आपने इस सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये हैं कि इतने शौचालय बने वह कोई भी क्रियाशील शौचालय नहीं है। मैं ज्यादा चुनौती नहीं देना चाहता। आपके इस कार्यालय से 10-15 कि0मी0 पर चिनहट ब्लाक, बख्शी का तालाब ब्लाक है आप दिखवा लें कि जो 500 रुपये में शौचालय बने हैं वह क्रियाशील है ? मान्यवर, जो भी करना हो व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। इस पैसे का अपव्यय हो रहा है। इसके लिए एक भी बैठक जनप्रतिनिधियों के साथ नहीं हुई । इस बजट में कोई नई योजना इन्होंने नहीं दी है। वाह्य सहायतित योजनाओं के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वह सही ढंग से वह नहीं कह पा रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव है कि आपके जो स्वच्छता कार्यक्रम हैं इनको आप ठीक तरह से लागू करा दें। इससे इस प्रदेश का भला होगा। आज बड़ी पीड़ा होती है जब हम सड़कों पर गाड़ी से जा रहे होतें हैं तो शौचालय न होने के कारण अगर कोई हमारी मां, बहनें या बेटियां अगर सड़क के किनारे शौच कर रही होती हैं तो बीच में उठ जाती है। यह गांव में महिलाओं के लिए शाप है। अगर उन्हें कहीं बाहर जाना होता है और यदि दिन होता है तो शौच करने के लिए अंधेरे का इंतजार करते-करते हमारी

माताएं, बहनें बीमार पड़ जाती हैं। मेरा अनुरोध है कि अगर यही स्वच्छता कार्यक्रम का मापदंड है तो कृपया इसे ठीक करने का कष्ट करें। इसके लिए हम मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे। जिन 12 जिलों को इस योजना के तहत चयनित किया गया है वहां पर यह योजनाएं विफल हो गयी हैं अधिकारियों के लापरवाही से। इसको ठीक करवा देंगे तो यह एक प्रभावी जनसेवा होगी। इसके साथ ही जो प्रस्ताव श्री उपाध्याय जी ने पेश किया है मैं उस पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री राम इकबाल-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया इसके लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। मान्यवर, पंचायती राज व्यवस्था भारत के कण-कण में है। हजारों वर्ष पुरानी इस देश की यह व्यवस्था है। यह अलग बात है कि आजादी के बाद इसको कानूनी रूप दिया गया लेकिन आजादी के सेनानियों का सपना था ग्राम स्वराज्य, महात्मा गाँधी जी का सपना था राम राज्य। मान्यवर, पंचायती राज व्यवस्था में जो 72वाँ संशोधन है उसके तहत इसमें माननीय मंत्री जी ने और पूर्व की सरकारों ने कई क्रान्तिकारी परिवर्तन किए हैं। लेकिन अभी भी इसको और करने की आवश्यकता है। मान्यवर, 1945 में जापान समाप्त हो गया लेकिन आज वह दुनिया में शिखर पर है। 1949 से चीन अपनी यात्रा शुरू कर आज शिखर पर है। 1947 से हमने भी अपनी यात्रा शुरू की लेकिन यह दुर्भाग्य है कि आज भी उत्तर प्रदेश की 42 प्रतिशत आबादी निरक्षर है। और सबसे ज्यादा गांवों में है। आज भी गांवों में 85 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो खेतों में शौच करने के लिए पानी को लांघ कर, डंडी का सहारा लेकर जाते हैं। यह एक अमानवीय कृत्य है। मान्यवर, 500 रुपये की व्यवस्था अनुदान के रूप में शुरू हुई। यह उत्साहित करने की व्यवस्था है लेकिन जो सम्पन्न लोग हैं वह अपनी व्यवस्था खुद ही किए हुए हैं। जो गरीब हैं उन्हें उत्साहित करने की यह योजना है। लेकिन न जाने कितनी ही संख्या में ऐसे लोग भी हैं। जिनके पास शौचालय बनाने की जगह तक नहीं है। महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र की आबादी करीब एक लाख के लगभग है जिसके पास जगह नहीं है जहां शौचालय का निर्माण कराया जा सके। उनके खेत की डांड़, नहर की पटरी और सड़क का किनारा ही शौचालय के रूप में काम आता है। देहातों में जो ऐसे टीले हैं अगर वहां ग्राम समाज की जमीन उपलब्ध हो तो उस जमीन पर अगर जमीन उपलब्ध नहीं है तो जमीन का क्रय करके सामूहिक शौचालयों का निर्माण किया जाना चाहिये। इसी तरह से महिला शौचालयों का भी निर्माण किया जाना चाहिए तो यह क्रांतिकारी कदम होगा। एक तरफ हम दुनियां से मुकाबला करने की बात करते हैं दूसरी तरफ हमारे देश के 85 फीसदी नर-नारी मैदान में शौच करने के लिये जाते हैं यह अच्छी बात नहीं है। मान्यवर, पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था लेकिन मुझे कहने में संकोच नहीं है कि जो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष हैं और जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं इनके चुनाव में धन माफिया पहुंच गये हैं और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में लाखों रुपये दिये जा रहे हैं जिससे भारी भ्रष्टाचार है। सदस्यों को चुराकर बड़े-बड़े शहरों में रखा जाता है और महिला सदस्यों को उनके रिश्तेदारी में 2-4 बंदूकों के साये में अलग रखा जाता है ताकि उनके वोट किसी व्यक्ति विशेष को मिल सकें। यह देखकर यह लगता है कि यह गांधी जी और बोस, जय प्रकाश नारायण, दीन दयाल उपाध्याय जी का देश नहीं है। इसलिये क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा सीधे होना चाहिये । यह अच्छी बात है कि पिछली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है हमारे पंचायत राज्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सभी दलों के नेताओं को प्रधान मंत्री से मिलना चाहिये और लोकतंत्र को बचाने के लिये क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव सीधे जनता से कराने के लिये मांग करनी चाहिये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में एम0एल0ए0 को भी मतदाता बनाया जाय। इसी तरह से 11वें वित्त आयोग और एस0आर0वाई0 के जो फंड हैं उसमें विधायकों का भी हिस्सा होना चाहिये ताकि वह विकास कार्य करा सकें। विधायकों को अपमानित होना पड़ता है। हमारे पंचायत राज मंत्री जी सक्षम मंत्री हैं, उनको लम्बा चौड़ा अनुभव है अनेक सरकारें चला चुके हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे प्रस्ताव के अनुसार कार्य करने की कृपा करें। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि आज गांवों में लड़कों को खेलने की जगह नहीं है इसलिये गांव से खेलकूद का वातावरण समाप्त हो रहा है कोई जगह आज नहीं बची है। हम पूरी दुनियां से खेलों में टक्कर ले सकते हैं। शहरों में क्रिकेट, बालीबाल, बास्केट बाल खेलने की व्यवस्था होती है और स्टेडियम होते हैं लेकिन गांवों में स्टेडियम की व्यवस्था न होने से ग्रामीण क्षेत्रों से खिलाड़ी तैयार नहीं हो पाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम ग्राम पंचायत में एक स्टेडियम बनवाने की व्यवस्था करें यह एक क्रांतिकारी कदम होगा। इसी तरह से गांवों में लड़कियों के खेलने के लिये कोई जगह नहीं है। इसी तरह से किसी भी ग्राम सभा में कोई इण्टर कालेज लड़कियों के लिये नहीं है । जहां पर साइंस पढ़ाने की व्यवस्था हो। इसी का परिणाम है कि यूनीवर्सिटी में लड़को से ज्यादा लड़कियों की संख्या हो गयी है। शहरी क्षेत्र में ऐसा होता जा रहा है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। मैं आपसे मांग करता हूं। क्षेत्र पंचायत सदस्य काफी गरीब संख्या में लोग है। जब वह बैठकों में जाते हैं तो उस दिन उनको 200 रुपए चाय पानी के मिलना चाहिए। यह छोटा सा सुझाव है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष के दरवाजे पर रोज 10-20 लोग चाय पी जाते हैं। 4-6 लोग भोजन करते हैं जो अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं ग्राम प्रधान। इसलिए ग्राम प्रधानों को पांच हजार रुपए महीने मिलने चाहिए जिससे वह आने जाने वाले लोगों का अपने दरवाजे पर सत्कार कर सकें। यह माना जा रहा है कि जो फंड जाता है उसी से यह खर्च करते हैं। जो बजट है उसका 40 प्रतिशत लूट में चला जाता है इंजीनियर और ठेकेदारों के माध्यम से । वह अपना घर भर रहे हैं। इस भ्रष्टाचार को रोका जाए। धन की कमी नहीं है। यह कहते हुए प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सिद्धगोपाल साहू--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने पंचायती राज विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूं। गांवों में जो ग्राम विकास अधिकारी तैनात होते हैं उनका स्थानान्तरण का अधिकार केवल जिलाधिकारी के पास है। इससे गांव-गांव में बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं कि जिस तरह से एस0डी0एम0 द्वारा अपने क्षेत्र में लेखपाल के स्थानान्तरण का अधिकार होता है उसी तरह से प्रत्येक विकास खण्ड में जो बी0डी0ओ0 होते हैं। उनको अपने क्षेत्र में ग्राम पंचायत अधिकारी के स्थानान्तरण का अधिकार मिलना चाहिए। इसके साथ-साथ एक और समस्या है जो विकास खण्डों में कार्यों का चयन होता है वह कही-कहीं ज्यादा होता है कही-कहीं कम। कुछ न्याय पंचायत क्षेत्र का विकास ज्यादा हो जाता है कुछ का कम होता है। कोई क्षेत्र विकास से छूट जाता है। इसमें न्याय पंचायत को आधार मानकर विकास कराया जाए। तो ज्यादा संतुलित विकास होगा। शासन का

एक आदेश है कि जो ग्राम विकास अधिकारी हैं वे अपने क्षेत्र में निवास करें जहां पर उनकी तैनाती है। लेकिन ग्राम विकास अधिकारी कभी भी अपने तैनाती के गांव में नहीं रहते हैं। इससे गरीब ग्रामीण जनता को कोई कार्य पड़ता है तो परेशानी होती है। तो इस आदेश का कड़ाई से पालन कराएं। जिससे यदि किसी को आवश्यकता हो तो ग्राम विकास अधिकारी उपलब्ध हो। बहुत से ग्राम पंचायत अधिकारी ऐसे हैं कि यदि गरीब अनुसूचित जाति का कोई प्रधान हो तो वह उसको सहयोग नहीं करते हैं। मेरे क्षेत्र में एक ऐसा गांव है वहां प्रधान को निर्वाचित हुये दो साल हो गये। ग्राम विकास अधिकारी ने कहा है कि इस प्रधान के समय तक मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। हमारी महोबा विधान सभा में विकास खण्ड जैतपुर के ग्राम कुड़ई है यहां की मैं बात कर रहा हूँ। यदि इस पर विशेष ध्यान देकर जांच कराकर उस ग्राम विकास अधिकरी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करा देंगे तो अनुसूचित जाति के प्रधान का उत्पीड़न नहीं होगा। वह बहुत परेशान है। पंचायत राज व्यवस्था में इस समय यह हो रहा है कि यदि किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो कुछ दिन तो चाहें वह प्रधान हो या ग्राम विकास अधिकारी हो बाहर रहता है, वाद में मिल मिलाकर पुन: कार्य करने लगता है। पुन: उसी पद पर कर दिया जाता है। हम यह मांग करते हैं कि एक सक्षम अधिकारी से जांच करायें, जो भी कायर्वाही हो सोच-समझ कर कार्यवाही करें ताकि कुछ सुधार हो। मान्यवर, ग्राम पंचायत क्षेत्र में हर गांव में तालाब हैं। मगर तालाबों में लोगों का अतिक्रमण है। यह आदेश होना चाहिए कि उन तालाबों का सीमांकन कराकर पट्टे दे दिये जायं मछुआ समुदाय को जिससे वाटर रिचार्जिग हो और ग्रामीण जनता को रोजगार भी मिल सके। पेयजल की समस्या का निराकरण हो सके।

*श्री देव नारायन उर्फ जी0एस0 सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पंचायती राज व्यवस्था पर माननीय मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, हम उसका समर्थन करते हैं तथा अपने भी कुछ विचार देना चाहते हैं। मान्यवर, पंचायती व्यवस्था चाहे ग्राम पंचायत की हो, क्षेत्रीय पंचायत की हो, या जिला पंचायत की हो या उत्तर प्रदेश की पंचायत व्यवस्था हो या देश की। यह सब पंचायत व्यवस्था एक सी है लेकिन स्तर अलग-अलग है। मान्यवर, मेरा कहना है कि जनता का ध्यान जिस पंचायत व्यवस्था के प्रति अधिक रहता है उसकी सहभागिता अधिक होनी चाहिए। मेरे ख्याल से जनता का दिमाग विधायकों को ज्यादा जिम्मेदार मानता है। विधायकों की जिम्मेदारी जनता के प्रति ज्यादा रहती है। यहां पर पक्ष और विपक्ष के विधायकगण बैठे हैं। जब अपने क्षेत्रों में जाते होंगे क्षेत्र की जनता सांसदों की जिम्मेदारी भी उतनी महसूस नहीं करती जितनी वह विधायकों की अपनी समस्याओं के प्रति करती है। अपनी समस्याओं का सारा हिसाब-किताब विधायकों से लेना चाहते हैं । मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इंदिरा आवास के वितरण में भी विधायकों से प्रस्ताव लिये जायं क्योंकि ग्रामीण पंचायत स्तर पर चुनावी नजरिये से जहां जिन लोगों को अपेक्षित किया जाता है वह जनता अपनी फरियाद लेकर विधायकों के पास जाती है और विधायकों के पास कोई जवाब नहीं रहता सिवाय यह कहने के कि अपने ग्राम प्रधान से सम्पर्क करिये। मैं यह चाहता हूं कि ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत का चुनाव जनता के द्वारा करा दिया जाय क्योंकि ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में धाँधलेबाजी, गुण्डागर्दी और पैसे का बोल-बाला हो जाता है। यह चुनाव जनता के द्वारा होना जरूरी है। हमारे ख्याल से यह जनता के हित में होगा और मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो शिक्षा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मित्रों का गलत कार्यक्रम प्रधानों के द्वारा युगल चल रहा है उसको एकल कर दिया जाय शिक्षा मित्रों के लिये, क्योंकि मेरे पास लगभग 500 शिक्षा मित्रों की शिकायत दर्ज है कि ग्राम प्रधानों के द्वारा उनकी सेलरी में से, जो उन्हें दी जाती है उसमें कमीशन मांगने का काम किया जाता है। मान्यवर, यह मेरा प्रस्ताव है और इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं, और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, माननीय उपाध्याय जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और इस पर अपने विचार रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह जो मंत्री जी की परफारमेन्स (आय-व्ययक) पुस्तिका बटी है, इसमें जो धनराशि आयोजनेत्तर और आयोजनागत दिखाई गई है यह पिछले वर्ष के मुकाबले अब कम है। आप देखेंगे इसके पेज-7 पर 2001-2002 में पंचायती राज विभाग का ख़र्च टोटल आया आयोजनागत और आयोजनेत्तर मिलाकर 92 हजार 1417.93 रुपया, अबकी बार बजट प्रस्तुत किया गया है अबकी आय व्यय में आया है 82 हजार 235.66, इस प्रकार धन की कमी है इसको देखें तो हो सकता है वेतन में कटौती की हो यह सोचा, योजनाओं में शायद कटौती की हो यह सोचा, मान्यवर, पेज-8 पर देखें पंचायती राज की योजनायें थीं जिसमें धन व्यय कर रहे थे वह ज्यों की त्यों हैं पिछली बार से थोड़ा बढ़ा है 2001 में 24 हजार 73.44 लाख खर्चा किया यह पुनरावृत्ति नहीं है पूरा व्यय आया है अबकी बार आयोजनागत 25,172.25 खर्चा करेंगे, यह थोड़ी बढ़ोत्तरी हुई है आयोजनागत कम है और आयोजनेत्तर व्यय ज्यादा है जबकि आयोजनागत ज्यादा होता है आयोजनेत्तर कम, आप जो बजट बना रहे हैं . . . .(व्यवधान) (कई सदस्यों के कुछ कहने पर) माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं मंत्री से गुजारिश करना चाहता हूं उनकी कार्य-कुशलता में कमी नहीं है, लेकिन उनके आते ही बजट में कटौती क्यों हुई है यह बता दें। मैं दो-चार सुझाव देना चाहूंगा, बहुत लोगों को बोलना है मैं संक्षेप में कर रहा हूं एक-दो बातें सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं आपने बहुउद्देशीय कर्मी बनाए हैं यह वहां के स्थायी कर्मचारी नहीं हैं इनको इधर-उधर से समायोजित किया गया है, कहीं ट्यूबवैल आपरेटर को बहुउद्देशीय बना दिया है, कहीं असिस्टेंट को बना दिया है और कहीं पंचायती राज सेक्रेट्री को बना दिया है, ग्राम सेवक को बना दें तो ठीक है लेकिन दूसरे विभाग के लोगों का समायोजन किया गया है इससे एक भी ट्यूबवेल नहीं चल रहा है आपरेटर बैठे ग्राम पंचायत का नक्शा बनाते हैं ट्यूबवेल से कोई मतलब नहीं है यह ट्यूबवेल जिसको राजकीय सिंचाई विभाग न चला सके उसको निजी ग्राम प्रधान को दे रहे हैं, जो कर्मचारी कार्य नहीं कर पा रहे हैं उनको वापस कर दें, और कहीं से व्यवस्था करके बहुउद्देशीय कर्मी लावें।

(व्यवधान)

दूसरी बात कहना चाहूंगा हैण्डपम्प के रख-रखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को दे दी , ग्राम पंचायतों के पास कोई मिस्त्री नहीं है मैं एक गांव में गया 9 हैण्डपम्प खराब थे। 1980 के पहले वहां के निवासी पानी नदी से पीते थे, 1980 में मैं विधायक बना तो मैंने बोरिंग कराकर पम्प लगवाया, कोई एजेंसी कोई मिस्त्री वहां नहीं है अगर खराबी आ जाए तो वह ठीक नहीं कराया जा सकता है जिस तरह से आपने ट्रेनिंग देने के लिए और विभागों में एजेन्सी, खोली गई है उसी तरह से हर ब्लाक में एक-एक मिस्त्री नामित कर दें हर गांव में जो हैण्ड पम्प हैं वह ठीक कराए जाएं यह आवश्यक है दूसरी बात जो आपसे सिफारिश करनी है वह यह है कि जो-जो बहुउद्देशीय कर्मचारी हैं

इनका स्थानान्तरण जिले में कलेक्टर कर सकता है लेकिन मण्डल में कमिश्नर नहीं कर सकता है। इसको आप यह कर दें कि मण्डल स्तर पर कमिश्नर भी कर दे। यह संशोधन हो जाय तो ठीक रहेगा। तीसरी बात जो चुनाव है जिला पंचायत ब्लाक प्रमुख का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो लोग चुनाव में बम्बई कलकत्ता तक छिपा देते हैं तो इस व्यवस्था को खत्म कराने के लिए सीधे चुनाव करा लें। अगर आप नगर पालिका में बीस लाख तक की आबादी में करा सकते हैं तो जिला पंचायत के अध्यक्ष चौदह-पन्द्रह लाख तक की आबादी में नहीं हो सकते। दूसरी बात अविश्वास के प्रस्ताव पर कहना चाहूंगा। यह कहां का नियम है, पिछली बार भी नियम बदला जा रहा था, तत्कालीन मुख्य मंत्री बीर बहादुर जी थे तो कहा था। दो तिहाई पर अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार होगा ? चुनाव हो 50 प्लस 1 पर और अविश्वास हो दो तिहाई पर तो इसको बदल दें। चुनाव का जो नियम है बहुमत से एक अधिक तो यह अविश्वास का प्रस्ताव भी उसी तरह से होना चाहिए। यह संशोधन आप जरूर लायें। एक बात और कहना चाहूंगा कि यह जो काम हैं सम्पूर्ण रोजगार योजना के इन प्रधानों के कार्यों को नियंत्रित करें। पहले एस0डी0एम0 से कराये जाते थे . . .

श्री अधिष्ठाता --

अब आप खत्म करें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

इसमें कोई ऐसी व्यवस्था करें जहां आदमी शिकायत कर सके। 10 रुपये के स्टाम्प लेकर नकल मिलती है। वह स्टाम्प लेकर घूमता रहता है बी0डी0ओ0 के आगे लेकिन वह आर्डर देता नहीं है इसको आप तहसीलदार को अधिकृत कर दें तो ठीक होगा। बहुत सी गड़बड़ी हो जाती है। मैं आपने ब्लाक की एक घटना बताता हूं एक सड़क थी देऊली से सोनवर्षा । इसका दो लाख अड़सठ हजार इस्टीमेट निकाला गया। जब यह पूछा गया कि किसने यह सड़क बनायी। सोइल कंजरवेशन ने कहा हमने और क्षेत्र पंचायत से कहा हमने। जांच हो गयी। बी0डी0ओ0 को दण्डित करने का प्रस्ताव हुआ जब यहां प्रश्न लगा तो यह कहा गया कि सूचना एकत्र की जा रही है। एक और प्रकरण है हमारे इटवा के प्रधान हैं, अपने बेटे, बेटी के नाम पर, दामाद के नाम पर चार आवास लिया, कलेक्टर से जांच हुई और एक बार रिकवरी का आदेश हुआ। मैंने सवाल लगाया रिकवरी होगी कि नहीं तो यह लिख दिया गया कि कोर्ट में चले गये हैं। अगर स्टे नहीं है तो रिकवरी कराने का काम कराया जाय। यह 408, 409, 420 में धोखाधड़ी का काम है इस पर कार्यवाही करें। अंत में मैं यही कहूंगा कि इसका बजट बढ़ायें। माननीय उपाध्याय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देता हूं।

*श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा--

अधिष्ठाता महोदय, पंचायत राज विभाग के बजट पर आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मान्यवर, त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होने पर गांवों में अधिक लोगों के अन्दर प्रसन्नता हुई और इसमें चाहे महिलायें हों चाहे अनुसूचित जाति वर्ग या कमजोर वर्ग के लोग हों, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के स्तर तक सभी की भगीदारी सुनिश्चित हुई है। और इसमें प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ली है। मान्यवर, गांवों में सबसे प्रमुख समस्या जो है वह पेय जल की है और प्रधान को पेय जल की व्यवस्था के लिए जो अधिकार दिये गये हैं वे अधिकार पर्याप्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं हैं और इसके कारण लोगों को अभी विधायकों से याचना करनी पड़ती है और इस सदन के माध्यम से हम लोगों को कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं कि हम कोई व्यवस्था करें। यदि हम विधायक निधि से धन देते हैं तो उसमें प्रधानों से और वहां के लोगों से समिति बना कर धन दिया जा सकता है। इससे जो अधिकार हैं वह सही जगह पर प्रयोग नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, बहुत बड़ी संख्या में महिलायें इसमें आगे आई हैं। और यह विधान सभा में बजट पेश हुआ है उसका मैं समर्थन करती हूं और अनुरोध करती हूं कि उन्हें और अधिकार मिलें। मान्यवर, जिला पंचायत में विधायक पदेन सदस्य हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत यह बताना चाहती हूं कि धन पहले राज्य सरकार के माध्यम से खर्च होता था, अब जिला पंचायत के माध्यम से खर्च होने की व्यवस्था है। मान्यवर, विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो ग्यारहवें वित्त आयोग की व्यवस्था है, वह पूर्ववत् लागू रहे बाकी विधायक भी अपनी भागीदारी कर सकें।

*श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल--

मान्यवर, मैं पंचायती राज मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, जिस पंचायती राज का सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था उस पंचायती राज का बजट प्रस्ताव आज आया है और कल स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्मदिन है। उसकी महत्ता के अनुसार शायद पुरानी बात माननीय मंत्री जी को याद आ गयी होगी। मान्यवर, राजीव गांधी जी ने 1989 में तालकटोरा ग्राउन्ड में पूरे देश के ग्राम प्रधानों से लेकर नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद् के तमाम सम्मानित प्रधानों और अध्यक्षों को वहां बुलाया था। तीन दिन तक लगातार चर्चा चलती रही उस समय माननीया मोहसिना किदवई जी आवास एवं नगर विकास मंत्री थी और उसके बाद इसे लागू किया गया। मैं राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि देता हूं मान्यवर, जो काम प्रधानों के माध्यम से अनाज व नगद मूल्य मजदूरी के रूप में कराये जाते हैं उनका सत्यापन वहां के अधिकारी, जे0ई0 करते हैं। ऐसी एक सभा गाजियाबाद के जिलाधिकारी महोदय ने की थी जिसमें गाजियाबाद के प्रधानों को बुलाया गया था उसमें इस बात का सवाल उठाया गया था कि प्रधानों द्वारा कराये गये कामों का जब वे सत्यापन करते हैं तब उनसे पैसा मांगा जाता है। मैं कहता हूं कि ऐसी व्यवस्था हो कि जो कार्य जमीन पर कराये जाते हैं उसका सत्यापन अधिकारियों के माध्यम से न होकर जनता के चुने हुए नुमाइन्दों के माध्यम से हो। ताकि उस पर नियंत्रण किया जा सके। मान्यवर, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से जो धन मिला उससे स्कूल बनवा दिये गये, प्राइमरी स्कूल बंनवा दिये, पढ़ाई का सत्र चालू हो चुका है, शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं उनके नेतृत्व में गांव देहात से लेकर शहरों महानगरों में स्कूल चलों अभियान चलाया गया। वहां बच्चे आ गये। लेकिन अध्यापकों की व्यवस्था नहीं की गयी। बच्चे खेलकर वापस चले जाते हैं इसलिये शिक्षकों की व्यवस्था कराने की कृपा करें। मान्यवर, अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे मुझे प्रसन्नता हुई थी। गांव में खेलकूद के बारे में बताना चाहता हूं कि तमाम जमीनें पड़ी हुई हैं वहां पर किसी ने किसी रूप में पंचायतों के माध्यम से खेलकूद के लिए चाहे फुटबाल हो, बैडमिन्टन हो बालीबाल हो , व्यवस्था कराई ज़ाए ताकि वहां से खेलकर बच्चे जिले के स्टेडियम तक आ सके और अपना विकास कर सकें। मान्यवर, एक तरफ ग्राम सभाओं की जमीनों पर सन् 2002 तक जिन अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का कब्जा है उनको उसका हक मिल जायेगा, हमें इसका विरोध नहीं है लेकिन उन जमीनों पर जो अन्य गरीब जाति के लोग हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लौहार, बढ़ई हैं वह अन्य लोग हैं जिनके पास 20 गज 50 गज जमीन है, वह गरीब चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, गरीब होता है, उनका ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा है तो उसको उन्हें देने की कार्यवाही की जाय।

मान्यवर, चिकित्सा के बारे में कहना चाहता हूं जिला स्तर पर सी0एम0ओ0 के पास पर्याप्त डाक्टर्स हैं लेकिन ब्लाक स्तर पर या जिला पंचायत स्तर पर बिल्डिंग नहीं है बिल्डिंग न होने के कारण चिकित्सा के अभाव में लोग दम तोड़ते हैं तो वहां भी हेल्थ सेन्टर बनवाये जायें ताकि लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सके। मान्यवर, अभी एक चर्चा हुई थी शौचालय के बारे में । मैं इस बात से सहमति व्यक्त करता हूं कि बहुत से लोग जिनके घर 10-15 गज के अन्दर बने हुए हैं उनके यहां शौचालय की व्यवस्था नहीं है तो जिस तरह से महानगरों में, शहरों में, नगर पालिकाओं में शौचालय का निर्माण किया जाता है उसी तरह से गांवों में ग्राम सभा की जमीन पर कराया जाय ताकि महिलाओं को शर्मिन्दा न होना पड़े।

मान्यवर, गाजियाबाद के अन्दर भूमि ढूंढते रहे और फिर ऐसी जगह शौचालय बना दिया जहां उनका उपयोग नहीं है क्योंकि उन्हें धन खपाना था तो मान्यवर, कुछ ऐसा करें ताकि छोटे तबके के लोगों को फायदा मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और एक बात कहना चाहता हूं कि एक भाई हमारी सरकार, हमारी सरकार का सम्बोधन कर रहे थे लेकिन बजट में बहन मायावती द्वारा प्रस्तुत बजट तो मान्यवर, यह तय करना पड़ेगा कि सरकार बहन मायावती की है या हमारी है। धन्यवाद ।

श्री मुंशी लाल गौतम--

माननीय अधिष्ठाता महोदय एवं सम्मानित सदस्यगण, नेता प्रतिपक्ष, नेता सदन, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत इन पंचायतों का गठन क्यों हुआ इनकी अवश्यकता क्यों पड़ी। 26 जनवरी, 1950 को बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर ने कहा था--हमने रानी के पेट से राजा बनाना बन्द कर दिया मुखिया का बेटा मुखिया, रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा अब राजा बनेगा चुनाव से।

संविधान के अनुसार एक गांव में एक पंचायत के माध्यम से एक चुनाव प्रणाली बनी उसमें गांव के सदस्य के लिए आरक्षण, गांव के प्रधान के लिए आरक्षण, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए आरक्षण, क्षेत्र के प्रमुख के लिए आरक्षण, जिला पंचायत सदस्य के लिए आरक्षण, जिला अध्यक्ष के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। मैं पंचायतराज के बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जो पंचायत से सम्बन्धित जो सारी सम्पत्ति है, गांव का चकरोड, गांव के खड़ंजे, ग्राम समाज की भूमि, ग्राम पंचायत के तालाब, उसकी देखरेख करने के लिए उन्हें चुना गया था लेकिन आज दुर्भाग्य है कि सड़क की भी तरफ किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं जाता। सरकार द्वारा सड़क बनायी जाती है। आमने-सामने वाले सड़क को काट लेते हैं लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो राष्ट्र सम्पत्ति है, उस पर जो अनाधिकृत कब्जा कर लेते हैं उसके खिलाफ सरकार द्वारा दण्ड का प्रावधान किया जाये और वह अधिकार ग्राम पंचायत को दे दिया जाये। जो बैठकें होती हैं उसमें छोटे गरीब लोगों को बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है उसमें वही बोलते हैं जो धनवान हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो पंचायत भवन हैं जो निर्माण कराये जा रहे हैं वह अनुसूचित जाति की बस्ती के अन्दर बनवाये जायें, जहां पर वह मीटिंग व सामाजिक कार्य कर सकें। शिकारपुर में लखावटी ब्लाक में सराय

छबीला नामक एक गांव है जब वहां का विकास कार्य देखा गया तो जिसने भी ग्राम प्रधान थे उनकी बहुउद्देशीय कर्मी द्वारा बहकाया गया और अपने कब्जे में ले लिया गया, इसलिये विकास नहीं हो पाया। मान्यवर, उसकी जांच कराई जाये। गांव में जो काम थे चाहे वह पत्तल बनाने का काम हो, चाहे कुम्हार का काम हो, चाहे मोची का हो, चाहे बढ़ई का हो, चाहे नाई का काम हो, आज वह लोग गांव से अपना पलायन कर रहे हैं क्योंकि गांव में कुम्हार के बर्तन बनाने हेतु मिट्टी निकालने के लिए मिट्टी नहीं मिलती और आवास की भी व्यवस्था उनके लिए की जाये। गांव की आय कैसे बढ़े ? गांव के जो मुर्दा-मवेशी का ठेका है वह जिला पंचायतों से होता है और जिला पंचायत ठेकेदारों से सांठगांठ करके जो पेशेवर नहीं है परन्तु धनवान लोग हैं उनको दे देते हैं। जो इस काम को उसी गांव के पेशेवर व्यक्ति से कराते हैं। उसी गांव में रहने वाला व्यक्ति जो इस काम को करता है उसी से वह मुर्दा-मवेशी उठवाया जाये तथा उसे ही ठेका दिया जाये जिससे कि जो आय हो वह पंचायत में लगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं तथा मा0 मुख्य मंत्री को धन्यवाद देते हुये इस पंचायत राज बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने पंचायती राज विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं माननीय श्याम सूरत उपाध्याय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उस पर बल देता हूं। समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक श्री बलराम यादव और श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी ने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं, उसका मैं जोरदार समर्थन करता हूं।

मान्यवर, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उसने प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय और ग्राम पंचायत भवन बनाने के लिये भूमि पूजन कराया था। ऐसा लग रहा था कि यह सरकार भूमि पूजन करा रही है तो यह ग्राम पंचायतों को धन देकर गांव सभाओं में ग्राम सचिवालय और पंचायत भवन का निर्माण भी करायेगी, लेकिन ग्राम पंचायतों को इसके लिये एक भी पैसे का बजट में प्राविधान नहीं किया गया और जिसका परिणाम यह है कि सारे प्रदेश में भूमि पूजन कराने के बाद वह जमीनें खाली पड़ी हैं, उस पर कहीं भी कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सरकार की नीयत है तो पंयाचत राज मंत्री स्पष्ट रूप से जवाब दें कि उसके लिये वह कौन सी व्यवस्था करने जा रहे हैं, कितने धन का प्राविधान उसमें करने जा रहे हैं ?

मान्यवर, एक उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस वित्त निगम का क्या काम है, उसके द्वारा पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिये, ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिये, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिये कौन सी भूमिका निभाई गई है और सरकार ने इसके बारे में क्या निश्चय किया है, वह इसके द्वारा क्या काम लेना चाहती है ? मान्यवर, यदि कोई काम उसके पास नहीं है तो या तो उसे बन्द कर दिया जाय या तो उसे क्रियाशील बनाकर पंचायत की तीनों स्तरीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में भूमिका का निर्वहन कराया जाय।

बहुउद्देशीय कर्मी के सम्बन्ध में अन्य विभागों के कर्मचारियों को उसमें लगाया गया है, जिनको पंचायत राज के काम का कोई अनुभव नहीं है। जिन विभागों से यह लोग आये, न उन विभागों का काम हो रहा है और न पंचायतों का काम हो रहा है। जैसे नलकूप विभाग से नलकूप चालकों को, नहर विभाग के कर्मचारियों को पंचायत विभाग में लगा दिया गया, उन्हें कोई

जानकारी नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, इस वजह से न इन विभागों का काम हो पा रहा है और न पंचायतों का काम हो पा रहा है।

मान्यवर, ग्राम पंचायतों की आय को बढ़ाने के लिये संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायतों द्वारा तालाबों, पोखरों, जलाशयों का पहले 10 वर्षीय पट्टा 1975 से हुआ करता था, गांव के मछुआ समुदाय के लोगों को कस्टमरी राइट रहा है, पुश्तैनी पेशा रहा है, इससे उनको रोजगार मिलता था, दूसरे ग्राम पंचायतों को कुछ आय भी होती थी, लेकिन अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एक फैसला हुआ है कि इससे सम्बन्धित भी शासनादेश है, उसे रद्द कर दिया जाय, इससे एक संकट पैदा हो गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की पंचायतों की आय इससे घटेगी और दूसरी तरफ इस प्रदेश के लाखों मछुआ समुदाय के लोगों की जीविका मारी जा रही है। इसलिये सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह एडवोकेट जनरल को बुलाकर सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ विशेष अपील दायर करके इस आदेश को स्थगित करायें, नहीं तो बड़ा संकट पैदा हो जायेगा। एक तरफ पंचायतों की आमदनी मारी जायेगी और दूसरी तरफ लाखों मछुआ समुदाय के लोगों की जीविका समाप्त हो जायेगी।

मान्यवर, मेरा यह भी सुझाव है कि जिला पंचायत अध्यक्ष तथा ब्लाक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाना चाहिए। साथ ही उनको वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार भी दिये जायें। इसके अलावा खण्ड विकास अधिकारी की चरित्र पंजिका में उसका करेक्टर रोल लिखने का अधिकार ब्लाक प्रमुख को दिया जाय और ग्राम्य विकास अभिकरण के अध्यक्ष के रूप में जिला पंचायत के जो अध्यक्ष बनाये गये हैं, उन्हें वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिया जाय। साथ ही ब्लाकों का पुनर्गठन किया जाय, जिन ब्लाकों में 60 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं उससे उन ब्लाकों का अनुश्रवण नहीं हो पाता है और विकास की योजनायें सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं। इसलिये जो बड़े ब्लाक हैं, उनका पुनर्गठन किया जाय। इस तरह से ग्राम पंचायतों में जो 4 हजार से ज्यादा आबादी की ग्राम पंचायतें हैं, उनका भी पुनर्गठन करके 2 ग्राम पंचायतें बनाकर वहां पर ग्राम पंचायतों का जो कंसेप्ट है, उसके हिसाब से गांव के लोगों को लाभान्वित कराने का प्रयास किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे पंचायती राज विभाग के इस बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, धन्यवाद। मान्यवर, मैं राजीव गांधी जी का आभारी हूं जिन्होंने संविधान में संशोधन करके हिन्दुस्तान में पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक क्रान्तिकारी कदम उठाया। लेकिन मान्यवर, आज यह संविधान में संशोधन तक सीमित है। चुनाव में आरक्षण तक हम सीमित हैं। पंचायती राज व्यवस्था के तहत प्रशासनिक अधिकारी जो जन प्रतिनिधियों को दिये गये हैं, वे किताबों में तो दिये हुए हैं, लेकिन धरातल पर पूरे नहीं हैं। मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत है। ग्राम पंचायतों में प्रधान को जो प्रशासनिक अधिकार दिये गये हैं, ग्राम पंचायतों में जो समितियां बनायी गयी हैं, आज वास्तव में किसी भी समिति को मूल रूप में अधिकार नहीं दिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गये हैं। समितियों की भी ग्राम पंचायतों में मीटिंग्स नहीं होती हैं। मान्यवर, मैं दो बार ब्लाक प्रमुख रहा हूं, अपना अनुभव बताना चाहता हूं। क्षेत्र पंचायत को भी अधिकार दिये गये हैं लेकिन बी0डी0ओ0 का यदि वह कृपा पात्र है तो वह ब्लाक प्रमुख ठीक है, अन्यथा बेकार है। मान्यवर, ब्लाक और ग्राम पंचायत में प्रशासनिक व्यवस्था में संशोधन किया गया कि वेतन का वितरण, अवकाश, वेतन वृद्धियां और जो भी लघु और दीर्घ दण्ड दिया जायेगा। वह क्षेत्र पंचायत की प्रशासनिक समिति प्रस्तावित करेगी लेकिन आज कोई भी खण्ड विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी उन समितियों के अधिकारों को मानने के लिये तैयार नहीं है क्योंकि उनके अधिकारों का संरक्षण नहीं हो रहा है।

मान्यवर, शिक्षा समिति जैसी महत्वपूर्ण समिति, जो प्रदेश की गरीब जनता है, जिसके बच्चों की शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का यह हाल है कि वह महीनों पढ़ाने नहीं जाते, प्रधान लिखकर दे--कोई औचित्य नहीं, ब्लाक प्रमुख लिखकर दे, कोई औचित्य नहीं। इस सम्बन्ध में अमेन्डमेन्ट किया गया था कि जब तक गांव सभा की सम्बन्धित प्रशासनिक समिति उनकी उपस्थिति का विवरण नहीं देगी तब तक उनका वेतन नहीं मिल सकेगा लेकिन उसमें भी संशोधन कर दिया गया कि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक यदि गांव सभा की समिति उपस्थिति का विवरण नहीं भेजती तो यह मान लिया जायेगा कि उसकी उपस्थिति ठीक रही। मान्यवर, इसमें अमेंडमेंट किया जाय और यह व्यवस्था की जाए कि जब तक ग्राम पंचायत का प्रधान या समिति का प्रमाण-पत्र नहीं देती कि उपस्थिति सन्तोषजनक रही तब तक वेतन नहीं दिया जायेगा। मान्यवर, ब्लाक प्रमुखों की कई समस्यायें हैं, वहां बैठने की व्यवस्था नहीं है। ब्लाक में जब क्षेत्र पंचायत की मीटिंग होती है उसमें ब्लाक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को चाय भी नहीं पिला सकता, मानदेय की भी कोई व्यवस्था नहीं है। क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष यदि मीटिंग में जाता है तो उसे आने-जाने या मानदेय की कोई व्यवस्था नहीं हैं। मान्यवर, उसे प्रशासनिक अधिकार तो दिये गये हैं लेकिन वह खण्ड विकास अधिकारी की कृपा के तहत् है। ब्लाक प्रमुख द्वारा उनको जो इन्ट्री देने की व्यवस्था है वह आज भी क्रियान्वित नहीं है।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि हर जिला में एक समिति बननी चाहिए जिसमें जन-प्रतितिधि भी हों, जिलाधिकारी हो और बैठक महीने या 6 महीने समय निश्चित किया जाय जिससे पंचायती रान के समस्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराया जाय। मान्यवर, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की एक बिडम्बना यह है कि क्षेत्र पंचायत के सदस्य ग्राम पंचायत के पदेन सदस्य तो हैं लेकिन उन्हें हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार नहीं है, उनके अधिकार सुनिश्चित किये जायें। मान्यबर, गरीबी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। बी0पी0एल0 का नाम रजिस्टर में ग्राम पंचायत के द्वारा अंकित कर दिया जाता है जिसमें जो वास्तविक हकदार द्वारा जो भूमिहीन हैं उनको फायदा बहुत कम मिल पाता है और अन्य लोग उठा लेते हैं इसलिए मान्यवर, इस सूची को जो ग्राम पंचायतों में बनी है, उसका सरलीकरण किया जाय और वर्तमान में जो लोग गरीब हैं उन्हें इन्दिरा आवास और अन्य सुविधायें दी जा सकें, जो ब्लाक के स्कूल हैं उसे अधिकार दिया जाय। एक और हमारे जिले की अहम समस्या है कि मिट्टी का तेल, गेहूं, चावल और अन्य जो खाद्य रसद की चीजें हैं जैसे मिट्टी का तेल है उसके दाम 9.35 रु0 है और हमारे जिले में 11 से साढ़े ग्यारह रुपये में बिक रहा है काफी कहने के बावजूद भी इसका नियंत्रण नहीं हो रहा है मैं चाहता हूं कि जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हों उन्हें दण्डित किया जाय और मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस पंचायती राज के बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

मान्यवर, बजट के कटौती पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय श्याम सूरत उपाध्याय, सीताराम जी आदि ने जो कटौती के प्रस्ताव पर बल दिया है मैं उनका समर्थन करता हूं। मान्यवर, पंचायतीराज का सपना था कि गांव में सारी व्यवस्थाएं होंगी, उनको पूरे अधिकार मिलेंगे। मान्यवर, जो व्यवस्था देखने को मिलती है, मान्यवर, न तो क्षेत्र पंचायत का कोई अधिकार है, न तो कोई कार्रवाई ही होती है। मान्यवर, मुझे क्षेत्र पंचायत की बैठकों में जाने का मौका मिला, वहां कोई अधिकारी नहीं जाता है, जिससे कोई काम नहीं हो पाता, जिसका हमारे जन-प्रतिनिधियों को बहुत दुःख है। मान्यवर, शिक्षा विभाग पंचायतराज को दे दिया गया है, मान्यवर, जो दुर्दशा है गांवों की आजादी के 55 साल के बाद भी गांव के हर व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिल सकी है। करोड़ों-अरबों रुपय खर्च करने के बाद स्थिति आज भी वही बनी हुई है। तमाम ऐसे विद्यालय हैं जहां पर अध्यापक नहीं हैं, अगर अध्यापक है तो एक है, पता चला कि वह मीटिंग में चला गया तो विद्यालय बन्द हो जाता है। कुछ विद्यालय तो ऐसे हैं जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी नहीं खुलते हैं। जनपद बांदा के तिन्दवारी ब्लाक में ग्राम साड़ी के मजरा बगैना डेरा में 15 अगस्त को भी विद्यालय नहीं खुला है तो वहां प्रवेश के बारे में क्या बतायें ? मान्यवर, जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहा शिक्षा का कोई साधन नहीं है, ऐसे गांवों में अध्यापकों की व्यवस्था होनी चाहिए। शहर के नजदीक आप देखेंगे कि छात्र संख्या से ज्यादा अध्यापक मौजूद रहते हैं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सभी विद्यालयों में अध्यापक पर्याप्त संख्या में रहे। तमाम ऐसे गांव हैं जहां की आबादी 300 से 400 की है लेकिन आजादी के 55 वर्ष बीतने के बाद भी वहां पर प्राथमिक विद्यालय नहीं है और 5 किलोमीटर तक बच्चे पढ़ने जाते हैं जबकि शासनादेश है कि 250 की आबादी पर प्राथमिक विद्यालय खुल जाना चाहिए। मान्यवर, ब्लाक जसपुरा के ग्राम गडरिया के मजरा पडवनिया डेरा तथा नॉदादेव के मजरा मथुरापुरी में प्राथमिक विद्यालय खोला जाना चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, राजकीय नलकूप ग्राम सभा को दे दिये है, उनकी दशा खराब हो गयी है, सारे ट्यूबवेल फेल हो गये हैं। जसपुरा ब्लाक में 105 ट्यूबवेल हैं वह ज्यादातर फेल हो रहे हैं। गड़रिया, डाडामऊ, पचकौरी, नरायण, मरझा, सवादा, मवई घाट करीब एक दर्जन से ज्यादा ट्यूबवेल हैं जो बन्द पड़े हैं। पाइप लाईन क्षतिग्रस्त हैं, साइफन की स्थिति खराब है, बिजली मिल नहीं रही है, किसान यह आस लगाये बैठे हैं कि सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बगल में सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराने की कृपा करें, जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। मान्यवर, जो पड़ताल होती है, वह खतौनी देखकर हो रही है जिसके नाम खेत है उसके नाम पड़ताल कर दिया भले ही उसने सिंचाई की हो या न की हो, सींच दर्ज हो जाती है। इस व्यवस्था को खत्म करना चाहिए जिससे किसानों का शोषण न हो सके। इसके अलावा मान्यवर, हैण्ड पम्पस के बारे में बताना चाहता हूं, तमाम हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं, ग्राम पंचायतों के पास मिस्त्री नहीं है। इन हैण्ड पम्पों के रख-रखाव के लिए बहुत थोड़ा पैसा दिया जाता है जिससे इनका रख-रखाव नहीं हो पा रहा है। इतना कम पैसा होता है कि कोई सामान नहीं खरीदा जा सकता है, मजदूरी तक के लिए पैसा नहीं होता है। इनके रख-रखाव के लिए धनराशि बढ़ायी जाये जिससे समुचित रखरखाव हो सके। स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने पैसा खर्च करके व्यायामशालायें बनवायी हैं, उनमें से बहुत से अतिक्रमण के शिकार हो गये हैं। बाँदा जनपद में बड़ोखर खुर्द के ग्राम मवई बुजुर्ग में व्यायामशाला पर अवैध कब्जा है। सरकार का लाखों रुपया बर्बाद हो गया है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान देने का काम करें।

मान्यवर, प्रदेश में सूखे की भयावह स्थिति है। हमारे यहां भी सूखा पड़ा है। मान्यवर, सम्पूर्ण रोजगार योजना के सभी कार्य जे0 सी0 वी0 मशीनों तथा ट्रैक्टरों द्वारा कराया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह मांग रकता हूं कि यह काम मजदूरों से कराया जाय। मैं, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने निषाद समाज के लिए दस वर्षीय सम्बन्धी शासनादेश जारी कर पट्टे दिए थे। आज की सरकार की स्थिति यह है कि हमारे पट्टे निरस्त किये जा रहे हैं। और कोई नए पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं। जनपद अम्बेडकर नगर में तहसील बसखारी के हरी लाल, सचिव मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि0 मसड़ा मोहनपुर का गलत ढंग से पट्टा निरस्त कर दिया गया है। नदियों के पट्टों की नीलामी की जा रही है। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि नीलामी खत्म करके मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को पट्टा दिया जाये। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री शंख लाल माझी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं। आपने पंचायती राज के बजट पर बोलने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। स्वतंत्रता के बाद 1947 में संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम पारित करके 1949 में पहली बार ग्राम सभाओं का गठन किया गया था। मेहता समिति की सिफारिश पर 1961 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर बल दिया गया। और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में 73वां संशोधन करके पंचायती राज अधिनियम, 1947 को सुदृढ़ किया गया। विकेन्द्रीकरण के प्रथम चरण में ग्राम पंचायतों को 12 विभागों की परिसम्पत्तियां देते हुए और 6 विभागों का कामकाज सौंप ग्राम सभा स्तर पर सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया और विभागों को पूर्ण अधिकार दिए गये। माननीय पंचायती राज मंत्री जी ने अभी जो अधिनियम में और इस बजट में जो व्यवस्थाएं दी हैं इसके लिए हम उनके आभारी हैं। मैं एक सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चहूंगा कि अभी मंत्री जी ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 5 हजार 28 ग्राम पंचायतें हैं और इन पंचायतों में 1/2 ग्राम पंचायतों में ग्राम सदस्यों और अध्यक्षों के बैठने के लिए जगह नहीं है। जिस पंचायती राज व्यवस्था में अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के बैठने के लिए जगह नहीं है कैसे कल्पना की जा सकती है कि ऐसे परिवेश में पंचायती राज व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू कराया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि अगर पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो पंचायती व्यवस्था के सदस्यों को बैठने के लिए नीतिगत निर्णय लेने के बैठने की व्यवस्था की जाय। ग्राम सचिवालय के निर्माण के बारे में अभी माननीय सीताराम निषाद जी कह रहे थे। पूर्ववर्ती सरकारों ने भूमिपूजन कराया था। उम्मीद जगी थी कि ग्राम के चयनित पदाधिकारियों के बैठने के लिये उनके नीति निर्णय के लिये व्यवस्था हो जायगी लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं हुयी। मेरा अनुरोध है कि ग्राम पंचायत के ग्राम सचिवालय बनाने के लिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है जिसकी व्यवस्था की जाय। मान्यवर, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष जो चुने जाते थे वह 5 साल काम करते थे और इसी आशा से अच्छा काम करते थे कि दोबारा जीत कर आयेंगे। लेकिन चक्रानुक्रम आरक्षण होने के कारण सबसे ज्यादा नुकसान पंचायतों का हुआ है क्योंकि प्रधान जानते हैं कि चाहे जितना अच्छा काम करेंगे दोबारा चुनकर नहीं आना है। इसलिये इस व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं। मेरा यह सुझाव है कि जिस प्रकार से विधायक चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था है उसी प्रकार की व्यवस्था की जाय जिससे आने वाले दिनों में ऐसे प्रधान दोबारा चयनित हों और ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायतों का विकास हो।

मान्यवर, एक समस्या और है कि तमाम क्षेत्र पंचायतों में 80-100 ग्राम हैं। आकार बड़ा होने के कारण विकास का अनुश्रवण ठीक से नहीं हो पाता है। ऐसे ब्लाक जहां पर इनकी ग्राम पंचायती की संख्या ज्यादा है उसके लिये एक मानक बनाया जाय और ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम पंचायतें उसमें रखी जाय। इसी तरह से जहां पर आबादी 4-5 हजार है वहाँ पर कम से कम 2 हजार की आबादी की एक ग्राम पंचायत की व्यवस्था करनी चाहिये। मान्यवर, अभी तक ग्राम पंचायत में जलाशयों, मीनाशयों को कस्टमरी राइट के वरीयता के आधार पर मत्स्य पालन और मत्स्य आखेट के लिये, पट्टे पर मछुवा समुदाय के लोगों को दिया जाता था जिससे वह मत्स्य पालन और मत्स्य आखेट करके अपनी आजीविका चलाते थे। लेकिन अब यह अधिकार उनसे छीन लिया गया है। हाईकोर्ट से जो निर्णय दिया है उस सम्बन्ध में सरकार को एडवोकेट जनरल की राय लेनी चाहिये और हाईकोर्ट ने जो स्थगन आदेश दिया है उसको मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कराना चाहिये। मान्यवर, इन शब्दों के साथ आपने जो बोलने केलिये समय दिया है उसके लिये धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मान्यवर, माननीय श्याम सूरत उपाध्यायय जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। हमारे नेता डा0 राम मनोहर लोहिया ने सर्वप्रथम चौखम्भा राज्य बनाने का सपना देखा था। डा0 राम मनोहर लोहिया की यह उपज थी उन्होंने ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए यह बात शुरू से उठाई थी। यह सारी सरकारें जो भी बनीं, पंचायतों के लिए अधिकार देने की बात तो करती रहीं लेकिन सर्वप्रथम पंचायतों में आरक्षण की सुविधा हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने दी। और गरीब आदमी जो गांव का कमजोर आदमी जो कभी सोच भी नहीं सकता था किम हम ब्लाक प्रमुख बनेंगे, बी0 डी0 सी0 के सदस्य बनेंगे, ग्राम प्रधान बनेंगे, जिला पंचायत के चेयरमैन या सदस्य बनेंगे, ऐसे गरीब लोग जो निरीह लोग थे उनको माननीय मुलायम सिंह जी ने पंचायतों के माध्यम से अधिकार देकर पहली बार सम्मानित करने का काम उत्तर प्रदेश में किया। मैं पंचायत राज मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पंचायतों में जो सचिवालय बन रहे हैं जो योजना पूर्व की सरकार ने शुरू की थी वह अधूरी पड़ी हुई है बहुत सारे गांव में अभी तक पंचायतों में सचिवालय काम नहीं कर रहे हैं। जहां पर गांव में पंचायत भवन नहीं है न्याय पंचायत स्तर पर उसको शीघ्र से शीघ्र बनवाने की व्यवस्था करें। ताकि पंचायतों की बैठक सुचारु रूप से हो सके।

मैं पंचायत राज मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि गांव में जो पहले पंचायती अदालतें थी उन पंचायती अदालतों में छोटे-मोटे मामले तत्काल हल हो जाया करते थे। अगर पंचायती अदालतों का गठन हो जाए तो गांव के छोटे-मोटे विवाद जो होते हैं चाहे 151, 107, 323 के मुकदमें हैं वह गांव में पंचायती अदालतों द्वारा हल कर लिए जाएंगे। इससे अदालतों का बोझ भी हल्का होगा। मैं पंचायत मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पंचायती अदालतों का गठन फिर से किया जाए। श्री बलराम यादव ने जो शौचालय निर्माण की बात कही है उसके सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि गांवों में शौचालय के लिए 500 रुपये दिये जा रहे हैं आप खुद सोच सकते हैं कि 500 रुपये में किस तरह से शौचालय का निर्माण होगा। यह ऊँट के मुँह में जीरा होगा। वह कहां से इसमें सीमेन्ट का इन्तजाम करेगा, कहां से ईंट का इन्तजाम करेगा, कहां से मजदूरी व अन्य सामान का इन्तजाम करेगा। माननीय मुलायम सिंह जी के समय इसके लिए तीन हजार रुपये मिलते थे उसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक डेढ़ हजार मिलाकर अच्छा शौचालय बन जाता था। मैं पंचायत राज मंत्री जी से चाहूंगा कि इस धनराशि को बढ़ाकर कम से कम 5000 रुपये कर दी जाए। यह धनराशि पंचायतों के माध्यम से दी जाए। इस पैसे में शौचालय का निर्माण हो जाएगा। गांवों में जो समितियां बनी हैं चाहे निर्माण समिति हो, विकास समिति हो या अन्य समिति हो यह मनमाने तरीके से बना ली जाती हैं। एक सुझाव देना चाहता हूं कि गांव में जो भूतपूर्व प्रधान हैं या नम्बर दो पर रहने वाला व्यक्ति प्रधानी के चुनाव में। उनकी अध्यक्षता में भी समिति बनाई जाए। दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे। एक सुझाव और मैं देना चाहता हूं कि बी0 डी0 सी0 के सदस्य चुने जाते हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं है। केवल ब्लाक की मीटिंग में जाते हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि उनके भी सुझाव गांव पंचायतों में लिए जाएं। क्योंकि गांव में उनकी बात सुनी नहीं जाती है। गांवों में पेयजल का संकट है। रिबोरिंग होनी चाहिए। नल बेकार पड़े हैं। एम0 एल0 ए0 गांवों में जाते हैं तो देखते हैं कि 8-10 साल से नल खराब पड़े हैं। नलों के खराब होने की सूचना ग्राम प्रधान ब्लाक को देते हैं और ब्लाक में सूचना दर्ज होती है। आज तक कोई मिस्त्री नहीं मिलता रिवोरिंग के लिये और उन खराब नलों को ठीक करने के लिये। पहले ग्राम प्रधानों को अधिकार दिया था कि वे अपने खर्चे से 1500 रुपये वाला जो नल मिलता था उसको लगा सकता था मलिन बस्तियों में लेकिन वह भी बाद में बन्द कर दिया गया है। बड़े नल मिलते नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत को फिर से अधिकार दिया जाय। जहां पेयजल की समस्या है, दिक्कत है, रिबोरिंग होनी है, ग्राम प्रधान अपने बजट से 1500 रुपये वाले नल लगवा सके। इसी तरह से गांवों में दवाइयों का अभाव है। जो ए0एन0एम0 नियुक्त होती हैं वह समय पर मिलती नहीं हैं। रात को दिक्कत ज्यादा आती है। यह सब ग्राम पंचायत के अधीन होना चाहिये। जिससे वह देखभाल कर सके। इसी तरह से प्राइमरी पाठशालाओं के बारे में कहा गया कि कहीं पर एक भी अध्यापक नहीं हैं। मांग करने पर भी अध्यापक नहीं मिलते हैं। मेरा कहना है कि ग्राम प्रधानों को अधिकार मिलना चाहिये कि वह अध्यापक के अटेंडेंस रजिस्टर पर दस्तखत करें। मान्यवर, मैं विशेष रूप से पंचायती अदालत के बारे में माननीय पंचायती राज मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पंचायती अदालत को फिर से सक्रिय करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अली बहादुर–

मान्यवर, आपने मुझे पंचायती राज मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत तीनों स्तर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत इन तीनों स्तर में निधियों का प्राविधान है। जिला पंचायत स्तर पर जिला पंचायत निधि है। उसमें जो भी धन जिला पंचायत को मिलता है, वह संयुक्त हस्ताक्षर से जिला पंचायत अध्यक्ष और अतिरिक्त मुख्य अधिकारी से निकाला जाता है। गांव पंचायत स्तर पर जो निधि है उसमें विकास कार्यों के लिये जो पैसा दिया जाता है वह संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम पंचायत के प्रधान और पंचायती सचिव के हस्ताक्षर से आहरण वितरण होता है। परन्तु क्षेत्र पंचायत स्तर पर अभी यह बहुत बड़ी कमी रह गई है कि सम्पूर्ण रोजगार योजना का धन क्षेत्र पंचायत को मिला है उसमें ब्लाक प्रमुख और खण्ड विकास अधिकारी संयुक्त हस्ताक्षर आहरण वितरण करते हैं। इसके अलावा जो भी धन ब्लाक को मिलता है चाहे वेतन हो, अनुदान हो या अन्य विकास कार्य का हो इसमें निधि का संचालन करने के लिये संयुक्त हस्ताक्षर का प्राविधान नहीं है। केवल खण्ड विकास अधिकारी आहरण वितरण करते हैं। मेरा अनुरोध है कि इस

स्तर पर यह जो दोहरी पालिसी अभी तक कायम है इसको खत्म करके तीनों स्तर पर होने वाले समस्त प्रकार की निधियों में जो धन आता है उसमें आहरण वितरण के लिये संयुक्त हस्ताक्षर की एकरूपता की व्यवस्था बनाई जाय। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र पंचायत स्तर पर आवश्यक वस्तु वितरण प्रणाली पर क्षेत्र पंचायत का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। पहले पूर्ति निरीक्षक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी क्षेत्र पंचायत के नियंत्रण में काम करते थे अब वह उससे निकल गये हैं। यह जन हित का मामला है दोनों को ब्लाक के नियंत्रण में किया जाये। इसके अलावा एक सुझाव यह भी है कि ग्राम पंचायत सेक्रेटरियों का स्थानान्तरण आज भी पंचायत राज अधिनियम तथा क्षेत्र पंचायत की अनुसूची के अन्तर्गत, ब्लाक के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत करती थी। लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन में अधिकार दिया गया तो वह अधिकार क्षेत्र पंचायत से लेकर जिलाधिकारी को दे दिया गया है, एक गांव से दूसरे गांव में जिलाधिकारी को स्थानान्तरण करना होता है। क्षेत्र पंचायत में कोई व्यवस्था नहीं है पहले इसमें जो पुरानी व्यवस्था थी मेरा सुझाव हैं उसको बहाल कर दिया जाए। इसी के साथ मैं पंचायती राज बजट का जो माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि सर्वसम्मति से इसको पास करने की कृपा करें। मैं समर्थन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री दद्दू प्रसाद–

श्रीमन्, सवा सात से ऊपर हो चुका है दो विभागों का और बजट है तीन घंटे से इस पर चर्चा हो रही है मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि पूरे सदन के माननीय सदस्यों की समस्या को ध्यान में रखते हुए इसको जल्दी से पास करा लें ताकि दूसरे विभागों पर भी चर्चा हो सके।

(व्यवधान)

*डा0 कौशल किशोर–

मान्यवर, आपने हमंको पंचायती राज के बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, भारतीय संविधान में पंचायती राज को यह अधिकार दिया गया है, जिला पंचायत को यह अधिकार दिया गया है कि पानी की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था इसी के साथ मत्स्य पालन, पशुपालन के लिए समस्त अधिकार जिला पंचायत को दिया गया है। संविधान में दिया गया यह अधिकार है लेकिन इन अधिकारों को जिला पंचायत को नहीं दिया गया है जो विकास हमारी जिला पंचायत के थ्रू होना चाहिए वह नहीं हो रहा है इससे विकास में बड़े पैमाने पर बाधा आ रही है इसी कारण जो विकास के लिए पंचायतों में पैसा दिया जाता है वह बड़े पैमाने पर पैसा नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि इनको अधिकार नहीं दिया गया है। विकास कार्य इसी कारण नहीं हो पा रहा है। देश की आजादी के 55 साल बाद एक तिहाई विकास का काम हुआ है एक तिहाई से ज्यादा विकास का काम नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूं बजट में माननीय मंत्री जी ने कहा है लेखानुदान द्वारा स्वीकृत 4,30,45,54 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। मान्यवर, गांव में जो पंचायती राज अधिनियम जो लागू किया गया है इसमें प्रधान को, जिला पंचायत सदस्य को, बी0डी0सी0 को मंत्री को, ब्लाक प्रमुख को, जिला पंचायत अध्यक्ष को किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जात है। ग्राम प्रधान 20 हजार से एक लाख तक खर्चा करके चुनाव जीतकर आता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष लाख रुपया चुनाव में खर्चा करते हैं और वेतन के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता है इसलिए उसकी नियत विकास के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए मिलने वाले धन पर लगी रहती है। इसलिए पंचायती राज अधिनियम को लागू करने का तरीका गलत है पंचायती राज ठीक है लेकिन पंचायती राज के पदाधिकारियों की नियत सही नहीं है, मेरा अनुरोध है कि ग्राम प्रधान से लेकर बी0डी0सी0, ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष का वेतन निर्धारित नहीं करेंगे तब तक पंचायती राज सफल नहीं होगा। किसी ईमानदार आदमी को आप प्रधान बना दें जब वह 20 हजार रुपया खर्चा करके चुनाव जीतकर आयेगा तो उसके बाद अगर वेतन नहीं देते हैं तो वह कमीशनखोर बनने पर मजबूर होता है। जिसकी वजह से विकास के काम में बाधा पड़ती है। यह अनियमितता है और इसे दूर किया जाय। मान्यवर, जो पंचायत के चुनाव में पिछली बार और उसके पहले जो नामांकन पत्र में फीस जमा करायी गयी थी वह प्रधान, बी0डी0सी0, जिला पंचायत सदस्य की वह राशि वापस नहीं की गयी है। वह राशि वापस होनी चाहिए। मान्यवर, जो चुनाव कराने का ढंग है सरकार अपनी तरह से चुनाव कराये और प्रत्याशियों को सरकार की तरफ से मीटिंग बैठक निश्चित करायी जाय तभी यह पंचायत राज लागू हो पायेगा। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से विकास का काम नहीं हो पा रहा है तो फिर चार अरब तीस करोड़ पैंतालीस लाख चौवन हजार रुपयों का अनुदान अलग से स्वीकृत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री श्याम नारायण–

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूं। पंचायती राज व्यवस्था और पंचायत व्यवस्था बहुत प्राचीन व्यवस्था है और यह बड़ी मन्थर गति से सुदूर भूल से चली आ रही है। आज हमको पंचायती राज व्यवस्था की सार्थकता दिखायी दे रही है और यही एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसके आधार पर पूरे राज्य की व्यवस्था खड़ी है। मान्यवर, स्व0 राजीव गांधी जी ने साकार रूप देने के लिए पूरे देश में जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों और सरकार के बड़े-बड़े अधिकारियों को लेकर कहा कि जगह-जगह कार्यशालायें चलायें और लगातार दो वर्षों के विचार मन्थन के बाद पंचायती राज व्यवस्था का जो स्वरूप स्व0 राजीव गांधी ने दिया और यह उचित है कि गणतंत्र की स्थापना के बाद जो सबसे बड़ी क्रान्ति हुई उस क्रान्ति को मूक क्रान्ति कहा जा सकता था। पहले कुछ सैकड़े या कुछ हजारों में प्रतिनिधि हुआ करते थे लेकिन इस व्यवस्था के अन्तर्गत माननीय राजीव गांधी जी की सोच ने पूरे देश में इस मूक क्रान्ति द्वारा ऐसी भट्ठी बनायी थी जिसमें लाखों लाख जनप्रतिनिधि पैदा हो रहे हैं। राज्य सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ, नेताओं का विकेन्द्रीकरण हुआ और जगह-जगह गांव-गांव से लोग एक तरह से उठ खड़े हुए। यह एक ऐसी क्रान्ति थी जो आजादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण क्रान्ति थी। इसलिए मैं राजीव गांधी का नाम ले रहा हूं। इसके बाद और नेताओं जैसे मुलायम सिंह जी, कल्याण सिंह जी और माननीया बहन जी आदि सबका योगदान है। योगदान होना भी चाहिए। इस व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए और इसे साकार रूप देने का प्रयास करना चाहिए। समय नहीं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज पूरे राज्य में एक बी0डी0ओ0 तीन-तीन, ब्लाकों, क्षेत्र पंचायतों की देखरेख करता है और ऐसा हो गया है कि बी0डी0ओ0 आज नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसा क्यों है ?.....

(इस समय 7 बजकर 28 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन:पीठासीन हुए।)

यह नहीं हो सकता है। मेरा सुझाव है कि बी0डी0ओ0 दीजिये यहां बतलाया गया कि स्वास्थ्य विभाग और सारे विभागों को इकट्ठा कर दिया गया है, पंचायतों को अधिकार दे दिया गया है। मान्यवर, एक दाई हुआ करती थी गांव में उस पद को मृत घोषित कर दिया गया क्यों घोषित कर दिया गया ? आधी रात में गांव में जब बच्चा पैदा होता है तो दाई पकड़ कर जाती है। दाइयों के पदों को पुनर्जीवित किया जाये। और उन्हें प्रशिक्षित किया जाये। मानदेय अगर न दे सकें तो सम्पूर्ण रोजगार योजना से धन दिया जाये। आप स्वास्थ्य रक्षक जो हैं उनको क्यों खत्म कर रहे हैं। सम्पूर्ण रोजगार योजना के अधीन ग्राम पंचायतों को जो धन मिल रहा है। उस पूरे धन का, बड़े दु:ख की बात है कि 60 प्रतिशत से ज्यादा कमीशन में जा रहा है। 40 प्रतिशत का काम भी नहीं हो पा रहा है। इस पर ग्राम पंचायतों का अंकुश होना चाहिए। मान्यवर, कोई व्यवस्था विकसित करके इनकी कार्य-प्रणाली को सुदृढ़ करने के उपाय किये जाने चाहिए। मान्यवर, परिसम्पत्तियों के बारे में जो सुरक्षित भूमि है ग्राम पंचायतों की उसमें बड़े लोग कब्जा कर रहे हैं, छोटे लोग सुरक्षित भूमि पर कब्जा नहीं कर सकते। मान्यवर, पहले से ही व्यवस्था थी कि 123(A) ZA धारा में जिस भूमि पर अनुसूचित जाति के लोगों ने अपना मकान बना रखा है वह कैसी भी भूमि हो उनका मालिकाना अधिकार उनको दिया गया था। हम उसके विरोधी नहीं हैं। खेत मजदूरों को, शिल्पकारों को हम छोटा घर नहीं दे सकेंगे, इन्दिरा आवास और कौन से आवास बनायेंगे कैसे उन गरीबों को मकान मुहैया करा सकते हैं। इस पर आप को विचार करना चाहिए। मान्यवर, जो इण्डिया मार्का हैण्डपम्प हैं आधे से ज्यादा खराब हैं जो मरम्मत के लिए धन दिया जाता है वह एक नल ठीक करने भर को नहीं है। स्वच्छ जल न मिल पाये तो पंचायती राज व्यवस्था की कोई सार्थकता नहीं रह जायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री श्याम सूरत उपाध्याय के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

3 घण्टे 5 मिनट की चर्चा इस बजट पर हो चुकी है।

*श्री दीनानाथ कुशवाहा–

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पंचायती राज मंत्री द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांवों की तरक्की हुए बिना देश की तरक्की संभव नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने एक पुस्तक लिखी है। भारत की भयावह स्थिति--कारण और समाधान। उसमें उन्होंने कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। आज जो गांवों की हालत है 52,028 ग्राम पंचायतों में पिछले 12 वर्षों में जो विकास कार्य हुये हैं ग्राम पंचायतें उसमें संतृप्त हो गयीं कि नहीं। यह मैं अपने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।मान्यवर, चूँकि हम लोग ग्रामीण अंचल से चुनकर आये हैं इसलिये जब गाँवों में हम लोग जाते हैं तो गाँव के लोगों को एक शिकायत यह रहा करती है कि गांवों से जो प्रस्ताव बनकर शहर आते हैं तो शहर में जो बैठे हुए बड़े अधिकारी हैं वह प्रस्ताव अस्वीकृत कर देते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि गाँवों में जो आवास दिये जा रहे हैं, इंदिरा आवास को देते हैं तो उसमें चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के, मेरा अनुरोध है कि विधायकों को भी आवास समिति में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रख दिया जाय तो जब भी जिले से चयन हो तो उनकी भी बात मानी जाय। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव सभा के रामपुर ब्लाक में नौतन ग्राम है वह अम्बेडकर ग्राम है वहाँ 100 साल पहले से मुसहर जाति के लोग रहते हैं 60 और 40 का रेशियो है लेकिन वहां उसी तरह से वही स्थिति बनी हुई है। शौचालय की व्यवस्था करना, अपने भवन बनाना, स्कूल भवन बनाना, नाली बनाना और अच्छी सड़क बनाना, अम्बेडकर गांव में यह सब होना चाहिए लेकिन संदर्भित गांव में यह सब नहीं हो पाया है इसलिये जो पैसा दिया जा रहा है उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है इस दुरुपयोग को रोकने के लिए ठोस उपाय होने चाहिए। इसी के साथ मान्यवर, मैं कटौती का प्रस्ताव रखते हुए बल देता हूँ।

(श्री दिनेश सिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्यामसूरत उपाध्याय जी उत्तर भाषण करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अभी औद्योगिक विभाग की कटौती आनी है जिन सदस्यों को रखना है पूरा समय उनको दे दीजिएगा।

श्री दिनेश सिंह–

मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूँ जो आपने इस महत्वपूर्ण बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया जिनको माननीय हुकुम सिंह जैसे दक्षताप्राप्त व्यक्ति ने रखा है और उस पर कटौती प्रस्ताव श्याम सूरत उपाध्याय जो पंचायत राज के मर्मज्ञ हैं, रखा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी जब बजट प्रस्तुत होता है तो उसकी पूरी समीक्षा होती होगी। प्रदेश स्तर का बजट और इसकी समीक्षा गाँवों से, क्षेत्र पंचायतों से जिला पंचायतों के सुझाव से बनना चाहिए। आप चाहे जितना धन दे दें अगर गांवों में उसका सदुपयोग नहीं है तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी के ग्रामस्वराज का सपना आप पूरा नहीं कर सकते और इसी क्रम में अगर आप निचली इकाई ग्राम पंचायत में जायेंगे तो मैं मंत्री जी से चाहूँगा कि ग्राम पंचायतों की बैठक में उनके कितने अधिकारी भाग लेते हैं, क्षेत्र पंचायत की बैठक में कितने अधिकारी भाग लेते हैं, कभी इन्होंने किसी से पूँछा इसकी जानकारी मैं बताना चाहता हूँ कि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की बैठक में कोई अधिकारी नहीं जाता है। जब प्रशासनिक क्षमता कमजोर होगी, अधिकारी भाग नहीं लेंगे तो वह क्या अवगत होंगे, मंत्री जी को भी जानकारी नहीं है कि इनके हर जिले में बी0 डी0 ओ0 से कितने ब्लाक खाली हैं। जो ब्लाक खाली हैं उसमें कोई फर्ज अदायगी में चला जाता है। ड्राइंग डिसवर्सिंग हैं वह कमीशन हेतु जाता है, दस्तखत करता है लेकिन समर्पण भाव से काम नहीं करता है। मान्यवर, एक दिन पूरे देश में गणेश को दूध पिलाया गया था। एक ही दिन पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन हुआ था। एक भी भवन नहीं बना एक भी भवन खड़ा कर देते तो जनता आपको बधाई देती। मैं चाहूँगा कि जो डी0 इ0 पी0 योजना है। प्रधान को इससे वंचित कर दिया गया। मैं चाहता हूँ कि जो प्रधानों के पट्टे के अधिकार छीने जा रहे हैं वह छीने न जायें। मैं चाहूँगा कि गांव में अगर कोई रास्ता नहीं है और गांव का प्रधान गांव के किसी आदमी से रास्ते के लिए जमीन ले लेता है तो ग्राम प्रधान को यह अधिकार होना चाहिए कि जमीन उसे दे दी जाये। यह प्रस्ताव में आना चाहिए। बलिया के एक हमारे साथी ने कहा कि खेल का मैदान छुटना चाहिए गांव

में, गांव में खेल का मैदान कहां, गांव में शमशान के लिए भी जमीन नहीं है। सब पट्टा करा लिया गया है। जहां थोड़ी सी भी जमीन पड़ी देखी वहां एक झण्डी गांड़ दिया। कुछ लोग मनमाने ढंग से फर्जी सर्टिफिकेट लेकर प्रधान बन जाते हैं। 14 हजार जनसंख्या की ग्रामसभा बर्डपुर नं0 13 का प्रधान वजहुल कमर मुस्लिम नट का फर्जी सर्टिफिकेट लगा कर प्रधान बना हुआ है। डी0 एम0 सिद्धार्थ नगर ने लिख दिया है, कमिश्नर ने भी लिख दिया है। 76 पन्ने की रिपोर्ट नौगढ़ तहसील के तहसीदार को मिलाकर प्रधान ने उसने 5-5 हजार का आपदा का चेक कटवा करके खा लिया है। इसकी जांच के लिए हमने कहा है, कृपया इसकी जांच विजलेन्स से करा ली जाये।

श्री अध्यक्ष–

दो शब्द और बोल देते कि कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, इस पंचायत बजट पर माननीय सत्तापक्ष के सदस्यों ने और प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये। मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया और सत्तापक्ष के सदस्यों का बहुत-बहुत आभारी हूँ कि जो घुमा फिराकर हमारे कटौती के ही प्रस्ताव का समर्थन किया। श्रीमन् मैं दो शब्दों में अपनी बात समाप्त करूँगा कि पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत जो ग्राम पंचायतें हैं क्षेत्र समितियां हैं, त्रिस्तरीय संस्थाएं हैं उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कोई कदम आज तक नहीं उठाया गया। इस सम्बन्ध में संविधान समीक्षा आयोग ने जो जस्टिस बैंकर चेलैया की अध्यक्षता में गठित हुयी थी, अपनी रिपोर्ट में पंचायतों को वित्तीय व विधिक अधिकार प्रदान करने की संस्तुति की है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चूँकि पंचायतों को स्थानीय निकाय तीसरी स्वायत्त सरकार के रूप में देखा जाता है, इसलिये इनका कामकाज सुचारु रूप से चलाने के लिये वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, अत: वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये लेवी लगाने, कर लगाने का अधिकार पंचायतों को दिया जाना चाहिये। श्रीमन् इस टिप्पणी को देखते हुए मुझे यह कहने का अवसर मिला है कि आपको यह अधिकार प्राप्त है, संविधान के अन्दर। संविधान की धारा 243-भ देखें, जो हमारी राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त है कि लेवी लगाने के लिये, कर लगाने के लिये, शुल्क वसूल करने के लिये पंचायतों को अधिकृत कर सकते हैं। विधि बना सकते हैं। इसमें पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने के लिये शक्तियां दी गई हैं। इस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें, उद्गृहीत, संगृहीत और विनियोजित करने के लिये किसी नगरपालिका को, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये प्राधिकृत कर सकेगा।

श्रीमन् जिला पंचायतों को तो कुछ कर लेने के अधिकार हैं, लेकिन अभी तक क्षेत्र पंचायतों, ग्राम पंचायतों को इस तरह का कोई अधिकार नहीं मिला है। इसी तरह बहुत सी विकृतियां हैं जो अभी हमने दूर नहीं की हैं। मैं माननीय पंचायती राज मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि हाउस की एक कमेटी बना दें, जिसमें सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों और विपक्ष के भी माननीय सदस्य रहेंगे और वह यह देखें कि 73वें संविधान संशोधन होने के बावजूद ग्यारहवीं सूची के जो काम पंचायतों को सौंपे जाने थे, वह हम सौंप सके हैं कि नहीं या केवल दिखावटी रूप में है। हम इनकी वित्तीय हालत को कैसे ठीक करें, उसके लिये क्या प्राविधान करना चाहिये, इन सब चीजों पर यह समिति

विधान मंडल की आप बना दें जो अपनी सिफारिश इस शासन को देगी और उस अनुरूप शासन काम करेगा। एक चीज और कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। माननीय पंचायती राज मंत्री जी, क्षेत्र समितियों को आप इतने बड़े काम दिये हैं, इतने बड़े दायित्वों का निर्वहन उनको करना है लेकिन क्षेत्र समितियों के पास बी0डी0ओज नहीं हैं। प्रदेश में इस समय 287 बी0 डी0 ओज की कमी है, इनकी आप जल्दी से जल्दी नियुक्ति कराने की कृपा करें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय श्याम सूरत उपाध्याय जी का, जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। मान्यवर, यह भी सौभाग्य है कि इस सदन में 3-3 पूर्व पंचायती राज मंत्री हैं और तीनों ने अपनी भागीदारी की। माननीय श्याम सूरत उपाध्याय जी, माननीय धर्मपाल जी और माननीय बलराम यादव जी और इन सभी ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव अपने अनुभव के आधार पर दिये। इसके अलावा कई माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया। श्री राम इकबाल , श्री सिद्ध गोपाल साहू, श्री देव नारायन उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा, श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, श्री गौतम, श्री सीताराम निषाद, श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री शंखलाल माझी, श्री जियाउद्दीन रिज्वी, श्री कौशल किशोर, श्री श्याम नरायन, श्री दीनानाथ कुशवाहा, श्री दिनेश सिंह।

माननीय उपाध्याय जी ने सुझाव के रूप में एक बात कही ईमानदारी की। ईमानदारी होनी चाहिये। जब कोई जिम्मेदारी ली, यह बात सही है कि जब तक हम नेकनीयती से किसी नीति का पालन कराने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वह नीति कामयाब नहीं होने की है, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन किया क्या है, हम लोगों ने अब तक। जितनी भी संस्थायें खड़ी की, उन संस्थाओं को केवल माध्यम माना, उनको खड़ा होने नहीं दिया। कैसे हमारी राजनीति बनी रहे, सत्ता चलती रहे मान्यवर, आपको याद होगा जब आप ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री थी, आपने बी0डी0सी0 बनाये, जिला पंचायत बनायी लेकिन बहुत ही बुद्धिमानी से आपने शासन द्वारा सदस्यों को नामित करने का अधिकार दिया। आखिर उसके पीछे क्या दर्शनशास्त्र था ? यही था कि यदि हमारे समर्थन से ज्यादा सदस्य नहीं आते हैं तो हम नामित करके बना लेंगे। यहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। यदि यह होता कि लोग ईमानदारी के चुनकर आयें तो उसके पीछे नामिनेशन वाली प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए थी। हमने केवल इनको इस्तेमाल करना सीखा है, काम लेना नहीं सीखा। आपका सुझाव आया शिक्षा समिति के बारे में, आपने कहा कि दो शिक्षा समितियों गांवों में हैं, एक प्रधान की अध्यक्षता वाली है, जो शिक्षा विभाग की है, बेसिक शिक्षा परिषद के उस एक्ट के अन्तर्गत है जिसका गांव प्रधान अध्यक्ष हैं हमने जो शिक्षा समिति बनायी है उसका अध्यक्ष उप प्रधान है। शिक्षा मित्र के चयन का अधिकार उसी को है। इसमें एक विरोधाभास भी है। मैं प्रयास भी कर रहा हूँ कि शिक्षा समिति एक होनी चाहिए और उसके बारे में हम प्रयासरत हैं। आपने सींचपाल की वापसी की बात कही है, समीक्षा हो रही है। जब सींचपाल को ग्राम पंचायतों में लगा दिया गया था तो उसके कारण जमाबन्दी रुक गयी थी, नहरों की सफाई का काम नहीं हो पा रहा था और राज्य सरकार का काम पूर्ण रूप से अवरूद्ध था जिसके लिए सींचपाल की वापसी का निर्णय लिया गया। वह निर्णय मेरे हिसाब से सही है। आपने जिला नियोजन समिति की शिकायत की, कहा कि उसमें जिला अध्यक्ष नहीं है, जिला पंचायत के मंत्री उसका अध्यक्ष होता है। आपको स्मरण होगा, कई

बार पूर्व में यह मामला सदन में उठा है, जब तक यह सरकार नहीं आयी थी, उसके पूर्व वाली सरकार नहीं आयी थी, अध्यक्ष उसका जिलाधिकारी होता था। औचित्य के प्रश्न के रूप में भी यह प्रश्न उठाया गया कि जिलाधिकारी को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपने घुटने टेके कि यह केन्द्र सरकार का निर्णय है। इस सरकार ने साहस किया और जिलाधिकारी को हटाकर उपाध्यक्ष बनाया।

अध्यक्ष अगर मंत्री को बनाया गया तो वह भी जनप्रतिनिधि है। मंत्री अगर नहीं है, वह अनुपस्थित है तो अध्यक्षता जिलाधिकारी नहीं करेगा बल्कि जिला पंचायत का अध्यक्ष करेगा।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जब पंचायती राज संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं तो उन पर, उन समितियों में मंत्री को थोपने की क्या आवश्यकता है ?

श्री हुकुम सिंह–

यह देखने की बात है, एक रिक्तता का, जिलाधिकारी को बैठाया हुआ था। मैंने इतना तो साहस किया कि जिलाधिकारी को हटाकर यह व्यवस्था की। अगर साहस रहा होता तो न जाने कितनी बार यह बात उठायी गयी। मान्यवर, ऊसर के कार्यक्रम की बात आपने की है, यह बातें विचाराधीन हमेशा रही हैं। लेकिन एक योजना के अन्तर्गत सारा कार्य चल रहा है, अवरोध पैदा करना शायद राज्य के हित में नहीं होगा। आपकी बात नोट कर ली गयी है। धारा-195 के अन्तर्गत खातेदारी की भूमि है 1 मई, 2002 तक प्राविधान था, अध्यादेश ले गये थे, उसमें पुनर्विचार करने की गुंजाइश है। इस तर्क से सहमत हैं। इस तर्क से सहमत हैं। ऐसे स्वीकार होगा तो दिक्कत आयेगी। मछली पालन के पट्टे की बात कही गयी, यह अधिकार किसने दिया था, इस पुस्तिका को खोल लिया होता, आपके ही कार्यकाल में दिया गया, वह अधिकार आपने दिया था किसी वजह से दिया था, आपकी नेक नीयती पर शक नहीं कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे व्यक्ति जो उसके लिए पात्र थे, व्यवसाय से जुड़े हुये थे, उनको प्राथमिकता नही दी जा रही थी, इन सारी बातों पर विचार करके आपने सम्भवत: निर्णय लिया था कि प्रशासन के नियंत्रण में सारे अधिकार को देकर दिया जाये ताकि पात्र व्यक्तियों को उनका हक मिल सके। माननीय धर्म पाल जी ने खडण्जा, नाली और शिक्षा मित्रों के चयन की कठिनाइयों का उल्लेख किया। ये सारे के सारे प्रश्न ऐसे हैं जो विचाराधीन हैं। बलराम यादव जी ने बहुत ही विस्तार से पंचायती राज का जो दर्शन है, उसका उल्लेख किया है। इसमें चरित्र पंजिका की बात आपने कही है। कहने का आशय यही है कि जितनी सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए, जितने अधिकार मिलने चाहिए उतने अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। अगर कुछ दिया जाता है तो उसे किसी न किसी बहाने से हाथ पीछे हटा लिया जाता है। इस बात से आप सहमत होंगे कि एकदम करना सम्भव नहीं है। आप सत्ता में रहें या हम सत्ता में रहें लेकिन व्यवस्था की नींव अब आ करके रखी गयी है, जब से संविधान का संशोधन हुआ है। पहले इस अधिनियम के तहत व्यवस्था थी जब चाहते थे जोड़ लेते थे। अब संवैधानिक दर्जा मिल गया है अब इसे घुमाने-फिराने की जरूरत नहीं है। जनप्रतिनिधि को केवल अधिकार देने से काम नहीं चलेगा। हमें एक मानसिकता इस बात की बनानी पड़ेगी, इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा तथा अधिकार और दायित्व मे सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। जहां तक बात आती है कि वेतन बढ़ा दिया जाय और प्रधानों का वेतन 5 हजार रुपये कर दिया जाये। एक लाबी है, कह दिया। सीधे-सीधे 130 करोड़

रुपये का भार है। यह भी देख लीजिए कि संसाधन कितने उपलब्ध हैं, कितने नहीं हैं। मान्यवर, यह बात सही है कि प्रधान के प्रति जो सम्मान की भावना होनी चाहिए, जो इज्जत होनी चाहिए, उसका अभाव है और इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए और हम करेंगे भी, लेकिन कानून बनाने मात्र से इसका समाधान होने वाला नहीं है, मानसिकता बनी है अधिकारियों की जानबूझकर अपमान करने की, यह सही नहीं है। मिलजुल कर के हम जन प्रतिनिधियों के सम्मान बढ़ाने की व्यवस्था पर निश्चित रूप से चिन्ता करनी चाहिए। मै इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि 500 रुपये में कोई भी सचिव बनाना सम्भव नहीं है, मैं पुन: इस बात का परीक्षण करूँगा और कोशिश करूँगा कि सही स्थिति सामने आये। सभी जन-प्रतिनिधियों ने अपने-अपने तरीके से अपने-अपने स्वर में इस बात पर बल दिया है कि इनका सदुपयोग नहीं हो रहा है और यह उचित भी नहीं कि जो व्यक्ति पांचवी पास न हो, आठवीं पास न हो उसे सीधे-सीधे पंचायत सचिव बना दें, लेकिन हमारे पास गांवों में इतने ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों की संख्या नहीं है कि उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी जाय और हमारे पास सिर्फ 7 हजार कर्मचारी हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि जो गांव किसी न किसी रूप में गांव से जुड़े हैं, जिनका सम्बन्ध गांव से है, उनसे काम लेने का प्रयास किया जा रहा है, सफलता मिलेगी, लेकिन देर लगेगी। मान्यवर, इसमें एक कठिनाई यह भी है कि अगर आज हम कोई शासनादेश कर दें कि सारे के सारे अधिकारी, कर्मचारी पंचायत के अन्दर आयें तो एक मिनट में कोर्ट में स्टे हो जाएगा और ऐसा हुआ भी है। इसलिए प्रयास यह किया गया कि जब तक कोई और व्यवस्था हो , इसे चलाया जाय। दूसरी व्यवस्था यह है आपके सामने कि प्रधानों को अधिकार दिये हैं कि पांच सौ रुपये प्रति माह वह कर्मचारी को रख सकते हैं और यह मृत संवर्ग है और रिटायर होने के बाद उनकी जगह पर कोई भर्ती भी नहीं होगी। जो कर्मचारी आगे रखे जाएंगे उनकी पोस्टिंग पंचायतों में होगी, यह अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया है ताकि अनावश्यक रूप से उनका ट्रान्सफर न करना पड़े और ऐसा हो जाने पर उनके ट्रान्सफर का कोई औचित्य ही नही बनता। इसके बावजूद मैंने माननीय सदस्यों के सभी सुझावों को सभी प्रश्नों को नोट कर लिया है, हमारे अधिकारियों ने भी नोट किया है और हम उनका परीक्षण भी करेंगे और मेरा प्रयास भी यही होगा। आज हम यहां खाली आलोचना करने के लिए नहीं बैठे हैं, यह विभाग ऐसा है इसमें आप सभी विचारों का आदान-प्रदान आवश्यक है, यह हमारे समाज का भविष्य है और बिना विकेन्द्रीकरण की कोई व्यवस्था चलने वाली नहीं और इसकी पहली कड़ी पंचायत है और जो श्याम सूरत उपाध्याय जी ने जिन्होंने अनेक कटौती प्रस्ताव रखें हैं मैं चाहूँगा कि वह उनको वापस ले लें। बस इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, एक जिज्ञासा है मेरे मन में। एक माननीय मंत्री जी ने कहा था कि डी0 आर0 डी0 ए0 के अध्यक्ष जब जिलाधिकारी होते थे तो उनके पास प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार होते थे। जब जिला पंचायत अध्यक्ष को डी0 आर0 डी0 ए0 का अध्यक्ष बनाया गया और प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार नहीं दिए गये। उन्होंने स्वीकारा है कि जब उन्हें कर्त्तव्य और अधिकार का बोध हो जाएगा तो उनको यह अधिकार दे दिए जायेंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह अविश्वास का वातावरण कब तक रहेगा। हम लोगों में भी चाहे वह प्रधान से लेकर मंत्री तक हो जब यहां चुनकर आते हैं और मंत्री बन जाते हैं, तो उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। हम पर विश्वास है लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष पर दायित्व का वहन करने का विश्वास नहीं करेंगे। जिलाधिकारी तो बहुउद्देशीय

होते हैं। आई0 ए0 एस0 को कोई भी कार्य सौंपा जा सकता है। इसको बहुत दिनों से टाले जाने के कारण ही पंचायती राज की यह दुर्दशा है। मैं एक बात और अनुरोध के साथ कहना चाहता हूँ कि आपका जो यह विभाग है अगर इसे आप देख लें। मैं अनुरोध करता हूँ कि आज सदन में माननीय मंत्री जी इसकी घोषणा कर दें कि विकास खण्डों के खण्ड विकास आधिकारियों को चरित्र पंजिकाएं लिखने का अधिकार दे दें। मान्यवर, जो प्रभाव क्षेत्रीय समिति ऐक्ट में भी बना हुआ है उसको डिलिट नहीं किया गया है। शासनादेश के आधार पर उसको कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया इसकी घोषणा यहीं कर दें।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, सीधे-सीधे इसमें मेरे लिए कुछ कहना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

श्री श्याम सूरत जी क्या आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मैं इस पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर मतदान करा लेते हैं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-14, कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,30,45,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या 60--वन विभाग

*वन मंत्री (श्री ठाकुर जयवीर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-60 वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 91,81,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल के गठन के बाद वन क्षेत्र बहुत कम 17 हजार 01 वर्ग किमी0 रह गया है। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र 17.58 से घटकर 7.06 प्रतिशत रह गया है। प्रदेश में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाकी वनों से आच्छादित क्षेत्र 11.5 प्रतिशत के स्थान पर 4.46 प्रतिशत है। जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार सम्पूर्ण भू-भाग का 33 प्रतिशत भूमि वनों से आच्छादित होनी चाहिये। मैं बताना चाहता हूँ कि मानव जीवन में वनों का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे बरसात की समस्या हो, चाहे पर्यावरण संतुलन का मामला हो, चाहे तापमान के नियंत्रण की समस्या हो, चाहे मानव जीवन की रक्षा में औषधि के रूप में प्रयोग की जाने वाली जड़ी बूटी हो, चाहे आक्सीजन गैस की समस्या हो, चाहे भूमि में जल भंडारण की समस्या हो। पौधों के द्वारा ही कार्बन डाई आक्साइड गैस शोषित की जाती हैं और उसको आक्सीजन में परिवर्तित किया जाता है। जो पौधों की जड़ें हैं उन्हीं के माध्यम से पानी भूमि में जाता है और उसी पानी का उपयोग मानव की दैनिक दिनचर्या में होता है। हम वनों के संबंधन और उसके संरक्षण के लिये कटिबद्ध हैं। मेरा पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि हम लोग पौधों का संरक्षण और संबंधन करें और इस प्रकार से करें जैसे हम अपनी संतान को पालते हैं। वनों की पावन धरती पर ही भगवान राम ने 14 वर्ष बिताये थे। सभी तपस्वियों ने वन क्षेत्र में तपस्या की थी। वन हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू के लिये आवश्यक हैं। चाहे दवा हो, फल फूल हों, जड़ी बूटी हो, इमारती लकड़ी हो सभी की उपलब्धि वनों पर आधारित है। मान्यवर, विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना मार्च, 1998 से आरम्भ की गयी है। इसके अंतर्गत 271 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। परंतु उत्तरांचल के गठन के बाद यह धनराशि घटकर 159.14 करोड़ रुपये रह गयी है। वर्ष 2002-2003 में इसके लिये 3049.34 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, सामाजिक वानिकी परियोजना में पौधों का प्लांटेशन किया जाता है और यह प्लांटेशन सड़कों के किनारे, नहरों की पटरियों पर, बंबों के किनारे और सार्वजनिक भूमि पर किया जाता है। मान्यवर, इसके अन्तर्गत 2 करोड़ 97 लाख पौधे लगाये जायेंगे। वन विभाग द्वारा रोपित किये जाने हेतु आपरेशन ग्रीन कार्यक्रम में 2.57 करोड़ पौधे लगाये जायेंगे। पौधे वन विभाग द्वारा उपलब्ध करायेगा। अन्य पौधों की जो पोषण की व्यवस्था होगी वह प्राइवेट आर्गनाइजेशनों के द्वारा होगी। इस योजना मे शिक्षकों और स्कूली बच्चों का सहयोग लिया जायगा। मान्यवर, एक और सामाजिक वानिकी परियोजना चलायी जा रही है वृहद वृक्षारोपण जिसके अंतर्गत 10 करोड़ पौधे लगाये जायेंगे। आपरेशन ग्रीन योजना के तहत गत वर्ष 2.18 करोड़ पौधे रोपित किये गये इस वर्ष 2.57 करोड़ पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य है। वनों के विकास के लिए वनों की खुशहाली के लिए हमारे वन विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर अनुश्रवण किए जाते रहे हैं। वनों की अग्नि से सुरक्षा के पुरजोर प्रयास किए जाते रहे हैं। वनों के प्रभावी सुरक्षा के लिए संचार प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है। ग्रामीण जनता को वनों की अग्नि से बचाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह भी व्यवस्था की गई है कि वानिकों श्रमिकों के अपंग होने पर 20 हजार रुपए और मृत्यु होने पर 40 हजार रुपए की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अध्यक्ष जी मैंने माननीय सदस्यों को वन विभाग के सम्बंध में कुछ उल्लेखनीय कार्यक्रमों की जानकारी दी व भविष्य की जो योजनाएं हैं उन पर प्रकाश डालने की कोशिश की। माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य प्रस्तुत करेंगे।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 60 वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, आज इस सम्मानित सदन के समक्ष जो आज वन विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग का बजट माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया और जब बजट प्रस्तुत हो रहा था तो मंत्री जी और सत्ता पक्ष के लोग इस महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर जितने संवेदनशील हैं यह उनकी कारगुजारी से स्पष्ट हो जाता है। मान्यवर, पृथ्वी पर प्रथम जीवनोत्पत्ति ही वनस्पति के रूप में हुई थी तथा वनस्पतियों की असीमित उत्पत्ति के बीच ही अनेक प्रकार के जीव-जन्तुओं और प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ, इसी श्रृखला में बाद में मानव जीवन की सृष्टि हुई। विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं एवं संस्कृतियों ने वनों के आंचल में ही अपने पांव पसारे। मानव सभ्यताओं के उत्थान पतन का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जब तक वन व मानव में पारस्परिक सामन्जस्य व सन्तुलन विद्यमान रहा सभ्यताएं फली फूली, किन्तु जब मनुष्य ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर वनों का अनियंत्रित विदोहन प्रारम्भ किया तब-तब पर्यावरण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई और परिणाम स्वरूप सभ्यता का पतन हुआ। जिस प्रकार धरती (क्षिति), पानी (जल), अग्नि या ऊर्जा (पावक), आकाश (गगन), तथा वायु से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है उसी प्रकार इन पांच तत्वों से हमारे पर्यावरण की भी संरचना हुई है। वर्तमान समय में चाहे शहरीकरण हो, आधुनिकीकरण हो या औद्योगीकरण हो अंधी दौड़ के चलते ही मनुष्य ने जीव, वनस्पति तथा प्रकृति के अन्य अवयवों के मध्य स्थापित इन अनूठे सम्बन्ध को बिगाड़ दिया है। इस प्रकृति के असन्तुलन के कारण ही आज सूखा, बाढ़, दैवी आपदायें हो रही हैं। पर्यावरण संरक्षण में वनों का विशेष योगदान है। वृक्षों में विषैले पदार्थों, हानिकारक गैसों तथा धूल कणों को अवशोषित करने की अपार क्षमता होती है, वृक्षों की जड़ें पानी के वेग को कम करके भूमि के क्षरण को रोकती हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में यही वृक्ष सहायता करते हैं। पेड़-पौधे भूमि के जल स्तर को संतुलित बनाये रखते हैं। हमारे जन जीवन को बाढ़, भूस्खलन सूखे तथा प्रदूषण से मुक्त रखने का सबसे सरल उपाय है कि बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हो। उचित प्रजाति के वृक्ष लगाकर हम अपनी वन सम्पदा को बढ़ा सकते हैं। मानव सभ्यता की प्रारम्भिक अवस्था रही हो जिसमें चाहे आदि काल हो या पुराना पत्थर काल रहा हो, सारी सभ्यता इन्हीं वनों में फली फूली। बड़े-बड़े ऋषियों मुनियों ने इन्हीं जंगलों की कन्दराओं में गहन तपस्या और सतत् साधना के बाद एक श्रेष्ठ समाज की अवधारणा को जन्म दिया और उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित वाणी आज करोड़ों भारतवासियों के जीवन नियमों में बदल चुकी है। हिन्दू धर्म व हमारी संस्कृति में आज भी वृक्षों का महत्व है और वे पूज्यनीय हैं। अनेक प्रजातियों के वृक्ष ऐसे हैं जिन्हें काटना और ईंधन के रूप में प्रयोग करना आज भी पाप समझा जाता है। पीपल, वट, बरगद आदि वृक्ष आज भी पूजे जाते हैं। ग्रन्थों में कहा गया है--

मूले बृह्मा, त्वचा विष्णु: शाखे रूद्र महेश्वर:

पातले-पातले देवा नाम, वृक्ष राज नमोस्तुते:।।

वृक्षों की इस महान महत्ता के पीछे नितान्त वैज्ञानिक आधार रहा है। पीपल का एक वृक्ष अपने जीवन काल में लगभग 2250 कि0ग्रा0 कार्बन डाई आक्साइड अवशोषित करके लगभग 1800 किग्रा0 जीवन वायु मुक्त करता है। नीम के वृक्ष की पूजा होती है यह कीटाणुनाशक क्षमता

रखता है। मान्यवर, मैं जहां से आता हूँ वह छोटी काशी के नाम से विख्यात शिवनगरी गोला गोकरनाथ क्षेत्र है। यह नगर चारों ओर से वनों से आच्छादित है। यहां के वन प्रदेश के तराई जनपदों में ही नहीं नेपाल के तराई क्षेत्रों तक फैले हैं। यहां पर दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वन्य जीव बिहार हैं। जब थाइक जनजाति की आधुनिकता से अछूती संस्कृति को स्वयं में समेटे वनांचल अनेकों लुप्तप्राय वन्य जीव जन्तुओं और थल, नभ और जलचरों का स्वर्ग कहा जाता है। मान्यवर, वन आदिकाल से मनीषियों तपस्यिों की चिरतन साधना का सर्वोत्तम स्थान रहे हैं। सत्ता पक्ष में बैठे लोग इसके प्रति गम्भीर न हों लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि अत्यधिक व्यस्तता से थका शरीर दैनिक तनाव से शारीरिक व मानसिक शांति के लिये हरितका से डूबी वनों की गहरी निस्तब्धता से अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती है। वनों के बदलते मौसम के रंगों को मैंने देखा है। पतझड़ में पांव के नीचे आते सूखे पत्तों की खड़कंश ध्वनि को सुना है। बसन्ती बयार में झूमती नवजात कोंपलों को देखा है। वर्षा के बाद धुले हुए स्वच्छ वृक्षों की फुनगी पर सूर्योदय और सूर्यास्त की लालिमा को देखा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की शुरुआत 1800 में हुई थी। 1855 से 1961 के बीच रेलवे कुमायूँ कमिश्नर श्री रेमजे जो उस समय वन प्रबन्ध को भी देख रहे थे उन्होंने प्रथम बार साल वनों को संरक्षित किये जाने का प्रयास किया। वनों के वैज्ञानिक प्रबन्ध हेतु मान्यवर सर्वप्रथम 1984 ई0 में पहला कार्य योजना वन प्रभाग स्थापित किया गया तथा वर्ष 1900 ई0 में चीड़ वनों का शेल्डरवुड सिस्टम का प्रबन्ध आरम्भ किया गया। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप जो वन क्षेत्र वन विभाग में निहित किये गये उनकी दशा बहुत ही सोचनीय थी अत: इन वन क्षेत्रों के संरक्षण और सम्वर्धन की आवश्यकता को देखते हुए वन विकास के विविध कार्यक्रम आरम्भ किये गये। मान्यवर, 1948 में केन्द्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई तथा वर्ष 1950 में वन महोत्सव का वृहद् स्तर पर अभियान प्रारम्भ किया गया। वर्ष 1952 में वानिकी से संबंधित विविध कार्यक्रमों को नियोजित एवं संचालित करने के लिए नये सिरे से नई भारतीय वन नीति निर्धारित की गई इसमें वन विकास कार्यक्रम जैसे वनीकरण, रोपण वन संचार में सुधार, वन क्षेत्र का सीमांकन संसाधनों की सूची तथा कार्य योजनाओं को बनाने के कार्य किये गये। इसके अलावा मान्यवर वर्ष 1952 में ही वन्य जीवों के संरक्षण की महत्ता को ध्यान में रखते हुए भारतीय वन्य जीव परिषद की भी स्थापना की गई। वनों के सुचारु रूप से संरक्षण, संवर्धन तथा वनाच्छादन की वृद्धि हेतु वर्ष 1988 में राष्ट्रीय वन नीति एवं वर्ष 1998 में राज्य सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश राज्यवन नीति" लागू की गई।उसके बाद मान्यवर 20वीं सदी की शुरुआत में फिर मध्यकाल में वनों का सुधार किया गया। उसके बाद वनों का दोहन शुरु हो गया वनों को दोहन की बात आज चाहे सत्ता पक्ष में बैठे लोग न सोचें लेकिन उत्तर प्रदेश के वन विभाग का सर्वाधिक नुकसान वनों का जो दोहन किया गया वह सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के द्वारा उत्तर प्रदेश के टुकड़े कर बटवारा कर किया गया है। आज उत्तर प्रदेश के टुकड़े कर दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश के बंटवारे का काम कर दिया गया जिससे वनों को बहुत नुकसान हुआ है। आज हमारी यह स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र मात्र 4.46 प्रतिशत भू-भाग वनाच्छादित रह गया। वनों का क्षेत्र जो है वह 33 प्रतिशत कुछ है आज वनाच्छादित क्षेत्रों की आवश्यकता है मैं पिछला बजट पढ़ रहा था आज मंत्री जी का भाषण हुआ उसको मैं नहीं सुन पाया बहुत सुनने का प्रयास किया उसकी खामियों को सत्तापक्ष ने अपनी तालियों से व मेज थपथपाकर दबाने का काम किया इससे ज्यादा वन विभाग के लिए संवेदनशीलता और नहीं हो सकती है। आप विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश को वनाच्छित करने का काम करें। तमाम योजनायें अखबारों में दिखाई देती हैं सामाजिक वानिकी,

कृषि वानिकी, शहरी वानिकी वृक्षारोपण वन महोत्व आदि मनाया जाता है सारे कागज रिकार्डों के पुलिन्दे हैं। किसी माननीय सदस्य के जनपद में जितने कार्यक्रम योजनाओं के तहत चलाए गये होंगे वह सफल नहीं हुये होंगे। सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं भ्रष्टाचार ने विभाग को पूरी तरह से जकड़ रखा है मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी योजनायें हैं, जो लक्ष्य हैं कम से कम हमारे पूरे प्रदेश में से 33 प्रतिशत वन आच्छादित रहें चाहे वह ग्राम सभा की भूमि हो चाहे शहर की भूमि हो, चाहे विद्यालय हों चाहे कोई धार्मिक स्थल हो तमाम जगहों पर जमीन पड़ी है वहां आप वृक्षारोपण करा सकते हैं लेकिन नीयत स्पष्ट नहीं है मंत्री जी ने अपने भाषण से जो आचरण प्रस्तुत किया है उससे स्पष्ट हो जाता है उनका विभाग वनों के प्रति कितना संवेदनशील है। मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ सही रूप से अगर आप वनों को लाभ पहुँचाना चाहते हैं आज हमारे प्रदेश का देश में 28वां स्थान है इसमें हमें सोचना होगा, देखना होगा जो भौगोलिक क्षेत्र है इस पर हमें ध्यान देना होगा। तमाम कार्यक्रम हैं सबसे बड़ी जो समस्या होती है वन विभाग के लोगों से कहना चाहता हूँ वृक्षारोपण का जो मूलभूत आधार है। मान्यवर, हम यह कहना चाहते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वह भी कृवि घाघ जिन्होंने मौसम सम्बन्धी घोषणायें अपनी सूक्तियाँ व दोहों के माध्यम से की है उनका लोहा मानते हैं किन्तु वन विभाग ने क्यों नहीं इस दोहे की सत्यता व महत्वता को क्यों नहीं समझा है। मान्यवर, हमारे वहाँ कहा गया है कि--

आद्रा धान, पुनर्वउ पइया,
गया किसान जो बोवे चिरैया।

मान्यवर, आद्रा नक्षत्र 20 जून से 3 जुलाई तक होता है और पुनर्वसु नक्षत्र 4 जुलाई से 18 जुलाई तक होता है लेकिन जो चिरैया (पुस्व नक्षत्र) होता है यह 18 जुलाई से होता है और इसमें जो धान की रोपाई होती है उससे नुकसान किसान को होता है। लेकिन आज तो सारे कार्यक्रम सितम्बर और अगस्त में होते हैं। जबकि यह रोपाई का काम जून और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक हो जाने चाहिए। दूसरा यह है कि वृक्ष लगाने के बाद जवाबदेही किसी की नहीं होती है। अगर यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो कितना भी खर्च किया जाय उसके कोई मायने नहीं हैं। जो सेना का एरिया है, जो छावनी क्षेत्र है उनमें जो वृक्षारोपण होता है वह एक-एक पेड़ जीवित रहता है। उसके पूरे जवान होने तक सारी जिम्मेदारी उस यूनिट की होती है। जिस यूनिट ने इसे लगाया है लेकिन आज जितने भी वानिकी कार्यक्रम हैं एक भी कार्यक्रम में वन विभाग के किसी भी वन अधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं है। मान्यवर, हमारा यह कहना है कि जो हमारे मंत्री जी हैं यह अलीगढ़ से चुनकर आये हैं। आपका जनपद सिर्फ दो किलोमीटर क्षेत्र ही वनाच्छादित है वह भी रेल लाइन, सड़कों के किनारे या तालाबों व कुछ सार्वजनिक स्थलों के वृक्ष दो कि0 मी0 क्षेत्र बनाते हैं। उनको चिन्ता होना चाहिए। जब इनको अपने जनपद की चिन्ता ही नहीं है तो यह उत्तर प्रदेश में लक्ष्य प्राप्त करने की क्या चिन्ता होगी । मान्यवर, मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 44 जिले ऐसे हैं जहाँ एक प्रतिशत से कम वन है, दस ऐसे हैं जहाँ पांच प्रतिशत से अधिक है। दस प्रदेश ऐसे है जहां 10% से अधिक हैं दो जिले ऐसे हैं जहां 15 से 20 प्रतिशत है। 4 जिले ऐसे हैं जो 20% से अधिक है, इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र एक प्रतिशत ही वन है। मान्यवर, साल वृक्ष जो सबसे ज्यादा प्रदेश के समृद्ध वन वृक्ष हैं उसकी रोपाई की कोई योजना इसमें नहीं है । इसकी बड़ी विसंगति है । इसका प्रमुख कारण यह है कि जानवरों के चारे की समस्या हो या आग लगने की समस्या हो ! दो ही कारण साल की पौध न पनपने देने के लिए काफी है क्योंकि साल वृक्ष अंकुरित बहुत मुश्किल से है। अंकुरित होने के बाद जब वह चार-पांच बार नष्ट होता है तब उसकी जड़ मजबूत होती है

तब वह पनपने का काम करता है । इसे लम्बी अवधि तक बचाना आवश्यक होता है लेकिन उसकी कोई योजना नहीं है। मान्यवर, एक और विचारणीय विन्दु है जो वन्य जीव जन्तु हैं उनके अस्तित्व की समस्या आ गयी है । आदि काल के मानव का भोजन वन जन्तु ही थे । पत्थर काल में पूर्ण रूप से उसी पर आधारित था । सभ्यता के विकास के साथ-साथ मानव की यही विवशता शोक में बदल गयी । राजा महाराजा और गुलामी के दौर में आखेट शौक प्रतिष्ठा एवं वीरता का प्रतीक बन गयी और इसी शौक में धीरे-धीरे स्वार्थ के चलते तस्करी में परिवर्तित हो गया । तस्करी के कारण हिरण, खरगोश से लेकर शेर, हाथी , घड़ियाल सभी जलचर, थलचर व नभचर जीव-जन्तुओं के समक्ष अपने अस्तित्व का सवाल पैदा हो गया है । यही हाल रहा तो आने वाली पीढ़ी को हम लोग फोटो दिखाकर समझाने का कार्य करेंगे कि यह शेर या हाथी हुआ करता था हिरण या खरगोश हुआ करता था । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि वन विभाग के पास एक भी ऐसी योजना नहीं है जिसके माध्यम से वन्य जीवों की रक्षा कर सके । हमारा यह मानना है कि शिकार से वन जन्तुओं का उतना नुकसान नहीं है जितनी तस्करी से है । वन्य विभाग की टीम इसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रही है । इसलिए कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारी आपकी औलादें केवल जान सकेंगी कि कौन सा शेर था हम उनको तस्वीरें दिखा करके ही संतुष्ट कर पायेंगे यह माहौल उत्तर प्रदेश के वनों में आने वाला है । मान्यवर, एक नियम बना था 1912 में फिर वन्य संरक्षण अधिनियम, 1972 बना लेकिन कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं हो सका । हमें इस सदन में इस संबंध में गम्भीर चर्चा करनी पड़ेगी ।

मान्यवर, जैसे विकसित राष्ट्र हैं आपका अमरीका, कनाडा है और तमाम राष्ट्र हैं जहां पर वन्य जीव संरक्षण की सबसे बड़ी व्यवस्था है । वहां हर वन जीव-जन्तु-थलचर, नभचर, जलचर आदि में शोध कार्य चलते रहते हैं शिकार की भयावह स्थित को हल करने हेतु वहां पर व्यक्तिगत शिकारगाह को मान्यता दी गयी है जो पहले शिकार के शौकीन लोग हैं वे लोग वहां शिकार करते हैं। शिकारगाहों के सख्त नियम हैं और मोटा राजस्व सरकार लेती है । मान्यवर, हमारे यहां बांदा, लखीमपुर, मिर्जापुर है और तमाम ऐसी जगह हैं जहां हजार-हजार मील क्षेत्र में वन्य क्षेत्र खाली पड़े हैं । और तमाम लोग ऐसे भी हैं जो इसमें काम भी करना चाहते हैं । मान्यवर, एक तरफ जहां वन्य जीवों की रक्षा की बात हमारे लिए प्रमुख है । वहीं अगर हम व्यक्तिगत शिकारगाह की व्यवस्था करें तो बहुत बड़ा कदम होगा । मान्यवर, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में यदि मैं दिली अर्जुन सिंह का नाम नहीं लूंगा तो उनके साथ अन्याय होगा । मान्यवर, उन्होंने लखीमपुर खीरी में वन्य जीवों के संरक्षण में उल्लेखनीय कार्य किया है । वन विभाग ने उनकी अवैतनिक रूप से वहां नियुक्ति भी की थी और उनको हर प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध करायी थी । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनकी जो सोच थी उनके जो विचार थे और जो संदेश सभ्य समाज को वन जीव जन्तुओं के लिए देना चाहते थे, उस आदेश उस सोच की कदर नहीं की गयी, उस सोच को अपने अहम के चलते साजिश के तहत बदनाम कर दिया गया तारा नामक बाघिन को बचपन से पाला था, बाघ इसको भयानक रूप दिया जाता है एक खुखार शक्ल मन में बसती है बिल्ली का मानना है की बाघ कितना सरल है । मान्यवर, डा0 राम लखन सिंह जी जो आज हमारे प्रदेश के प्रमुख वन्य संरक्षक हैं ने दुधवा नेशनल पार्क से ही शुरूआत की थी । डा0 राम लखन सिंह व अर्जुन सिंह के मतभेदों ने हमें आपको व विश्व की एक महान प्रदेश से वंचित कर दिया । मान्यवर, शेर या बाघ को 8-10 बार मुझे भी देखने का अवसर मिला है । शेर एक शर्मिला जानवर है शेर कभी भी आक्रमण नहीं करता मेरा मानना है कि यदि शेर आपके सामने से आता दिख जाय, आप अपने स्थान पर खड़े

रहते तो कभी भी हमला नहीं करेगा, अपना रास्ता बदल कर निकल जायेगा, भागने की स्थित में वह आदमी या चौपाये जानवर के मध्य आंकलन नहीं कर पाता यहां स्थित जब खेती का कार्य कर रहा व्यक्ति थका होता है तभी जानवर समझकर उस पर हमला करता है । मानव से शेर स्वयं बचने की कोशिश करता है या जब तक वह किसी घटना के कारण मानीटर न हो जाय । विली अर्जुन सिंह जी ने पूरे प्रदेश में यही एक संदेश देने का काम किया था वह एक ऐसी षड़यंत्रकारी योजना का शिकार हुए कि उनके शिकार होने के बाद कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में आगे इस तरह का नहीं निकल कर आया जो वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति ऐसी सोच रखता हो , समर्पित भाव रखता हो । आज आवश्यकता है ऐसे लोगों को सम्मान देने एवं संरक्षण की जो लोग इस तरह अपना सम्पूर्ण जीवन वन्य जीवों के संरक्षण और सम्बर्धन में व्यतीत करते हैं । समाचार पत्र में प्रकाशित कि भूख-प्यास से तड़प कर मर रहे हैं जंगल के राजा यह केवल खबर नहीं है सत्यता है कंम से कम 7-8 बाघ दुधवा नेशनल पार्क और आस-पड़ोस के क्षेत्रों में मारे गये कुछ ऐसी जगह दलदल में फंसे पाये गये । मान्यवर, जंगल पार जाते हैं तो शिकारी द्वारा मारे जाते हैं या गांवों के लोगों द्वारा घेर कर मार दिये जाते हैं तो उसके पीछे कारण है ? मान्यवर, टाइगर प्रोजेक्ट बना था वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उसमें नेशनल पार्क की वहां स्थापना हुई थी । उसके सम्बर्धन की सरकार की कोई मंशा नहीं है । मान्यवर, वन विभाग के अधिकारियों को कोई परवाह नहीं रह गयी है कि उनकी सुरक्षा करे । उनको क्या चाहिए सर छुपाने के लिए घासफूस की व्यवस्था हो, पीने के लिए पानी मिले, यही वह चाहते हैं । माननीय मंत्री जी ने इसे पढ़ा होगा इसमें कहीं भी वन्यजीव संरक्षण के लिए कोई बात नहीं आई है । मान्यवर, यहां पहले 7 उद्यान थे अब एक उद्यान बचा है और उसकी यह हालत है । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बहुत सी अकूत वन सम्पदा आपके प्रदेश में अभी भी है । पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर, गोण्डा, बांदा, हमीरपुर, मिर्जापुर ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर पार्कों की स्थापना कर सकते हैं । मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूँ कि गोला रेंज मैलानी भीड़ा किसनपुर रेंज इन सबको मिलाकर एक पार्क बनाने की योजना केन्द्र सरकार को भेजी जाय और उसकी स्थापना की जाय ।

मान्यवर, किशनपुर में झादी ताल है वहां सौम्य डियर है, वहां हिन्दुस्तान की सबसे ज्यादा पाये जाते हैं । लखीमपुर जनपद ही नहीं हिन्दुस्तान के लिए गौरवशाली क्षेत्र है मेरा मानना है कि अगर कहीं बाढ़ आई होती तो किशनपुर वर्ड सेन्चुरी झादी ताल बच नहीं पाता । हमने राजधारी सिंह को पत्र लिखा था । वह जितने रहे उनके पास वन विभाग के जितने भी पत्र पहुंचे होंगे वह उसका उत्तर जरूर देते थे लेकिन आज इतने दिन हो गये मंत्री बने इनको लेकिन मंत्री जी का किसी माननीय सदस्य के पास कोई भी वन चिंतन को लेकर एक पत्र नहीं पहुंचा होगा । मान्यवर, यह जो किशनपुर रेंज है बहुत ही वन्यजीव के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण है और इस बजट में इसके प्रति कोई बात नहीं है । मान्यवर, जो झादी ताल है उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी व चिन्ता इस सदन को होनी चाहिए । इसी के साथ कहना चाहता हूं कि वन निगम एक महत्वपूर्ण सहयोगी विभाग है । इस वन निगम के विभिन्न कारणों से एक जो गलत तश्वीर लोगों में जा रही है उस तश्वीर को ठीक करने की चिन्ता इस सदन को होनी चाहिए । वन विभाग का वन निगम मात्र कोई दूसरी संस्था नहीं बल्कि एक ठेकेदार संस्था की तरह सीमित होकर रह गया है । इसमें सुधार की आवश्यकता है। 3 महीने बरसात में वन निगम के लोग खाली हो जाते हैं तो जो शहरों में सड़कों के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे-किनारे जो पेड़ सूख जाते हैं या जिनसे एक्सीडेन्ट होता रहता है तो उनके कटान का काम करें । इसके साथ ही साथ वृक्षारोपण की व्यवस्था भी वन निगम के द्वारा कराया

जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए । यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि वन माफियाओं को आपने सुना होगा लेकिन वन माफिया अधिकारियों को नहीं सुन' होगा । हम यह अपेक्षा करते हैं कि जो जंगल के अन्दर अधिकारी कर्मचारी वनों की सुरक्षा कर रहे हैं उनको संरक्षण मिलना चाहिए जो उनको संरक्षण नहीं मिलता है । यह भी एक चिन्ता का विषय है । उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष सुरजन लाल वर्मा 4 फरवरी, 2000 को जाते हैं और दीक्षित रेंजर को जीप में डाल लेते हैं । उसका दोष यह होता है कि उसने सागौन के ट्रक को पकड़ने का काम किया था । मान्यवर, उस रेंजर को 3 दिन तक बन्द कर निर्मम पिटाई की गयी । उस पर किसी तरह मुक्त होने पर पलिया थाने के धारा 307, 332 तथा अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया । किन्तु सत्ता की धमक ने शान्त कर दिया । दूसरी बात यह है कि जो वन विभाग के माफिया अधिकारी हैं उनके लिए भी यह कहना चाहता हूं, पूरी परिस्थिति आपके सामने रखना चाहता हूं । यह बड़ी गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है । इस स्थिति के लिए जो भी जिम्मेदार है, मैं सरकार से चाहूंगा कि उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । कतिपय माफिया अधिकारी बंसल के कारनामों से सभी परिचित हैं अधिकारियों की पत्नियों की संस्था के नाम पर आर्थिक भ्रष्टाचार के प्रतीक का मनोबल इस तरह बढ़ा कि प्रमुख कार्यालय में गोली चलाने का काम किये जिससे उन्हीं की गोली से एक वन रक्षक दरोगा की टांग काटनी पड़ी थी । उसे दण्डित किये जाने की जगह प्रोत्साहन दिया जा रहा है यह दुर्भाग्यपूर्ण है इसी मौके पर हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि जिस विभाग की सेना को, जिस विभाग के अधि0/कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए दूसरे प्रदेशों का मुंह ताकना पड़ता हो उसके लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है । हमें सब के प्रशिक्षण के लिए बाहरी प्रदेशों का मुंह ताकना पड़ता है । हम अपने प्रदेश में वन रक्षकों-वनवियों के अलावा किसी को भी प्रशिक्षित करने की व्यवस्था नहीं है नहीं कर सकते ।

इस पूरे बजट में कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि आने वाले वर्षों में हम इन अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर पायेंगे । हम चाहेंगे कि उन अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कोई भी योजना उत्तर प्रदेश के आंचल में बने और दूसरों का मुंह ताकना बन्द हो । भारतीय वन सेवा अधिकारी राज्य वन सेवा अधिकारी वन राज्य अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु प्रदेश में ही प्रशिक्षण कालेज बनाये जाने की मांग करता हूं । जो स्थिति आई है, हमारा जो 33 प्रतिशत का लक्ष्य है यह बजट हमको उसके करीब-करीब जाने का काम भी नहीं करता है । यह बजट दिखावा है । नेता सदन में भी अपना बजट प्रस्तुत किया था, वन विभाग के सम्बन्ध में जो बातें कही गयी थीं निश्चित रूप से सरकार की संवेदन हीनता शून्यता की ओर इशारा करती है । अपनी बात पर बल देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास 16 माननीय सदस्यों के नाम हैं जिन्होंने बजट पर राय व्यक्त करने के लिए इच्छा की है । अगर मुझे समय बता दें, उपनेता समाजवादी पार्टी, तो उसी हिसाब से हम उसका विनियमन कर लें कि कौन कितना समय बोलेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, 8 बजे हम इसको शुरू कर पाये हैं हम इस पर सहमत हैं ।

श्री अध्यक्ष--

16 लोग हैं, अगर 5-5 मिनट सब लोग बोलेंगे । तो थोड़ा सा अपने ऊपर संयम कर लें तो मैं 9.45 बजे मंत्री जी को उत्तर के लिए बुला लूंगा ।

*श्री राजेन्द्र सिंह चौहान--

अध्यक्ष महोदय, माननीय वन मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए, जो समय आपने मुझे दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, वन जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है और जब जीवन से जुड़ा कोई प्रश्न हो जाता है तो वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है । हमारे धार्मिक ग्रन्थों में भी लिखा गया है कि वन का बहुत बड़ा महत्व है और कुरान में यहां तक लिख दिया गया कि जो व्यक्ति हरे वृक्षों को काटेगा, उसको खुदा भी माफ नहीं करेगा । ऐसे महत्वपूर्ण बजट के लिये, जिसे माननीय वन मंत्री जी ने संतुलित बजट के रूप में दिया है, उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं । मान्यवर, वृक्ष से जल मिलता है, जल से अन्न मिलता है और अन्न से जीवन मिलता है, इसलिये वृक्ष की बहुत बड़ी उपयोगिता है । मान्यवर, वन तापमान को नियंत्रित करता है और वर्षा हो, इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान करता है । मान्यवर, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के आधार पर, किसी प्रदेश में जितना भौगोलिक स्थिति है, उसका 1/3 भाग पर वन होना अत्यन्त आवश्यक है । जीवन के खतरे को समाप्त करने के लिए भी वनों की उपयोगिता है । भारत वर्ष के प्रदेशों में भी वनों का 1/3 भाग होना बहुत जरूरी है, परन्तु इस मामले में उत्तर प्रदेश की बड़ी दयनीय स्थिति है और हमारे प्रदेश का 29 वां स्थान है । इसलिये यहां वनों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, हमारे प्रदेश में केवल 4.40 भाग पर वन हैं तो ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा और इस सदन के सभी सदस्यों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इतनी उपयोगी चीज, जिसके लिये विपक्ष ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, यदि वन नहीं होगा तो जीवन समाप्त हो जायेगा । इसलिये पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कम संसाधनों के होते हुये, सरकार के पास बजट का अभाव होते हुये यह समस्या खड़ी हो गई है कि इस उत्तर प्रदेश में 33 प्रतिशत वन कैसे लगाया जाय । यदि यह 33 प्रतिशत वन नहीं लगायेंगे तो जीवन को खतरा उत्पन्न हो जायेगा और पर्यावरण संतुलन अव्यवस्थित हो जायेगा । मान्यवर, वन 3 प्रकार से लगता है । एक तो वन विभाग लगाता है, जिसका संचालन वित्त पोषण वन विभाग करता है । दूसरा एक सामाजिक वानिकी द्वारा वन लगाये जाते हैं । तीसरा वन, जिसको जिला योजना के द्वारा संचालित किया जाता है । मान्यवर, जिला योजना में केवल 50 लाख के बजट का प्राविधान किया गया है, जिसमें लगभग 1/2 भाग दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों पर खर्च होता है एवं अन्य परिव्ययों पर खर्च होता है । यह बहुत ही कम बजट है । मैं अपने एटा जनपद की बात कहना चाहता हूं, मेरे यहां मात्र 6 वर्ग कि0 मी0 वन उपलब्ध है । मान्यवर, जबकि जनपद एटा में 800 वर्ग कि0मी0 ऊसर भूमि है । मैं वन मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब वहां भूमि उपलब्ध है तो वहां पर वन अधिक लगाये जायें और अधिक व्यय किया जाय ।

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि वन गंगा के किनारे या अन्य नदियों के किनारे लगाये जाने चाहिये, क्योंकि वहां पेड़ जल्दी लगते हैं, उनके जीवित रहने का प्रतिशत ज्यादा होता है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि नदियों के किनारे, गंगा किनारे वन अधिक से अधिक लगाये जायें, क्योंकि वहां की भूमि उपजाऊ होती है और वहां पौधों के जीवित रहने का औसत अधिक होता है । मान्यवर, कृषि वानिकी द्वारा, कृषि वानिकी का मतलब है-कृषि और वन । कृषि वानिकी द्वारा जो वन लगाये जाते हैं, वह कृषक स्वयं लगाता है, वह खेतों की मेड़ों पर उन्हें लगाता है इसके लिए उन्हें केवल नि:शुल्क वृक्ष ही उपलब्ध कराये जाते हैं । सबसे ज्यादा जीवित रहने का औसत भी कृषि वानिकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में ही पौधों को होता है । मान्यवर, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो फलदार वृक्ष हैं या जिनसे कृषकों को अधिक आय हो उन्हें अधिक से अधिक उपलब्ध कराया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, समय इतना कम है कि मेरा अवसर जब आया है तो काफी समय कम रह गया है, इसलिए कम समय में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा । मान्यवर, मैं श्री अरविन्द गिरि द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, मंत्री जी ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में ही जो वनों की स्थिति है, हमारे प्रदेश में, उसके सम्बन्ध में प्रकाश डालने का काम किया और कदाचित् माननीय सदस्य सभी सत्ता पक्ष के लोग इतने उत्साह में थे और मेंजों के बजने का क्रम ज्यादा था इसलिए साफ-साफ सुन नहीं सके इसलिए मैं दोबारा दोहरा देना चाहता हूं कि पुनर्गठन के पश्चात् उत्तर प्रदेश में वनों का कुल क्षेत्रफल 10751 वर्ग कि0मी0 रह गया है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.46 प्रतिशत है और मान्यवर, यह आया है कि आमतौर पर मैदानी हिस्सों में वनाच्छादित क्षेत्र एक प्रतिशत से भी कम है, जब कि आदर्श स्थिति 33 फीसदी से ज्यादा वनाच्छादन की होनी चाहिए । यह माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के सम्बन्ध में कहा है और जो बजट साहित्य मिला है उसके प्राक्कथन में, उसकी भूमिका में यह बात रखी गयी है । श्रीमन्, मैं यहीं से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि जो बजट मंत्री जी ने रखा है, वन विभाग का उसमें 33 प्रतिशत का लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे, ऐसी आदर्श स्थिति की न कल्पना है, न अपेक्षा कर सकते है कि एक प्रतिशत से वनों को बढ़ाकर 33 प्रतिशत तक ले जाने की योजनाएं डाल दी जाये लेकिन मान्यवर, बजट प्रावधानों को देखकर के पूरी जिम्मेदारी से यह बात दोहरा सकता हूँ कि इसमें उस दिशा का भी संकेत नहीं है कि जिससे एक प्रतिशत से .0001 प्रतिशत वन क्षेत्र बढ़ने की कोई गुंजाइश रखी गयी हो यही सबसे बड़ी निराशा की बात है।

(इस समय 8 बजकर 56 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलू राम पीठासीन हुये)

हम इस सदन के सदस्य हैं और इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति से सभी सदस्य भिज्ञ हैं कि किसी एक विभाग को इतना धन दे पाना सम्भव नहीं है कि जो उसकी अपेक्षाएं हैं वह उस पर खरी उतर सके। लेकिन इस बजट में कही इसकी कोई दिशा ही नहीं है। जिस चीज पर जोर डालने का काम किया गया है वह है सामाजिक वानिकी। बार-बार उसकी उपलब्धियों की ओर और महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र वन विभाग की ओर से आ रहा है। वन की जब बात होती है तो आमतौर पर मान्यवर दों बातें समझ में आती हैं एक जो वनों के पेड़-पौधे हैं, जो इसकी परिकल्पना है, एक वह हिस्सा यानि उसमें रहने वाले जीव-जन्तु। तो वनों की जो स्थिति है उसमें सामाजिक वानिकी का बड़ी जोर से प्रचार किया गया है कि विश्व बैंक की जो दो योजनाएँ वनों की थी, 86 से शुरू होकर 98 में समाप्त हो रही थी उसको एक वर्ष और बढ़ाकर 2003 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है और मान्यवर, उस योजना की स्थिति यह है कि 2000-01 के अन्त तक वह योजना मान्यवर, 47576.46 लाख की उनकी स्थिति थी और बढ़कर के उन्होंने योजना इस मंहगाई के दौर में जब पारिश्रमिक बढ़ा है, बिजली की दर बढ़ी, सिंचाई की दर बढ़ी है, तब मान्यवर वह 27,231 लाख हो गई है, लगभग 50 फीसदी हो गई है, तो मान्यवर, यह बढ़ोत्तरी हुई है।

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

बढ़ोत्तरी नहीं, कमी हुई है।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो हमारा ज्ञानार्जन किया है कि इसमें बढ़ोत्तरी नहीं कमी हुई है वह मुझे मालूम था लेकिन मैंने जानबूझकर ही ऐसा कहा। यहां पर मान्यवर मैं सामाजिक वानिकी योजना की राशि का जिक्र करूँगा कि वह रकम 30,385 लाख थी। पिछले वित्तीय वर्ष में और इस वित्तीय वर्ष में उससे बढ़ कर कम से कम सवा गुना ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इससे आपकी योजनाओं का पता चलता है, इच्छाओं का पता चलता है। अगर ज्यादा आंकड़ों में आपको ले जाऊँगा तो आपको कठिनाई होगी, यह पुस्तक है, आप पृष्ठ सात पर इसे पढ़ लेना। माननीय मंत्री जी ने स्वत: इसको साकार नहीं किया, मेरा कहना कि हमें अपने संसाधनों को देखते हुए ही बजट बनाना चाहिए।अगर इस बजट में इस सब का ध्यान रखा गया होता तो मैं श्री अरविन्द गिरि से कहता कि एक अच्छी योजना है और वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें, लेकिन जिस हताशा में इस बजट को प्रस्तुत करने का काम किया गया है उसमें उनके कटौती प्रस्ताव पर बल देने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। मान्यवर, एक बड़ी अजीब सी स्थिति है, मान्यवर दो बातें हमारे सामने हैं एक प्राणियों का हिस्सा है और दूसरा पौधों का हिस्सा है मान्यवर, कुछ उसी तरह का वातावरण में इस विभाग के अधिकारी आते हैं, कोई ऐसे हैं जिनका लगाव वनों से होता है और किसी का लगाव प्राणियों से होता है। अच्छा हुआ शेर, भालू, नाहर, कौआ, उल्लू इसका जिक्र मंत्री जी ने कम किया और खड़रोजों का जिक्र उन्होंने तो कदापि नहीं किया, यह अच्छा किया अभी हमारे साथी पूछ रहे थे कि इसमें पंचायती राज के अधिकारी कौन हैं और वन विभाग के अधिकारी कौन हैं। मैंने कहा जितने दुबले-पतले नजर आये वह तो पंचायती राज के हैं जितने मोटे-ताजे, नजर आये उन्हें वन वाला समझ लेना। क्योंकि वन विभाग मोटे-मोटे लोगों का विभाग है, और उनकी आंख भी मोटी हो गई है, हया कम हो गई है मान्यवर, सिर्फ बजट प्रश्न की बात नही है,मैं पूरे विभाग की बात कह रहा हूँ, मान्यवर, जिस पर सर्वाधिक जोर था उस पर तो कहीं प्रश्न किया ही नहीं है।और संयोग से हमारे यहां भोजपुरी में एक कहावत कही जाती है कि "चाम का वाड और कुकुर रखवार।" जब बाड़ ही पेड़ को खाने लगे तो मुश्किल हो जायेगा। मेरी कोई मंशा मंत्री जी की पसन्द और नियुक्तियों को लेकर नहीं हो सकती। लेकिन मेरा जो थोड़ा सा अनुभव है इस उच्च सदन में आने का और चर्चाओं की गहराई में जाने का, इस विभाग का जो भ्रष्टतम था उसको उच्चतम बना दिया गया। भ्रष्टतम को उच्चतम बनाकर अच्छा परिणाम पाने का प्रयास हो रहा है।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा लाल बत्ती जलाने पर)

मान्यवर, अगर समय देंगे तो मैं एक-एक बात को साक्ष्य के साथ रखना चाहूँगा।

श्री अधिष्ठाता–

बड़ी लम्बी फेहरिस्त है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, हमारे साथी अपना समय मुझे दे देंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा। श्रीमन् इन स्थितियों में जिन पर एक बार नहीं बार-बार यह आरोप लगे कि कभी किसी जानवर की खाल

पकड़ी गयी, कभी कछुआ, कभी हिरन, कभी शेरों का अवैध शिकार हुआ, हाथी का अवैध शिकार हुआ, हाथी दाँत बरामद हुए, कभी हिरन की सींग बरामद हुई। इनके चलते गम्भीर से गम्भीर आरोप लगाये जाते गये। आरोप अरविन्द गिरि ने नहीं लगाये, सत्तापक्ष में बैठे हुये आपके साथियों ने नहीं लगाये। यह वे आरोप थे जिन्हें शासन ने लगाये और स्वीकार किया। शासन के सीधे आरोप और शासन के सीधे आरोप के बावजूद भी भ्रष्टतम को उच्चतम बनाने का काम करेंगे तो वन कैसे हरे-भरे हो जायेंगे। अभी अरविन्द गिरि जी ने कहा कि पीपल से बहुत आक्सीजन मिलता है, जब पीपल रहेगा नहीं तो कैसे मिलेगा, जब तक पीपल लगाने की कोई योजना नहीं बनेगी और सिर्फ हाथियों का अवैध शिकार, कछुये व हिरन की खालों की तस्करी होगी। रवीना टण्डन को चिड़ियाघर में ले आया जायेगा। [x x x] फोटो रहेगी तो खूबसूरत लगेगी लेकिन शायद आप साहस न कर सकें। मेरी हसरत है कि मंत्री जी एक नहीं कई रवीना टण्डन को वन विभाग की तरक्की का प्रदर्शन करने के लिए बुलायें।

श्री दिनेश सिंह–

मंत्री जी पारिजात का फल ले करके आये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संक्षेप करिये।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं दल के नेता की हैसियत से जिम्मेदारी से अपनी बात कहता हूँ। मुझे अपने सदस्यों का समय दे दीजिए। टाइगर, हिरन, तेंदुआ, कछुआ तो चलता ही रहा। एक आपस की पट्टीदारी होती है जब दो शाखाओं के लोग एक साथ काम करते हैं तो प्राणी विभाग से जुड़े लोग जानवरों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं और पादप विभाग से जुड़े जुड़े लोग पादप में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। और वैसे सूखे के चलते तो स्थिति खराब है ही लेकिन वन विभाग में जो आँधी चल रही है उसके डर के मारे वन विभाग के पौधे सूख जायेंगे। पौधे सूखने के मामले में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में उत्तर प्रदेश वन विभाग का नाम चला आयेगा और आज के दौर में तो आज के सर्वोच्च अधिकारी की आँख से पौधे सूख जायेंगे।

मैं एक अखबार देख रहा था। मैं जानता हूँ, अखबार की बात का सदन में संज्ञान नहीं लेते हैं। लोगों ने बताया कि सरोजनी नगर रेंज में ढाई सौ पेड़ काट दिये गये। मान्यवर, मुख्यालय से मात्र 10 किमी0 दूर अगर यह घटना हो जाती है तो मुख्यालय से दूर शहर बहराइच, उन्नाव, सीतापुर में क्या हो रहा है इसकी जानकारी इनको है या नहीं इसको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है।

*श्री अमरमणि–

मान्यवर, यह मुख्य बिन्दु से हटकर बोल रहे हैं आपसे अनुरोध है कि कृपया बजट पर बोलें और सदस्यों को भी बोलना है।

नोट :--[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय सदस्य हमारे मित्र हैं जब उनका दिल धड़कता है तो मैं समझ जाता हूँ मैं उनका इशारा समझ गया हूँ वह हमारी ही बात कहना चाहते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, 190 वन क्षेत्र अधिकारी 24 आई0एफ0एस0 अधिकारी व इतने ही प्रान्तीय सेवा के अधिकारियों के खिलाफ गड़बड़ियाँ करने के मुकदमें चल रहे हैं। मान्यवर, यह रिपोर्ट दो जुलाई तक की है। यह सिर्फ विभाग के अधिकारियों की बात है। प्रदेश के माफियाओं की बात इसमें नहीं है। जब प्रदेश के माफियाओं का जिक्र आएगा तो यह उसके संरक्षक हो जाएंगे, उनके मददगार हो जाएँगे। यह सिर्फ भीतर की संख्या है। जो माफिया होगा वह मुख्यालयों में गोली चलवाने का काम करेगा। जिसके विरुद्ध हत्या के प्रयास का मुकदमा, 307 का मुकदमा हजरतगंज कोतवाली में होगा। शासन का सचिव, प्रमुख सचिव 5-5 रिपोर्ट भेजेंगे, जाचें होंगी। इस तरह के लोगों को तत्काल जेल में डालने के बजाये उनको बहाल करने का काम किया जाएगा जिनके मामले में यह सिद्ध है कि इतनी-इतनी गड़बड़ियाँ हुई हैं। मैं इशारे का काम इशारे में बता दूँ।

जो कुख्याततम अधिकारी हैं, जो एन0जी0ओ0 के माध्यम से चला करते हैं। उनके विरुद्ध लखीमपुर खीरी में एफ0आई0आर0 दर्ज है। पता नहीं वहां से कितना हिस्सा प्राप्त होता है ? या तो यह माफिया से डरते हैं या उनके साथ हिस्सेदार हैं। दोनों ही हालातों में उत्तर प्रदेश की 17 करोड़ की जनता समर्थ हैं, जानती है उसको कोई डरा नहीं सकता। हमारे माननीय मंत्री जी इतने समर्थ हैं कि उनको कोई डरा नहीं सकता; उनको कोई लालच नहीं दे सकता। दूसरी बात कहना चाहूँगा कि तबादला आज एक उद्योग बन गया है लेकिन इस तबादला उद्योग के बारे में इस बजट में कोई जिक्र नहीं है। मैं मान्यवर, इसको सुविधा शुल्क नहीं कह रहा हूँ, मैं रिश्वत का जिक्र नहीं कर रहा हूँ जो किसी के स्थानान्तरण में ली गयी हो। मान्यवर, एक नया प्रयोग वन विभाग में हो रहा है। डिस्टरवेंस एलाउँस,नान डिस्टरवेंस एलाउंस। स्थानान्तरण के संबंध में यह एक नये तरीके का प्रयोग हो रहा है इस विभाग में।

एक सदस्य–

रवीना टंडन के बारे में चौधरी साहब ने कहा। पहले जो सैफई जाते थे वह आज चिड़िया घर में आने लगे हैं इसलिये चौधरी साहब को तकलीफ है।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय समर्थ मंत्री के बगल में और माननीय नौजवान साथी के बगल में [x x x] नहीं है इसकी पीड़ा है। मान्यवर, मैंने अभी मिस्टर बंसल का जिक्र किया है। उनके विरुद्ध इतने अपराध हैं उनको मुख्यालय पर किसी हालत में नहीं रखना चाहिये लेकिन आपने उनको क्यों रखा है इसमें मैं नहीं जाऊँगा। मान्यवर, ट्रांजिट परमिट और पातन में जो कष्ट सारे प्रदेश की जनता को उठाना पड़ता है उस पर आपका ध्यान जाने की आवश्यकता है। ट्रांजिट परमिट की आड़ में वन विभाग की सम्पत्ति चोरी की जा रही है। मान्यवर, इसी तरह से पूर्वान्चल में सड़क के किनारे जो वृक्ष हैं वह वन विभाग को दे दिये गये हैं। पहले वह पी0डब्लू0डी0 के पास थे। पहले जब पेड़ सूखने लगता था

नोटः--[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

तो वह पेड़ काट लिया जाता था लेकिन आज पेड़ सूख जाते हैं उनको काटा नहीं जाता जिससे कीमती लकड़ी नष्ट हो रही है। वन विभाग द्वारा न इन पेड़ों को नीलाम किया जा रहा है न उनका इस्तेमाल किया जा रहा है । पता नहीं कि किस समय वह पेड़ कार पर या ट्रक पर गिर पड़े और दुर्घटना हो जाय। प्रत्येक जनपद से ऐसे पेड़ों के संबंध में रिपोर्ट लेकर ऐसे पेड़ जो सूख गये हैं या झुक गये हैं उनको काटा जाय ताकि यह जो संपत्ति नष्ट हो रही है उसे बचाया जा सके। मान्यवर, उनका इंतजाम किए जाने की जरूरत है। धन तो हम लोगों ने वन पर पिछले पांच-छः वर्षों से इस पर खर्च किया। वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं वह इस बात को जानते हैं। जवाहर रोजगार योजना का पैसा, सुनिश्चित रोजगार योजना का पैसा और तमाम योजनाओं में जितना पैसा दिया जाता था उसका 25-30 फीसदी पैसा वन विभाग में दिया गया है। इसको प्राथमिकता पर रखने का काम किया गया। लेकिन इसकी ठीक ढंग से प्रगति नहीं हो सही। आज धन भी नहीं मिल रहा है, वन विभाग को चलाने में वैसे भी कठिनाई हो रही है और जो कुछ है वह पूरी तरह से नष्ट होने की दिशा में जा रही है। आपको किसी भी हालत में ऐसी जगह नहीं होना चाहिए कि आपका नाम किसी दागदार के साथ न लिया जाए। मेरी शुभकामनाएं कि आप जल्दी से जल्दी ऐसे दागदार लोगों से पिण्ड छुड़ा लें। इसी के साथ एक पक्ष ऐसा भी है जिसके लिए आपको बधाई देना चाहूँगा सरकारी निगमों की स्थिति इतनी जर्जर है अधिकांश निगम बन्द होते जा रहे हैं या टूटने की कगार पर हैं। ऐसी स्थिति में भी वन निगम की स्थिति संतोषप्रद है। यह निगम किसी तरह सरकार पर बोझ बनने का काम नहीं कर रहा है। इस निगम के माध्यम से तेंदू पत्तों के पातन का काम, घास इकट्ठा करना उसकी मार्केटिंग का काम निगम कर रहा है। वह निगम दूसरे सरकारी निगमों की अपेक्षा कम भ्रष्ट और ठीक ठाक ढंग से चल रहा है यह एक पक्ष उज्जवल भी है। इस पक्ष के लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। इस पक्ष को उज्जवल बनाए रखने की आवश्यकता है। इस दिशा में जितना भी योगदान हो सकता है उस दिशा में काम करने की जरूरत है। जब तक यह कार्य नहीं किये जाते तब तक पूरी राशि को घटाकर एक रुपया कर दी जाए क्योंकि जितना भी रुपया बजट में मांगा गया है। यह पूरी तरह से लूटपाट में लगने वाला है। प्रदेश की जनता की कमाई लूटी न जाए इस दृष्टि से यह अनिवार्य है कि बजट की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। इसी के साथ मैं श्री अरविन्द गिरि के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री दद्दू प्रसाद–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने वन मंत्री द्वारा रखें गए बजट पर समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, समय काफी बीत चुका है हम कोशिश करेंगे कि पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें। चौधरी जी ने लम्बी चौड़ी बातें रखीं हैं। उत्तराखण्ड के अलग होने के बाद बुन्देलखण्ड एक ऐसा क्षेत्र है जो कि उत्तराखण्ड की कमी को काफी हद तक पूरा कर सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता चाहूँगा कि बुन्देलखण्ड में प्लांटेशन पर बल देने की जरूरत है। इसमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है। जहाँ जैसा वातावरण हो वहां पर उसी तरह का वृक्षारोपण हो। चित्रकूट जनपद में आँवला ऐसी उपज है जो कि वहां के वातावरण के लिए बहुत उपयोगी है। और जल्दी वह डेवलेप भी होता है। लम्बे अरसे से आँवले का बहुत बड़ा क्षरण हो रहा है वन विभाग की लापरवाही के कारण प्रतापगढ़ ही नहीं आँवले की वेल्ट हो सकता है। चित्रकूट भी आँवले की बहुत बड़ी वेल्ट हो सकता है। वनों का आज जो कटान हुआ है वह सब वन विभाग के देख-रेख के अभाव में हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री

जी से कहना चाहता हूँ कि चित्रकूट में भी आँवले के वृक्ष लगाने का प्राविधान किया जाय। विगत वर्षों में आँवला, महुआ, गोंद, चिरौंजी, शहद को फ्री किया गया है। इनकी उपज को जनता के लिये फ्री किया गया है जो कि एक सराहनीय कदम है। मान्यवर, एक नीति बनानी पड़ेगी और एक नीति के रूप में जैसे आँवले का वृक्ष है, गोंद का वृक्ष है, महुए का वृक्ष है, समाजिक वानिकी के रूप में, समाज के जंगल में रहने वाले निवासियों जैसा कि अभी माननीय गिरी जी ने कहा था कि वनों में एक प्रजाति रहती है। जिम्मेदारी निर्धारित करनी पड़ेगी, वृक्ष के पीछे। जब तक समाज की जिम्मेदारी नहीं लगायेंगे तब तक वृक्षों का संरक्षण नहीं हो सकता। 20-20 वृक्षों का बंटवारा जंगलों में रहने वालों के बीच में कर दिया जाय, वे यह समझें कि उनकी ड्यूटी है, उन वृक्षों की देख भाल करने की, उन वृक्षों का उत्पादन भी उनको मिलेगा तो वे उसकी सुरक्षा करेगें। समाज के लिये वन ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या वन के उत्पाद ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि वन समाज के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं। वन उत्पाद उतने उपयोगी नहीं हैं। उन उत्पादों को वनों में रहने वाले लोगों के लिये छोड़ दें, वन विभाग को वन उत्पाद का लालच छोड़ना पड़ेगा तभी वनों में रहने वाले लोग वनों का संरक्षण ठीक तरीके से कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि विगत वर्षों में राजस्व और वन विभाग की भूमि का विवाद लम्बे अरसे से चला आ रहा है। राजस्व विभाग ने शोषित, पीड़ित वर्ग को पट्टे कर दिये तो वन विभाग के लोग अपनी पुलिस लेकर उनको खदेड़ रहें हैं और इस तरह से तमाम उत्पीड़न के प्रकरण सामने आ रहें हैं। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि ऐसे प्रकरण चिहिन्त होने चाहिए। राजस्व विभाग की तरह वन विभाग भी एक नीति बनायें जिसमें अनुसूचित जाति, निर्धन, कमजोर तबके के लोगों के लिये व्यवस्था करे। वन विभाग भी संविधान की धारा 46, 38 से बाहर नहीं है। कमजोर वर्गों का उत्पीड़न करने का अधिकार नहीं है। मान्यवर, आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि जनपद चित्रकूट में, इलाहाबाद में और मिर्जापुर में करोड़ों रुपये वन निगम तेंदू पत्ते की तुड़ान का हड़प कर बैठा है और अभी तक भुगतान नहीं हो रहा है। मजदूरों की मजदूरी का भुगतान वन विभाग दबाये हुए बैठा है। प्रतिवर्ष लाखों रुपये की मजदूरी वन विभाग हड़प जाता है। मजदूरों की मजदूरी का भुगतान ठीक तरीके से कराया जाय इसी तरह मान्यवर, कहना चाहता हूँ कि जड़ी बूटियों का क्षरण हो रहा है। जड़ी बूटियों का एकत्रीकरण, संरक्षीकरण किये जाने की आवश्यकता है। तमाम दुर्लभ बहुमूल्य जड़ी बूटियों के दोहन के लिये कोई नीति नहीं है, प्रतिवर्ष यह जल कर स्वाहा हो जाती है। उनके एकत्रीकरण की कोई योजना बनायें। रानीपुर वन्य जीव बिहार को राष्ट्रीय वन्य जीव बिहार घोषित किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

*श्री घनश्याम शुक्ला –

मान्यवर, वन मंत्री जी द्वारा पेश किए गये बजट भाषण के समर्थन पर बोलने के लिए आपने अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

(व्यवधान)

मान्यवर, जो बजट पेश किया गया है यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आजादी के 55 वर्ष बीत गए पहले की सरकारों ने, जो पहले सरकारें रहीं हैं 40-45 साल तक हमारी बगल में बैठे कांग्रेस के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों ने शासन किया। 1989-90 में जो आज समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं इन्होंने भी सत्ता का उपयोग किया है, सत्ता का दोहन किया है, सत्ता का दुरुपयोग किया है, मैं कहना चाहता हूँ 1991 के बाद से वन जो लगाए गए हैं उसमें प्रगति आई है लेकिन 91 के पहले का इतिहास देखें खाली कागज में पेन लगाया जाता था, लोग वनों का दुरुपयोग करते थे। हल्ला बोलकर वनों की कटान कराई गई और यह समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा कराई गई ।

(व्यवधान)

सरकार ने सामाजिक वानिकी योजना शुरू की है मान्यवर, इसको तेजी से चलाया जाए इस योजना को और तेजी से चलाने की आवश्यकता है। वन की आबादी 11.55 से घटाकर 4.46 प्रतिशत रह गई है। आज वन क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकत है। उच्च तकनीक पौधशालाओं की स्थापना की गई है मैं विपक्ष के सदस्यों से कहूँगा वनों की बढ़ोत्तरी करना सिर्फ सत्तापक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है।

(मेजे थपथपाई गई)

अपने-अपने क्षेत्र में आवश्यकता पड़े तो विधायक निधि के द्वारा या किसी और निधि के द्वारा पौधों को खरीदें, पौधों को खरीदकर जंगल की स्थापना की जाए। जब जंगल की स्थापना की जाएगी तो स्थिति सुधरेगी सुरक्षा के बारे में कहना चाहूँगा नेपाल सीमा से लगे गोण्डा बलरामपुर जनपद है तथा सबसे बड़ा जंगल गोण्डा बलरामपुर में है उनकी सुरक्षा की व्यवस्था और ठीक ढ़ंग से कराई जाए।

(व्यवधान)

नेपाल सीमा से सटा होने के कारण नेपाल के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ज्यादा लोग बोल रहें हैं, जिन्होंने हल्ला बोलकर पेड़ कटाए हैं और कटवा रहे हैं वही कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं।

(मेजें थपथपाई गई)

कटौती करना इनकी फितरत है। सरकार द्वारा जो भी बजट प्रस्तुत किया जाता है यह इसमें कटौती पेश कर देते हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, जो चिड़ियाघर में रवीना टण्डन आयी थी उसकी बात कर रहे थे। उस समय आप बड़ी चुटकियां ले रहे थे।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैंने न किसी सदस्य का नाम लिया और न ही किसी पार्टी का नाम लिया है। यह अपना भाषण संयम से करें।

श्री घनश्याम शुक्ला –

मान्यवर, [x x x] तो क्या है। मान्यवर, अन्त में मैं यह कहना चाहूँगा कि जनपद गोण्डा और बलरामपुर में वनों की आवश्यकता है। वन निगम ने 1.60 करोड़ की आमदनी की है मैं

नोट [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उनको बधाई देना चाहता हूँ और माननीय वन मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(डा0 शिव प्रसाद यादव के खड़े होकर बोलने पर)

*श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी समाजवादी पार्टी के उप नेता जब बोल रहे थे तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहा था कि मैं अपने दल का समय लेकर बोल रहा हूँ। जब उन्होंने अपने सारे सदस्यों का समय ले लिया है तो फिर यह क्यों बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

डा0 शिव प्रताप यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हूँ। मान्यवर, मैं बलरामपुर जिला से चुनकर आया हूँ। यह नेपाल सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है और गोण्डा जनपद में वनों की भरमार है। मान्यवर, वहाँ पर वन माफिया मौजूद हैं। आप उनकी लिस्ट मंगा लें और उसके अनुसार कार्यवाही करा ली जाय इससे जो वनों का कटान हो रहा है उस पर अंकुश लगेगा।

मान्यवर, गोण्डा जनपद में कुछ ऐसे भट्ठे हैं जो जंगल के अन्दर अवैध रूप से से चल रहे हैं जहां सत्तारूढ़ दल का झण्डा लगा हुआ है जब वहां पर वन विभाग के रेन्जर या एस0डी0ओ0 जाते हैं तो उनके खिलाफ अभद्रता की जाती है इसकी जांच करायी जाए। मेरी चुनौती है कि अगर जांच कराई जाये तो उसमें अगर वन माफिया सत्तारूढ़ दल के न हो तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा। यह सूचीबद्ध माफिया हैं मान्यवर, जब माननीय कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो उनकी रैली में ऐसे लोग सत्तारूढ़ दल के लोग और उनके आदमी ट्रक पर आये थे और उसमें नीचे जंगल की लकड़ी आयी थी जो उसमें बिछी हुई थी। और वह ट्रक पकड़ी गयी थी। मान्यवर, जिनके मकान कांच के बने होते हैं वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते।

मान्यवर, किसानों की समस्या के बारे में कहना है कि जो परमिट इश्यू होता है इसमें जो किसान अपने लगाये हुए पेड़ को लड़की की शादी, बच्चों की पढ़ाई या दवा के लिए बेचना चाहता है उसको परेशान किया जाता है। मान्यवर, परमिट व्यवस्था में एक शासनादेश जारी हुआ है कि जो वनराज अधिकारी हैं वे परमिट जारी कर सकते हैं लेकिन अभी इस आदेश का अनुपालन जिला बलरामपुर के डी0 एफ0 ओ0 नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर एक-एक परमिट बनाने में 500-700 की रिश्वत ली जाती है। उसमें वन विभाग के गार्ड से लेकर डी0 एफ0 ओ0 तक हिस्सा जाता है। इस लिए एक नियम बनाया जाये कि जो वनराज अधिकारी हैं उनके द्वारा वहीं पर परमिट जारी किये जायें जिससे किसानों को परेशानी न हो। मान्यवर, हमारा क्षेत्र जो है गैसड़ी क्षेत्र, जिला बलरामपुर में है। वहां पर भांमर रेंज है, रामपुर रेंज है और जनकपुर रेंज है। ये नेपाल सीमा से सटी हुई है। मान्यवर, बड़े पैमाने पर इन जंगलों से सागौन, शीशम की अवैध कटान होकर नेपाल क्षेत्र में जा रही है। इस तरह से वन विभाग के अधिकारी और सत्तारूढ़ दल के लोग वनों का दोहन कर रहे हैं। इसे रोकने की बहुत जरूरत है नहीं तो वहां पर वन नहीं रह जायेंगे ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, हमारे यहां वन क्षेत्र में भांमर क्षेत्र में, जनकपुर क्षेत्र में जंगलों के अन्दर थारू जनजाति के लोग रहते हैं। वन विभाग के लोग उनका शोषण करते हैं और उनसे बेगारी कराते हैं और इस तरह से जो पैसा वहां पर सड़क बनाने के लिए और पुल बनाने के लिए जाता है वे खा लेते हैं। मान्यवर, वहां जरवा चन्दनपुर कोयरी वन क्षेत्र में जो नीलामी होती थी उसमें थारू जनजाति के लोग मजदूरी करते थे। बालू और पत्थर की नीलामी होती थी उसे बन्द कर दिया गया है। जिससे थारू जनजाति के लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि थारू जनजाति के लोग जो भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं उनकी रोजी-रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए।

*श्री धनन्जय सिंह–

मान्यवर, माननीय वन मंत्री जी द्वारा जो 2002-2003 का बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं वह उस पर विचार करें। मान्यवर, माननीय सदस्यों ने बहुत विचार व्यक्त किये मैं उसकी कद्र करता हूं। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि वृक्षारोपण पर्यावरण में संतुलन बनाये रखना केवल सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अब मैं माननीय वन मंत्री को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य के गठन के पश्चात हमें अपनी वन नीति पर पुन: एक बार व्यापक रूप से विचार विमर्श की आवश्यकता है। आज पूरा परिदृश्य बदला हुआ है, जहां पहले एक चौथाई क्षेत्रफल पर वन था वहां अब लगभग 4 प्रतिशत क्षेत्र पर यह सिमट गया है। इसलिये उक्त परिदृश्य के संदर्भ में हमें अब नवीन कार्यक्रम एवं नवीन दृष्टिकोण अपनाना होगा।

इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश वन निगम जिसकी स्थापना उ0 प्र0 वन निगम अधिनियम, 1974 से की गयी थी, जिसका मुख्य कार्य वृक्षों के कटान, निस्तारण, तेंदू पत्ते, जड़ी बूटियों का एकत्र करना तथा नैनीताल एवं उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्रों में कृषि के कार्य सम्मिलित थे। "उत्तरांचल वन विकास निगम" की स्थापना के बाद उत्तर प्रदेश वन निगम का औचित्य उस स्वरूप एवं उद्देश्य में नहीं रह गया है साथ ही सी0ए0जी0 की रिपोर्ट में भी वन निगम की कार्यप्रणाली एवं उसकी उत्पादकता पर गम्भीर प्रश्न चिन्ह आरोपित किये गये हैं। सी0ए0जी0 ने इसके संगठनात्मक ढांचे, वित्त एवं संसाधन, वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम, राष्ट्रीय वन नीति का क्रियान्वयन जिसमें घोषित वन नीति को निगम के उद्देश्यों में अब तक समाहित नहीं किया गया तथा इसकी अन्य गतिविधियों पर जिसमें कृषि कार्य सम्बन्धित गतिविधियों तेंदू पत्ता एवं जड़ी बूटी संग्रहण एवं विपणन तथा अन्य कई प्रकार की वित्तीय एवं कार्य संचालन पद्धति पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए उ0 प्र0 वन निगम को वर्तमान उद्देश्य में समाप्त कर इसका रूपान्तरण कर देना चाहिए।

मान्यवर, वर्तमान वन संकट, जैव विविधता संकट एवं पर्यावणिक असंतुलन को देखते हुए इन क्षेत्रों में कार्यरत विशेषज्ञ एवं दक्ष लोगों से मिलकर बने एक आयोग या प्राधिकरण की आवयकता है जो वनान्दोलन को जनोन्मुखी बनाकर उसे सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर एक नवीन हरित संस्कृति को जन्म दे सके।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काटना, निस्तारण एवं संग्रहण करने वाले निगम के स्थान पर पैदावार बढ़ाने वाले तथा वैज्ञानिक दोहन हेतु एक अभिकरण की आवयकता है। इसके लिए हम वन विभाग में उच्च वेतनमान वाले अधिकारियों के स्थान पर गांव-गांव में वन मित्र का मनोनयन कर सकते हैं। वर्तमान समय की मांग है कि हम वन अधिकारियों की संकल्पना के स्थान पर वन मित्रों का ढांचा खड़ा करें।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि एक हर्बल जोन या हर्बल पार्क की स्थापना की जानी चाहिए। चिकित्सीय महत्व के वन सम्पत्तियों के रोपण एवं संवर्धन की दिशा में काम करना चाहिए ताकि रोजगार और आय के नये अवसर का सृजन हो। इस दिशा में हम निर्यात से राजस्व लाभ कर सकते हैं। मान्यवर, हमारे पड़ोसी देश चाइना में हर्बल के हजारों करोड़ का उत्पादन और व्यापार हो रहा है, उनकी तुलना में हमारी हिस्सेदारी एक अंश है। मान्यवर, उन्होंने पिछले वर्ष 40 हजार करोड़ का निर्यात किया और हमने 400 करोड़ का। मान्यवर, यदि हर्बल पार्क की स्थापना हो तो हम आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वन निगम के वर्तमान स्वरूप को बदलकर उसका रूपान्तरण करके नये ढांचे में उसको लाया जाये और हर्बल पार्क की अवश्य स्थापना की जाय। धन्यवाद।

*श्री रियाज अहमद–

अधिष्ठाता महोदय, मैं अरविन्द के कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, आज वन जैसे महत्वपूर्ण विभाग का बजट आ रहा है और माननीय मंत्रीगणों की इस तरीके से इस महत्वपूर्ण विभाग के प्रति लापरवाही हास्यास्पद है। पूरी दुनिया वनों के प्रति किस कदर सचेत है और खासकर उत्तर प्रदेश का बंटवारा होने के बाद आज आपके पास वन बचा ही कितना है। जितना बचा है, उसमें पीलीभीत का नाम आता है। अरविन्द गिरी जी ने कहा कि सोनभद्र जंगल के हिसाब से यह दूसरे नम्बर पर आता है लेकिन पीलीभीत जितना खूबसूरत जंगल है वह पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। पीलीभीत के जंगल में 16-16 शेरों का झुण्ड एक साथ देखा जा सकता है, और अभी विगत दिनों में दिखायी भी दिया था। शेर, तेंदुआ, आदि इतने प्रकार के जानवर पीलीभीत जंगल में हैं उत्तर प्रदेश के अन्दर कहीं नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पीलीभीत के जंगल की ओर दिलाना चाहता हूं कि वह इस दिशा में सार्थक कदम उठाये। पीलीभीत के जंगल के विकास होने से बड़ी तादाद में विदेशी पर्यटकों को आने का मौका मिलेगा। पीलीभीत के जंगल के रख-रखाव की वैसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है जितनी कि उसके लिए जरूरी है। इसके साथ-साथ सुरक्षा के नाम पर पीलीभीत शहर के अन्दर आसपास के कस्बों के अन्दर जो हाथ के कारीगर हैं, लकड़ी के कारीगर हैं, छोटी मशीनों वाले लोग हैं वन विभाग के लोग बेवजह उन्हें परेशान करने का काम कर रहे हैं जिससे दस्तकारी बरबाद हो रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि पीलीभीत के अन्दर अब तक 13 हजार कर्मचारी हैं, आप सिर्फ इतना करा दीजिए कि हर कर्मचारी एक-एक पेड़ गोद ले ले और उसकी परवरिश कर ले तो साल भर में 13,000 पेड़ों को बचाने का काम आसानी से किया जा सकता है। इसमें सिर्फ आपके आदेश की जरूरत है, आपकी सख्ती की जरूरत है, किसी फाइनेन्स की जरूरत नहीं है। इस समय पूरा प्रदेश राजस्थान की तरफ खिसक रहा है। हम कुछ नहीं दे पा रहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं अपनी नयी पीढ़ी को, तो कम से कम सही हवा तो दे ही सकते हैं। मैं सारे सदन से अपील करता हूँ कि वनों के महत्व को समझकर यदि हर माननीय सदस्य 1-1, 2-2 पेड़ लगाने का काम करें तो पूरे साल भर में बहुतत पेड़ लगाने का काम हम कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपको, जयहिन्द।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वन विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये आपने मुझे मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अरविन्द गिरि और माननीय अम्बिका जी तथा मेरे विपक्ष के दूसरे साथियों ने कटौती के प्रस्ताव पर अपनी बात रखी है, मैं उन बातों पर बल देते हुये उनको दोहराना नहीं चाहता। समय की नजाकत को देखते हुए सिर्फ कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जो आज वास्तव में स्थिति नाटकीय दौर में वन विभाग की है, वह किसी से छिपी नहीं है। वनों की क्या आवश्यकता है, वृक्षारोपण की क्या आवश्यकता है, उनके न होने से पर्यावरण का कितना ह्रास हुआ है, इसमें वन विभाग की नीति और नीयति जो पिछले 55 सालों में रही है, चाहे कोई भी कार्यक्रम रहा हो, सामाजिक वानिकी के नाम पर, कृषि वानिकी के नाम पर, शहरी वानिकी के नाम पर, बजट लगातार बढ़ता रहा लेकिन संरक्षण नहीं हो पाया। इसके लिये कुछ आंकड़ो की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। वर्ष 1993 में वन विभाग द्वारा अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाले वृक्षारोपण की सफलता के आंकड़े प्रस्तुत किये गये और बलिया में 75 से 95 प्रतिशत, फैजाबाद में 80 से 90 प्रतिशत, गोरखपुर में 90से 95 प्रतिशत, बांदा जैसे जिले में 60 प्रतिशत और कुछ जिलों में तो 100 प्रतिशत तक वृक्षरोपण सफल मान लिया गया। जबकि यदि इतना वृक्षारोपण उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में होता तो शायद इतनी बुरी स्थिति आज न होती जो कि आज हो गयी है। आज उत्तर प्रदेश में मात्र 4.6 प्रतिशत वन आच्छादित क्षेत्र बचा है। इस समय 44 जिले ऐसे हैं, जहाँ 1 प्रतिशत से भी कम वन क्षेत्र है। इसी प्रकार 10 जिले ऐसे हैं, जहां 1 से 5 प्रतिशत वन क्षेत्र रह गया है। इसी प्रकार 10 जिले ऐसे हैं, जहां 5 से 10 प्रतिशत और 2 जिले ऐसे हैं, जहां 10 से 15 प्रतिशत वन क्षेत्र है और मात्र 4 जिले ऐसे हैं, जहां 15 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र हैं। इस बिगड़ती स्थिति पर निश्चित तौर पर हम सबको गम्भीर चिन्तन करना होगा। मैं सभी सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। वन विभाग की ज्वांइट फारेस्ट मैनेजमेंट ध्संयुक्त वन प्रबन्धकड तकनीक है, जिसका अनुपालन विभाग ने पिछले 4-5 वर्षो से किया जा रहा है, व्यक्ति को सीधा जंगल से रिश्ता है, जिन लोगों का जीवन वनों पर ही आधारित हैं, जिनको जंगल में एक-एक पेड़ के कटने से अपने जीवन का खतरा बना रहता है, उन लोगों की सहभागिता, जनसहभागिता के आधार पर नहीं लेंगे तो मैं नहीं समझता कि तब तक पूरी तरह से संरक्षण के कार्यक्रम को हम कर पायेंगे। जब तक वृक्षारोपण के मामले में अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक जितने काम किये जा रहे हैं, जितनी योजनायें चलाई जा रही हैं, उनको सफलताओं के आयाम तक नहीं पहुंचा सकते। केवल क्षेत्राधिकारियों और निचले स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदार बनाने का काम न करें। पिछले दिनों में 50 फीसदी से ज्यादा क्षेत्राधिकारी कहीं न कहीं वृक्षारोपण के लापरवाही मामलों में लिप्त पाये गये हैं, इसके लिये जिले के सर्वोच्च अधिकाकरी डी0 एफ0 ओ0 को जिम्मेदार कहीं भी नहीं बनाया गया है। वृक्षारोपण के लिये प्रत्येक जिले में डी0 एफ0 ओ0 को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिये। मैं तो मानता हूं कि अगर 50 फीसदी वृक्षारोपण भी सही हो जाय तो वन संरक्षण के क्षेत्र में हम बड़ी

कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अभी माननीय धनन्जय सिंह और दद्दू प्रसाद जी ने बहुत अच्छी बात कही। वन निगम का गठन जिन उद्देश्यों को लेकर हुआ था, वह ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना था लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वन निगम इन ठेकेदारों को एक बड़ा संरक्षक बनकर उत्तर प्रदेश में सामने आया है। मान्यवर, जैसा कि कैठा की रिपोर्ट के बारे में साथी धनन्जय जी ने कहा, बड़ी दयनीय स्थिति उत्तर प्रदेश की है। मान्यवर, जो वनों में रहने वाले लोग हैं उनका शोषण करने का काम वन निगम के द्वारा किया जा रहा है। मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि ज्वाइंट फारेस्ट मैनेजमेन्ट पॉलिसी को ईमानदारी से लागू करना है तो जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, जो इनकी देखभाल कर सकते हैं, उनको यह जिम्मेदारी दी जाये। ठेकेदारों को इस ज्वाइंट फारेस्ट मैनेजमेन्ट में लाने का काम किया जा रहा है। ज्वाइंट फारेस्ट मैनेजमेन्ट की पालिसी अभी तक एक जी0 ओ0 के रूप में है। यदि सरकार उसे ऐक्ट के रूप में लागू कर दे, कानून के रूप में कर दे तो कुछ न कुछ कामयाबी हो सकती है। मान्यवर, एक और बात कहना चाहता हूं। वर्तमान सरकार दलितों और आदिवासियों की रक्षक है, जो अनेक लोग जंगल में रह रहे हैं, केन्द्र सरकार ने 30 सितम्बर, 2002 तक उन्हें जो जंगल में रहते हैं, जो सेन्चुरीज हैं उसे खदेड़ने का निर्देश दिया है। मान्यवर, हमारी सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ। जिनके पास रोजगार के कोई साधन नहीं है, जो जलाने की लकड़ी से और पत्तल बनाकर अपना जीवन-यापन करते हैं, उनको वहां से खदेड़ा जायेगा, उनके पुनर्वास की कोई योजना नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम लोगों को जंगलों से निकालने से पहले उनका सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए और उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए। श्रीमन् तेंदु पत्ता और भाभर की नीति में जो शोषण हो रहा है, मिनिमम वेजेज ऐक्ट के द्वारा निर्धारित मजदूरी भी उचित नहीं मिल रही है। यदि वन मंत्री जी ने ये सब बातें प्रस्तुत करने का काम अपने बजट में किया होता तो निश्चित रूप से विपक्ष उसका समर्थन करने का काम करता। इसी के साथ मैं श्री अरविन्द गिरि ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर बल देता हूँ।

डा0 विनोद तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे वन मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, वन हमारे प्रदेश की अमूल्य निधि हैं, मान्यवर, वनों को बचाने के लिए हमारी सरकार ने 1998 में वन नीति बनाने की घोषणा की जिसे लागू भी किया गया। मान्यवर, देश में सबसे अधिक घनत्व वाला प्रदेश हमारा प्रदेश है लेकिन चिन्ता की बात है कि उसका वन क्षेत्र दिन पर दिन कम होता चला जा रहा है और आज के युग में जितना मशीनरी का प्रचलन बढ़ा है उसकी दृष्टि से मान्यवर वनों का भी बढ़ना आवश्यक है, लेकिन बार-बार उसका क्षरण होता जा रहा है। हमारी राष्ट्रीय नीति भी बनी और राज की नीति भी बनी लेकिन वनों का क्षरण बराबर हो रहा है। मान्यवर, इसे रोकने के लिए वृहद स्तर पर वृक्षारोपण की आवश्यकता है। मान्यवर, उत्तरांचल के उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद हमारे प्रदेश का वन आवरण और घटा है जो पहले 11.36 प्रतिशत था आज वह घटकर 4.46 प्रतिशत रह गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकारी अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण न कराके ग्राम समाज को महत्व दिया जाय और निजी भूमि मालिकों और किसानों को वृक्षारोपण या समाजिक वानिकी के क्षेत्र का बजट दे दिया जाय तो निश्चित रूप से वनों का क्षेत्रफल बढ़ सकता है। मान्यवर, यह देखने में आता है कि सामाजिक वानिकी द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है, गड्ढे खोदे जाते हैं, वह सारे आंकड़े फर्जी

होते हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इस विषय पर बहुत निगरानी की आवश्यकता है। मान्यवर, वन ही जीवन है। आप हर जगह बड़े-बड़े अक्षरों में यही लिखा देखते होंगे कि वनों को अपनी संतान समझो, वन ही जीवन है। लेकिन मान्यवर, केवल अच्छे-अच्छे कोटेशन लिखने से काम नहीं चलता। पीलीभीत जनपद में जो वन सम्पत्ति है, लखीमपुर जनपद में जो वन सम्पत्ति है आस-पास के 10-20 जिलों में वह वन सम्पदा देखने को नहीं मिलेगी। आज जो वन क्षरण हो रहा है उसमें वन माफियाओं का हाथ है और उन माफियाओं के ऊपर किसी न किसी अधिकारी, नेता और मंत्री का हाथ होता है। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें। पीलीभीति में हजारों की संख्या में पेड़ों का कटान होता है वह अमूल्य वन सम्पदा का, उसे रातों-रात ट्रक में लाद कर बाहर भेज दिया जाता है। मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करें। मान्यवर, वनों का कटान नहीं रोका गया तो सांस लेने के लिए आक्सीजन हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि वन कार्बन डाई आक्साईड ले करके आक्सीजन गैस छोड़ते हैं और उसे हम सांस द्वारा ग्रहण करते हैं। माननीय मंत्री जी इस बात की ओर भी ध्यान दें कि एक तरफ तो वनों का कटान वन माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है और दूसरी तरफ जब शारदा नदी बाढ़ का रूप लेती है तो उसकी कटान से बेशकीमती पेड़, कट कर गिर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि नदी के कटान से भी वन का क्षरण होता है तो नदी के कटान को रोकने की व्यवस्था केवल सिंचाई विभाग की नहीं है। यदि वन विभाग की करोड़ों की सम्पदा कट रही है तो वन मंत्री को कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे निर्वाचन क्षेत्र के बगल में दुधवा नेशनल पार्क है। वहां पर आये दिन देखतें हैं कि कहीं टाइगर, चीता, हिरण की लाश मिलती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसमें कुछ जंगल विभाग के अधिकारी/कर्मचारी मिलकर अवैध शिकार कराते हैं। एक-एक शेर की खाल एक-दो लाख में बिकती है। जहाँ पर इस प्रकार की शिकायतें आती हैं, विभाग के अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी जानी चाहिए। जिससे वन्य जीवों की सुरक्षा हो सके।

(इस समय 10 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप करिये।

डा0 विनोद तिवारी–

मान्यवर, एक बात अपने निर्वाचन क्षेत्र की कहना चाहता हूँ कि कई जगहों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग 25-30 वर्षों से बसे हैं, हमारे बैंकों ने उनको ऋण भी दिया है, बोरिंग भी हुई है, पक्के मकान भी बने हैं। जंगल विभाग के लोग आये दिन उनका उत्पीड़न करते हैं, हटाने की धमकी देते हैं। राजस्व और वन विभाग का ज्वाइन्ट डिमार्केशन होना चाहिए। जब तक यह न हो जाये जो थारू, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जो 25-30 सालों से बसे हैं उनको तंग न किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करिये।

डा0 विनोद तिवारी–

मान्यवर, एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, जो भी वन सम्पदा अपने पास है चाहे पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच व गोण्डा हो, ये सारे जिले नेपाल बार्डर से लगे हुये हैं। उसमें

से कुछ वन माफिया इस वन सम्पदा को उजाड़कर नेपाल में सीधे तस्करी करते हैं। शेरों की खालें, हिरण की सींगों की तस्करी नेपाल को की जाती है। मैं माननीय वन मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि सीमा पर लगे क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्था करें जिससे वन सम्पदा एवं वन्य जीवों की तस्करी नेपाल को न हो सके। आपने मान्यवर, मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए हृदय से आभारी हूँ । माननीय वन मंत्री जी ने जो बजट भाषण प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूँ।

(श्री अजीम भाई द्वारा बोलने के लिए समय दिये जाने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपका नाम, आपके दल ने नहीं भेजा है। पहले जिनका नाम आया है उनको बुलवाऊँगा।

*श्री अजीम भाई–

मान्यवर, एक मिनट का समय दे दें, केवल एक बात कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

श्री अजीम भाई–

मान्यवर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि फिरोजाबाद में जो हो रहा है वह शायद पूरे प्रदेश में हो रहा होगा। फोर लेन की सड़कें बन रही हैं, उनके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। शहरों में पेड़ की वैसे कमी रहती है। जो सड़क बन रही है वन विभाग के लोग और ठेकेदार हैं सड़क के दोनों पट्टियों की तरफ 5-5 मीटर की जगह छोड़ रहे हैं जो पेड़ों के लिए बहुत कम है। इसमें यह 10-10 मीटर होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि शहरों में पेड़ो की कमी वैसे है पेड़ जीवन के लिए कितने जरूरी हैं यह सभी जानते हैं। मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही अनुरोध करूंगा कि फोर लेन सड़कें बन रही है। वहां 5-5 मीटर की जेगह 10-10 मीटर जगह दी जाये। यही आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना था। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास जो सूची है उसमें कई नाम हैं। मैं समझता हूं कि एक-एक मिनट में आप लोग अपनी बात कह दें।

*श्री राम करन आर्य –

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ । पक्ष और विपक्ष की ओर से इस विषय पर कई सुझाव आए हैं। मैं चन्द मिनट में अपने 2-3 सुझाव रखना चाहता हूँ। मैं जब बस्ती से लखनऊ आता हूँ तो देखता हूँ कि पेड़ कट चुके हैं। आपके माध्यम से शासन से अनुरोध है कि जो पेड़ खराब हैं, उन्हें कटवा लें और कटवाने के बाद जो धनराशि है उसका इस्तेमाल नये वृक्ष लगाने में कर लिया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव यह है कि आज हमारे पास ज्यादा जमीन नहीं रह गयी है। जो बंजर पट्टी है उससे लोग परेशान हैं। जो हमारी घाघरा,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यमुना नदियां हैं उनके किनारे कट रहे हैं। इसके दोनों तरफ वृक्ष लगाने का काम किया जाना चाहिये। मान्यवर, आज हमारा वन क्षेत्र एक प्रतिशत रह गया है। हमारे पास से पूरा-पूरा उत्तरांचल चला गया और अभी हमारे साथियों ने कहा कि जिस तरीके से माफिया और राजनेता मिलकर हमारे जो जंगल हैं वह साफ कर रहे हैं। यह खेद का विषय है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ हमने वन अधिकारियों से बात की, हमारे यहाँ जो आई0 ए0 एफ0 होता है। उन्होंने कहा कि अगर शासन की तरफ से हो जाए कि जो बड़े लोग हैं वह अगर जमीन दे दें तो जो शासन मुहैया कराये हम उस पर नए वृक्ष लगा देंगे। जो आगे चलकर हमारे प्रदेश की वन सम्पदा बनेगी और इसके साथ ही हमारे जंगल का जो क्षेत्रफल है वह भी बढ़ेगा। इसी सुझाव के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

*डा0 वकार अहमद शाह–

मान्यवर, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ जो माननीय सदस्य श्री अम्बिका चौधरी जी ने प्रस्ताव किया है। मैं ऐसे जिले से आया हूँ जहाँ पर वन सम्पदा पहले काफी मात्रा में थी। पिछले 15 सालों में वन जन्तुओं की काफी हानि हुई है और 15 सालों में जो अधिकारी वन विभाग में शीर्ष स्थान पर रहे आज वे इस विभाग के उच्च अधिकारी हैं। उन्होंने वन जन्तुओं को खत्म कर दिया है और दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वे अधिकारी हैं। मान्यवर, बहराइच जिले के जंगलों को बचाना बहुत आवश्यक है। जो बचे हुए जंगल हैं, जानवर हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था पहले की जानी चाहिए। उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि ऊपर से नीचे तक रेंट खोल दिये हैं, हर अधिकारी के रेट खुले हैं। जो ईमानदार अधिकारी हैं उनको आफिस से अटैच हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में एक वन विभाग ही ऐसा विभाग है जहाँ पर ट्रांसफर की लिस्ट निकल रही है। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ , सदन की सबसे ऊँची कुर्सी पर आप बैठे हैं। आप इसमें हस्तक्षेप कर इस प्रकार की परम्परा को खत्म होना चाहिये। मान्यवर, बहराइच में सेंचुरी बनी है वहाँ पर घड़ियाल का प्रोजेक्ट लगाया गया था लेकिन उसमें सुधार होना चाहिये। कीमती लकड़ी की चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है। अभी एक टैंकर के अंदर खैर की लकड़ी पकड़ी गयी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। आप इसकी जाँच करवायें कि परमिट देकर कितनी खैर की लकड़ी कटवायी गयी । मैं हर अधिकारी को सूचित कर चुका हूँ आज कीमती लकड़ी बिक रही है और अधिकारी बैठे देख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से वन मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि ईमानदार अधिकारियों को फ्री सर्विस में ले लें। जब वह यहाँ देंगे तो चोरी नहीं करेंगे तो कैसे पूरा करेंगे। मान्यवर, आपने बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद। हमारा जनपद महराजगंज वनों का जिला है। आज की पूरी चर्चा में वनों की आवश्यकता, वनों की सुरक्षा और उपयोगिता पर जोर दिया गया है। वन क्षेत्रों की वृद्धि के लिये और उनकी सुरक्षा के लिये जितने कदम उठाये जाँय वह कम हैं। आज जो सुरक्षित वन हैं उनकी वृद्धि की सम्भावना दूर-दूर तक नही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। केवल सामाजिक वानिकी का क्षेत्र ही बचा है उसमें जन सहयोग और जन सहभागिता के आधार पर वृक्षारोपण कार्यक्रम को चलाया जाना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सुरक्षित वन क्षेत्र हैं उन पर आज सबकी नजर लगी है और रात दिन चोरी छिपे वनों का कटान जारी है इस तरफ शासन का ध्यान जाना चाहिये। इसमें जरूरत इस बात की है कि ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहित करें जो संरक्षित वन क्षेत्रों की हिफाजत करें। इसी तरह से साजिक वानिकी को प्रोत्साहित किया जाय। संरक्षित वनों के अन्दर ऐसे लोग निवास करते हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं जिनको टांगिया मजदूर कहा जाता है। सूरपार, खुर्रमपुर, अचलगंज, तिकोनिया में यह लोग बसे हैं। इन्होंने अपना खून-पसीना एक करके जंगलों को लगाया है। मेरा सुझाव है कि इनका सहयोग लेकर जंगलों की सुरक्षा की जा सकती है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि वनों के संवर्धन के लिये कोई कार्य योजना बनायी जानी चाहिये। वनों से ही पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है और पर्यावरण संतुलित रह संकता है। मान्यवर, इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

एक सदस्य–

विपक्ष के लोग 4-4 घंटे ले लेते हैं। सत्ता पक्ष का क्या होगा।

श्री अरविन्द गिरि–

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इस कटौती प्रस्ताव पर श्री अम्बिका चौधरी, श्री दद्दू प्रसाद, श्री शिव प्रसाद यादव, संजय गर्ग, राम करन आदि, मा0 रियाज, मा0 विनोद तिवारी, राम करन आर्य आदि माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार रखे मुझे इस बात की खुशी है कि सत्ता पक्ष के भी कुछ सदस्यों ने वन और वृक्षों से सम्बन्धित अपने अच्छे विचार एवं चिन्ता व्यक्त किये। मैं एक दो बिन्दुओं पर अपनी बात और रखना चाहता हूँ। जो गरीब लोगों को वनों की भूमि पर 1960 में वन विभाग द्वारा बसाया गया था। ऐसे बहुत से लोग लखीमपुर, पीलीभीत से लेकर नेपाल बार्डर क्षेत्र में हैं। नेपाल के विस्थापित किसानों को 1960 में बसाया गया था। उस अनुपजाऊ और अनुपयोगी भूमि पर उनको बिठाला गया था। जब वह परिवार सहित दिन-दिन भर मेहनत करते थे और तब एक जून की रोटी खाने का जुटा पाते हैं। ऐसे बहुत से गाँव बसे हुए हैं लेकिन उनको स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया गया है। उन परिवारों की पीड़ा यही है कि वन विभाग के अधिकारी उनसे हफ्ता वसूलते हैं। हर फसल पर वह चले जाते हैं। फसल कटने से पहले उनके पास जाकर उनसे वसूली करते हैं। 1960 में एक अध्यादेश के द्वारा उनको बिठाया गया था। हमारे विधान सभा क्षेत्र में हजरतपुर, सैदापुर, देवीपुर, कन्धरापुर वर्मा नगर आदि गाँव है। पीलीभीत से लेकर गोरखपुर तक नेपाल बार्डर के किनारे के जनपद हैं उनमें ऐसे गाँव बसाये गये थे जिनकी स्वामित्व की समस्या है। यह सदन उन गरीब लोगों के प्रति सचेत होकर उनके अधिकारों को देने का काम करे। हमारे यहां थारू जनजाति निवास करती है जिनकी वनों की उपज पर पूर्ण ही रूप से निर्भरता है। उनकी जो परेशानी हैं, उनकी दैनिक उपयोग के सम्बन्ध में परेशानी है, उनकी परेशानी दूर करने की जिम्मेदारी वन विभाग की है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि थारू जनजाति की खीरी लखीमपुर में बहुतायत है। जिनके पूर्वजों में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भाग लिया था यह महाराणा प्रताप के वंशज हैं। यह विभिन्न जनपदों में फैली हुई है। डा0 राम लखन जो विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं यह उनको

जानते हैं। इन्होंने किताब लिखी है, उसमें इसका उल्लेख है। वह हमेशा सत्य बोलने वाले लोग हैं। जिला पंचायत के जब चुनाव हुए थे तो थारू जनजाति की बेटी ने जो कि गरीब घर की बेटी थी जिसके घर छप्पर नहीं था जिसको प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री ने लाखों में खरीदने की कोशिश की थी। उस थारू जाति, सत्यता के प्रतीक ने अपने ईमान को बेचने का काम नहीं किया था। यह है थारू जाति की सत्यता। आज भी वह आधुनिक सभ्यता से अछूते हैं। उनके आने-जाने के लिये रास्ते नहीं हैं, किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम वन विभाग के द्वारा उनके लिए नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि उनके सम्बन्ध में निश्चित रूप से कोई कार्य योजना बनाने का काम करेंगे क्योंकि इनके बजट में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है। कोटवारा में पक्षी विहार के लिए उपर्युक्त जगह है इसके लिए भूमि देने का काम मुज्जफर अली ने जब माननीय भगवती जी थे, उस समय प्रस्ताव किया था। इसी तरह से मान्यवर, गोंडा में राजगढ़ टिकरी रेंज है वहाँ पशु विहार की समस्यायें हैं, आवश्यक रूप से बनाने की माँग करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब समाप्त करें।

श्री अरविन्द गिरि--

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि नियम 56 में भी बात उठाई गई थी। नील गाय के सम्बन्ध में बात आई थी कि आज इनसे पूरे प्रदेश में बहुत नुकसान हो रहा है। उसी तरह से सूअर भी पूरी फसलों को उजाड़ देते हैं, यह बात भी किसी से छिपी नहीं है। इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसानों को एक नियम एक अधिकार इसके तहत दिया जाय ताकि वे अपनी फसल की सुरक्षा कर सकें। जैसा कि तिवारी जी ने कहा था शारदा कटान की बात कर रहे थे। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा में भी कटान की समस्या है। वनों को भी सबसे ज्यादा नुकसान शारदा कटान से हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शासन वन विभाग के प्रति गम्भीर नहीं है। हमारी जो सोच है उनको भी हालांकि जो सुझाव है उनका संज्ञान शासन को लेना चाहिये।

मान्यवर, हमने वनों के हर मौसम के रंग बदलते हुए बहुत करीब से देखा है। पतझड़ के मौसम में पेड़ के नीचे आकर उसकी टहनी के टूटने की आवाज वन की हिरोलिका में डूबी हुई निस्तब्धता जब भंग होती है तो मन में अजीब सी टीस कर देती है। बसन्ती बयार में झूमती कोमल कपोल व हरी डालियों के मध्य कोयल कूकती है तो लगता है कि हाथ हिलाकर अपनी ओर बुला रही है अथवा वर्षान्त के बाद जब धुले हुए वन समुद्र पर सुबह और शाम को सूर्य की लालिमा थिरकती है तो, दृष्टि सम्मोहित हो जाती है। जाड़ों में पेड़ों की मध्य से छनकर आती हुई गुलाबी धूप शरीर को गुदगुदाने का काम करती है वही घने कोहरे में लुक्का-छुप्पी का खेल खेलते हुए नजर आती है।

मान्यवर, प्रकृति की इस अनमोल और जीवनदायिनी सम्पदा को बचाने के लिए सदन का गम्भीर होना आवश्यक है। रियाज साहब कह रहे थे कि प्रदेश को रेगिस्तान से बचाने के लिए गम्भीर होना चाहिए। 33 प्रतिशत भूभाग को आच्छादित करने का जो लक्ष्य है उसको कैसे पार कर पायेंगे। आप लक्ष्य के करीब जाने का काम नहीं कर पा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ ।

ठाकुर जयवीर सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य अरविन्द गिरि जी, धनश्याम जी, संजय गर्ग जी, विनोद तिवारी जी, अम्बिका जी और अनेक माननीय सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने चर्चा में भाग लेकर बहुमूल्य सुझाव दिये। अरविन्द गिरि जी और अम्बिका चौधरी जी ने इस बात पर बल दिया कि वृक्षारोपण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना चाहिए और वन माफियाओं के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिये। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वृक्षारोपण के कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। लापरवाही बरतने वाले लोगें के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। अम्बिका चौधरी जी को बता दूँ जैसा वे कह रहे थे कि वन मंत्री जी डरते हैं इसलिए भ्रष्ट अधिकारियों और माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जयबीर सिंह की डायरी में डर नाम का शब्द नहीं पाया जाता। वन माफिया कितना ही बड़ा क्यों न हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। वन विभाग के पास सीमित संसाधन हैं, इस कारण मैं आपको स्पष्ट बता दूँ कि सम्पूर्ण क्षेत्र के 33 प्रतिशत भूभाग को आच्छादित नहीं किया जा सकता है। मैं सत्ता पक्ष के और विपक्ष के सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि वे सभी अपनी विधायक निधि का कुछ अंश निकाल कर दें जिससे वृक्षारोपण कराया जा सके और वन से पूरा प्रदेश आबाद रहे। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हरित तीन योजनायें हैं--आपरेशन ग्रीन, सोसल फारिस्ट्री, सामाजिक वानिकी परियोजना, मेरा सबसे अनुरोध है क्रियान्वयन करने के लिए, आज कसम खा लें, प्रतिज्ञा कर लें कि आज से इन सभी योजनाओं को सफल बनाने के लिए कन्धे से कन्धा मिलाकर साथ देंगे।

(मेजें थपथपाई गई ।)

अम्बिका चौधरी जी ने एक बात कही वन विभाग में डिस्टर्वेन्स एलाउन्स और नान डिस्टर्वेन्स एलाउन्स चल रहा है, मैं उनका इशारा समझ रहा हूँ यह सबूत दे दें, तो अगर यह बात सिद्ध हो जाती है तो या तो यह राजनीति से सन्यास ले लें नहीं तो में राजनीति से सन्यास ले लूँगा।

(मेजें थपथपाई गई।)

मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए माननीय सदस्य अरविन्द गिरि से अनुरोध करूँगा कि वन विभाग के हित में इस कटौती के प्रस्ताव को वापस लेकर बजट पारित कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष--

अपना प्रस्ताव गिरि जी वापस ले रहे हैं ?

श्री अरविन्द गिरि--

माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ बाबूसिंह जी जब वन मंत्री थे जो वन विहार की घोषणा की गई थी उसकी घोषणा करें...

(व्यवधान)

विधायक निधि का पैसा देने की जरूरत हो तो वह दिया जाए, इसी के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या--60 वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या--60 वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 91,81,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत किया गया।)

वित्तीय वर्ष 2002--2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर मतदान

अनुदान संख्या--10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औधानिक एवं रेशम विकास)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औधानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,71,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

मान्यवर, तमाम माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया है कि चर्चा न की जाए।

श्री अम्बिका चौधरी--

मैं कटौती रख देता हूं कि आप चर्चा न करें, मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से अनुदान संख्या--10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औधानिक एवं रेशम विकास) लेखा शीर्षक (2049-ब्याज--अदायगियां, 2235--सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2401--फसल कृषि कर्म, 2406--वानिकी तथा वन्य जीवन, 2415--कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2851--ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग तथा 4401--फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या--10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औधानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या--10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औधानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,71,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश 2002 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूँ "यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2002" का अननुमोदन करता है। मान्यवर, इसमें छोटा सा संशोधन है। इसमें बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। इस संशोधन से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। मैं उन परिस्थितियों का वर्णन नहीं करना चाहता हूँ जिन परिस्थितियों के तहत प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अभी तक राज्य महिला आयोग में यह व्यवस्था थी कि उक्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद पर ऐसी महिलाओं का नाम-निर्दिष्ट किया जाय, जिसके पास में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की कोई उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो। लेकिन अब यह उपबन्ध को हटा दिया गया है। अब कोई भी महिला इसकी अध्यक्ष हो सकती है। यदि आयोग में ऐसी महिलाओं को अध्यक्ष बनाया जायेगा जो चाटुकारिता से या पैर पकड़ कर आये , तो कैसे लोकतंत्र की मान्यताओं का पालन होगा। मान्यवर, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो परम्पराएं हैं उसपर कुठाराघात न करने का प्रयास किया जाय। यह हो सकता है कि मुख्य मंत्री की कोई सहेली हो सकती है जिसके लिए कानून बदलना पड़ रहा है लेकिन ऐसी परिस्थितियों में करने का कोई औचित्य नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस संशोधन को वापस लिया जाय। नहीं तो जो आयोग की गरिमा है, प्रतिष्ठा है वह गिर जायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी मद संख्या-13 में विचार करने का प्रस्ताव रख दें। अपनी बात कह दें।

*समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय। मान्यवर, माननीय पाण्डेय जी ने आशंका व्यक्त की है। मान्यवर, 1992 में जब से राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ है तब से लगातार महिला आयोग की उत्तर प्रदेश में भी गठन की कोशिश हो रही थी और उसका गठन हुआ भी लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही वह भंग भी हो गया। आज पुन: महिला आयोग के गठन के लिए प्रयासरत हैं और विधेयक के रूप में लाये हैं। हम कहना चाहेंगे कि चाहे इस देश के प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे मुख्यमंत्री का पद हो या कोई भी पद हो , शैक्षिक योग्यता का प्राविधान नहीं है। इसमें हमने यह किया है कि नाम निर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्य ऐसी योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठावान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महिलायें होंगी जिन्होंने महिलाओं के लिए न्याय के प्रति नि:स्वार्थ सेवा में योगदान दिया हो। ऐसी महिलाओं को अध्यक्ष बनाया जायेगा। मैं चाहूँगा कि इसे सत्ता पक्ष और विपक्ष सर्वसम्मति से इसका पारण करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

संशोधन के लिए श्री राम गोविन्द चौधरी जी हैं नहीं।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विधेयक है अध्यादेश के जरिये इसमें बहुत जल्दबाजी की गयी है इसमें जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

जिनका प्रवर समिति का संशोधन का प्रस्ताव है वे माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है इसलिए आप का यह कहना कि प्रवर समिति को भेज दिया जाये अर्थहीन हो जायेगा। अब मैं मद संख्या-12 पर मतदान कराता हूँ।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

इस संशोधन विधेयक पर संशोधन का प्रस्ताव पेश नहीं हुआ है उस पर मतदान कराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड -2 से 3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 21 जून, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2--उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् :-- उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 2001 की धारा 3 का संशोधन

"(2) आयोग में राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट निम्नलिखित महिला सदस्य होंगी :--

(क) अध्यक्ष, जो कोई ऐसी महिला होगी जिसने सामाजिक सेवा या महिला कल्याण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया हो।

(ख) सात सदस्य, जिनमें से,--

(एक) दो सामान्य श्रेणी में से होंगी :

(दो) दो अनुसूचित जातियों में से होंगी

(तीन) दो नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों में से होंगी :

(चार) एक अनुसूचित जनजातियों में से होगी और यदि इस वर्ग में उपयुक्त महिला उपलब्ध न हो तो उपखण्ड (एक), उपखण्ड (दो) या उपखण्ड (तीन) में निर्दिष्ट किसी वर्ग में से होगी।

(ग) एक सदस्य-सचिव जो राज्य सरकार के विशेष सचिव से अनिम्न श्रेणी की महिला अधिकारी होगी जो राज्य की किसी सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा की सदस्य हो या राज्य के अधीन कोई सिविल पद समुचित अनुभव के साथ धारण करती हो ।

(3) नाम-निर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्य ऐसी योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठावान महिलायें होगी जिन्होंने महिलाओं के लिये न्याय के प्रति नि:स्वार्थ सेवा में योगदान दिया हो।"

निरसन और व्यावृत्ति 3--(1) उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2002

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री इन्द्रजीत सरोज--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर दो घंटे की चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या-15 पर सूखे की चर्चा 21 तारीख तक के लिए स्थगित की जाती है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाऐं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 19 अगस्त, 2002 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 33 सूचनाएं प्राप्त हुई :--

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :--

श्री राम विशुन आजाद	प्रदेश के राजकीय इण्टर कालेजों में प्रवक्ता संवर्ग के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में ।
श्री राम नरेश यादव	महंगाई को देखते हुए अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ी जाति के बच्चों को दी जा रही छात्रवृत्ति को आनुपातिक आधार पर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।
डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का वेदों एवं वैदिक मान्यताओं को झुठलाने तथा उनके विषय में भ्रान्तियां उत्पन्न करने के सम्बन्ध में।
श्री धर्मपाल सिंह	प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों एवं जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।
डा0 विनोद तिवारी	जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र पूरनपुर में शारदा नदी के कटान से हुए किसानों के नुकसान का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :--

श्री सुरेश कुमार खन्ना	जनपद शाहजहांपुर में रौजा थर्मल पावर स्टेशन को शीघ्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।
श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया	जनपद गाजियाबाद स्थित धौलाना मोड़ पर स्थित भैरो मन्दिर पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद — जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा, तिंदवारी में बन्द पड़े राजकीय नलकूपों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।

श्री अम्बिका चौधरी — जनपद बलिया के थाना नरही के ग्राम उभांव के ग्राम प्रधान मो0 इलियास को जान से मारने की धमकी देने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव — जनपद आजमगढ़ में आंधी एवं विद्युत् स्पर्श से हुई मौतों के सम्बन्धियों को आर्थिक क्षतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री श्यामदेव राय चौधरी — काशी विद्यापीठ के पूर्व वाइस चांसलर तथा समाजवादी नेता आचार्य नरेन्द्रदेव तथा भारत रत्न डा0 भगवानदास की प्रतिमा के गायब हो जाने के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :--

श्री रामजीत राजभर — यू0पी0डी0पी0एल0, कानपुर रोड द्वारा किये गये 5 करोड़ रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में सतर्कता जांच की मांग के सम्बन्ध में।

श्री संजय गर्ग — जनपद गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बस संचालन हेतु परमिट जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री विश्राम सिंह यादव — जनपद हरदोई में हरदोई से बड़ा गांव तक बस चलाये जाने के सम्बन्ध में।

श्री किरन पाल कश्यप — जनपद मुजफ्फरनगर में असामाजिक तत्वों एवं बदमाशों द्वारा किये जा रहे अपराधों के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री रामबाबू हरित — आगरा शहर में विद्युत् पोल व गले-टूटे तार को तत्काल बदले जाने के सम्बन्ध में।

श्री उदय राज — जनपद उन्नाव के अन्तर्गत 133 सब-स्टेशन नवाबगंज में बनी फीडर लाइन का तार लोहे के स्थान पर अल्मुनियम के लगाये जाने के सम्बन्ध में।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं ।

उत्तर प्रदेश में विद्युत् विभाग द्वारा दोषपूर्ण इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये जाने से उपभेक्ताओं में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में श्री कौशल किशोर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

ऊर्जा , चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)–

मान्यवर, यह सत्य है कि उ0 प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 द्वारा उपभोक्ताओं के संयोजनों पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह पढ़ा हुआ माना गया।

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

श्री रामवीर उपाध्याय--

[यह सत्य है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा उपभोक्ताओं के संयोजनों पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये जा रहे हैं। इन मीटरों की गुणवत्ता की जांच केन्द्रीय विद्युत् अनुसंधान संस्थान, बेंगलौर (भारत सरकार की एक सोसाइटी) द्वारा कराई जाती है। अत: इन मीटरों की गुणवत्ता पर कोई संशय नहीं है। उपभोक्ताओं की यह भ्रांति कि इलेक्ट्रानिक मीटर वास्तविक बिजली खर्च से 10 से 25 प्रतिशत अधिक रीडिंग दर्शा रहे हैं, सत्य नहीं है। इलेक्ट्रानिक मीटर राज्य एवं निगम के हित में उ0प्र0 विद्युत् नियामक आयोग, जो एक स्वतन्त्र संस्था है, के निर्देशानुसार लगाये जा रहे हैं। अत: इन मीटरों के हटाने का कोई औचित्य नहीं है।]

जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत वीरपुर कटरा व चरेरा में भू-माफियाओं द्वारा राजस्व अभिलेखों को गायब किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य , वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर) --

माननीय सदस्य विधान सभा के द्वारा दी गयी सूचना में अंकित है . . . .

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुखदेव राजभर--

मा0 सदस्य विधान सभा के द्वारा दी गयी सूचना में अंकित है [कि जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत वीरपुर कटरा व चरेरा का अभिलेख खतौनी-खंसरा, नक्शा आदि तत्कालीन लेखपाल व सम्बन्धित अधिकारियों की मिलीभगत से वर्ष 1997 से गायब कर दिया गया है जिससे उक्त ग्राम की जनता काफी परेशान है तथा उनके विधिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं।

2--जिलाधिकारी, गोण्डा से प्राप्त आख्यानुसार जनपद तहसील करनैलगंज क्षेत्र वीरपुर कटरा के लेखपाल श्री जगतराम दीक्षित का स्थानान्तरण उप जिलाधिकारी, करनैलगंज के आदेश दिनांक 17-1-97 द्वारा अन्य क्षेत्र कटुआ नाला पर किया गया था। स्थानान्तरण आदेश के अनुपालन में क्षेत्र वीरपुर कटरा का चार्ज न देकर लेखपाल द्वारा आदेश की अवहेलना की जाती रही, आदेश का पालन न करने और अभिलेखों का चार्ज न देने के कारण उप जिलाधिकारी, करनैलगंज के आदेश दिनांक 26-9-97 द्वारा श्री दीक्षित को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रचलित की गयी। विभागीय कार्यवाही में सक्षम प्राधिकारी/उप जिलाधिकारी, करनैलगंज के द्वारा पारित आदेश दिनांक 9-9-98 द्वारा श्री दीक्षित सेवा से पृथक् कर दिये गये। चूंकि श्री दीक्षित द्वारा अभिलेखों का चार्ज नहीं दिया गया, इसलिए सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक द्वारा 25-11-98 को श्री दीक्षित के विरुद्ध थाना कटरा बाजार में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, जिसका अपराध संख्या 245/98 है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद थाना कटरा की पुलिस द्वारा श्री दीक्षित के पैत्रिक निवास ग्राम हरनाउनोर, तहसील कैसरगंज, जिला बहराइच में तलाशी ली गयी जहां लेखपाल हल्का वीरपुर कटरा जिसके अन्तर्गत ग्राम वीरपुर कटरा व चरेरा राजस्व ग्राम आते हैं.

नोट-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय।

को छोड़ कर दूसरे हल्के के अन्य गांवों के जमाबन्दी व खसरा आदि अभिलेख बरामद हुए। श्री दीक्षित को पुलिस ने दिनांक 21-2-99 को गिरफ्तार किया तथा वह दिनांक 2-4-99 तक जेल में रहे। श्री दीक्षित के विरुद्ध फौजदारी वाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट, गोण्डा के न्यायालय में विचाराधीन है। अभिलेखों के पुनर्निमाण हेतु राजस्व परिषद् की अनुमति प्राप्त करने हेतु राजस्व परिषद् को पत्र भेजते हुए अभिलेखों के पुनर्गठन हेतु अनुमति की प्रत्याशा में अभिलेख को तैयार कराने का निर्देश उप जिलाधिकारी, करनैलगंज को दिया गया है। राजस्व परिषद् द्वारा अभी अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। उप जिलाधिकारी, करनैलगंज ने दोनों राजस्व ग्रामों की अभिलेखागार में उपलब्ध खतौनी के आधार पर आगे की खतौनी का पुनर्निमाण करा लिया गया है। शासकीय कार्य सम्पादित हो रहे हैं। जिला अभिलेखागार में ग्राम वीरपुर कटरा एवं चरेरा दोनों ही ग्रामों के जोत चकबन्दी आकार पत्र 41-45 तथा पूर्व में दाखिल खतौनी उपलब्ध है। ग्राम चरेरा का नक्शा भी जिला अभिलेखागार में उपलब्ध है। अभिलेखों का निरीक्षण जनता द्वारा किया जा रहा है। ग्राम वीरपुर कटरा का नक्शा अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है। ग्राम के भू-चित्र की प्रति उपलब्ध कराने हेतु जिला अभिलेखागार द्वारा राजकीय प्रेस, रूड़की को पत्र भेजा गया है, ग्राम वीरपुर कटरा के नक्शे के पुनर्निमाण हेतु बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, गोण्डा को निर्देश दे दिये गये हैं]।

इस प्रकार ग्राम चरेरा से सम्बन्धित सभी अभिलेख उपलब्ध हैं। केवल वीरपुर कटरा के नक्शे की समस्या रह गयी है जिसके निराकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के अन्तर्गत राम गंगा व बहगुल नदी पर कोलाघाट के नाम से पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्नाद्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य , वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर) --

माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में . . .

श्री अध्यक्ष --

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं। (वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति में पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुखदेव राजभर--

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में [जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के अन्तर्गत रामगंगा व बहगुल नदी पर कोलाघाट पर पुल स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2--इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कोलाघाट पर पुल निर्माण हेतु सर्वेक्षण एवं प्रतिरूप अध्ययन के लिए रु0 16.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 23-6-99 को प्रदान की गई थी। सर्वेक्षण के उपरान्त प्रतिरूप अध्ययन (माडल स्टडी) का कार्य आई0आई0टी0, कानपुर द्वारा कराया गया। प्रतिरूप अध्ययन की रिपोर्ट माह जुलाई,2002 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हो गई है। जिसमें पुल निर्माण हेतु तीन संरेखण प्रस्तावित किये गये हैं। इन संरेखणो पर उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0/प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग के स्तर पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। इसके पश्चात् ही पुल निर्माण के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा]।

नोट-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय।

उत्तर प्रदेश में मुँहनुचवा से व्याप्त आतंक के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य , वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

विगत कुछ दिनों से प्रदेश के कुछ जनपदों में कथित मुँहनोचवा अचानक प्रहार करके . . . .

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुखदेव राजभर--

विगत कुछ दिनों से प्रदेश के कुछ जनपदों में कथित मुँहनोचवा द्वारा अचानक प्रहार करके [शारीरिक चोट पहुँचाने के संबंध में समाचार-पत्रों मे समाचार प्रकाशित हुए। इन समाचारों में यह उल्लेख किया गया है कि इन घटनाओं/इनकी अफवाहों से जन-सामान्य में असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो रहा है। बताया जाता है कि यह घटनाएं रात के अन्धेरे में घटित हो रही हैं जहाँ पर या तो बिजली नहीं है अथवा उस समय बिजली सप्लाई नहीं हो रही थी। इन घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों ने किसी अज्ञात आकृति द्वारा घटना करना अथवा कथित लाल, नीले प्रकाश की किरणें होना/टू-टू की आवाज करना/किसी जानवरनुमा आकृति द्वारा खरोंच लेना आदि बताया गया है। प्रहार करने/चोट पहुँचाने के पश्चात् उक्त के गायब हो जाने की बात बतायी जा रही है परन्तु इसकी प्रमाणित पुष्टि नही हुई है। यह भी ज्ञात हुआ है कि कतिपय लोग मुँहनोचवा के अफवाह के कारण छत से नीचे उतरते हुए जीने की सीढ़ियों से गिरकर भी घायल हुए हैं।

प्रदेश में अब तक 19 जनपदों से तथाकथित मुँहनोचवा की घटनाओं से कतिपय व्यक्तियों के प्रभावित होने आदि की सूचनाएं प्राप्त हुयी है, जिनमें प्रभावित अधिकतर व्यक्तियों को रगड़ या खरोंच/साधारण चोटें हैं और इनका चिकित्सीय परीक्षण कराने पर इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि यह चोटें कथित मुँहनोचवा द्वारा कारित की गयी है।

तथा कथित मुँहनोचवा के दुष्प्रचार को रोकने, अवांछनीय व्यक्तियों द्वारा अफवाहों को रोकने के संबंध में शासन स्तर से समस्त जनपदों को दिशा-निर्देश भेजे गए हैं, जिनमें निर्देशित किया गया है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा पूर्ण सजगता बरतते हुए तथाकथित मुँहनोचवा के सम्बन्ध में अफवाहों से जनमानस में उत्पन्न भ्रम को स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से तथा गश्त एवं भ्रमण के दौरान जनसम्पर्क के माध्यम से भ्रम का निराकरण किया जाये, जिससे जनसामान्य में विश्वास बना रहे। जनपदीय अधिकारियों, को पूर्ण रूप से सतर्क करते हुए ग्राम स्तरीय चौकीदारों का सहयोग प्राप्त करने के निर्देश दिये गये है। क्षेत्राधिकारी व परगनाधिकारी के नेतृत्व में विस्तृत गश्त की योजना के अन्तर्गत रात्रि गश्त में जनता के प्रतिष्ठित व्यक्तियों/स्थानीय पत्रकारों को शामिल किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अफवाहों के रोकथाम एवं अनावरण हेतु ग्राम सुरक्षा/मोहल्ला सुरक्षा समितियों का सहयोग लेकर उन्हें क्रियाशील किए जाने हेतु निदेशित किया गया है। अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु निदेशित किया गया है तथा पुलिस गश्त एवं पिकेट व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनता का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

नोट-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय।

विभिन्न जनपदों से तथाकथित मुँहनोचवा की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ऐसा कोई पुष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सका है जिससे यह कहा जा सके कि किसी प्राणी, कीड़ा अथवा वस्तु जिसे मुँहनोचवा कहा जा रहा है, द्वारा व्यक्तियों को घायल किया गया हो। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि तथाकथित मुँहनोचवा द्वारा सम्पत्ति को हानि पहुँचाने अथवा किसी पशु, पक्षी को आहत करने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुयी है।

यह कहना सही नहीं है कि जनमानस में रोष है। प्रदेश में स्थिति सामान्य है।

जहाँ तक श्री विश्राम सिंह यादव, मा0 विधायक द्वारा जनपद हरदोई में मुँहनोचवा का आतंक संबंधी नोटिस का संबंध है अवगत कराना है कि जनपद से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद हरदोई में मुँहनोचवा की कोई भी पुष्ट घटना प्रकाश में नहीं आयी है और न ही इस प्रकार की घटना से किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना है। अफवाहें फैलाने के आरोप में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत जनपद हरदोई में 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। यह कहना सही नहीं है कि जनपद में हाहाकार मचा हुआ है अथवा किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया है।]

इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लागाये जाने पर 10 प्रतिशत धन जनता द्वारा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उदय राज आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य , वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

श्री उदयराज एवं श्री राम लाल अकेला माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 12.8.2002 को नियम 300 के अन्तर्गत.....

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुखदेव राजभर--

श्री उदयराज एवं श्री राम लाल अकेला मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 12-8-2002 को नियम-300 के अंतर्गत [दी गई सूचना जिसे मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अंतर्गत ग्राह्य किया गया है, मा0 विधायकगण 50-50 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प 150 की आबादी के मानक के अनुसार लगाये जाने तथा 10 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान का भुगतान किये जाने के सम्बंध में मा0 सदस्यों द्वारा नोटिस में उल्लेख किया गया है, जिस पर मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा वक्तव्य दिये जाने का आदेश दिया गया है।

2--विधान सभा में दिनांक 23-5-2002 की बैठक में मा0 मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि हर विधान सभा क्षेत्र में सरकार की ओर से 50-50 हैण्डपम्प हर विधायक को दिये जायेंगे। मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में शासनादेश संख्या 1988/38-5-2002, दिनांक 6-6-2002 द्वारा यह आदेश निर्गत किया गया है कि हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार ही किया जाय जिसमें हैण्डपम्पों की कुल लागत मूल्य का 10 प्रतिशत

नोट-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तथा रख-रखाव की जिम्मेदारी का भार लाभार्थी समूहों पर डाला जायेगा। हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन उन्हीं बस्तियों पर किया जायेगा जहां पर 150 की आबादी पर एक हैण्डपम्पों का मानक पूरा नहीं हुआ है। इस आदेश के पश्चात् कुछ जनप्रतिनिधियों एवं जनपद के अधिकारियों के सुझाव पर पुन: शासनादेश संख्या 2381/39-5-2002, दिनांक 31-7-2002 द्वारा आदेश निर्गत किये गये कि चालू वित्तीय वर्ष में कहीं-कहीं ग्राम पंचायत यह पायें कि अमुक लाभार्थी समूह अत्यंत गरीब है और वह 10 प्रतिशत धनराशि नहीं दे सकता है तो ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित करके अपने संसाधनों से 10 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान का योगदान कर सकते हैं, यह भी संभव न होने पर मा0 विधायकगण ऐसे मामलों में जिन्हें वे अत्यंत गरीब समूह पाते हैं, विधायक निधि से 10 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान के भुगतान का योगदान नियमानुसार अपनी सहमति से विधायक निधि से कर सकते हैं।

3--ग्रामीण पेयजल योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश में पूंजी लागत का 20 प्रतिशत लाभार्थियों से लिए जाने की व्यवस्था है। इस सम्बंध में प्रदेश सरकार की ओर से केन्द्र सरकार से 20 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान लिए जाने की सहमति हेतु अनुरोध किया गया था, जिस पर भारत सरकार द्वारा सहमति प्रदान करने के उपरांत प्रदेश सरकार द्वारा यह व्यवस्था लागू की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार के मार्ग-निर्देश के अनुसार किया जा रहा है। अत: मा0 सदस्यगण द्वारा चयनित स्थलों पर अधिष्ठापित होने वाले 50-50 हैडपम्पों के लिए 10 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान एवं 150 की आबादी पर एक हैण्डपम्प के मानक में किसी प्रकार की छूट प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाना भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप नहीं होगा। अत: मानक में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है।]

स्व0 रिजवानुल हक एवं स्व0 मजीमुल हक की हत्या के उपरान्त उनके परिवार को समुचित सुरक्षा प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शमीमुल हक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य , वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–'

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 51 के अन्तर्गत श्री शमीमुल हक.....

श्री अध्यक्ष–

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन, नियमावली, 1958 के नियम 51 के अन्तर्गत श्री शमीमुल हक [मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा यह अवगत कराया गया कि दिनांक 12 मई, 2002 को विधान सभा क्षेत्र में भाग लेने हेतु रवाना होते समय उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। उनके द्वारा तत्काल जीप से उतर कर घर में भाग कर किसी तरह अपनी जान बचायी गयी और उसी दिन उनके ऊपर दो बार प्राणघातक हमला किया गया। थानाध्यक्ष भोजपुर,

नोट--[ ] यह अंश पढा हुआ माना गया।

जनपद मुरादाबाद, श्री उमेश कुमार सिंह के पूर्व चार्ज में रहने के दौरान ही उनके बड़े भाई स्व0 रिजवानुल हक, जो तीन बार विधायक रह चुके थे एवं उनके छोटे भाई स्व0 अजीमुल हक की भी हत्या कर दी गयी थी और उक्त हत्याओं में अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी और अभियुक्त वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं जिससे उनके और उनके भतीजे श्री उसमानुल हक की जान माल की (परिवार सहित) निरन्तर खतरा बना हुआ है अत: उनके स्वयं एवं उनके भतीजे की जान माल की सुरक्षा बढ़ायी जाय और उक्त प्राण घातक हमले के दोषी अभियुक्तों को अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाय और थानाध्यक्ष, भोजपुर श्री सिंह को हटाया जाय।

2--पुलिस उप महानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद से प्राप्त आख्यानुसार उक्त समस्त प्रकरण की जांच कराये जाने पर पाया गया कि मा0 विधायक श्री हक, ग्राम पीपलसाना, थाना भोजपुर के निवासी हैं और उन्हें जान से मारने के लिए घात लगाकर हमला करने के संबंध में दिनांक 12-5-2002 को थाना भोजपुर पर मु0 अ0 सं0-341/02 धारा 352/506 भा0 द0 वि0 बनाम अभियुक्तगण (1) मुकर्रव, (2) फाकिर, (3) अरशद निवासीगण उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है जिसमें से अभियुक्त फाकिर को दिनांक 12-5-2002 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश आदि द्वारा निरन्तर प्रयास जारी है।

3--दिनांक 12-5-2002 को ही मा0 विधायक द्वारा अभियुक्तगण (1) अंसार हुसैन, (2) मुकर्रव, (3) मुसर्रफ, (4) अरशद निवासीगण उपरोक्त द्वारा उन पर जान से मारने की नीयत से फायर करने के संबंध में उनके विरुद्ध थाना भोजपुर पर मु0 अ0 सं0 342/02 धारा 307 भा0 द0 वि0 पंजीकृत कराया गया है जिसकी प्रारम्भिक विवेचना एस0 आई0 एस0 द्वारा की गयी और जांच से थानाध्यक्ष, भोजपुर के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं, वर्तमान में दोनों अभियोगों की विवेचनायें क्षेत्राधिकारी, बिलारी के माध्यम से निष्पक्षता से गुण-दोष के आधार पर सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

4--दिनांक 22-3-94 को उक्त गांव पीपलसाना में ही मा0 विधायक के छोटे भाई स्व0 श्री अजीमुल हक की हत्या कर दी गयी थी। बहुत समय से ही गांव में आपसी व चुनावी गुटबन्दी चल रही है इसी कारण मा0 विधायक को जीवन भय की आशंका बनी रहती है। गांव में शान्ति व्यवस्था व परिवार की सुरक्षा व्यवस्था हेतु डेढ़ सेक्सन पी0ए0सी0 कैम्प करायी गयी। वर्तमान में एक ए0पी0 गार्ड नियुक्त है। गांव में शान्ति व्यवस्था ड्यूटी व मा0 विधायक के परिवारजनों की सुरक्षा व्यवस्था की, गश्त की व्यवस्था की गयी है। क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष, भोजपुर को भी स्वयं गांव में भ्रमण कर शान्ति व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

5--मा0 विधायक श्री हक की सुरक्षा हेतु शासन द्वारा एक गनर पूर्व से ही नियुक्त है, और विशेष परिस्थितियों में मा0 विधायक मो0 शमीमुल हक को एक अतिरिक्त शैडो नि:शुल्क तीन माह के लिए तथा उनके भतीजे श्री उसमानुल हक को नि:शुल्क एक शैडो तीन माह के लिए प्रदत्त किये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।]

श्री श्याम नारायण--

मान्यवर, शमीमुल हक विधायक जी हैं इनकी व्यक्तिगत समस्या आप सुन लीजिए।

नोट-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री दिनेश सिंह–

मान्यवर, इनकी समस्या आप सुन लीजिए। इनके भाई की भी हत्या हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इनकी बात सुने लेता हूँ।

श्री शमीमुल हक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मुरादाबाद देहात से विधायक हूँ। पूर्व में बड़े भाई स्वर्गीय रिजवानुल हक जो तीन बार विधायक रहे हैं उनकी हत्या कर दी गयी तथा मेरे एक छोटे भाई स्वर्गीय अजीमुल हक की भी हत्या कर दी गयी। मेरे छोटे भाई की हत्या में अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। वह अभियुक्त इस समय जमानत पर आये हुए हैं और मेरी तथा मेरे भतीजें उसमानुल हक की भी हत्या करना चाहते हैं। दिनांक 12 मई, सन् 2002 को जब मैं विधान सभा सत्र में भाग लेने के लिये अपने घर पीपल यानं से जीप में बैठ ही रहा था उसी समय मेरे ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। मैं तुरन्त जीप से उतरकर घर में भागा तथा किसी तरह उनसे अपनी जान बचाई जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखा दी गयी है। यहाँ इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि जिस समय मेरे बड़े भाई की हत्या की गयी थी उस समय जो थानाध्यक्ष हमारे थाने में मौजूद थे जिन्हें कुछ समय के लिए अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया था उन्हीं थानाध्यक्ष उमेश कुमार को उक्त थाने का चार्ज दे दिया गया है जो मेरे खिलाफ हर प्रकार का षड़यन्त्र रचने में लगा हुआ है। 12 मई को जो कांड हुआ था उसमें ना तो हमलावर गिरफ्तार हुए और न मेरी तथा मेरे परिवारजनों की सुरक्षा व्यवस्था का प्रबन्ध किया गया। अत: अध्यक्ष जी, मेरी तथा मेरे परिवार जनों की सुरक्षा व्यवस्था का समुचित प्रबन्ध कराये जाने के तत्काल आदेश पारित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर देता हूँ।

श्री दिनेश सिंह–

मान्यवर, इनके भाई की हत्या हुई तो भी वही थानाध्यक्ष था और वही फिर आ गया है उसको तत्काल हटाया जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली में ग्राम लोटना की 1998 से विद्युत लाइन कटी होने के सम्बन्ध में श्री उदयराज यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

ऊर्जा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री राम वीर उपाध्याय)–

मान्यवर, अकोहरी से लोटना तक 11 के0 वी0 लाइन 4920 मीटर, एल0 टी0 लाइन 1500 मीटर.....

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य ऊर्जा चिकित्सा, शिक्षा मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री राम वीर उपाध्याय–

अकोहरी से लोटना तक 11 के0वी0 लाइन 4920 मीटर, एल0टी0 1500 मीटर [एवं एक नग 25 के0वी0ए0 ट्रान्सफार्मर लगाकर, 11 के0वी0 मौरावां पोषक से दिनांक 24-6-98 को ग्राम लोटना विकास खण्ड हिलौली जनपद उन्नाव विद्युतीकृत किया मया था। उपरोक्त 11 के0वी0 लाइन से केवल ग्राम लोटना ही पोषित है। लोटना ग्राम के किसी भी उपभोक्ता ने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की थी, जिसके कारण ग्राम लोटना में कोई वैध विद्युत कनेक्शन नहीं था। विद्युतीकरण के उपरान्त उक्त ग्राम के लाइन के 3400 मीटर तार को अज्ञात चोरों ने दिनांक 12/13-3-2000 को काट लिया, जिसके कारण लाइन में लगे खम्भे इन्सुलेटर एवं अन्य सामग्री क्षतिग्रस्त हो गयी। तार चोरी की इस घटना की सूचना विलम्ब से प्राप्त होने के कारण दिनांक 17-5-2000 को एफ0आई0आर0 संख्या 000362 थाना मौरावां में दर्ज करायी गयी। लाइन के तार के पुन: चोरी हो जाने एवं अवैध विद्युत उपयोग की संभावना के कारण उपरोक्त लाइन का पुनर्निमाण उचित नहीं पाया गया। उक्त लाइन से कोई भी सामग्री विभाग द्वारा नहीं निकाली गयी है। परन्तु क्षतिग्रस्त लाइन के टूटे हुए तार एवं अन्य फुटकर सामग्री का स्थानीय ग्रामीणों द्वारा काटकर उठा लिये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। लोटना ग्राम में यदि कुछ व्यक्ति विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु आवेदन करें तो क्षतिग्रस्त 11 के0वी0 लाइन (अकोहरी से लोटना) को ठीक करके उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन दिया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि उपभोक्ताओं से विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में उपरोक्त 11 के0वी0 लाइन को चालू करने हेतु आवश्यक निर्माण के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकतायें भी पूर्ण कर ली गयी हैं।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल 20 अगस्त को 11.00 बजे पुन: बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन रात्रि 10 बजकर 53 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 19 अगस्त, 2002

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोट--[ ] यह अंश पढा हुआ माना गया।

पी0एस0यू0पी0-एल0 414 विधान सभा (697)-2003-813